लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २०, १९६३/१८८५ (शक)

[२७ ग्रगस्त से ६ सितम्बर १९६३/६ श्रावण से १८ भाद्र, १८८५ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumigated 18/10/13

Preservation Unit
21-5-92
Fumigated
On 8.12.83
Parliament Library

पांचवां सत्र, १९६३/१८८५ (शक)

(खण्ड २० में ग्रंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

लोक-सभा

मंगलवार, ३ सितम्बर, १९६३

१२ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मेडगास्कर से चावल का आयात

†*४४६. श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडगास्कर के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा व्यापार मन्त्री ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान कहा था कि उनका देश भारत को चावल का निर्यात करने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मेडगास्कर से चावल का आयात करने की सम्भावना की जांच की गई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जांच करने पर यह पाया गया कि मेडगास्कर के चावल का मूल्य उन देशों के चावल के मूल्यों से बहुत अधिक था जहां से कि हम चावल का आयात कर रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या हम उस अन्तर के सम्बन्ध में कुछ जान सकते हैं जो कि इस चावल के मूल्य, जो कि अधिक बताया जा रहा है, और उस चावल के मूल्य के बीच है जिसे अन्य देशों से मंगा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : वह बहुत अधिक है। मेडगास्कर के मामूली चावल का जिसमें लगभग २५ से लेकर ४० प्रतिशत तक टूटे चावल भी मिले होंगे, मूल्य लगभग ४७ पौंड से ५० पौंड प्रति टन बताया गया है। अन्य देशों से हम जो चावल मंगाते हैं उसका मूल्य बहुत कम है। मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र अन्य मूल्यों को बताने के लिये मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। वह यहां पर मेरे पास हैं, परन्तु उन्हें बताना उचित नहीं होगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार ने मूल्यों में कमी करने के लिये और ऐसी व्यवस्था करने के लिये जिससे कि हम इस चावल को कम मूल्य पर मंगा सकें मेडगास्कर सरकार से कोई प्रार्थना की है ?

†**श्री अ० म० थामस** : वह तो प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर वे हमें ५० हजार टन प्रतिवर्ष देने ही की तो स्थिति में हैं। औसतन हम २ लाख टन चावल का प्रतिवर्ष आयात कर रहे हैं। इसलिये, वे हमारी समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। और भी बातचीत की गई थी, परन्तु इस प्रकार की कोई निश्चित समझौता वार्ता नहीं हुई। टनानाराइव के राजदूत ने इस सम्बन्ध में १६६२ में अपनी इच्छा व्यक्त की थी, और जब हमने इसकी जांच की तो पाया कि यह ठीक नही था। जब मेडगास्कर के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मन्त्री महोदय यहां पर थे तो उन्होंने इस सम्बन्ध में योजना आयोग से चर्चा की थी, और योजना आयोग ने भी इससे सम्भावनाओं की खोज करने के लिये कहा था और हमने यह पाया कि यह उपयुक्त नहीं था।

श्री यशपाल सिंह : यह बार्टर बेसिस पर होगा या फारेन एक्सचेंज के पेमेंट के बेसिस पर ?

†**श्री शिन्दे** : वह स्थिति अभी तक नहीं आई है। यदि समझौता वार्ता यें प्रारम्भ हों केवल तभी वह स्थिति आ सकती है।

श्री कछवाय : इसमें कुछ शर्तें भी हैं, यदि हां, तो कौनसी शर्तें हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसके लिये कुछ शर्तें हैं ?

†**श्री शिन्दे** : वास्तव में कोई बातचीत नहीं चल रही है। केवल एक औपचारिक प्रस्ताव अथवा सुझाव था और हमने उसकी केवल जांच की थी।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या चावल का मूल्य बहुत अधिक था अथवा वह घटिया किस्म का था, अथवा क्या वे विदेशी मुद्रा में भुगतान चाहते थे और वे रुपयों में भुगतान लेने के लिये तैयार नहीं थे ? इतने अच्छे प्रस्ताव को ठुकराने का वास्तविक कारण क्या था ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैंने मुख्य उत्तर में कारण पहले ही बता दिये हैं, और श्री भागवत झा आजाद द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के अपने उत्तर में भी मैंने कारण बताया था। इसका कारण चावल का ऊंचा मूल्य था।

†**श्री प्र० कु० घोष** : चावल की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का ऊंचे मूल्य पर चावल खरीदने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : अब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्रालय मेडगास्कर के साथ एक व्यापार समझौता करने का विचार कर रहा है और यदि वह कर लिया जाता है तो कदाचित चावल को भी उसमें स्थान मिल जाये, और यदि हमारे लिये चावल का मेडगास्कर से आयात करना उपयुक्त समझा गया तो हम इस सम्बन्ध में उस समय विचार करेंगे ।

इंडिया स्टार लाइंस

+

†*४४७. श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब इंडिया स्टार लाइन्स (नौवहन समवाय) को भारत—ब्रिटेन मार्ग पर जहाज चलाने की आज्ञा दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह कम्पनी किन शर्तों के अधीन जहाज चलायेगी ;

(ग) कम्पनी के बेड़े में इस समय कितने जहाज हैं ; और

(घ) क्या कम्पनी ने तटीय व्यापार के लिये भी जहाज चलाने के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं ?

†परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख).

अक्टूबर, १९६२ में भारत सरकार ने एक स्वीकृति जारी की थी जिसमें प्रस्तावित इंडिया स्टार लाइन्स को भारत—ब्रिटेन/तटीय व्यापार में आरम्भ में विदेशी भाटकित पोतों को उपयोग में लाते हुए अनेभी पोतों (ट्रैम्प वैसल्स) को चलाने की अनुमति दी गई थी; परन्तु वे पोतों का भाड़ा स्वयं अपनी विदेशी मुद्रा आस्तियों में से देंगे और भारत—ब्रिटेन/महाद्वीप सम्मेलन की सदस्यता के लिये प्रार्थना पत्र नहीं देंगे । तथापि, इस स्वीकृति का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि कम्पनी स्वयं अपनी विदेशी मुद्रा आस्तियों को पोतों का किराया देने में उपयोग करने के लिये तैयार नहीं थी । बाद में, जब यह कम्पनी स्टार शिप्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वास्तव में पंजीकृत की गई तो यह पाया गया कि इसमें भारतीय निदेशक ७५ प्रतिशत के स्थान पर केवल ६६ २/३ प्रतिशत ही थे । तदनुसार, सरकार ने कम्पनी को यह सूचित कर दिया कि इससे पहले कि उनके किसी अग्रेतर प्रस्ताव पर विचार किया जाय, उन्हें भारतीय निदेशकों की प्रतिशत संख्या को बढ़ा कर ७५ प्रतिशत करना होगा और कम से कम एक जहाज लेना होगा तथा उसे भारतीय ध्वज के अधीन पंजीकृत करना होगा । जून, १९६३ में कम्पनी ने सरकार को यह सूचित किया कि वे भारतीय जहाज के रूप में पंजीकृत कराने के लिये अपने विदेशी मुद्रा संसाधनों से कम से कम एक जहाज ले लेंगे और फिर भारत सरकार से अग्रेतर प्रस्ताव करेंगे । परन्तु तब से अब तक न तो कम्पनी ने कोई जहाज ही लिया है और न ही भारत सरकार को कोई नये प्रस्ताव भेजे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) एक भी नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

श्री यशपाल सिंह : फ्रेट रेट्स को रेग्युलेट करने का हक सरकार ने क्या अपने हाथ में रखा है या उन्ही को सौंप दिया है ?

श्री राज बहादुर : यह सवाल फ्रेट रेट्स से सम्बन्ध नहीं रखता है । बहरहाल फ्रट रेट्स जो हैं वे कम्पनियां अपने हिसाब किताब को देख कर रखती हैं । अगर वह ज्यादा होता है, डिस्क्रिमिनेटरी होता है तो उसके बारे में एक बोर्ड बैठा हुआ है, जो उसको देखता है और जहां तक कोशिश होती है, समझौते के साथ कम करावाने की कोशिश करता है ।

श्री यशपाल सिंह : सरकार ने क्या इस कम्पनी को कुछ लोन भी दिया है ?

श्री राज बहादुर : जी, नहीं, ऐसा कोई लोन वोन नहीं दिया है ?

श्री रघुनाथ सिंह : इस लाइन पर कौन-कौन सी कम्पनियां आ रही हैं? जो फेट रेट का सवाल चला है, इसके सम्बन्ध में इस कम्पनी की क्या पालिसी है ?

श्री राज बहादुर : अगर माननीय सदस्य का मतलब इंडिया—यू० के० कोंटिनेंट रूट से है तो उसके ऊपर यह जो कान्फ्रेंस लाइन्ज हैं,उनमें अंग्रेजी कम्पनियां, यूरोप की कम्पनियां हैं, और भारत की तीन कम्पनियां हैं, सिंधिया, इंडिया स्टीम और शिपिंग कारपोरेशन । जहां तक फ्रेट रेट का सम्बन्ध है, वह पृथक् प्रश्न होना चाहिये, वर्ना जो जवाब है वह बहुत लम्बा हो जायेगा ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार की सिफारिश के विरुद्ध भारत—ब्रिटेन कान्फ्रेंस लाइन के भाड़े की दरें १२½ प्रतिशत बढ़ गई हैं, क्या सरकार की नीति कान्फ्रेंस लाइन्स कीप्सहायता करने की है ?

†**श्री राज बहादुर** : कान्फ्रेंस एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य कर रही है जिस में विदेशी लाइनें, भारत—ब्रिटेन कान्फ्रेंस के ब्रिटिश और भारतीय सदस्य भी हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न तो इंडियन स्टार लाइन्स के सम्बन्ध में है ।

†**श्री राज बहादुर** : जी, हां; यह मूल प्रश्न से उठता ही नहीं है ।

†**श्री बसुमतारी** : भारतीय कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों द्वारा कितना भाग बहन किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह एक भारतीय कम्पनी है । परन्तु इस के बोर्ड में एक ऐसा भारतीय था जो कि इंगलैंड का नागरिक था । इसलिये, हमारे द्वारा कुछ आपत्ति उठाई गई । परन्तु कम्पनी ने अभी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में यह कहा गया है कि कम्पनी ने सरकार को यह सूचित किया था कि वह अपने ही साधनों से एक जहाज ले लेगी, परन्तु तब से अब तक कम्पनी ने न तो कोई जहाज ही लिया है और न ही कोई नये प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कम्पनी अभी तक बन नहीं सकी है अथवा यह कम्पनी किसी ढंग से कार्य करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : मेरा विचार है कि कम्पनी तो बन गई है क्योंकि पंजीकरण हो गया है । परन्तु इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला है ।

पंचायत वित्त निगम

+

†*४४८. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री ग्र० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्थानम् समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों की सहायता करने के लिए एक पंचायत वित्त निगम स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों की संख्या क्या है जिन्होंने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ती)** : (क) समिति ने राज्य स्तर पर पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की सिफारिश की है । समिति के अनुसार, लोकोपयोगी उपक्रमों को प्रारम्भ करने, लाभदायक आस्तियों को बनाने, लाभदायक कार्यक्रमों को आरम्भ करने, और उद्योगों को स्थापित करने आदि के लिये पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को निगमों द्वारा ऋण दिये जायेंगे ।

(ख) समिति का प्रतिवेदन ३१ जुलाई, १९६३ को प्राप्त हुआ था और राज्य सरकारों के परामर्श में उसकी जांच की जा रही है ।

श्री यशपाल सिंह : किन किन स्टेट्स ने आप को अपनी रजामन्दी दी है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : समिति ने आसाम के अतिरिक्त सभी राज्यों का दौरा किया है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या किन्हीं राज्यों ने अपनी प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में सरकार को सूचित किया है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : प्रतिवेदन उनको केवल दो अथवा तीन दिन पूर्व ही भेजा गया था ।

श्री यशपाल सिंह : जहां जिला परिषदें मुअत्तिल कर दी गई हैं हाई कोर्ट के द्वारा, वहां इस फंक्शन को कौन करेगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया गया है । उस में ११४ सिफारिशें हैं

†**श्री कपूर सिंह** : केवल गुटबन्दी और राजनीतिक ध्येयों के हितसाधन के लिये ही ऐसी वित्तीय सहायताओं का प्रविस्तारण न किया जाय इसके लिये यदि कोई कदम उठाने का विचार है तो वे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : निगम किसी दल के हाथों में नहीं होगा । वह एक पृथक स्वायत्तशासी निकाय होगा ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : इस निगम को बनाने में सरकार कितना समय लेगी और किन किन परियोजनाओं को सहायता दी जायेगी ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : प्रतिवेदन केवल ३१ जुलाई को ही प्रस्तुत किया गया था ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : इसमें कितना समय लगेगा ? उस समय से यह विचाराधीन है ।

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : हम आशा करते हैं कि राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं का इस महीने के अन्त तक पता चल जायेगा ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : इसमें कितना रुपया ये पंचायत समितियां और जिला परिषदें देंगी और उसमें कितनी सहायता राज्य सरकार देगी ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तो यह सोचा जा रहा है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि वह १/३ देगी या वैसे ही १/२ देंगी, कितना देंगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : इस पूरे प्रश्न की अभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र द्वारा विस्तृत रूप से जांच की जानी है । यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है । हम इस स्थिति पर कैसे कोई निर्णय दे सकते हैं ?

श्री राम सेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय निगम को क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से भी कुछ सहायता दी जायेगी ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : जी, हां; वहां यह भी सिफारिश की गई है ।

श्री काशीराम गुप्त : क्या प्रदेश सरकारें इसको केवल अपने रुपये से चलायेंगी या इस में जिला परिषदों और पंचायतों के रुपयों का भी योगदान होगा, साथ ही जिला परिषदों और पंचायत समितियों इत्यादि के लिये जो सिफारिश की गई है कि उसका आधार वही होगा, दूसरा नहीं होगा, इसके बारे में आपका क्या विचार है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : जी, नहीं । सिफारिश में केन्द्रीय सरकार,राज्य सरकारों और इन निगमों में कुछ हिस्सा रखने वाला अन्य पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में कहा गया है ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि सन्तानम् कमेटी ने इस तरह की कई महत्वपूर्ण सिफारिशें पंचायतों के साधनों को बढ़ाने के सम्बन्ध में की हैं, इसलिये क्या केन्द्रीय सरकार ऐसा विचार रखती है कि प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधियों को बुला कर जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाय तथा एक सी समानता सारे देश के अन्दर लाई जाय ?

†**श्री सु० कु० डे** : सरकार का ठीक यही तो इरादा है ।

†**श्री राम सहाय पाण्डेय** : इस योजना में प्रारम्भिक विनियोजन क्या होगा जिसकी कि सन्थानम समिति ने सिफारिश की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : सन्थानम् समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक समिति के लिये न्यूनतम १ करोड़ रुपया होना चाहिये और अधिकतम ५ करोड़ रुपया ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि सन्थानम समिति के प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है कि प्रशासकीय सुस्ती तथा राज्य सरकारों में उत्साह की भी कमी के कारण ग्राम्य उद्योगीकरण की प्रगति बहुत धीमी रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उस पर विचार कर लेने दिया जाय । सदस्य जिस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन सिफारिशों पर यहां अभी चर्चा की जाये ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या इस प्रकार का उल्लेख किया गया है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : वह समिति के निर्देश पदों में से एक नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : जहां तक मैं जानता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगीकरण की सहायता करने के लिये प्रत्येक जिले में एक संस्था पहिले ही से है । वे अग्रिम धन देते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केवल इस संस्था को ही इस कार्य को करने का अधिकार होगा, क्या पुरानी कार्यवाही इससे दुहरी नहीं हो जायेगी और किस प्रकार के उद्योगों को सहायता देने का विचार है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : यह निगम उन उद्योगों के सम्बन्ध में कार्य करेंगे जो कि लाभप्रदायक आस्तियां पैदा करेंगे ।

†**श्री त्यागी** : प्रत्येक उद्योग यह करता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह निगम उस संस्था के पृथक और स्पष्टतया भिन्न होगा जो पहले ही से विद्यमान है, और क्या इससे संस्थायें दुहरी हो जायेंगी ?

†**श्री सु० कु० डे** : मैं सदन को यह आश्वासन दिलाता हूं कि यह देखने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा कि दुहरी संस्थायें न हों । यदि कोई संस्था पहले ही से विद्यमान है तो या तो उस संस्था के संसाधनों का नये निगम के साथ एकीकरण कर दिया जायेगा अथवा स्पष्ट सीमांकन करके दोनों के बीच उत्तरदायित्वों को बांट दिया जायेगा ।

†**श्री रंगा** : उक्त निगमों की रचना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में मौजूदा समिति ने किस उत्तरदायित्व का सुझाव दिया है ? क्या मेरी यह धारणा सही है कि समिति ने यह सुझाव दिया है कि उक्त निगमों की रचना का अधिकार केन्द्रीय सरकार को नहीं अपितु राज्य सरकारों को है ?

†**श्री सु० कु० डे** : स्वाभाविक है कि 'पंचायती राज' विषय राज्य सरकारों में निहित है । राज्यों में पंचायती राज की सहायता करने के लिये निगम की रचना का अधिकार केन्द्रीय सरकार को किस प्रकार होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीका को चीनी का निर्यात

+

†*४४९. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मुरारका :
श्री हेम राज :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने भारतीय चीनी का अमरीकी अभ्यंश (**कोटा**) बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ।

(ग) संसार में भारतीय चीनी के मुख्य खरीदार देश कौन-कौन से है ; और

(घ) क्या चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिये अन्य देशों को कोई रियायत दी जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) और (ख). अमरीका सरकार ने १९६३ के लिए कोटा १७,९७३ टन से बढ़ा कर १९,२९१ टन कर दिया था । इसके अतिरिक्त ग्लोबल 'कोटा स्कीम' के अन्तर्गत ९०,०९८ टन का आवंटन किया गया था ।

(ग) हमारी चीनी के मुख्य खरीदार इस समय अमरीका, कनाडा, जापान, मलाया, ब्रिटेन तथा दक्षिण विएतनाम हैं ।

(घ) जी नहीं । किसी देश को कोई रियायत नहीं दी जा रही है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अमरीका को यह चीनी किस रेट पर दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) दरें अलग अलग लगाई जाती हैं क्योंकि इनका सम्बन्ध अधिकांशतः लगभग औसत दैनिक भूकम्प से होता है । १९६२ में हमें अमरीका से ४५० रुपये प्रति मीट्रिक टन मिलेंगे । १९६३ में यह लगभग ६३० रुपये प्रति मीट्रिक टन होंगे । मलाया को निर्यात से ७५० रुपये प्रति मीट्रिक टन, कनाडा को ६३० रुपये तथा जापान आदि को ७०० रुपये मिलेंगे ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इसके लिए एनुअल एवरेज सब्सिडी किस रेट पर दी गई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : वर्तमान मूल्य पर । इसमें अधिक राज्य सहायता नहीं दी जायेगी क्योंकि हमारी उत्पादन लागत लगभग ७०० रुपये प्रति टन है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या हमारी चीनी को खरीदने के लिए कुछ और प्रस्ताव मिले हैं तथा यदि हां, तो कितनी मात्रा के ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : मैं सभा में बता चुका हूं कि हम अपना हाथ ही रोक चुके हैं। हम अगले वर्ष के लिए फर्म से तीन लाख टन का वायदा कर चुके हैं

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : चीनी के निर्यात का हमारे आन्तरिक उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ा है। तथा क्या देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम १९६२-६३ में लगभग ५.४ लाख टन चीनी का निर्यात कर रहे हैं। यदि इसको आन्तरिक उपभोग के लिए दे दिया जाये तो आन्तरिक बाज़ार में कोई कमी नहीं रह जायेगी। आन्तरिक उपभोग तथा निर्यात को देखते हुए इसका उत्पादन बढ़ाने का विचार है।

†**श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या अमरीका सरकार से तीन, चार अथवा पांच वर्ष तक लगातार चीनी के संभरण का कोई प्रस्ताव मिला है और यदि हां, तो हमारी शर्तें क्या हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : उस समय के खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री स० का० पाटिल जब अमरीका गये थे उन्होंने तब वहां के कृषि मंत्री से बातचीत की थी परन्तु कोई वायदा नहीं किया था।

श्री क० ना० तिवारी : स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने ३.७ लाख टन और शूगर मिल्स एसोसिएशन ने ६३ हजार टन चीनी बेचने का निर्णय किया है सन् १९६३-६४ में। इसके बाद इंटर्नल कंजम्शन के लिए अगले साल के लिये सिर्फ २ लाख टन चीनी के लगभग बच रहेगी जोकि केवल २ या ३ हफ्ते के लिए बाकी है। ऐसी हालत में सरकार कितना एक्सपोर्ट करने की सोच रही है और कितना इंटर्नल कंजम्शन के लिए रखने की सोच रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह सभी समझौते राज्य व्यापार गिगम द्वारा किए गए हैं। परन्तु निर्यात भारतीय चीनी मिल संस्था द्वारा किया जायेगा। गत वर्ष तीन लाख टन का वायदा किया गया था जिसमें से ५० प्रतिशत वस्तु विनिमय आधार पर अर्थात् उर्वरकों तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर होगा। अन्यथा इसेके लिए हमें विदेशी मुद्रा को देना पड़ता।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : देश में चीनी की कमी तथा रक्षित भंडार बनाने की इच्छा तथा निर्यात करने की इच्छा आदि को सरकार किस प्रकार संतोषजनक रूप से पूरा करना चाहती है ? उसका उत्पादन किस प्रकार बढ़ाने का विचार है ?

†**श्री अ० म० थामस** : माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि तीनों ही प्रशंसनीय कार्य हैं तथा हम ने उन सभी पर विचार किया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि आन्तरिक उपभोग का भी ध्यान रखा जायेगा तथा मेरे वरिष्ठ साथी एक या दो दिनों में प्रोत्साहन के बारे में घोषणा करने वाले हैं।

†**डा० रानेन सेन** : पहले यह बताया गया था कि अमरीका में चीनी भारत से कम मूल्य पर बेची जाती है। संसार के तुलनात्मक भाव और भारतीय चीनी के लिए दिए गए भाव जानना चाहता हूं ?

†**श्री अ० म० थामस** : सामान्यतः हम को अमरीका में ऊंचे मूल्य मिलते हैं परन्तु यह वर्ष एक असाधारण वर्ष था क्योंकि अमरीका की बिक्री के बाद लन्दन में भी दैनिक भाव चार पांच गुना बढ़ गए। इससे अन्य देशों से हम को अधिक मूल्य मिल गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी का और अधिक निर्यात तब तक न करने का निर्णय कर लिया है जब तक स्थिति न सुधर जाये और आन्तरिक खपत पूरी न हो जाये ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि केवल किए गए वायदों के अतिरिक्त और निर्यात रोक दिया गया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : इस समय भी भारत में चीनी में अति महंगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ है । क्या भारत सरकार और भी ज्यादा चीनी बाहर भेज कर इस देश की जनता को बिल्कुल ख़राब करना चाहती है और क्या उसकी भलाई के लिए वह सोचना नहीं चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : उसी का जवाब उन्होंने दिया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : वह तो चीनी के निर्यात को बढ़ाने की बात हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, उसी का जवाब उन्होंने दिया है । आप ने ग़ौर नहीं किया ।

श्री रामेश्वरानन्द : अब मंत्री लोग हिन्दी में तो बोलते नहीं । आप ने सब ऐसे ही मिनिस्टर्स इकट्ठे कर लिये हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : आप से हम लोग अच्छी हिन्दी बोलते हैं ।

श्री गुलशन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चीनी विदेशों में भेजी जा रही है ...

अध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसे साहबान हैं जो बोल नहीं सकते और कुछ साहबान ऐसे बोलते हैं जो बोलनी चाहिए नहीं ।

श्री गुलशन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चीनी विदेशों को भेजी जा रही है और चीनी की यहां कमी की वजह से उसकी क़ीमतें काफ़ी चढ़ रही हैं तो क्या सरकार देश में चीनी की कमी को दूर करके यहां की जनता को मुनासिब दाम पर चीनी देने के बारे में सोच रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्हों ने जवाब दिया है ।

श्री जसवन्त मेहता : क्या यह सच नहीं है कि १९६१-६२ में चीनी का उत्पादन कम हुआ था और सरकार कुछ प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है । यह समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं कि सरकार ने निर्णय ले लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने गन्ने के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के बारे में क्या निर्णय किया है ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ साहब ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी नहीं समझ सकते और वह इसके लिए तकलीफ़ और दिक्कत महसूस करते हैं । अगर यह हाउस मान जाय और इसके बाद इस बारे में ज़िद नहीं की जायेगी कि तमाम ज़बानों में तर्जुमा हो मैं यह चीज़ लेने के लिए तैयार हूं कि हिन्दी और अंग्रेज़ी में साइमलटेनियस तर्जुमा यहां पर किया जाय । लेकिन इस मामले को लेने से पहले मैं इस बात की गारन्टी चाहता हूं कि इसके बाद यह नहीं होगा कि बाक़ी दूसरी लोकल लैंग्वेजेज़ में भी तर्जुमे की भी ज़िद की जाय । तर्जुमा हिन्दी और अंग्रेज़ी इन दो ज़बानों का ही हो सकता है और अगर इस बात पर हाउस एक राय हो जाय तो मैं साइमलटेनियस ट्रान्सलेशन के लिए गवर्नमेंट को राज़ी कर सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रंगा** : इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यवस्था है उसी प्रकार का आप ऐसी मशीन नहीं लगा सकते हैं जिस की सहायता से हम एकदम बातों को सुन सकें ?

अध्यक्ष महोदय : साइमलटेनियस ट्रांसलेशन का मतलब ही यह है। जोकि अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं उनको हिन्दी में सुना दिया जायगा और वे सदस्य जोकि हिन्दी नहीं जानते और अंग्रेज़ी सुनने वाले हैं उनको साइमलटेनियस ट्रान्सलेशन के जरिए अंग्रेज़ी में सुनने को मिल जायगा।

†**श्री कपूर सिंह** : आपके प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं परन्तु साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आप ने यह प्रस्ताव इस कारण पेश किया है कि कुछ सदस्य किसी भाषा को न जानने के कारण यहां पर विवाद में भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसे सदस्यों की भी संख्या यहां बढ़ रही है जो अंग्रेज़ी-हिन्दी दोनों में से कोई भाषा नहीं जानते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने यह नहीं कहा था।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं यह कह रहा था कि आपने यह प्रस्ताव इस उद्देश्य से पेश किया है कि बहुत से सदस्य अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों भाषाओं में एक भी नहीं जानते हैं।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : उन्होंने यह नहीं कहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शान्ति। उन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिये।

†**श्री कपूर सिंह** : यदि आप ने इन दोनों भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था कर दी तो अंग्रेजी तथा हिन्दी के अतिरिक्त और सदस्यों की भी मांग हो सकती है। क्योंकि ऐसा सभा की कार्यवाही समझने के लिए किया जा रहा है। मैंने ऐसा केवल इसलिए कहा है कि मेरी यह बात रिकार्ड में आ जाये। मैं रास्ते में नहीं आना चाहता क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम प्रस्ताव है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा की इच्छा हो तो मैं प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकता हूं।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसको स्वीकार कर लिया गया।

श्री राम सहाय पाण्डेय : इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है . . .

अध्यक्ष महोदय : इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर साइमलटेनियस ट्रान्सलेशन की और ज़बानों के लिए भी ज़िद की जायगी तो हम इस पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए मैं इस में सबका सहयोग चाहता हूं। हिन्दी और अंग्रेज़ी इन दो ज़बानों तक ही हमें इस साइमलटेनियस ट्रान्सलेशन की व्यवस्था को महदूद रखना चाहिए।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इसको अगले सत्र से लागू कर दिया जायेगा? अगले सेशन में यह व्यवस्था शुरू हो जायगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो देखने की बात है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी लेनी है। मैं आज ही बात करूंगा।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री जसवन्त मेहता** : श्रीमान्, १९६०–६१ में चीनी का उत्पादन कम हुआ था । इसलिए सरकार गन्ने के उत्पादन को अधिक प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर विचार कर रही है । यह समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इस नीति के ब्योरे क्या हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं बता चुका हूं कि मेरे वरिष्ठ साथी प्रोत्साहन योजना के बारे में भा में एक वक्तव्य देंगे ।

†**श्री रंगा** : उपमंत्री ने बताया कि बाद में लन्दन में मूल्य अमरीका में बची जाने वाली चीनी से ऊंचे हो गये थे । मैं जानना चाहता हूं कि दोनों मूल्यों में कितना अन्तर था अर्थात् जिस मूल्य पर चीनी बिकी तथा लन्दन में जिस भाव पर हम ने देय तय किया था ।

†**श्री अ० म० थामस** : जो मूल्य बताये गये थे वह ५१ पौंड से ९७ पौंड थे । जब कि मूल्य १०५ पौंड तक चले गये थे । मूल्य दिन प्रति दिन बदल रहे हैं । सही आंकड़े बताना सम्भव नहीं है ।

†**श्री रंगा** : अमरीका को हम किस मूल्य पर बेच रहे थे ?

†**श्री अ० म० थामस** : ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जानकारी बाद में दी जा सकती है ।

कृषि उत्पादन

†*४५०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री तुलशीदास जाधव :
श्री पु० र० पटेल :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में कृषि उत्पादन आशा से काफी कम रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—१६२६/६३]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध हंसदा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मुझे विवरण नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ सिंह ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : पूर्वी भारत में सिंचाई प्रणाली सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : गत वर्ष हम ने छोटी सिंचाई के लिए ६.२५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त उपबन्ध किया था । यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश बढ़ी हुई सुविधाओं का पूरा लाभ उठाना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के कृषि उत्पादनों को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन से सम्बन्धित जितने भी विभाग या अधिकार हैं वे सब कृषि मंत्रालय को दिये जा रहे हैं, यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित हो सकेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : इस के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कल अखबारों में उस घोषणा को पढ़ा होगा जो कि प्रेसीडैन्ट साहब की ओर से हुई है । उस में कुछ व्यवस्था की गई है ।

†**श्री लहरी सिंह** : इस आधार पर कि कम उत्पादन वाली जोतें अधिक हैं तथा इन जोतों के मालिक बहुत गरीब हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी ऊसर तथा सूखी भूमि, जहां पर किसी नदी को भी नहर प्रणाली के द्वारा सिंचाई की संभावना नहीं है, के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने पर सरकार विचार कर रही है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह सच है कि जोतें बहुत छोटी हैं परन्तु सिंचाई सुविधायें अधिकांशतः इसी प्रकार की भूमि में बढ़ाई जा रही हैं । भाखड़ा नहर प्रणाली, जिस के बारे में माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं, ऐसी ही सूखी भूमि में से गुजरती है । रोहतक के बारे में . . . .

†**श्री लहरी सिंह** : मेरा प्रश्न दूसरा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां । प्रश्न उन क्षेत्रों के बारे में था जहां पर नहरी पानी नहीं पहुंच सकता है ।

†**श्री लहरी सिंह** : जी हां । प्रश्न ऐसे क्षत्रों के बारे में था जहां नहरी पानी पहुंचने की कोई संभावना नहीं की जा रही है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : ऐसे क्षेत्रों में छोटी सिंचाई सुविधाओं की खोज की जा रही है । अन्वेषणात्मक नलकूप कार्यक्रम जहां पर पानी उपलब्ध है वहां पर नलकूप खोदने का प्रयत्न करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती अकम्मा देवी** : इस आधार पर कि कुछ राज्यों में फसल ब्लाइठ रोग से नष्ट हो गई है मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार का विचार रोगमुक्त बीज संभरण करने का है त । अन्य सुविधायें देने का है जिस से कृषि उत्पादन बढ़ सके ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह सच है कि नीलगिरि क्षेत्र में ब्लाइठ रोग लग गया था। रोग को हटाने के लिए मद्रास की सभी मांगें पूरी कर दी गई हैं। हम ने अपनी अनुसंधान संस्था से भी कहा है कि इस सम्बन्ध में जांच करे।

श्री शिव नारायण : क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लघु सिंचाई योजनाओं के लिए पूर्व भारत में, बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में, सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

डा० राम सुभग सिंह : लघु सिंचाई योजनाओं के लिए सामान्यतः राज्य सरकारें व्यवस्था करती हैं। जो व्यवस्था सामान्य तौर से होती है, उस से कुछ अधिक व्यवस्था गत वर्ष की गयी थी, और उसी के लिए सवा नौ करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गयी थी। बिहार के लिए करीब १ करोड़ अतिरिक्त रकम रखी गयी थी, उत्तर प्रदेश के लिए भी एक करोड़ से ज्यादा रकम रखी गयी थी। लेकिन इन सारी रकमों का इस्तैमाल नहीं हो पाया। इस साल भी व्यवस्था है, और उन प्रादेशिक सरकारों से हम लोगों ने प्रार्थना की है कि वे ज्यादा से ज्यादा लघु सिंचाई योजनाओं की व्यवस्था को बढ़ावें।

†**श्री त्यागी** : तीसरी योजना में खाद्य उत्पादन के लक्ष्य ग्राम-वार बनाये गये हैं अथवा गांवों को उनके लक्ष्य बता दिये गये हैं। अथवा सिद्धान्ततः उन से आशा है कि वह अपने लक्ष्य पूरे करें ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में लक्ष्य ग्राम-वार नहीं बनाये गये थे जैसाकि श्री त्यागी जी का विचार है। क्योंकि ये आंकड़े इस रूप में नहीं बनाये गये थे इसलिए प्रत्येक गांव के लक्ष्य बताना सम्भव नहीं है। परन्तु पैकेज प्रोग्राम ज़िलों में हम गांव आयोजन कर रहे हैं। उन गांवों में हम प्रत्येक गांव को उनके लक्ष्य बता देंगे। क्योंकि हम पैकेज ज़िले बढ़ाने जा रहे हैं अतः हम और गांवों के लक्ष्य निर्धारित कर सकेंगे।

†**श्री त्यागी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता था कि क्या प्रत्येक गांव को उसके लक्ष्य बता दिये गये हैं। यदि गांव को लक्ष्य नहीं बताये गये तो लक्ष्य किस तरह पूरे किये जायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब प्रत्येक गांव के लक्ष्य नहीं निर्धारित किये गये थे तब गांवों को लक्ष्य किस प्रकार बताये जा सकते हैं ?

†**श्री त्यागी** : जब किसानों को लक्ष्य नहीं बताये जायेंगे तब सरकार गांवों से किस प्रकार आशा करती है कि लक्ष्य पूरे हो जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये तो बताये क्या जाते।

†**श्री त्यागी** : मैं प्रक्रिया जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतया भविष्य में वह ऐसा करने जा रहे हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : फिलहाल केवल कागजों पर लिख गये हैं ।

†डा० राम सुभग सिंह : हमने विभिन्न वस्तुओं के लक्ष्य निर्धारित किये हैं । उदाहरणतः उर्वरक, सिंचाई साधनों का प्रयोग, बीज तथा औजारों आदि का संभरण के लक्ष्य निर्धारित किये गये थ । सभा जानती है कि लक्ष्य गांव के आधार पर निर्धारित नहीं किय गये थ ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : समय समय पर योजना आयोग के विभन्न सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किए हैं कि संघ खाद्य तथा कृषि मंत्रालय तथा राज्यों के खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों में सहयोग संतोषजनक नहीं है तथा इसलिय कृषि उत्पादन संतोषजनक रूप में नहीं हो रहा है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सर्वदा प्रश्न को भूमिका के साथ पूछते हैं ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्रवाही की गई है ?

†डा० राम सुभग सिंह : यह कहना ठीक नहीं है कि संघ तथा राज्य खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों में समन्वय नहीं है । समय समय पर हम राज्यों में जाते हैं तथा राज्यों से लोग यहां आते हैं तथा जो भी कार्यक्रम हम बनाते हैं उनको पूरा करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती है ।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार जिलों के विस्तृत कृषि कार्यक्रम की प्रगति । संतुष्ट है तथा क्या माननीय मंत्री हमें आश्वासन दे सकते हैं कि कितने जिलों में अस्थाई रूप से कमी आन के कारण कार्यक्रम को छोड़ न दिया जाये ?

†डा० राम सुभग सिंह : जिलों के विस्तृत कृषि कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक है । राजस्थान पाली जिले के बारे में बताना चाहता हूं कि पहले वहां पर सिंचाई सुविधा नहीं थी । अब वहां पर एक छोटी नहर है जिससे लगभग २५००० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : कुछ तो उसके बारे में भी किया जा सकता है ।

†डा० राम सुभग सिंह : हाल में ही हमने वहां पर कुछ और सिंचाई सुविधायें दी हैं तथा हमारा इरादा वहां पर काम बन्द कर देने का नहीं है । अन्य जिलों में भी हम कुछ नहर बना रहे हैं । भूमि में नमक होने के कारण हमें कठिनाई हो रही है और हम अधिक पानी का उपयो ग हं सकते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : जब प्रश्न सीधा तथा स्पष्ट हो तो मंत्रियों को भी छोटा तथा नम्र उत्तर देना चाहिये ।

†श्री प्र० के० देव : खाद्य तथा कृषि और सामुदाकि विकास तथा सहकार और योजना मत्रालयों के संयुक्त दलों द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं । उनमें से एक सिफारशि यह है कि राज्यों में कृषि प्रशासन में कुछ सुधार होना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री का यह अर्थ है कि राज्यों में कृषि मंत्रालय में सुधार किया जा रहा है ।

†श्री त्यागी : जादू ।

†डा० राम सुभग सिंह : कृषि प्रसासन में सुधार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारें नाला-गढ़ समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही हैं । उसी सिफारिश के आधार पर लगभग तीन दिन पहले ही हमने अगले वर्ष में अखिल भारतीय कृषि सेवा चालू करने का निर्णय किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रह्मपुत्र बेसिन में खाद्य उत्पादन

+

†*४५१. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा विश्व खाद्य उत्पादन बढ़ाये जाने की संभावनाओं की जांच से यह पता चला है कि निचला गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन—बंगाल, बिहार और आसाम—वर्तमान खाद्य उत्पादन का लगभग चौगुना उत्पादन कर सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इन संभावनाओं का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने वाले हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां। भूमि तथा पानी साधनों के उपयोग के बारे में कुछ सिफारिशों के आधार पर तथा फसल के कुछ बढ़ने की धारणाओं पर ध्यान रख कर अन्तः कालीन प्रतिवेदन के प्राक्कलनों से पता लगता है कि इस क्षेत्र में काफी उत्पादन की लगभग चौगुनी दीर्घकालीन संभावनायें हैं।

(ख) चालू की गई अथवा आयोजित विभिन्न योजनाओं के अधीन इन संभावनाओं की जांच की जा रही है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने बड़ी आशा दिखाई है अर्थात् उत्पादन चौगुना बढ़ाया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसको दुगनी, तिगनी बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उस कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह खाद्य तथा कृषि संगठन अध्ययन दल का प्रतिवेदन है तथा उन्होंने सिफारिश की है कि उत्पादन चौगुना बढ़ाया जा सकता है क्यों कि लगभग ८०० लाख एकड़ भूमि में ही इस समय खेती हो ी है। ठीक आंकड़ों के अनुसार यह २७०० लाख एकड़ है और १०० लाख एकड़ के सिंचाई हो रही है। उन्हों ने सिफारिश की है कि पूर्वी राज्यों में यह क्षेत्र १६०० लाख टन तक बढ़ाया जा सकता है और सिंचाई क्षमता ३५० लाख टन बढ़ाई जा सकती है। इस ३५० लाख एकड़ जमीन में दो बार सिंचाई की जा सकती है। इस प्रकार यह ७०० एकड़ होता है और मूल १०० लाख एकड़, २० लाख एकड़ हो जाता है इस प्रकार ८०० लाख एकड़ के बजाय खेती की भूमि १६०० लाख एकड़ हो जायगी इस प्रकार कुल उत्पादन भी चौगुना हो जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने जो गणना दी है मैं उससे सहमत हूं। परन्तु वास्तविकता कुछ और होती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस गणना को वास्तविकता में लाने के लिये क्या ठोस कार्य किये जा रहे हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : कृषि म गणना बड़ी कठिन हो जाती है। यह शिक्षा संस्था नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि यह खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रतिवेदनों का प्रारूप है। यह अभी प्रकाशित नहीं हुआ है परन्तु उन्होंने हमको एक प्रति भजी है और हमने अपने विचार बता दिये हैं। माननीय

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य को निर्माणाधीन गंडक परियोजना की जानकारी है । अकेली गंडक परियोजना से संभवतया ३० लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई होगी तथा इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोन तथा अन्य परियोजनाओं पर काम आरम्भ होगा ।

†श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस आधार पर कि इस क्षेत्र के दो जिलों में पैकेज प्रोग्राम चालू है क्या सरकार समझती है कि वहां पर अनुभव के आधार पर गंगा, ब्रह्मपुत्र बेसिन में खाद्य का उत्पादन चौगुना बढ़ाना संभव होगा ।

†डा० राम सुभग सिंह : उस क्षेत्र में दो जिले हैं परन्तु चार जिलों में पैकज प्रोग्राम है और औसत उत्पादन २० प्रतिशत है । हाल में ही एक जिले में पैकेज प्रोग्राम हो रहा है परन्तु शेष तीन जिलों में यह २० प्रतिशत से भी अधिक हो गया है ।

†डा० रानेन सेन : इस दृष्टि से कि बंगाल, बिहार और आसाम का यह क्षेत्र खाद्यान्न में कमी का क्षेत्र है और इस दृष्टि से कि खाद्य तथा कृषि संगठन ने यह प्रारूप रिपोर्ट दी है, क्या राज्य सरकारों के इन तीन प्रतिनिधियों और केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय की बैठक हुई है ताकि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगयाा जा सके ?

†डा० राम सुभग सिंह : हमारी हाल में भी एक बैठक हुई थी । परन्तु हमने समूचे उत्पादन प्रोग्राम पर विचार विमर्श किया था । हमने रिपोर्ट पर इस रूप में विचार नहीं किया क्यों कि यह प्रकाशित नहीं हुई है । परन्तु हम इन बातों पर कार्यवाही कर रहे हैं । मैं खाद्य की कमी को भी कह दूं पटसन पूर्वी भारत की फसल है जिससे हमें खाद्यान्नों के हमारे कुल आयात से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । इस वर्ष पहिले पटसन की पैदावर २० लाख गांठें कम थी । अब यह बढ़कर २० लाख गांठें हो गई है । पिछले वर्ष यह पैदावार ७० लाख गांठों से अधिक थी । यह भी कृषि उत्पादन है । यह बात भी ध्यान में रखी जा सकती है ।

†श्री नि० रं० लास्कर : क्या सरकार ने कृषि उत्पादन को चार गुना बढ़ाने के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन से कोई योजना मांगी है ?

†डा० राम सुभग सिंह : हम छपी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इन सब बातों का निश्चय करेंगे ।

श्री राम सेवक यादव : मैं यह जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में कितनी ऐसी बंजर भूमि है, जो खेती-लायक है और क्या उस भूमि को तोड़ने लिए कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है, जैसे अन्न सेना की भर्ती ।

डा० राम सुभग सिंह : बंजर भूमि बंगाल में बहुत कम है, क्योंकि बंगाल में १२ प्रतिशत ही जंगल हैं । आसाम में कुछ ज्यादा है, लेकिन वहां भी जंगलों की तादाद बढ़ती जा रही है । बिहार में अभी २२ प्रतिशत के ही करीब जंगल हैं और हम लोग चाहते हैं कि जंगलों की तादाद भी कम न की जाय । ईस्टर्न यू० पी० में भी बंजर जमीन केवल मिर्जापुर के दूधी परगने को छोड़ कर और जगहों में बहुत कम है । सेना की जरूर जरूरत है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि खेती में इस वक्त सचमुच काम करने वालों का अभाव है और हम लोग इस दृष्टि से कायवाही करेंगे ।

†श्री हो० ना० मुकर्जी : इस दृष्टि से कि गंगा-ब्रह्मपुत्र का यह निचला मैदान ऐसा क्षेत्र है जहां जल आसानी से उपलब्ध है; और पानी के लिए व्यक्ति को थोड़ा सा खोदना पड़ता है, क्या सिंचाई

---

†मूल अंग्रेजी में

की बड़ी योजना के साथ छोटी योजनाओं के मिलाने का प्रयत्न किया गया है ताकि वैज्ञानिक संभावनाओं में सुधार हो सके और पैदावार में आनुपातिक वृद्धि हो सके ?

†डा० राम सुभग सिंह : हम इस पर कार्यवाही करेंगे ।

†श्रीमती सावित्री निगम : इस दृष्टि से कि हजारों क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी भर जाता है क्या सरकार ने किसानों को टेक्निकल सलाह और सामान देने की कोई योजना बनाई है ताकि वे भूमि का कृष्यकरण कर सकें ?

†डा० राम सुभग सिंह : पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह एक बड़ी समस्या बन गई है और पंजाब सरकार पानी के निकास तथा भूमि के कृष्यकरण के लिए पर्याप्त कार्यवाही कर रही है और हम पंजाब सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को यथासंभव सहायता दे रहे हैं ।

कलकत्ता पत्तन प्रभार

†*४५२. श्री सुबोध हंसदा :
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के पत्तन आयुक्तों ने पत्तन प्रभार बढ़ाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सिफारिश मंजूर कर ली है ; और

(ग) क्या आयात-निर्यात करने वालों ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिस में वर्तमान दरों की वृद्धि पर आपत्ति की गई है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). फरवरी, १९६३ में कलकत्ता बन्दरगाह के आयुक्त ने खाद्यान्न और कोयला (विदेशों को निर्यात होने वाले कोयले को छोड़ कर), का बन्दरगाह भाड़ा, स्थानीय रेलवे हालेज चार्ज, गोदी भाड़ा, व्हार्य टाल और चालक फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पेश किये थे । इन के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन हुए थे । उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया । यह निश्चय हुआ कि आयुक्त के प्रस्ताव स्वीकार होने चाहियें क्योंकि आयुक्तों को अधिक धन की तत्काल आवश्यकता है और उन के प्रस्ताव प्रत्येक मामले में वृद्धि के भार, यातायात की क्षमता और भार को अनेक बातों पर डालने पर विचार करने के बाद बनाये गये थे । प्रस्तावों को मई, १९६३ में लागू किया गया । इन में स्थानीय हालेज चार्ज शामिल न थे जिसे जुलाई, १९६३ में लागू किया गया ।

†श्री सुबोध हंसदा : बन्दरगाह आयुक्तों ने किस दर से वृद्धि करने की सिफारिश की है ?

†श्री राज बहादुर : दर वस्तु अनुसार हैं परन्तु कुल अधिक आय लगभग ९६.४५ लाख रु० होगी ।

†श्री सुबोध हंसदा : इस दृष्टि से कि सरकार देश का निर्यात बढ़ाना चाहती है, क्या इन बढ़ी दरों से निर्यात कम न होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राज बहादुर : यह महत्वपूर्ण बात सदैव ध्यान में रखी जाती है, जब भी कभी वृद्धि की जाती है। परन्तु यह महसूस करना पड़ता है कि प्रत्येक बन्दरगाह को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी होना होता है।

†डा० रानेन सेन : कलकत्ता बन्दरगाह की ये बढ़ी हुई दरें भारत के अन्य बन्दरगाहों की दरों से कम हैं या अधिक हैं ?

†श्री राज बहादुर : एक बन्दरगाह में सुविधाओं की तुलना दूसरे बन्दरगाह की सुविधाओं से नहीं किया जा सकता। विशेषकर कलकत्ता बन्दरगाह का जहां नौवहन के लिए लगभग १२६ मील लम्बी हुगली का प्रयोग होता है, उस समय उस के रख रखाव आदि का व्यय का भी ध्यान रखना पड़ता है जब कभी कोई भाड़ा लगाया जाता है

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हू कि इस के कारण क्या हैं कि यहां के चार्जिज अधिक किये गये हैं और जो ९४ लाख रुपया ज्यादा किया गया है क्या यह ड्रैजिंग पर खर्च किया जायगा, क्योंकि हुगली में यह एक मुख्य समस्या है ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं। इसमें कई कारण हैं। सब से बड़ा कारण यह है कि वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा लिया गया है डेवलपमेंट के लिए, उस पर इन्ट्रेस्ट देना है और उस की इन्स्टालमेंट्स देनी हैं। जो गवर्नमेंट से कर्जा लिया है, उस का भी इन्ट्रेस्ट और इन्स्टालमेंट्स देनी हैं। इस के अलावा जैसाकि हाउस को विदित होगा स्टाफ के ऊपर और वर्कर्ज के ऊपर काफी खर्चा हुआ है, उन के डी० ए० में हुई एक इंसेंटिव ट्रेनिंग स्कीम निकली थी, उस के ऊपर और नाइट कोएफिशेंट के ऊपर, लगभग तीस लाख, तीस लाख और बारह लाख यानी कुल ७२ लाख रुपये का खर्चा अंदाज हुआ है। और भी चीजों के भाव बढ़े हैं और कुल मिला कर ७३ लाख का घाटा था, उस सब के अगेंस्ट यह था।

उड़ीसा के तट पर प्रकाशस्तम्भ

†*४५३. श्री जेना : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की जनता और राज्य सरकार ने उड़ीसा के समुद्र तट पर प्रकाशस्तम्भ (लाइट पोस्ट्स) स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्नास्पद प्रकाश-स्तम्भ केवल स्थानीय नौवहन के लिए लाभदायक हैं। इस प्रकार इन के निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है।

†श्री जेना : क्या स्वाधीनता से पहिले उस तट पर कोई प्रकाश-स्तम्भ थे ? यदि हां, तो उन्हें क्या हुआ ?

†श्री राज बहादुर : मुझे ऐसे किसी प्रकाश-स्तम्भ का पता नहीं है और न ही हमें बताया गया कि स्वाधीनता पूर्व वहां कोई प्रकाश-स्तम्भ था। वास्तव में, जिला मेजिस्ट्रेट ने स्थानीय मछुआरों की ओर से हमें एक प्रार्थनापत्र दिया था। ये निश्चय ही स्थानीय स्तम्भ है और भारत सरकार उन के लिए जिम्मेदार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जेना : क्या यह सच है कि कुछ मछली पकड़ने की कुछ नौकायें और व्यापारी पोत प्रकाश-स्तम्भ न होने से समुद्र में भटक गये ? यदि हां, तो सरकार को ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना मिली, और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†श्री राज बहादुर : हमें इन का पता नहीं है । हम सामान्य प्रकाश-स्तम्भों के लिए जिम्मेदार हैं ; स्थानीय प्रकाश-स्तम्भों के लिए नहीं ।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या इन प्रकाश-स्तम्भों के लिए सामान का हम आयात करते हैं ?

†श्री राज बहादुर : हमारे सामान्य प्रकाश-स्तम्भों का कुछ सामान आयात होता है। शेष को हम बनाने का प्रयत्न करते हैं ।

सहकारी संस्थाओं को विदेशी सहायता

+

†*४५४. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सहकारी संस्थाओं तथा कृषि के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन के एक दल ने अभी हाल में देश का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं , और

(ग) उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार ने कोई निर्णय किये हों तो वे क्या हैं ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) खाद्य तथा कृषि संगठन का एक दल सहकारी समितियों तथा अन्य कृषक संगठनों के माध्यम से कृषि-अर्थ-व्यवस्था का विशेष अध्ययन करने के लिये मई-जून, १९६३ में भारत आया था ।

(ख) दल की अभी कोई विशेष सिफारिश या मत प्राप्त नहीं मिला है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि इस दल का एक मुख्य मत यह था कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों के द्वारा उपलब्ध किया गया धन का प्रभावी और उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने यह देखने के लिये क्या कार्यवाही की है कि इस धन का दुरुपयोग न हो ।

†श्री श्यामधर मिश्र : इस विषय पर भी विचार-विमर्श हुआ था । हमने स्वयं कहा था कि धन पर्याप्त नहीं है और इस का पूरा तथा उचित उपयोग नहीं हो रहा है । परन्तु इस बारे में कोई सिफारिश न थी । हमें दल की ऐसी कोई सिफारिश नहीं मिली है ।

†श्री श० ना० चतुर्वेदी : दल से क्या बाह्य सहायता—टेक्निकल सलाह या वित्तीय सहायता मांगी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्यामधर मिश्र : यह दोनों ही प्रकार की होती है । परन्तु उन्हों ने हमसे कोई स्पष्ट बात नहीं की ।

†श्री श० ना० चतुर्वेदी : : हमारा क्या विचार था ?

†श्री श्यामधर मिश्र : यह दोनों ही प्रकार की हो सकती है ।

†श्री पें० वेंकटासुब्बया : ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की कार्यवाही-करो रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रख कर, क्या सरकार का विचार सहकारी समितियों की धनराशियों को बढ़ाना है जो उनकी अंश-पूंजी में काफी अंश देकर किया जायेगा ?

†श्री श्यामधर मिश्र : यह केवल प्रस्ताव करने की बात नहीं है । सरकार वास्तव में इसे लागू कर रही है और उसकी समितियों में अंश-पूंजी और साझेदारी है । वे सभी प्रकार की सहायता दे रहे हैं ।

†डा० सरोजिनी महिषी : सरकार सिचाई की बड़ी परियोजनाओं के क्षेत्रों में उन किसानों और सहकारी समितियों को क्या सहायता दे रही है जहां किसान परियोजना से पूरा लाभ न उठा सके एवं परिणामस्वरूप राज्य सरकारें ऋण का भी भुगतान नहीं कर पा रही हैं ?

†श्री श्यामधर मिश्र : इस प्रश्न की जांच कृषि मंत्रालय करेगा । जहां भी कृषि उत्पादन के प्रोग्राम होते हैं वहां सदस्यों को सीमित वित्त मिलता है ।

†डा० पं० शा० देशमुख : स्पष्ट है कि दल कुछ सहायता, सलाह या और कुछ, देने आया था । क्या मंत्रालय ने उनके सामने रखने के लिए कोई विशेष योजना बनाई थी ? यदि हां, तो उसकी क्या विशेषतायें हैं ?

†श्री श्यामधर मिश्र : नहीं, जो माननीय सदस्य को स्पष्ट है वह हमें स्पष्ट न था । वे पूर्वी और अफ्रीकी देशों में केवल विचार विनिमय करने आये थे । वे सहकारी समितियों का विकास चाहते थे और हमने उन्हें सभी बातें बताइ ।

†डा० पं० शा० देशमुख : मुझे विश्वास है कि वे केवल हंसी-मजाक के लिये नहीं आये थे ।

†श्री भागवत झा आजाद : सहकारी समितियों को उपलब्ध वर्तमान संसाधनों से देखते हुए, क्या इस योजना ने सुझाया था कि सरकार से सहकारी समितियों की कितनी सहायता देने के लिए कहा जा सकता है ?

†श्री श्यामधर मिश्र : सरकार सुझावों व सिफारिशों का स्वागत करेगी परन्तु मैंने बताया कि अभी तक सिफारिशें नहीं मिलीं ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि संगठन दल का हमारी सहकारी समितियों का विकास करने के लिये अपने पास से कोई वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

†श्री श्यामधर मिश्र : मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं । उस दल ने कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की और हम नहीं कह सकते कि सिफारिशें क्या होंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पर्यटन का विकास

+
*४५५. { श्री भक्त दर्शन :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री हेम राज :
श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह :

क्या परिवहन मंत्री अप्रैल, १६६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पर्यटन का विकास करने की एक बड़ी तथा संगठित योजना तैयार करने के लिये जिस अध्ययन दल की नियुक्ति कुछ समय पहले की गई थी, उसने अपने काय में अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) इसका काम कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). पर्यटन की तदथ समिति ने २३ अगस्त, १६६३ को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री भक्त दर्शन : इस अध्ययन मण्डल ने जो मख्य मुख्य सिफारिश की हैं, क्या उन पर प्रकाश डाला जा सकेगा ?

श्री राज बहादुर : लगभग १०७ सिफारिशें हैं और वे सब विचाराधीन हैं। मेरा विचार यह है कि शनैः शनैः इन पर विचार करके जो निर्णय हों, उनके सहित, वह यहां रखी जाएं। अगर आप चाहें तो मैं सुना भी सकता हूं लेकिन जवाब बहुत लम्बा हो जाएगा।

श्री भक्त दर्शन : मुख्य मुख्य सिफारिशें तो बताई जायें।

श्री राज बहादुर : व मैं बता देता हूं। अगर इजाजत हो तो मैं अंग्रजी में पढ़ दूं।

†श्री बी० चं० शर्मा : क्या सभी १०७ सिफारिशें पढ़ेंगे ?

†श्री राज बहादुर : मैं सब नहीं पढ़ रहा।

श्री भक्त दर्शन : पर्यटन के व्यवसाय से हमारे देश को प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की उपलब्धि होती रहती है। लेकिन पिछले दो वर्षों से उसमें कमी आती जा रही है और इसीलिए इस अध्ययन मंडल की नियुक्ति की गई थी। अतः मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी शनैः शनैः क्यों इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं और तेजी से कदम क्यों नहीं उठाना चाहते ?

श्री राज बहादुर : इस दिशा में शनैः शनैः नहीं बढ़ना चाहते हैं लेकिन जो रिपोर्ट विचाराधीन है, उस पर शनैः शनैः विचार करके चलना चाहते हैं।

†श्री बासप्पा : क्या अध्ययन दल ने विदेशी पर्यटकों से होने वाली आवास की कमी और आबराय ब्रादर्स के होटलों के मामलों में एकाधिकार की प्रवृत्तियों पर विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री राज बहादुर :** मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में एकाधिकार की प्रवृत्ति की बात स्वीकार नहीं करता। मेरे लिये यह उचित नहीं है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि होटल उद्योग में कोई एकाधिकार नहीं है। कोई भी कर सकता है। वास्तविकता यह है कि यह विशिष्ट व्यापार है। इसमें विनियोग से उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि अन्य उद्योगों में मिलता है। यही कारण है कि लोग इस व्यापार में नहीं आना चाहते ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** विदेशी पर्यटकों में किन देशों के पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और किन देशों के पर्यटकों की संख्या कम हो रही है और क्या मद्य निषेध का इससे कोई सम्बन्ध है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं पूर्व-सूचना चाहता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मोटे तौर पर बतला दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो कुछ जानकरी हो वह सदस्य को भेजी जा सकती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या मद्य निषेध का इससे कोई सम्बन्ध है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसमें दो-तीन प्रश्न शामिल हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** वे एक ही प्रश्न के भाग हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने उनसे जानकारी माननीय सदस्य को भेजने के लिये कह दिया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** इसमें केवल मेरी ही रुचि नहीं है । यह उचित प्रक्रिया नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि अभी उनके पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो क्या मैं वह जानकारी सदस्य को देने के लिये नहीं कह सकता ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह आंकड़ों के बारे में है । प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या पर्यटन में कमी हुई है और क्या इससे मद्य निषेध का कोई सम्बन्ध है। इसका उत्तर दिया जा सकता है ?

†**श्री राज बहादुर :** ये केवल मद्य निषेध नियम नहीं हैं। वास्तव में, पयटकों के लिए मद्य-निषेध नहीं है। कुछ नियम ऐसे हैं जो असुविधाजनक हैं। हमने उन्हें बदलने की कोशिश की है, और मुझे विश्वास है कि नियमों में परिवर्तन से काफी सुविधा हो जायेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** समिति की सिफारिशों पर विचार करने के अलावा सरकार ने यह देखने के लिये क्या कार्यवाही की है कि पर्यटन में वृद्धि हो ?

†**श्री राज बहादुर :** यह इस विशेष विचार से किया गया था कि पर्यटन बढ़ाने के लिए देश में विद्यमान स्थितियों का अध्ययन किया जाये और आवास की कमी, परिवहन तथा अन्य मामलों के बारे में सिफारिश की जाये। समिति ने इन मामलों पर विचार किया है और अपनी १०७ सिफारिशें पेश की हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मानसी जंक्शन के निकट भूमि का कटाव

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २. श्री श्रीनारायण दास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के मानसी जंक्शन के समीप गंगा नदी द्वारा भूमि का कटाव पूरे वेग से जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यातायात चालू रखने के लिये किसी अन्य रेल मार्ग की व्यवस्था करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) हालांकि भूमि कटाव हो रहा है लेकिन अभी तक इस वर्ष बहुत अधिक नहीं हुआ है, विशेषकर उस स्थान पर जहां केन्द्रीय धार से नदी के किनारे की दूरी न्यूनतम है ।

(ख) इस लाइन के महत्व की दृष्टि से और व्यक्तियों तथा सामान के वर्तमान आपातकाल में आने जाने पर किसी अन्तरबाधा का गहरा प्रभाव की दृष्टि से यह निश्चय किया गया है कि सीधा संचार बनाये रखने के लिए "रिटायर्ड अलाइनमेंट" इस स्थिति में बनाने का निश्चय किया है कि वर्तमान मार्ग को क्षति पहुचे या रेलवे द्वारा की गई अन्तरिम कार्यवाही के बावजूद भी और भूमि कटाव से वह असुरक्षित हो जाये । आजकल में यह "रिटायर्ड अलाइनमेंट" के निर्माण का कार्य हो रहा है । लाइन बनाने का काम आवश्यकता होने पर किया जायेगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** स्थायी भूमि कटाव की दृष्टि से, यह वैकल्पिक लाइन को कब तक बना कर तैयार करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** आशा है कि वैकल्पिक लाइन प्रयोग के लिये इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जायेगी । मिट्टी डालने का और पुल निर्माण का काम पहले से ही हो रहा है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या इस वर्ष भूमि कटाव पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम होगा ? क्या यह सच है कि इस वर्ष कटाव बहुत अधिक है ? कटाव के कारण इस वर्ष रेलवे को कितनी हानि हुई है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** सौभाग्य से इस वर्ष पिछले वर्षों की अपेक्षा कटाव बहुत कम हुआ है । इस वर्ष हमने जो आंकड़े एकत्रित किये थे उनसे पता लगता है कि कटाव केवल २५ फीट हुआ है, भाग्य से मिलन स्थान कुछ और नीचे हो गया है और अब लाइन के मध्य और नदी के किनारे के बीच दूरी बढ़ कर ४२०० फीट हो गई है जब कि पहले वह १४७२ फीट थी ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्योंकि नदी में कटाव नीचे होने के कारण यदि अब लाइन की क्षति होती है, तो क्या सरकार कुछ बहुत जल्दी वहां उपलब्ध सामग्री से कोई वैकल्पिक-मार्ग बनायेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** एक वैकल्पिक लाइन, 'रिटायर्ड अलाइनमेंट" बनाई जा रही है । पुल बन रहे हैं और मिट्टी पड़ रही है । इस वर्ष के अन्त से पहले, यह लाइन पूरी हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रजी में

अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन

†*४५६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेगिस्तानी इलाकों में पानी की भारी कमी के बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया है या किया जाने वाला है ;

(ख) क्या सरकार से यह कहा गया है कि अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन के लिये दी गयी रकम बिल्कुल ही कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के अधीन अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन, राजस्थान के रेगिस्तान के इलाकों तथा पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के अर्द्धशुष्क क्षेत्रों तथा देश के अन्य भागों में भूमिगत जल की खोज कर रहा है। सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से क्या उपलब्ध भूतत्वीय सर्वेक्षणों तथा जलसम्बन्धी रिकार्डों के आधार पर क्षेत्रों का आरम्भिक चुनाव किया गया है। जिनके क्षेत्रों में मिलने की आशा है उनकी जांच की जा रही है जिससे अन्वेषणात्मक कूंवे खोदे जा सके तथा भूमिगत जल की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी संस्थाओं का विकास

†*४५७. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री २० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक सहकारी संस्थाओं, गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं, परिवहन सहकारी संस्थाओं, डेरी सहकारी संस्थाओं, कृषि सहकारी संस्थाओं, मीनक्षेत्र सहकारी संस्थाओं और रेलवे तथा डाक और तार विभाग के अधीन सहकारी संस्थाओं के लिये जो कार्यकारी दल नियुक्त किये गये थे उनके द्वारा कब तक प्रतिवेदन दिये जाने की आशा है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : औद्योगिक सहकारी समितियों, रेलवे डाक तथा तार विभाग के अधीन सहकारी समितियों के कार्यकारी फर्मों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। आशा है कि परिवहन सहकारी समितियों तथा दुग्ध और पशु-पालन सहकारी समितियों के कार्यकारी वर्ग आशा है सितम्बर, १९६३ के अन्त तक अपना प्रतिवेदन दे देगी। आशा है कि आवास सहकारी समितियां अपना प्रतिवेदन नवम्बर, १९६३ के अन्त तक प्रस्तुत करेगी। मत्स्य पालन सहकारी समितियों का कार्यकारी वर्ग अपना काम आरम्भ कर रहा है। यह बताना सम्भव नहीं है कि यह अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी परन्तु काम को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

आकाश में रहस्समयी वस्तु

†*४५८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ९ जून, १९६३ की सायंकाल को लगभग ८ बज कर ३० मिनट पर मद्रास शहर के ऊपर चमकते हुये सितारे की तरह एक प्रकाशमय वस्तु दिखाई दी थी जो कि दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चली गई तथा २० मिनट तक दिखाई देती रही थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह कोई 'स्पूतनिक' था अथवा 'उड़न तश्तरी' थी अथवा अन्य कोई वस्तु थी ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). मद्रास में यह जानकारी नहीं मिली है। परन्तु उत्तर प्रदेश राज्य आवजरवेटरी ने बताया है कि उन्होंने ९ जून, को ९.४५ म० प० नैनीताल में अमरीकी सैटेलाइट इको १ देखी थी तथा यही सैटेलाइट ८.४४ म०प० १० जून को नैनीताल में पुनः देखी गई थी।

अन्दमान द्वीपसमूह में कृषि विकास

†*४५९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२-६३ के लिये अन्दमान द्वीप समूह में कृषि विकास के लिये जो धनराशि आवंटित की गई थी वह पूरी व्यय नहीं की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में आवंटित धनराशियों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित कारणों से रकम खर्च नहीं की जा सकी :—

१. अन्दमान में नारियल के पेड़ लगाने के लिए चुनी गयी वन भूमि की सफाई करने में ठेकेदार की धीमी गति के कारण। संचार की व्यवस्था ठीक न होने के कारण कछाल द्वीप समूह में जंगल की सफाई का काम करने के लिए निकोबार में कोई भी ठेकेदार नहीं मिला।

(२) विभिन्न कृषि योजनाओं के अधीन दिए गए प्रविधिक कर्मचारियों का पूरा उपयोग न किए जाने के कारण।

(३) रबड़ बोर्ड द्वारा रबड़ की खेती की आरम्भिक परियोजनाओं को पूरा करने के कारण।

(ग) (१) अन्दमान में समय पर काम पूरा करने के लिए उपयुक्त ठेकेदार न मिलने के कारण काम वन विभाग को विभागीय रूप से करने को कहा गया है। निकोबार के विभागीय रूप से काम इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्तर द्वीप जहाज जो निर्माण अधीन है, उपलब्ध नहीं है।

(२) देश से उपयुक्त आदमियों को छांटने के लिए देश के अखबारों में विज्ञापन कर दिया गया है।

(३) भारत सरकार रबड़ बागान आरंभिक परियोजना का विषय कर रही है। रबड़ बोर्ड यह काम करना नहीं चाहता था क्योंकि उनके विशेषज्ञों के प्रतिवेदन में ऐसा करने से इन्कार कर दिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी मिलें

†४६ . श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब की चीनी मिलों में चीनी की रीकवरी दक्षिण की चीनी मिलों की अपेक्षा कम होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वहां चीनी की कम रिकवरी का यह कारण है कि ये मिलें बहुत पुरानी हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार उपरोक्त राज्यों में स्थित मिलों को आधुनिकतम बनाने के बारे में एक योजना बनाने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के शर्करा कारखानों की कशर्करा की उपलब्धि दक्षिण के कुछ राज्यों के शर्करा कारखानों की तुलना में कम है ।

(ख) इस कम उपलब्धि का मुख्य कारण यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के गन्ने में शर्करा (सुक्रोज़) तत्व अपेक्षाकृत कम होता है और कारखाने भी पुराने हैं ।

(ग) और (घ) भारत में शर्करा उद्योग के अलाभकर एककों की समस्या की छानबीन करने के लिए हाल ही में, एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गयी है । इस समिति ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के शर्करा कारखानों की जांच पड़ताल प्रारम्भ कर दी है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शर्करा कारखानों के आधुनिककीकरण की एक योजना बनाने का सरकार का विचार है ।

उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलें

*४६१ श्री सरजू पाण्डेय :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीसरी योजना के अन्तर्गत सहकारी आधार पर कुछ चीनी मिलें स्थापित करने का वचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ये मिल कहां कहां स्थापित की जायेंगी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें कितनी धनराशि दी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) पूर्वी उत्तर प्रदेश में रसरा, जिला बलिया, औराई, जिला वारानसी और इन्दरा, जिला आज़मगढ़ में सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । यह सरकार के विचाराधीन है ।

बीज निगम

†*४६२ { श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री, २४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बीज निगम की स्थापना के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) १९६३–६४ के दौरान इसके कार्यकलापों के लिये क्या क्या योजनायें हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम, एक गैर सरकारी लिमिटेड कम्पनी के रूप में बनाया गया है। इसमें भारत सरकार ही पूरा धन लगायेगी ।

(ख) निगम का विचार १९६३–६४ में १,६०० एकड़ भूमि में मक्का के 'डबलक्रास' बीज का उत्पादन करने का है। १९६४–६५ का ४,५०० एकड़ में ७२,००० मन बीज उत्पादित करने का लक्ष्य है।

सोरजूम, सब्जी तथा पटसन के बीजों का उत्पादन करने का विचार है।

सीकर (राजस्थान) में गोदाम

*४६३. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सीकर के अनाज के गोदामों में जो पाउडर छिड़का गया था उसमें कुछ विषैले तत्व पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह पाउडर कहां से मंगाया गया था ;

(ग) इसमें विषैले तत्व होने के क्या कारण थे ; और

(घ) इस मामले की जांच के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म०थामस) : (क) से (घ) यह बताया गया है कि राजस्थान में सीकर में कुछ व्यापारियों ने खाद्यान्नों में बी० एच० सी० (बेंजीन हेक्साक्लोराइड) की थोड़ी सी मात्रा खाद्यान्नों का परिरक्षण करने के उद्देश्य से मिला दी थी। बी० एच० सी० कीट-नाशक जो कि बाजार में सुगमता से मिल जाती है और अनाज की बोरियों के ऊपर छिड़कने के लिए इसका आम प्रयोग किया जाता है। यह कीड़ों के लिए विषैली है और इससे कीड़े मर जाते हैं। किन्तु थोड़ी मात्रा में इसका प्रयोग मनुष्य के लिए विषैला नहीं होता है। तथापि, काफी बड़ी मात्रा में प्रयोग करने से इससे मनुष्य के जीवन को भी खतरा हो जाता है। गुजरात सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन पहले से ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

'टेलेक्स' सेवा

†*४६४. **श्री प्र० के० देव** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय 'टेलेक्स' सेवा किस ढंग से कार्य कर रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस परियोजना में कुल कितनी लागत लगेगी; और

(ग) 'टेलेक्स' सेवा के उपयोग के कारण विभाग के राजस्व में कितनी अतिरिक्त आय होने की आशा है ?

†डाक और तारविभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) राष्ट्रीम टैलक्स सेवा संतोषजनक काम कर रही है ।

(ख) बम्बई, कलकता, दिल्ली तथा मद्रास की चार स्वचालित टेलीप्रिंटर एक्सचेंजों के लिये लगभग २२ लाख रुपया ।

(ग) लगभग ४,५४,००० रुपये (अनुमानत: २०.६ प्रतिशत आय)

जहाजों की मरम्मत के लिए इस्पात

†*४६५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाजों की मरम्मत के लिये लायड्स टैस्टेड स्टील[1] भारत में वस्तुत: उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या इस के परिणामस्वरूप जहाजों की मरम्मत करने वाले तथा जहाज बनाने वाले कारखाने, विशेषतया विदेशी जहाजों की मरम्मत आदि के आर्डर स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

(ग) क्या इस प्रकार के आर्डर, अभारतीय बन्दरगाहों को भेजे जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उद्योग को समाप्त होने से बचाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या ?

†परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) यद्यपि टैस्टेड स्टील की कमी है परन्तु जहाज के मरम्मत का काम हो रहा है ।

(ग) और (घ) जी नहीं । जहाज की मरम्मत का काम भारत में किया जा रहा है। १९६० से १९६२ वर्ष में अपेक्षित वस्तु न मिलने के कारण मरम्मत का काम विदेशी बन्दरगाहों को भेज दिया गया है ।

ऊन का उत्पादन

†*४६६. **श्री रामचंद्र उलाका** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष ऊन के उत्पादन में कमी आ गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; अथवा करने का विचार है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सभा पटल पर रखे गये विवरण में ऊन बढ़ाने के कार्य दिए गए हैं । [पुस्तकालय में रखा गया ।देखिये संख्या एड० टी० १६२७/७३]

---

†मूल अंग्रेजी में

१. Lloyds. Tested steel.

सूक्ष्म तरंग दूर-संचार प्रणाली

†*४६७. श्रीमती रेणुका बड़फुटकी :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में सूक्ष्म तरंग-दूर-संचार प्रणाली स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या स्थापना कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

†डाक और तार विभाग में भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) परियोजना के लिये विस्तृत इंजीनियरिंग आयोजन पूरा किया गया है । परियोजना के लिये अपेक्षित उपकरणों का संभरण करने के लिये टेंडर चुन लिये गये हैं तथा आर्डर दे दिये गये हैं ।

(ख) स्थापना कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है ।

चेकोस्लोवाकिया के विमान में आग

†*४६८. श्री बसुमतारी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रामहरख यादव :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ अगस्त, १९६३ की शाम को सांताक्रुज हवाई अड्डे पर चैकोस्लोवाकिया एयरलाइन्स के जैट विमान टी-यू-१०४ में आग लग गई थी;

(ख) क्या जांच के आदेश दिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

†परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). दुर्घटना की जांच के लिये भारतीय विमान नियमों के नियम ७४ के अधीन सरकार ने जांच समिति नियुक्त की है । प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

कपास

*४६९. श्री दे० शि० पाटिल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना में अब तक कपास का उत्पादन आशानुकूल नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) लक्ष्य पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण यह है कि कपास की फसल वर्षा पर निर्भर रहती है और सिंचित कपास का क्षेत्र केवल १३ प्रतिशत रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) देश में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(१) एक ऐसी समाकलित कपास विकास योजना चालू की गई है जिस पर २१९ लाख रुपये खर्च आयेंगे ।

(२) इस के अतिरिक्त कपास की खेती को तेजी से बढ़ाने के लिये २.५४ लाख एकड़ के क्षेत्र में पैकेज प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है । इस काम के लिये अतिरिक्त स्टाफ लगा दिया गया है जिस का खर्चा केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारें बराबर बराबर उठायेंगी ।

(३) पैकेज प्रोग्राम को लम्बी और मध्य की रेशेदार कपास के सिंचे हुए कुल १६.७ लाख एकड़ क्षेत्र में बढ़ाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

(४) भारत सरकार बीज, उर्वरक और पौद सरक्षण के सामान खरीदने के लिये अल्पकालीन ऋण और इन मदों के लिये आर्थिक सहायता देने की भी सुविधायें बढ़ा रही हैं ।

(५) १९६३–६४ में हवाई छिड़काव की विशेष सुविधा को बढ़ा दिया गया है सरकारी जहाजों के प्रयोग करने पर नाममात्र एक रुपया प्रति एकड़ वसूल किया जाता है । गैर-सरकारी जहाजों के प्रयोग किये जाने पर परिचालन-लागत का दो-तिहाई हिस्सा केन्द्रीय सरकार सहन करती है ।

(६) राज्य सरकारों की मांग के अनुसार कपास की फसल के लिये उर्वरकों का विशेष कोटा उपलब्ध किया जाता है ।

रेलवे विद्युतीकरण योजना

†*४७०. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० रानेन सेन :
श्री सादीश राय :
श्री सरकार मूरमू :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** रेलवे बोर्ड के अधीन परियोजना के रूप में रेलवे विद्युतीकरण योजना आरम्भ की गई है ;

(ख) इस योजना के अधीन पूर्व तथा उत्तर रेलवे पर कितने व्यक्ति नियुक्ति किये गये हैं; और

(ग) क्या उन की सेवा की शर्तें वैसी ही हैं जैसी कि रेलवे के अन्य कर्मचारियों की हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) ७४४७ (१९५१ उत्तर) (५४९६ पूर्व)

(ग) जी हां, आकस्मिक श्रमिकों के अतिरिक्त ।

जापानी प्रदर्शन फार्म

†*४७१. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी ढंग से संगठित प्रदर्शन फार्मों में धान की उपज बहुत बढ़ गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे और फार्म स्थापित करने का विचार है; और

(ग) इन फार्मों के स्थापना स्थान चुनने की क्या कसौटी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) राज्यों से प्राप्त धन प्रदर्शन फार्मों के कार्य संबंधी सूचना अभी पूर्ण नहीं हुई । उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि इन फार्मों का काम पहली धान फसल मौसम में समूचे तौर पर संतोषजनक था और वर्तमान मौसम में यह बहुत अच्छा होने की संभावना है ।

(ख) जी हां ।

(ग) फार्म जापानी विशेषज्ञों द्वारा चुने गये हैं जो सर्वेक्षण दल में हैं, जो राज्य सरकारों द्वारा सुझाये गये स्थानों पर जाता है यह दल निम्न बातों के बारे में विचार करता है :—

(१) हस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि नागरिक सुविधाओं वाले कस्बे के समीप तथा उससे सुसंबद्ध फार्म का होना;

(२) उचित माल व्यवस्था के लिए सिंचाई और नाली सुविधाएं;

(३) जो खेत समान स्तर पर लाये गये हैं या उंचे दर्जे के चबूतरे बनाये गये हैं;

(४) सिंचाई वाले क्षेत्र में स्थान का होना;

(५) जापानी दल के मानकों और विशिष्ट ब्यौरों के अनुसार रहने की और फार्म की इमारतों की व्यवस्था;

(६) जापानी औजारों और तरीकों को अपनाने के लिये मिट्टी की उपयुक्तता ।

यात्री परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण

†*४७२. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपने राज्यों में यात्री परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण न करें;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद ने राज्य सरकारों को सुझाव दिये हैं कि यात्री सेवा के लिये राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की गाड़ियां बढ़ाने के कार्यक्रम या तो स्थगित कर दिये जायें या कम से कम कर दिये जायें और जहां सम्भव हो, स्थगित कर दिये जायें ।

(ख) परिषद इस कारण से प्रभावित हुई प्रतीत होती है कि मोटर गाड़ी उद्योग की उत्पादक क्षमता सैनिक आवश्यकताओं समेत अधिक महत्वपूर्ण उपयोगों के लिये सुरक्षित रखी जानी चाहिये ।

(ग) पाण्डीचेरी में कोई राष्ट्रीयकृत सेवा नहीं, जब कि हिमांचल प्रदेश में परिवहन सेवायें पूर्णतया राष्ट्रीयकृत हैं । सुझावों पर हिमाचल प्रदेश और पाण्डचेरी सरकारों द्वारा कोई कार्रवाई किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

† मूल अंग्रजी में

आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम १९६४-६५ और १९६५-६६ के लिए राष्ट्रीय करण के अपने कार्यक्रमों पर पुनर्विचार कर रहा है ।

उत्तर प्रदेश रोडवेज ने उनके द्वारा प्रकाशित ३२ योजनाओं में से १० को स्थगित कर दिया है और नवीन योजनाओ को अग्रेतर प्रकाशन का कार्य स्थगित कर दिया गया है ।

त्रिपुरा में सड़क परिवहन सेवाओं को राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है ।

केरल सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की मंत्रणा को ध्यान में रखा जायेगा ।

मनीपुर राज्य परिवहन और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने सूचित किया है कि व राष्ट्रोयकरण के कार्यक्रमों को धीरे धीरे चला रहे हैं ।

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को कहा गया है कि वह अपने राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम को अपने साधनों से वित्त पोषत करे और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई पूंजी योगदान न मांगे ।

पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद की सलाह पर चलने में अपनी असमर्थता पर खेद प्रकट किया है, क्योंकि अम्बाला और जालंधर मंडलों में कार्यक्रमों के स्थगित कर दिये जाने से ५०:५० आधा र पर परिवहन सेवाओं को चलाने के लिये राज्य और गैर-सरकारी मोटर चालकों के बीच हुआ समझौता रद्द हो जायेगा ।

अन्य राज्यों ने अभी अपने मत व्यक्त नहीं किये ।

सड़क बोर्ड

†*४७३. **श्री राजमबंद्र उलाका :** क्या परिवहन मंत्री १२ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सड़क बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

लकड़ी की कमी

†*४७४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री बदरुददुजा :
श्री न० प्र० यादव :
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लकड़ी तथा ईंधन की १० करोड़ टन की कमी को पूरा करने के लिये दीर्घकालीन

†मूल अंग्रेजी में

योजनायें बनाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा इन योजनाओं के लिये वित्त की क्या व्यवस्था की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). लकड़ी के उद्योगों के लिये उपयुक्त तथा शीघ्र उगने वाले वृक्षों को उगाने के लिये १५ वर्षीय कार्यक्रम प्रतिवर्ष एक लाख एकड़ को लेने का तीसरी योजना आरम्भ होने से पहले बनाया गया था। २७५ लाख रुपये की व्यवस्था, आरम्भ में १,३७,००० एकड़ क्षेत्र पर ऐसे वृक्षों को उगाने के लिये, तीसरी योजना में की गयी है।

लगभग १०.५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की भी राज्यों को तीसरी योजना में लगभग ७ लाख एकड़ भूमि पर व्यापारी वृक्ष उगाने के लिये जरूरत है। वन रोपण कार्य फार्म फोरेस्ट्री, सड़कों और नहरों के साथ वृक्ष लगाने, निम्न श्रेणी के वनों को फिर से लगाना और चरागाहों का विकास भी इन योजनाओं के अन्तर्गत किया गया है। वन महोत्सव के अन्तर्गत प्रति वर्ष बड़े पैमाने पर बागान कार्य किया जाता है।

भारत सरकार दियासलाई की लकड़ी के बागानों के लिये ५० % तक ऋण, अन्य व्यापारी बागानों के लिये १०० % तक ऋण और द्रुत गति से उगने वाले वृक्षों के लिये १०० % सहायता देती है।

"वन संसाधनों का पूंजी लगाने से पूर्व सर्वेक्षण" परियोजना का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत, दुर्गम वन क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल के उचित औद्योगिक उपयोग की संभावनायें मालूम की जा रही हैं तथा वनों से उद्योगों के लिये अपेक्षित कच्चे माल को बढ़ाने की दृष्टि से इन वनों का विकास करने के भी उपाय किये जायेंगे।

मद्रास ने "भूख से मुक्ति योजना" के अन्तर्गत वन रोपण योजना को कार्यान्वित करने का विचार किया है। इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता प्राप्त होगी।

चौथी तथा बाद वाली पंचवर्षीय योजनाओं में विविध वन रोपण योजनाओं के लिये जितने धन की आवश्यकता होगी उस का अभी तक हिसाब नहीं लगाया गया।

मंगलौर पत्तन

†*४७५. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशनचंद्र सेठ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मोहसिन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मंगलोर को सभी मौसमों में खुला रहने वाला पत्तन बनाने के

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध में विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने पत्तन के लिये स्थान का चुनाव करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ग) क्या सरकार ने सरकार द्वारा नियुक्त प्राविधिक सलाहकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी किस सीमा तक क्रियान्वित हुई है ?

†**परिवह मंत्रामय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) मंगलौर पत्तन योजना तीसरी योजना में सम्मिलित मद है। परियोजना सम्बन्धी कार्य बढ़ रहा है।

(ख) मुरपुर नदी के उत्तर में एक स्थान नवीन बन्दरगाह के लिये चुना गया है।

(ग) और (घ). प्राविधिक सलाहकार समिति बन्दरगाह के ले आउट और डिजाइनों की छानबीन करने एवं परियोजना सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण प्राविधिक मामलों के बारे में मंत्रणा देने के लिये बनाई गई है। सामति की पहली बैठक मार्च, १९६३ में हुई थी। समिति ने बन्दरगाह के स्थान का अनुमोदन दे दिया है और परिवहन विभाग के प्रविधिक कक्ष द्वारा तैयार परियोजना प्रतिवेदन में परियोजना का मोटा ब्यौरा दिया गया है।

सरकार ने परियोजना के लिये जून, १९६३ में एक मुख्य इंजीनियर तथा प्रशासक नियुक्त किया है और परियोजना संगठन रूप धारण कर रहा है। कुछ कर्मचारी भी भरती किये गये है। कुछ और कर्मचारी शीघ्र ही नियुक्त होगे। भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। क्वार्टर निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है।

अन्य अविलम्बनीय प्रस्ताव, अर्थात प्रयोगात्मक माइनस २० फुट और ३० फुट कंडरों के बीच प्रयोगात्मक हैजिंग जो ड्रेजिंग कार्यक्रम का प्रथम क्रम होगा, विचाराधीन है।

बीकानेर डिवीजन में मजूरी का न दिया जाना

†१३१०. **श्री कर्णीसिहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में रेलवे प्राधिकारियों (बीकानेर डिवीजन) के ध्यान में लाये गये मजूरी का भुगतान न करने के मामलों की वर्षवार संख्या क्या है ;

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय श्रम सम्पर्क निकाय द्वारा रेलवे प्राधिकारियों (बीकानेर डिवीजन) के ध्यान में लाये गये अनियमितताओं के मामलों की वर्षवार संख्या क्या है ;

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(ङ) उपरोक्त भाग (क) तथा (ग) के अन्तर्गत लम्बित मामलों की संख्या क्या है तथा अब उनके न निपटाये जाने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये डाक तथा तार घर

†१३११. **श्री कर्णीसिंहजी :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान बीकानेर, चुरु तथा गंगानगर जिलों में कहां-कहां डाक तथा तार घर खोलने का प्रस्ताव है ?

†**डाक और तार विभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० १६२८/६३**]

उड़ीसा में वनों का विकास

†१३१२. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को राज्य में वनों के विकास के लिये १९६२–६३ में कोई सहायता दी गई थी अथवा १९६३-६४ में देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत राशि का ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) १९६२–६३ में स्वीकृत केन्द्रीय सहायता तथा १९६३–६४ के लिये उपबन्धित सहायता की राशि नीचे दी जाती है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	राज्य योजनायें*		केन्द्र द्वारा पुरोनिधान वनविद्या योजना	
	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
१	२	३	४	५
१९६२-६३	१२.५०	३.०३		१.५०
१९६३-६४	२१.९०	४.३०	..	५.००

*स्तंभ २ तथा ३ में दिये गये आंकड़े वनविद्या तथा भू-परिरक्षण योजनाओं से सम्बन्धित हैं क्योंकि केन्द्रीय सहायता दोनों प्रयोजनों के लिय दी जाती है ।

रेल दुर्घटनायें

†१३१३. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) पिछले एक वर्ष में दक्षिण-पूर्व रेलवे पर हुई ऐसी रेल दुर्घटनाओं की संख्या क्या है जिन में मालगाड़ियां तथा शंटिंग करने वाले माल डिब्बे अन्तर्ग्रस्त थे; और

(ख) भविष्य में एसी सभी दुर्घटनाओं के न होने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी) :** (क) तीन सौ तेईस (१-७-६२ से ३०-६-६३ तक) ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) दुर्घटना के प्रत्येक मामले का कारण निर्धारित करने के लिये उसकी जांच की जाती है और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिय प्रतिकारक उपाय किये जाते हैं ।

(२) वैयक्तिकृत प्रशिक्षण तथा सुरक्षा नारों, इश्तहारों, सुरक्षा चलचित्रों आदि द्वारा कर्मचारीवृन्द को सुरक्षा के प्रति अधिकाधिक सजग बनाया जा रहा है ।

(३) कर्मचारीवृन्द के लिये अनुकालिक प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों में कार्यकरण तथा दुर्घटनाओं की रोक थाम में सुरक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा है ।

(४) दोषी कर्मचारियों को उनकी गलतियों के लिये उपयुक्त दंड दिया जाता है ।

(५) डिब्बे, इंजन आदि, स्थायी मार्ग तथा अन्य उपकरणों की देखरेख पर अधिक बल दिया जा रहा है ।

(६) यह सुनिश्चित करने के लिये स्टेशनों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है कि कर्मचारी नियमों से भली भांति परिचित हों और अनियमित ढ़ंग से काम न हो ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में रिक्त स्थान

†१३१४. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में पदोन्नति रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों के रक्षण का उपबन्ध करने वाला आदेश क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो १ जुलाई, १९६३ तक दक्षिण पूर्वी रेलवे में प्रत्येक पदाली में उनके लिये रक्षित पदों की कुल संख्या क्या है ;

(ग) क्या उन सभी पदों के लिये चयन हो चुका है तथा क्या पद भर लिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां):** (क) हां ।

(ख) १-७-६३ तक रक्षित पदों की संख्या

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
वर्ग ४ से वर्ग ३ में पदोन्नति के लिये	५०८	३७७
वर्ग ३ में एक क्रम से दूसरे कम में पदोन्नति के लिये	५९२	३००

(ग) हां, सिवाय जहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ)

	१-७-६३ तक चुने गये व्यक्तियों की संख्या		१-७-६३ तक पदोन्नत व्यक्तियों की संख्या	
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
वर्ग ४ से वर्ग ३ में	३४४	१८८	३२९	१५८
वर्ग ३ में एक क्रम के दूसरे क्रम में	१७६	४८	१६४	४५

उड़ीसा डाक तथा तार सर्किल के कर्मचारी

†१३१५. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा डाक तथा तार सर्किल में पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को कुल संख्या क्या है ?

†**डाक और तार विभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** (क)

श्रेणी १	७
श्रेणी २	२१
श्रेणी ३	३,८२७
श्रेणी ४	१,००६
कुल	४,८६१

(ख)

श्रेणी १	कोई नहीं
श्रेणी २	कोई नहीं
श्रेणी ३	५८९
श्रेणी ४	३२५
कुल	९१४

†मूल अंग्रेजी में

कटक डाक सर्किल के कर्मचारी

†१३१६. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक डाक सर्किल के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) उन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

†**डाक और तार विभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** (क) ७४३

(ख) १२५ ।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा

†१३१७. **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में हवाई अड्डे के विस्तार का काम अब किस प्रावस्था में है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रस्तावित विस्तार के कारण हवाई अड्डे के समीप बसाये गये बहुत से परिवारों को जगह खाली करने पर विवश किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन विस्थापित लोगों को बसाये जाने के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन मंत्रालय उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) मुख्य धावन-मार्ग के विस्तार का काम पूरा होने वाला है ।

(ख) रुकावटों को दूर करने के लिये शायद ऐसे कुछ लोगों को हटाना पड़े जो धावन-मार्ग को जाने वाले रास्ते पर, जो सरकारी जमीन है, अनधिकृत रूप से धरना जमाये बैठे हैं ?

(ग) जिन लोगों पर इस का प्रभाव पड़ेगा उन्हें बसाने के लिये राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

रायगाडा में ऊपरी पुल

†१३१८. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री ११ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उड़ीसा सरकार ने रायगाड़ा में एक ऊपरी पुल बनाने के बारे में अपना अन्तिम निर्णय बता दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) नहीं । अन्तिम निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है । योजना को ६४-६५ और ६५-६६ के दौरान निष्पादित करने की अस्थायी तौर से सिफारिश की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) योजना और प्राक्कलन की तयारी के लिये रेलवे प्रशासन ने राज्य सरकार के सड़क प्राधिकारों से परामर्श के साथ प्रारम्भिक सामग्री एकत्रित करना पहले ही शुरू कर दिया है।

उड़ीसा में अनुसन्धान योजनायें

†१३१९. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा उड़ीसा के लिये कोई अनुसन्धान योजनायें १९६२-६३ तथा १९६३-६४ के दौरान अलग-अलग स्वीकृत की गई थीं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १६२९/६३**]

उड़ीसा मे डाकिये

†१३२०. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न डाकघरों में इस समय डाकियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या उन्हें मकान किराया भत्ते का भुगतान किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में प्रति वर्ष उन्हें कुल कितनी राशि दी गई ?

†**डाक और तार विभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** (क) ७२२।

(ख) मकान किराया भत्ता केवल कटक में काम करने वाले डाकियों को ही ग्राह्य है जिनकी वर्तमान संख्या ८४ है।

(ग) १९६१-६२ ७,३८० रुपये

१९६२-६३ ७,५६० रुपये।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के कर्मचारी

†१३२१. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा १९६२-६३ में नियुक्त किये गये तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या क्या है; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शाहनदाज खां) : (क) १,६२० ।

(ख) अनुसूचित जातियां २३१

अनुसूचित आदिम जातियां ३३

उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†१३२२. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९६३ को उत्तर रेलवे में लम्बित भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या क्या है और वे किस प्रकार के हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मामलों की संख्या—१९९ ।

(ख) लम्बित मामलों का स्वरूप :

१. आय के ज्ञात साधनों की तुलना में अनुपाती धन का संग्रह ।

२. अवैध तोषण की स्वीकृति ।

३. धोखेबाजी ।

४. सरकारी रुपये में हेरा फेरी ।

५. अभिलेखों का कूटकरण ।

६. रेलवे सामग्री तथा श्रम का दुरुपयोग ।

७. पासों तथा पी० टी० ओज का दुरुपयोग ।

८. ठेकेदारों को अधिक भुगतान जिससे रेलवे प्रशासन को हानि हुई ।

९. मान्य स्तर से नीचे की सामग्री तथा निर्माण कार्यों की स्वीकृति ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†१३२३. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९६३ को दक्षिण-पूर्व रेलवे में लम्बित भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या तथा स्वरूप क्या है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मामलों को संख्या—१७६ ।

(ख) मामलों का स्वरूप :

१. अवैध तोषण की मांग तथा स्वीकृति ।

२. मिथ्या घोषणा तथा जाली प्रमाण पत्रों द्वारा नौकरी और पदोन्नति आदि प्राप्त करना ।

३. पासों और पी० टी० ओज को धोखे से लेना और दुरुपयोग करना ।

४. रेलवे के नकदी तथा सामग्री आदि में हेरा फेरी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५. नामावलि को मिथ्या रूप से बनाना, शासकीय अभिलेखों में हेराफेरी, जाली या भत्ते लेना आदि ।

६. जाली प्रमाण पत्र देकर शैक्षणिक सहायता का दावा करना ।

७. सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन ।

८. रेलवे ठेकेदारों द्वारा निर्माण-कार्यों का मान्य स्तर के नीचे का कथित निष्पादन ।

'बायो गैस' संयंत्र

†१३२४. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ में बायो गैस' संयंत्र के बारे में अनुसन्धान कार्य को करने के लिये स्थापित किये गये अनुसन्धात केन्द्रों की संख्या क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** पहले के अतारांकित प्रश्न संख्या १९१९ के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता हैं जो १६ अप्रैल, १९६३ को लोक-सभा में दिया गया था ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे मे चोरी के मामले

†१३२५ { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या रेलवे मंत्री १९६२-६३ में दक्षिण पूर्व रेलवे की कर्मशालाओं में पकड़े गये चोरी के मामलों की संख्या बताने की कृपा करेंगे

†**रेलवे मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** ८२ ।

उत्तर प्रदेश मे सहकारी आन्दोलन

†१३२६. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को वहां पर सहकारी आन्दोलन को तीव्र करने के लिये कोई ऋण अथवा अनुदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या व्योरे हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) जी, हां ।

(ख) पंचवर्षीय योजना की सहकारी विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित सहायता दी गई था :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	ऋण	राजसहायता	योग
१९५८–५९	३८.३०	१७.३०	५५.६०
१९५९–६०	२०.५२	२५.२८	४५.८०
१९६०–६१	५.७५	३३.७६	३९.८१
१९६१–६२	५१.०१	३७.४९	८८.५०
१९६२–६३	७९.५६	५४.०२	१३३.५८
योग	१९५.१४	१६७.८५	३६२.९९

उद्यान विद्या के लिये उत्तर प्रदेश को अनुदान

†१३२७. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ के दौरान उद्यान विद्या के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को ऋणों और अनुदानों के रूप में कितना रुपया दिया गया था ; और

(ख) उसी अवधि में राज्य द्वारा कितनी धनराशि उपयोग किया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम सुभग सिंह):** (क) १९६२–६३ के दौरान उद्यान विद्या के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदानों के रूप में ३,८८,४०० रुपया दिया गया था। ऋणों के रूप में कुछ भी रुपया नहीं दिया गया था।

(ख) अनुदान के रूप में मंजूर की गई धनराशि में से, राज्य सरकार द्वारा १९६२–६३ में ३,१०,१०६ रुपये का उपयोग किया गया था।

रेलवे पार्सल

१३२८. **श्री लखमू भवानो :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे आउट एजेंसियां द्वारा रेलवे पार्सल पर अन्डर चार्जेज़' वसूल करने की व्यवस्था है ;

(ख) जगदलपुर रेलवे स्टेशन आउट एजेंसी द्वारा गत एक वर्ष में 'अन्डर चार्जेज़' में कितनी रकम वसूल की गई है ; और

(ग) अन्डर चार्जेज़ वसूल करने से जनता को जो अनावश्यक बोझ उठाना पड़ता है, उसकी रोकथाम के लिये रेलवे मंत्रालय के द्वारा क्या कोई कदम उठाया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ?

(ख) लगभग २७,००० रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कोई ऐसा कदम उठाने का सवाल नहीं उठता क्योंकि अवप्रभार की रकम वह रकम है, जो वाजिब तौर पर आउटएजेंसी को मिलनी ही चाहिए।

मद्रास के मछेरों को सहायता

†१३२९. **श्री वे० तेवर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२, १९६२–६३ और १९६३–६४ में मछेरों के लिये मकान बनाने के लिये संघ सरकार द्वारा मद्रास सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) जिन क्षेत्रों में मछेरे रहते हैं उनमें सड़कों का निर्माण करने के लिये उसी अवधि में मद्रास सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) उसी अवधि में इन दोनों प्रवर्गों के अधीन मद्रास सरकार द्वारा वास्तव में कितना रुपया व्यय किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग) . मछेरों के लिये मकानों का निर्माण करने के लिये अथवा जिन क्षेत्रों में मछेरे रहते हैं उनमें सड़कों का निर्माण करने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता देने की, तृतीय पंच वर्षीय योजना के अधीन, कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। तथापि, मद्रास राज्य के तिरुनेलवेनी जिले में कूटपुली गांव के २२० मछेरों और पेरूमनल के १३ मछेरों के लिये मकानों का निर्माण करने के लिये, भारत सरकार, विशेष रूप से, मान आवास योजना के अधीन, सहायता दे रही है। इस योजना के अधीन मद्रास सरकार द्वारा अब तक वास्तव में व्यय की गई धनराशि के संबंध में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

दक्षिण रेलवे के स्टेशनों पर यात्री शेड

†१३३०. **श्री वें० तेवर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे के रेलवे स्टशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिये यात्री शेडों का प्रसार अथवा निर्माण किस आधार पर किया जाता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री श्री शाहनवाज खां) :** जलवायु, यात्रियों की संख्या तथा होने वाले यातायात के स्वरूप के आधार पर प्लेटफार्म के ऊपर साया की व्यवस्था करने की आवश्यकता का निर्धारण किया जता है। सामान्यतः पर्याप्त क्षेत्र के ऊपर शेड लगाया जाता है जिससे कि जाने वाले अथवा गाड़ी से उतरने वाले अधिक से अधिक यात्रियों की संख्या के आधे यात्री प्रति यात्री ६ वर्ग फीट स्थान की दर पर उसमें समा सकें।

तथापि, किसी विशेष स्टेशन पर कार्य का वास्तव में किया जाना धन की उपलब्धि और विभागीय तथा खण्डीय उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के परामर्ष में इस कार्य को दी गई पूर्ववर्तित पर निर्भर करता है।

पशु पालन, दुग्ध व्यवसाय और मीन क्षेत्र

†१३३१. **श्री वें० तेवर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२, १९६२–६३ और १९६३–६४ में अब तक पशुपालन, दुग्ध-व्यवसाय तथा मीनक्षेत्रों के विकास के लिये संघ सरकार द्वारा मद्रास सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी कई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन अवधियों में मद्रास सरकार द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें १९६१–६२ और १९६२–६३ में पशुपालन, दुग्ध-व्यवसाय और मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये मद्रास सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता की धनराशि और १९६३–६४ के लिये आवंटित की कई धनराशि और साथ ही १९६१–६२ के व्यय के आंकड़ों और १९६२–६३ के लिये पूर्वानुमानित व्यय के संबंध में उपलब्ध जानकारी दी हुई है।

(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १६३०/६३) सहायता के स्वीकृत प्रतिरूपों के संबंध में केन्द्रीय सहायता दी जाती है : कुल व्यय में प्रतिरक्षा और अप्रतिरूप दोनों ही योजनाओं का व्यय सम्मिलित है।

राजमठम रोड हाल्ट स्टेशन

†१३३२. **श्री वें० तेवर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजमठम रोड हाल्ट स्टेशन पर (दक्षिण रेलवे की मयूरम–करई कुडी लाइन पर) गत छः महीनों में जब कि वहां रेलवे प्रशासन टिकिटें बेच रहा था कुल कितने रुपये की टिकिटें बिकी थीं और पिछले वर्ष वहां उसी अवधि में उस ठेकेदार द्वारा कितना रुपया एकत्रित किया गया था जिसे कि यह कार्य दिया गया था ; और

(ख) उन अवधियों के दौरान इन दोनों प्रणालियों के अधीन अलग अलग कुल कितना रुपया व्यय हुआ था ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रास्वामी)** : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ताल में टेलीफोन कनेक्शन

१३३३. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्बा ताल को आलोट पी० सी०ओ० से टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में विलम्ब क्यों हो रहा है ; और

(ग) ताल के नागरिकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकेंगे ?

डाक और तार विभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) आलोट और दो अन्य सार्वजनिक टेलीफोन घर रतलाम के साथ तार युग्मों से चुड़े हुए हैं और परिपथ पर काम की अधिकता है। आलौट में पूर्णकालिक परिपथ तथा कायम होगा जबकि नागदा टेलीफोन केन्द्र खुल जायगा और मोहीदपुर रोड तथा मोहीदपुर सिटी के दोनों सार्वजनिक टेलीफोन घर नागदा को स्थानान्तरित हो जाएंगे। अप्रैल, १९६४ तक नागदा टेलीफोन केन्द्र के खुल जाने की संभावना है और उपभोक्ताओं द्वारा किराये और गारंटी की शर्तें स्वीकार कियेजाने पर आलोट सार्वजनिक टेलीफोन घर से एक्सटेंशन दिये जाएंगे।

---

†तू ल ग्रेजी में

टेलीफोन एक्सचेंज, नागदा

१३३४. **श्री राधेलाल व्यास :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागदा (जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश) में टेलीफोन एक्सचेंज खोलना स्वीकार गया है और नागदा के कुछ नागरिकों से टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये कुछ रुपया जमा कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उभी तक नागदा में टेलीफोन एक्सचेंज क्यों नहीं खोला गया ; और

(ग) नागदा में टेलीफोन एक्सचेंज कब तक खुल सकेगा और उससे स्थानीय जनता को कब तक कनेक्शन दिये जायेंगे ?

डाक और तार विभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) यह सच है कि एक टेलीफोन केन्द्र की मंजूरी दी गई है। परन्तु, रुपया सार्वजनिक टलीफोन घर स एक्सटेंशन देने के लिए जमा किया गया था, टेलीफोन केन्द्र से कनेक्शन देने के लिए नहीं ।

(ख) इसके लिए सामान की प्रतीक्षा है।

(ग) उस चालू वित्तीय वर्ष में ही उक्त टेलीफोन केन्द्र खुल जाने की संभावना है ।

खाचरौद में टेलीफोन कनेक्शन

१३३५. **श्री राधेलाल व्यास :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाचरौद (मध्य प्रदेश) के लोगों ने अपने घर पर टलीफोन कनेक्शन देने की मांग की है . ;

(ख) यदि हां, तो कब और अभी तक उन्हें टलीफोन कनेक्शन क्यों नहीं दिये गय ; और

(ग) उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकेंगे ?

डाक और तार विभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क), (ख) तथा (ग). टेलीफोन कनेक्शनों के लिए १० आवदन-पत्र प्राप्त हुए थे. । जिसमें से अब तक तीन कनेक्शन दिये जा चुके हैं। १५ सितम्बर, तक तीन और कनेक्शन दिये जायेंगे । तीन अवेदकों ने जिन्हें मांग–पत्र जारी किए गऐ थे. अदायगी करने से इन्कार कर दिया है । यदि टेलीफोन कनक्शन देने की मांग दस से अधिक बढ़ गई तो एक बड़ा टेलीफोन केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार

†१३३६. **श्री भागवत झा आज़ाद :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या आयात किया गया सारे का सारा ४० लाख टन गहूं १९६२–६३ में पहले ही बाज़ार में बिक्रय के लिय दे दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रक्षित खाद्य भण्डार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या अगले वर्ष के खाद्यान्नों के आयात को बढ़ाने का सरकार का सरकार का विचार है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के दौरान खाद्यान्नों की लगभग ३९ लाख टन की कुल मात्रा का आयात किया गया था और उसी अवधि में लगभग ४२ लाख टन की कुल मात्रा में खाद्यान्न केन्द्रीय डिपोज़ से वितरित किये गये थे ।

(ख) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास लगभग १८ लाख १० हज़ार टन गहूं तथा ४ लाख ६० हज़ार टन चावल रख हैं।

(ग) वर्तमान स्थिति के अनुसार, खाद्यान्नों के आयात की दर के अगले वर्ष भी वही रहने की सम्भावना है जो कि इस वर्ष है, और जो कि गत वर्ष की दर से अधिक है ।

कलकत्ता को उपनगरीय सेवा

†१३३७. श्री भागवत झा आजाद : : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की उपनगरीय सेवा के लिये ए० सी० बिजली के बहु–एकक भण्डार (मल्टीपल यूनिट स्टाक) के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या ब्यौरे हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वें० वें० रामस्वामी) : (क) जी. हां ।

(ख) तृतीय योजना काल के दौरान इन्ट्रीगल कोच फैक्टरी पेराम्बुर में ए० सी० बिजली के बड़ी लाइन के ५९२ बहु एकक डिब्बे (ब्रांड गेज ए० सी० इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कोच्स) बनाने का विचार है। अभी तक २७ अनुयान (ट्रेलरस) तथा १ आधरूप (प्रोटोटाइप) मोटर डिब्बे बनाये गये हैं ।

खाद्यान्न क्षेत्र[१]

†१३३८. श्रीमती रेणुकाबड़कटकी :
श्री बसुमतारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या खाद्य खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के खाद्य क्षेत्र से निकालने की अनुमति देने के उड़ीसा सरकार के अभ्यावेदन पर केन्द्रीय सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां. तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]food zone.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा को चावल के पूर्वी क्षेत्र से निकालने का प्रस्ताव नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मर्चेन्ट नेवी अकादमी

†१३३९. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हेडा :
श्री अ० व० राघवन :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग बोर्ड ने डफरिन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय दोनों के कैडटों के लिये एक मिले जुले प्राम्भिक समुद्र–पूर्व प्राशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु एक मर्चेंट नेवी (व्यापारी बेड़ा) अकादमी की स्थापना की सिफारिश की है ;

(ख) क्या इंगलैंड के प्रतिरुप पर भारत में डैक शिशिक्षुओं में सीधा प्रवेश पाने के लिये एक एकक चार-वर्षीय डाक द्वारा शिक्षा पाठ्यक्रम की भी बोर्ड ने सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में नोवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी हां

(ग) सरकार इन सिफारिशों की जांच कर रही है ।

प्रशिक्षक विमान

†१३४०. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फ्लाइंग क्लबों में उपयोग किये जाने के लिये प्रशिक्षक विमान का मानकीकरण की बात पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट लिमिटेड तथा भारतीय वायु-सेना की रायें भी मांगी गई हैं; और

(ग) एक मानक विमान के कब उपलब्ध होने की आशा है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). प्राक्कलन समिति ने अपने २९वें प्रतिवेदान के पैरा १२८ में यह सिफारिश की है कि फ्लाइंग क्लबों की उपयोग के लिये सरकार शीघ्र ही एक प्रशिक्षण विमान का मानकीकरण करे। तदनुसार असैनिक उड्डयन विभाग के प्रविधिक केन्द्र द्वारा प्रस्तावित विमान के लिये रूपांकन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । यथा समय हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के साथ परामर्श तथा समन्वय किया जायेगा । । आद्यरूप विकास में दो वर्ष से अधिक का समय लग जाने की सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डेरी फार्म

†१३४१. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री मणियंगाडन :
श्री प्र० के० देव :
श्री बूटासिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में देवीकुलम तथा पुन्नप्रा में स्विटज़रलैंड की सहायता से डेरी फार्म खोलने के प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के कब कार्यरूप लेने की आशा है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). स्विटज़रलैंड राज्य मंडल (स्विस कानफैडरेशन) और भारत सरकार के बीच हुए एक करार पर १२ जुलाई, १९६३ को हस्ताक्षर किये गये हैं जिसमें मुन्नड़ में लगभग ५०० एकड़ सरकारी भूमि पर एक कृषि केन्द्र की स्थापना के लिये स्विटज़रलैंड की सहायता की व्यवस्था की गई है । परियोजना का उद्देश्य चारे के उत्पादन के ढंगों का विकास करना और साथ ही भूमि पशु प्रजनन तथा डेरी अर्थ व्यवस्था में सुधार करना है । आशा है कि इससे जो अनुभव प्राप्त किया जायेगा उसे बाद में पीर मादे में एक बड़े स्थान में आत्म निर्भर पशु प्रजनन सहकारी संस्थाओं को स्थापित करने में काम में लाया जायेगा । परियोजना को क्रियान्वित करने के प्रारम्भिक कदम उठाये जा रहे हैं। स्वीडन के प्रविधिक विशेषज्ञ पहुंचने प्रारम्भ हो गये हैं। परियोजना के लिये उस उपकरण को आयात करने की भी व्यवस्था की जा रही है जो कि स्वदेशी स्त्रोंतों से उपलब्ध नहीं है ।

कृषि योग्य बंजर भूमि

†१३४२. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में २५० एकड़ अथवा उससे अधिक के खण्डों में कितनी कृषि-योग्य बंजर भूमि उपलब्ध है इसका अनुमान लगाने के लिये जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) इन भूमियों के वितरण के सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) उड़ीसा, राजस्थान और आसाम के अतिरिक्त सभी राज्यों के सम्बन्ध में समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

(ख) १२ राज्यों के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदनों में, समिति ने कुल १६ करोड़ ८० लाख रुपये की अनुमानित लागत पर १०,८३,६९० एकड़ कृषि योग्य बंजर भूमि के कृष्यकरण की सिफारिश की है।

(ग) समिति के प्रतिवेदन सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार की भूमियों के सम्बन्ध में है। समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति और उन सरकारी भूमियों का, जिनका कि कृष्यकरण कर लिया जांता है, वितरण का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे उपलब्ध आर्थिक साधनों से आवश्यक कार्यवाही करें।

कोचीन बन्दरगाह का मैडिकल अस्पताल

†१३४३. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कोचीन बन्दरगाह के मैडिकल अस्पताल में हाल ही में उन मजदूरों के परिवारों को डाक्टरी चिकित्सा देने के लिये मना कर दिया गया जो कि बन्दरगाह के क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). कोचीन बन्दरगाह के अस्पताल में कुछ समय के लिये रोगियों का उपचार करने के कार्य में एक महिला डाक्टर की अनुपस्थिति के कारण भारी कठिनाई का अनुमान हुआ था। वह महिला डाक्टर अस्वस्थता के कारण २३ अक्तूबर, १९६२ से ले कर ५ अप्रैल, १९६३ तक अवकाश पर थी। तदर्थ आधार पर एक स्थानीय डाक्टर की नियुक्ति करन के प्रयत्न सफल नहीं हुए थे। स्थिति बहुत जटिल हो गई और इसलिये बाहर के क्षेत्रों में रहने वाले मजदूर परिवारों की चिकित्सा सुविधायें १५ मार्च, १९६३ से बन्द करनी पड़ीं और अतरंग रोगियों की संख्या भी सीमित करनी पड़ी। सम्बन्धित मजदूरों को यह सलाह दी गई थी कि वे निकटतम सरकारी अस्पताल से डाक्टरी चिकित्सा करा लें। महिला डाक्टर अप्रैल, १९६३ के प्रथम सप्ताह में अवकाश से वापस लौटी और नव सृजित स्थानों में से एक पर नियुक्त किया गया डाक्टर भी जून, १९६३ के मध्य में अस्पताल में सेवा पर आ गया। बहिरंग रोगियों के लिये पूर्व सुविधायें १२ जून, १९६३ से पुनः दे दी गईं। जहां तक अन्तरंग रोगियों का सम्बन्ध हैं, उनके प्रवेश की संख्या अब भी सीमित रखी जा रही है क्योंकि अस्पताल के विस्तार के सम्बन्ध में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। और अन्तरंग रोगियों के लिये इस

†मूल अंग्रेज़ी में

समय केवल दो कक्ष ही उपलब्ध हैं। जैसे ही अन्य कक्ष उपयोग के लिये तैयार हो जायेंगे, तैसे ही अधिक अन्तरंग रोगियों को प्रविष्ट किया जायगा।

बागानों संबंधी लक्ष्य

†१३४४. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व के बागानों के सम्बन्ध में तीसरी योजना का लक्ष्य पूरा करने के लिये कोई कार्रवाई की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) तीसरी योजना अवधि में लगभग ७ लाख एकड़ भूमि पर आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व के बागान लगाने का विचार है। इसके अतिरिक्त १३,७०० एकड़ भूमि पर, केन्द्रीय पोषित परियोजनाओं के अन्तर्गत शीघ्र उगने वाले पेड़ लगाये जायेंगे। लकड़ी वाले उद्योगों के लिये उपयुक्त किस्मों के पेड़ बाद वाली परियोजना के अन्तर्गत लगाये जायेंगे।

भारत सरकार बागान कार्यक्रम पर अधिक जोर देती है। राज्य सरकारों को इस काम के लिय अपेक्षित धन, विदेशों से उपकरण तथा बीज मंगवाने के लिये विदेशी मुद्रा देने का पूरा प्रयत्न कर रही है। राज्य सरकारी की आवश्यकता अनुसार उनको प्रविधिक सहायता भी दी जाती है। भारत सरकार दियासलाई की लकड़ी के बागान लगाने के लिये ५० प्रतिशत तक अर्थ-सहायता अन्य आर्थिक बागानों के लिये १०० प्रतिशत तक ऋण और शीघ्र उगने वाले पेड़ों को उगाने के लिये १०० प्रतिशत तक अर्थ-सहायता देती है। राज्य सरकारों से प्राप्त योजनाओं की जांच हो रही है और उस दिशा में आवश्यक सूचना दी जाती है। राज्यों के बागान कार्यक्रमों में हुई प्रगति की समय समय पर समीक्षा की जाती है और इस बात के लिये प्रयत्न किये जाते हैं कि राज्य सरकारें अनुमोदित वार्षिक विकास योजनाओं के लिये कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सकें।

घरेलू बाग बगीचे

†१३४५. **श्री दी० चं० शर्मा** :क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू बाग बगीचों को बढ़ावा देने और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये एक योजना चलाने का विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). बागीचों की स्थापना को राज्यों में बीज, पौध, खाद, उर्वरक और इश्तहारों के संधारण के

---

†मूल अंग्रजी में

द्वारा कृषि और सामुदायिक विकास विभागों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है । केन्द्रीय सरकार बुलेटिन, पुस्तिकाएं और इश्तहारों को प्रकाशित करके उक्त राज्यों में कृषि उद्यान संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देकर इन को प्रोत्साहन देती है ?

ग्रामीण सड़क विकास

†१३४६. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना में सहकारी आधार पर ग्रामीण सड़क विभाग की योजना इस समय बन्द कर दी गई है ;

(ख) इस कार्य के लिये तीसरी योजना में कितना धन नियत किया गया है ;

(ग) क्या समूची राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो योजना को बन्द करने का क्या कारण हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क)से (ख). सहकारी आधार पर ग्रामीण सड़कों के विकास की योजना तीसरी योजना में नहीं है ली गई, क्योंकि राज्यों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा स्थानीय विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिये राज्यों को काफी राशि आवंटित की गई है और उन सड़कों का विकास राज्यों की योजनाओं का अंग है । अतः तीसरी योजना में इस योजना के लिये कोई धन अलग से नियत नहीं किया गया ।

गाड़ियों का लेट चलना

†१३४७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास से दल्ली आने वाली सभी गाड़ियां ८ मई, १९६३ को दस घंटों से अधिक लट थीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली गाड़ियां भी रोक ली गई थी ; और

(घ) इन गाड़ियों को रोकने के क्या कारण थे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख). ६–५–६३ को काजीपेत जंकशन पर एक माल गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण पटरी को क्षति हुई और बिना रुके जाने वाली लाइन पर अन्तर्बाधा उत्पन्न हो जाने के कारण उस मार्ग पर गाड़ियों की सेवाओं को ढंग से चलाना था और परिणामस्वरूप १५ डाउन ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस, १७ डाउन जनता ऐक्सप्रेस तथा २१ डाउन द्विसाप्ताहिक वातानकूलित एक्सप्रेस गाड़ियां, जो ६-५–६३ को मद्रास सेंट्रल से सही समय पर चलीं और ८–५–६३

†मूल अंग्रजी में

को दिल्ली / नई दिल्ली आने वाली थी, क्रमशः १२ घंटे २८ मिनट, ११ घंटे २३ मिनट और ८ घंटे २५ मिनट लेट पहुंची ।

(ग) और (घ) : कलकत्ता जाने वाली सभी गाड़ियां, ८२ डाउन नई दिल्ली हावड़ा द्विसाप्ताहिक वातानुकूलित एक्सप्रेस, को छोड़ कर ८-५-६३ को दिल्ली से सही समय पर चलीं । ८२ डाउन नई दिल्ली से उस तारीख को ६ घंटे ५ मिनट चली क्योंकि २१ डाउन मद्रास—नई दिल्ली वातानुकूलित एक्सप्रेस देर से आई थी, जिसका रेक ८२ डाउन को चलाने के काम आता हैं ।

कार्तिक ग्लाइडर

†१३४८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में बनाया गया 'कार्तिक' नाम का ग्लाइडर सफल रहा है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : उक्त ग्लाइडर दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब को मई १९६३ में दिया गया था और लगभग दो महीनों में इसने लगभग ३४ घंटे उड़ान की है, और १२० से अधिक उड़ानें की हैं। यह अधिकतम ३५५० मीटर (अनुमानतः ११६०० फुट) की ऊंचाई तक गया और अधिकतम उड़ान अवधि लगभग ३ घंटे थी । इसके आधार पर इसे सफल माना जा सकता है ।

रेलवे दुर्घटनायें

†१३४९. **श्री द्वारकादास मंत्री :**
श्री राम रतन गुप्ता :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री राम हरख यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई से जुलाई १९६३ तक रेलवे में मंडलवार कितनी दुर्घटनाएं हुईं और कितने लोग मरे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : इस अवधि में भारतीय सरकारी रेलवे पर गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या, जिसमें मत्यु हुईं :

मध्य रेलवे	शून्य
पूर्वी रेलवे	३
उत्तर रेलवे	१
उत्तर पूर्व रेलवे	२
उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे	शून्य
दक्षिण रेलवे	३
दक्षिण पूर्व रेलवे	२
पश्चिम रेलवे	शून्य

†मूल अंग्रेजी में

मर्मागाओ गोदी कर्मचारियों की हड़ताल

†१३५०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कोला वेंकैय्या :
श्री गो० महन्ती :
श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मर्मागाओ पत्तन के गोदी और परिवहन कर्मचारियों ने मई-जून, १९६३ में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के मख्य कारण क्या थे ; और

(ग) विवाद किस प्रकार निपटाया गया ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). जहाजी कुली मजदूरों की सामान्य मांग के प्रत्युत्तर में, और उन मजदूरों को स्थायी बनाये की दिशा में एक कदम के तौर पर मर्मागाओ जहाजी कुली संघ ने परिवहन तथा गोदी कर्मगार संघ की सहमति से मर्मागाओ जहाजी कुली गैंग मजदूर योजनाओं के नाम से एक योजना बनाई है जिसे संक्षेप में "गैंग श्रमिक पुंज" कहा जाता है । योजना का उद्देश्य जहाजी कुली दल कर्मगारों की नौकरी को बारी बारी से विनियमित करना ; मालिक मजदूर के बीच सीधा और उत्तम संबंध कायम करवाना और यह प्रबंध करना कि कुशल कार्य करने के लिये ऐसे कर्मचारी पर्याप्त सख्या में उपलब्ध हों । योजना २३ मई, १९६३ से लागू की जानी थी ।

मर्मागाओ पत्तन, गोदी और परिवहन कर्मचारी संघ के महामंत्री, यद्यपि इस योजना के विरुद्ध नहीं, इस के गठन के प्रतिकूल हैं क्योंकि यह अन्य संघ की सहमति से बनाया गया है, और उस के संघ से परामर्श नहीं किया गया । उस के मतानुसार प्रस्तावित योजना के मजदूरों का अस्थायी रूप, छटनी, मजूरी कटौती बनी रहेंगी तथा वर्तमान सुविधाओं की हानि होगी । तथापि, दल के अधिकांश मजदूर, जिनके लिये पुंज बनाया जा रहा था, अन्य सघ से संबंध रखता था, जिन्होंने जहाजी कुली संघ के साथ समझौता किया था, संघ ने २३ मई, १९६३ से योजना को लागू करने का फैसला कर लिया ।

मर्मागाओ पत्तन, गोदी और परिवहन कर्मचारी संघ ने इस पर हड़ताल की जो २३ मई, १९६३ से आरभ हुई । हड़ताल में इस प्रकार लोग सम्मिलित हुए :

विचमैन .	६००	गैंग श्रमिक	३५०
वारजमैन .	८००	सैम्पल बुआय	१५०

†मूल अंग्रेजी में

३१ मई, १९६३ को हड़ताल सरकार द्वारा भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत अवैध घोषित कर दी गई थी। इस के पश्चात् गोआ सहकार और मर्मागाओ पत्तन, गोदी और परिवहन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच कुछ बातचीत हुई थी। ३ जून, १९६३ को समझौता हुआ और हड़ताल वापिल ले ली गई तथा काम ४ जून, १९६३ की प्रातःकाल शुरू कर दिया गया। इस समझौते के अनुसार, मर्मागाओ पत्तन, गोदी और परिवहन कर्मचारी संघ ने योजना को सिद्धान्त रूप में गोदी श्रम बोर्ड की स्थापना की दिशा में एक कदम में रूप में स्वीकर कर लिया है, कुछ परिवर्तनों के साथ ; जिन के बारे में श्रमिक संघों और मर्मागाओ जहाजी कुली संघ के बीच पारस्परिक बातचीत के द्वारा पत्तन प्रशासन की सहायता के साथ निर्णय किया जाएगा।

बालहरशाह–विजयवाडा रेलमार्ग

†१३५१. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री ६ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित श्न संख्या १५७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालहरशाह और विजयवाडा सैक्शन पर ७४ मील लम्बे रेलमार्ग पर जो वेल्डिग कार्यक्रम बनाया गया था उसमें जुलाई, १९६३ तक कितना काम हुआ ;

(ख) क्या विजयवाड़ा और काजीपेट के बीच १०२ पटरी लगाकर रेलमार्ग की पटरियां पुनः बिछाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) पटरी के सम्बन्ध में काम कुछ नहीं हुआ है। आठ मील पटरियों का वेल्डिग कर दिया गया है। वे किनारे पर रखी हुई हैं और रेलमार्ग में प्रयुक्त करने के लिये तैयार हैं।

(ख) काजीपेट और विजयवाडा के बीच लगभग २५ मील लम्बा रेलमार्ग १५० पौंड वजन की पटरियां प्रयुक्त कर इसे १९६३–६४ में पुनः पटरियां बिछाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ग) पटरियां पुनः बिछाने का कार्य अक्तूबर–नवम्बर, १९६३ में प्रारम्भ करने की आशा है ?

गोदावरी पर पुल

†१३५२. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोव्वूर और गोदावरी स्टेशनों के बीच गोदावरी नदी के ऊपर एक और पुल का निर्माण करने के लिये प्रारम्भ किये गये काम का क्या स्वरूप है ;

(ख) क्या इस कार्य के विभिन्न चरणों के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ग) १९६३–६४ में कितनी रकम खर्च करने का प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) इंजीनियरिंग खोजबीन पूरी हो गई है और पुल के निचले ढांचे के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये हैं। काम की अगली मौसम में काम प्रारम्भ करने की आशा है।

(ख) जी हां। इस काम की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि दूसरा पुल १९६८ के अंत तक प्रयोग में लाया जा सके।

(ग) लगभग ४० लाख रुपये।

कृष्णा नदी के ऊपर पुल

†१३५३. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा के निकट कृष्णा नदी के ऊपर दूसरा पुल बनाने के लिये आवश्यक इस्पात की वस्तुयें और गर्डर अब प्राप्त कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब प्राप्त कर लिये जायेंग ; और

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) आवश्यक इस्पात प्राप्त करने का प्रबन्ध पूरा हो गया है। लगभग ३० प्रतिशत 'माइल्ड' इस्पात प्राप्त हो गया है। अधिक फैलाव वाला कुछ इस्पात आयात किया जा रहा है तथा उसे जहाज में लादा जा चुका है।

(ख) सब वस्तुओं का सम्भरण मार्च, १९६४ में पूरा हो जायेगा। तैयार किये गये गर्डर (पृथक् अंशों में) क्रमिक गति से दिसम्बर, १९६३ और दिसम्बर, १९६४ के बीच पुल के निर्माण स्थल पर पहुंच जाने की आशा है।

(ग) जलाई १९६३ के अन्त तक ८१.४९ लाख रुपय।

महानन्दा नदी पर पुल

†१३५४. **श्री हेडा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्निया जिला में डिंगरा घाट में महानन्दा नदी पर पुल बन चका है ;

(ख) कुल कितना व्यय हुआ है और यह प्रामूलनों से कितने प्रतिशत अधिक है ; और

(ग) इस पुल की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) पुल पूरा हो गया है और अक्तूबर १९६२ में यातायात के लिये खोल दिया गया था।

(ख) १०३.१२ लाख रुपये। व्यवस्था से ३.८५ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ग) पुल २०९७ फुट लम्बा है, १२ 'स्पान' हैं, जो प्रत्यक १७५ फुट लम्ब हैं और २४ फुट चौड़ी सड़क है। यह भारी से भारी मोटर गाड़ी यातायात के लिये सक्षम है। ढांचा चारों ओर नींव वाले खम्भों पर प्रीस्ट्रैस्ड कंक्रीट गरडरों के सहारे खड़ा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

'रेल भवन' में आग लगने की घटना

†१३५५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जून, १९६३ को रेल भवन, नई डिल्ली में आग लग गई ;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति हुई और आग में किस प्रकार के कागज और चीजें जल गई ; और

(ग) आग दुर्घटना के कारण क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां। १ जून १९६३, को शनिवार को प्रातः काल ही रेलवे भवन की छटी मंजल में एक कमर में थोड़ी आग लग गई।

(ख) बहुत कम हानि हुई ; केवल एक पुराना लकड़ी का बक्स और कुछ रद्दी कागज जले।

(ग) आग लकड़ी के बक्से में फेंके गये सिगरेट/बीड़ी के टुकड़े के द्वारा लगी ।

पंचायत समितियों के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

†१३५६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिये सभी जिलों में जिला परिषद् न्यायाधिकरण नियुक्त किये हैं ;

(ख) इसमें कौन लोग होंगे और पंचायतों के निर्वाचित लोग किस मात्रा में इस में होंगे; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में ऐसे न्यायाधिकरण स्थापित करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) जी हां।

(ख) प्रत्येक जिले के लिये बनाये गये जिला परिषद् न्यायाधिकरण में ये होंगे :

(१) जिला का डी० सी०	सभापति
(२) जिला परिषद् का सभापति	सदस्य
(३) जिले का जिला विकास और पंचायत अफसर	सदस्य

जिला परिषद् का सभापति निर्वाचित सदस्य होगा।

(ग) जी, नहीं ।

अदालती पंचायतें

१३५७. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री १९ फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अदालती पंचायतों के सम्बन्ध में अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुरूप वर्तमान अधिनियम के स्थान पर

---

†मूल अंग्रेजी में

एक व्यापक पंचायती-अधिनियम पास करने का जो राज्य सरकार का निर्णय है उसके अनुसार नये अधिनियम की कोई रूपरेखा तैयार करके केन्द्रीय सरकार के पास उनकी राय के लिये भेजी गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति): जी नहीं, राज्य सरकार ने अभी तक अधिनियम तैयार नहीं किया है । वे आशा करते हैं कि लगभग ४ महीनो में इसे अन्तिम रूप दे देंग ।

बांदा के बंगलीपुरा रेलवे फाटक पर पुल

१३५८. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांदा के बंगलीपुरा रेलव क्रासिंग पर १९६०–६१ और १९६१–६२ में कितनी मौतें हुईं ; और

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में रेलवे यात्रियों के निकलने के लिये वहां कोई पुल बनाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) कोई नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

नई दिल्ली में नया पुल

१३५९. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा रोड, दिल्ली पर अब्दुल रहीम खानखाना की कब्र के पास के नाले पर पुल निर्माण का कार्य कब से चल रहा है और कब तक चलेगा ;

(ख) इस छोट से पुल के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) पुराने पुल के तुड़वाने का क्या व्यय पड़ा कौर नये पुल के निर्माण में कितना व्यय होने का अनुमान है ?

परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख): प्रत्यक्षत: माननीय सदस्य का तात्पर्य दिल्ली-मथुरा सड़क पर बारापुल्ला नाला के ऊपर के पुल के पुर्ननिर्माण से है । यह निर्माण कार्य दिल्ली नगर निगम ने मई, १९६२ में एक ठेकेदार को सौंपा था और इसे एक वर्ष में पूरा किया जाना था । इस काम को पूरा करने में देरी होने के विभिन्न कारण हैं जैसे (१) यातयात के लिये दूसरे रास्ते की व्यवस्था (२) कुछ सरविस लाइनों जैसे से कोएक्सल टेलिफोन केबलों, पक्के और कच्चे पानी के नल इत्यादि को हटाना (३) समूचे पुराने पुल में तल से लगभग ७ फुट की गहराई पर दो फुट मोटा कंकरीट एप्रन का हटाना, और (४) भूमिगत जल की कठिनाइयां । आजकल वर्षा के कारण कुंवे

†मूल अंग्रेजी में ।

खोदने का काम अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया है और बरसात के बाद इस काम की रफ्तार बढ़ जाने की आशा है तथा पुल अगले बरसात से पहले यातयात के लिए तैयार हो जायगा।

(ग) पुराने पुल को तोड़ने में २४,००० रुपय खर्च हुए हैं। आज तक इस निर्माण कार्य में ८.५० लाये रुपय के अनुमानित व्यय के विपरीत, २.१० लाख रुपये खर्च हुए हैं।

किस्म नियंत्रण

†१३६०. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काली मिर्च, लाल मिर्च, इलायची और काजू की गिरी के अतिरिक्त अन्य कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनके बारे में १९६२–६३ में किस्म नियंत्रण सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : १ दिसम्बर, १९६३ से हर्र* के बारे में भी किस्म नियंत्रण प्रारम्भ किया गया है।

गन्ने की कमी

†१३६१. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १९ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर भारत में कितने कारखानों में गन्ने की कमी अमुभव की गई;

(ख) इन कारखानों में गन्ने की कमी से कितने दिन काम बन्द रहा; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा प्रस्तुत और स्वीकृत सिफारिशें क्या क्या हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) उत्तर भारत के अधिकांश कारखानों में गन्ने की कमी अनुभव की गई।

(ख). उत्तरी क्षेत्र में चीनी के कारखानों में उत्पादन भोजन की औसत अवधि की १९६२–६३ और १९६१–६२ की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी जाती है :—

(दिन)

	१९६२–६३	१९६१–६२
उत्तर प्रदेश .	९८	१५१
बिहार .	६८	१४८
पंजाब .	८२	१३३
पश्चिम बंगाल .	५६	९५
आसाम .	५०	८३
उड़ीसा .	११३	१४३
राजस्थान . .	९१	१०६
मध्य प्रदेश	११०	९८

†मूल अंग्रेजी में।

mayrobalans.

(ग) उद्योग के सामने यह सुझाव रखा गया था कि व गन्ने के संभरण की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित न्यनतम कीमत से ज्यादा कीमत अदा करें। इस सुझाव पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ फैक्टरियों ने अमल किया किन्तु उन्होंने ऐसा काफी देर बाद किया।

केन नदी पर पुल

†१३६२. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा स्टेशन के निकट केन नदी पर कई वर्षों से नया पुल बनाने का जो कार्य चल रहा है, उसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : बांदा स्टेशन के पास केन नदी पर रेलवे का कोई नया पुल नहीं बनाया जा रहा है।

वर्तमान पुल १८८९ में बनाया गया था और इसमें १२×१००' और १×२५०' के स्पेन लगे हुए हैं। चूंकि इसके गर्डर गतायु हो चुके थे और वर्तमान गाड़ियों का र सम्हालने के लिए कमजोर थे, इसलिए इन्हें बदलने का निश्चय किया गया। सभी नये गर्डर लगा दिये गये हैं और काम मार्च, १९६३ में पूरा हो गया।

थोक बिक्री केन्द्र'

†१३६३. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री गो० महन्ती :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपेक्स स्टोर्स (थोक बिक्री स्टोर विभिन्न राज्यों में कितने स्थापित किये गये हैं और इन थोक बिक्री स्टोर से कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियों को सामान संभरित किया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार अपेक्स स्टोर्स के पंजीयन के लिये उपभोक्ता स्टोर्स की निर्धारित संख्या की शर्त हटा कर अनुमति देने और इस प्रकार उपभोक्ता बिक्री स्टोर्स के विकास में तीव्रता लाने के लिये सरकार उनके स्थिर प्रारूप में कुछ परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता सहकारी समितियों सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रारम्भ की गई योजना के अन्तर्गत जुलाई, १९६३ तक १०२ थोक बिक्री और १३८८ प्रायमरी स्टोर्स शाखाएं संगठित की गई थीं। इनमें से अधिकांश प्रायमरी एककों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है और थोक बिक्री स्टोर्स से इन्हें सामान संभरित किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

'Wholesale stores

(ख) थोक बिक्री स्टोर्स के निर्माण की रूपरेखा आस्थिर है। थोक बिक्री स्टोर्स और उनकी ब्रांच यूनिटों अथवा सम्बद्ध प्रायमरी स्टोर्स स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बनाये जाते हैं।

सहकारी समितियां

†१३६४. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि सफल और असफल सहकारी समितियों के मूल्यांकन के लिये कोई दल नियत किया गया है ताकि दूसरों को इससे लाभ हो सके?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : इस कार्य के लिये कोई दल नियत नहीं किया गया है। तथापि भारत की राष्ट्रीय सहकारिता यूनियन सफल और असफल समितियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रही है अपने पाक्षिक पत्र "कोआपरेटर' के अंकों में इस विषय के लेख प्रकाशित कर रहा है। सफल सहकारी समितियों की एक राष्ट्रीय निर्देशिका तैयार करने के लिये भी सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

कृषि अनुसन्धान

†१३६५. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलमोड़ा स्थित विवकानन्द प्रयोगशाला कृषि अनुसंधान फार्म की विशेष बातें और उपपत्तियां क्या हैं; और

(ख) क्या इस प्रकार का मक्का तैयार किया गया है जो आसानी से उंचे पहाड़ों पर उग सकता हो?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) विवेकानन्द प्रयोगशाला, अलमोड़ा, आधारभूत तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार का अनुसन्धान करती आ रही है। आधारभूत अनुसन्धान के मुख्य पहलू कोशिका क्रिया विज्ञान,[1] वासन्तीकरण[2] तथा ऊतक संवर्धन[3] से सम्बन्धित समस्याओं का हल करना है। व्यावहारिक अनुसंधान कार्य के फलस्वरूप इन पदार्थों की पहाड़ी क्षत्रों के लिये सिफारिश की गई है : काओसिउंग--२२ नामक अधिक उपज वाली (१०१–१२६ मन प्रति एकड़) तथा न गिरने और न झड़ने वाली चावल की किस्म, रीका तथा हरता नामक दो पंक्तियों वाले जौ की दो किस्में जिनकी उपज ज्यादा होती है

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Cel Physiology. Vernalisation. Tissue culture.

(४० मन प्रति एकड़) तथा रतुआ भी नहीं लगता, दाने तथा चारे की अधिक उपज वाली जई की तीन किस्में, और घास, सब्जी तथा फल की अनेक किस्मों की प्रचलित किस्में ।

(ख) प्रयोगशाला ने संकर वी० एल० ५४ का विकास किया है जो मध्यम ऊंचाइयों के लिये उपयुक्त पाया गया है । एक अन्य संकर, वी० एल० १०९, के बारे में सूचना है कि लेह में वह अच्छा रहा है ।

माधोपुर में रेल का पुल

†१३६६. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माधोपुर में रावी नदी पर रेल के पुल के निर्माण में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) पायों तथा स्तंभों की नींव के लिये खोदे जाने वाले २० कुंओं में से अब तक ७ कुयें खोद लिये गये हैं तथा शेष के १३ कुंओं पर काम हो रहा है ।

कुंओं की नीवों की सम्पूर्ण प्रगति लगभग ७० प्रतिशत है । शहतीरों के लिये ठेके दे दिये गये हैं तथा कुछ देशीय इस्पात और कुछ आयात द्वारा अपेक्षित इस्पात का प्रबन्ध कर लिया गया है। तथापि, आयातित इस्पात के वर्षान्त तक ही पहुंचने की आशा है और शहतीरों का निर्माण उसके बाद ही शुरू हो सकता है ।

(ख) शहतीरों की प्राप्ति में बिलम्ब के कारण आशा की जाती है कि पुल १९६५ के मध्य तक ही तैयार हो सकता है ।

देवरिया डाकघर के लिये इमारत

†१३६७. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदर (मुख्य) डाकघर, देवरिया (उत्तर प्रदेश) के लिये नई इमारत के निर्माण का एक प्रस्ताव १९५४ से विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब बनाया जायेगा; और

(ग) ३१ जुलाई, १९६३ तक डाकघर द्वारा सहकारी बैंक, देवरिया को कितना किराया दिया गया है?

†**डाक और तार विभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) जी हां ।

(ख) निर्माण कार्य के अप्रैल, १९६४ तक पूरा होने की संभावना है ।

(ग) १८,९३३ रुपये ३३ नये पैसे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार अधिकारियों द्वारा किराये का भुगतान

†१३६८. **श्री हेम राज :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघरों के अधीक्षकों को एफ० आर० ४५-ए के अधीन अपने वेतन का १० प्रतिशत किराया देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कांगड़ा प्रान्तीय विभाग में ऐसे पदों पर आरूढ़ व्यक्तियों को जमीन के क्षेत्र के आधार पर किराया देने का आदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**डाक और तार विभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) अधीक्षकों के पास जब अधिकृत सरकारी आवास होता है जिसका क्षेत्र उस क्षेत्र से अधिक नहीं होता जिसके कि वे अधिकारी हैं। तो उन्हें एफ० आर० ४५–ए के अधीन अर्थात् अपने वेतन का १० प्रतिशत अथवा आवास का मानक किराया , जो भी कम हो, देना पड़ता है ।

(ख) और (ग). इमारत को कांगड़ा डाक डिवीजन के डाकघरों के अधीक्षक के कार्यालय तथा आवास दोनों के लिये किराये पर लिया गया था। आवासी भाग क्योंकि उस क्षेत्र से बहुत अधिक था जिसका कि उस अधिकारी को अधिकार था, उसे अनुपाती किराया देने को कहा गया था। तथापि आदेश को रोक लिया गया है और मामले की फिर से जांच हो रही है ।

कांगड़ा और मंडी जिलों की डाक

†१३६९. **श्री हेम राज :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा जिला (पंजाब) तथा मंडी जिला (हिमाचल प्रदेश) को जो डाक भेजी जाती है वह पठानकोट रेलवे स्टेशन पर जमा हो कर पड़ी रहती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक अगले दिन भेजी जाती है तथा विभिन्न इलाकों में चौथे या पांचवें दिन पहुंचती है।

(ग) क्या सरकार डाक के शीघ्र पहुंचने की व्यवस्था करने के लिये नागरोटा बगवान में एक आर० एम० एस० सार्टिंग कार्यालय खोलना चाहती है और यदि हां, तो कब; और

(घ) क्या इसके लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**डाक और तार विभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) और (ख). स्थिति की व्याख्या करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६३१/६३]**

(ग) नहीं। जांच करने के बाद मालूम हुआ है कि नागरोटा बगवान में एक आर० एम० एस० सार्टिंग कार्यालय खोल कर डाक शीघ्रता से नहीं पहुंचाई जा सकती ।

(घ) हां ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों का वार्षिक सम्मेलन

†१३७०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जून के दूसरे सप्ताह में मद्रास में हुए प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों के ३२वें वार्षिक सम्मेलन में क्या अवलोकन/सिफारिशें की गई ; और

(ख) उन्हें देखते हुये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) प्रमुख सिफारिशों का सार देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १६३२/६३**]

(ख) सिफारिशें मद्रास सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक के विचाराधीन हैं जिन्होंने सम्मेलन समवेत किया था। बैंक के विचार प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

डीजल तथा बिजली के इंजन

†१३७१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डीजल तथा बिजली के इंजनों के निर्माण में भारतीय रेलों द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १६३३/६३**]

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा वायुयान

†१३७२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों की यह राय है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को यात्री यातायात के लिये डगोटा वायुयानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिय; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार का रुख क्या है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल राज्य में पर्यटन

†१३७३. **श्री प० कुन्हन :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में केरल सरकार को राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) किन योजनाओं के लिये सहायता दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० १६३४/६३]

कोचीन एक्सप्रैस की कार से टक्कर

†१३७४. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास जाने वाली कोचीन एक्सप्रैस १० मई, १९६३ को एक कार से टकरा गई थी जिस के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति मर गया तथा दो घायल हुये ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जांच समिति की उपपत्तियों के अनुसार दुर्घटना इस कारण हुई थी कि कार के ड्राइवर ने गाड़ी को आता हुआ देख कर समपार को पार करने की कोशिश की जिस पर कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं था । कार के ड्राइवर को असावधानी तथा लापरवाही से कार चलाने के लिये दोषी ठहराया गया है ।

अशोधित तेल (क्रूड ऑयल) के आयात के लिये नया नौवहन समवाय

†१३७५. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कलकत्ता के फिलिप्स पेट्रोलियम तथा डन्कन ब्रदर्स ने, जो कोचीन के तेलशोधक कारखाने में भारत सरकार के भागीदार हैं, तेलशोधक कारखाने तक आयात किया हुआ अशोधित तेल (क्रूड आयल) लाने के हेतु छः टैंकर चलाने के लिये एक नया नौवहन समवाय की संयुक्त रूप से एक योजना बनाई है तथा सरकार की अनुमति मांगी है ?

†परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): जी हां । दो समवायों अर्थात् डन्कन ब्रदर्स तथा फिलिप्स पेट्रोलियम ने तेल शोधक कारखाने तक अशोधित तेल के आयात के लिये टैंकर चलाने के हेतु ४० प्रतिशत विदेशी सहयोग के साथ एक नया नौवहन समवाय बनाने के लिये आवेदन-पत्र भेजा है ।

गन्ने का रोग

†१३७६. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की फसलों का काफी हानि पहुंचाने वाले कीट 'तेराई बोरर' पर विशेषतः उत्तर प्रदेश तथा बिहार में, नियंत्रण कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस कीट के उन्मूलन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा पंजाब और दक्षिण के गन्ना उगाने वाले अन्य राज्यों की ओर इसका फैलाव रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) यद्यपि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के राज्य कृषि तथा गन्ना विभागों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं फिर भी नाशिकीट को पूरी तरह से नियंत्रण में लाना संभव नहीं हो सका है ।

(ख) इस नाशिकीट के विरुद्ध कोई भी रासायनिक नियंत्रण उपाय अभी तक सफल नहीं पाये गये हैं । एक यंत्रीकृत विधि अर्थात् जल परोह को हटाने की सिफारश की जा रही है । भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में "बोरर" की प्रवृत्ति के अध्ययन तथा नियंत्रण के लिये लगभग ३ लाख रुपये की लागत वाली एक समन्वित योजना स्वीकार की गई है ताकि जिस क्षेत्र में यह नाशिकीट पहले ही फैला हुआ है वहां इसे नियंत्रण में लाया जाय और भारत के उत्तर तथा दक्षिण दोनों में नये क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिये उपाय किये जायें ।

राजस्थान में भेड़ें

१३७७. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान से बढ़िया किस्म की ऊन बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो अच्छी किस्म की ऊन वाली भेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) (१) राजस्थान में पैदा हुई ऊन अधिकतर टाट या मोटी किस्म की ऊनी माल तैयार करने के काम आती है । परन्तु राजस्थान की इस किस्म की ऊन में सुधार करने के लिये फार्मों में तथा राज्यों में स्थापित विस्तार केन्द्रों में सुविशिष्ट प्रजनन से काम लिया जाता है ।

(२) इस समय बड़िया और घटिया किस्म की ऊन को मिलाकर कार्पेट वूल के तौर पर बेचा जाता है । परन्तु राजस्थान में श्रेणीकरण केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है ताकि तुलनात्मक दृष्टि से बढ़िया ऊन को अलग किया जा सके और उसे और अच्छी किस्म के ऊनी माल तैयार करने के काम में लाया जा सके ।

(३) जम्मू तथा काश्मीर आदि समशीतोष्ण पर्वतीय क्षेत्रों में, पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इत्यादि तथा दक्षिण पठार के पश्चिमी भागों में स्थानीय भेड़ों तथा रेमबौलेट (ramboullet) आदि विदेशी भेड़ों के संकरण से बढ़िया किस्म की ऊन वाली भेड़ों का विकास किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेवे

१३७८. श्री हेम राज :
श्री युद्धवीर सिंह चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० से लेकर १९६२ तक देश में मेवों का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) देश को इस विषय में आत्म-निर्भर बनाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) मेवों के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए भारत में अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । फिर भी, १९६० से लेकर १९६२ तक काजू के दानों का उत्पादन ९०,००० टन हुआ । इस अवधि में पंजाब राज्य के कुलू जिले में अन्य प्रकार के मेवों का उत्पादन २१४ टन रहा ।

(ख) देश में फलों (जिन में मेवे भी शामिल हैं) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्न-लिखित उपाय अपनाए गए हैं :—

(१) फल उत्पादन के विकास के लिए तीसरी योजना की स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारें फल उत्पादकों को नए फलोद्यान लगाने के लिए ३०० रुपये प्रति एकड़ (पहाड़ी इलाकों के लिये ५०० रुपये प्रति एकड़) दीर्घ-कालीन ऋण और पुराने फलोद्यानों को फिर से सुधारने के लिए ६५ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अल्प-कालीन ऋण देती हैं ।

(२) कुछ राज्यों में फलों के क्षेत्र तथा उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से फलोद्यान एवं नर्सरीज़ और गार्डन कालोनीज़ की स्थापना के लिये विकास योजनायें मंजूर की गई हैं।

(३) विभिन्न राज्यों में काजू के विकास के लिए योजनायें प्रगति पर हैं।

(४) कुछ राज्यों में मुन्नक्का-अंगूर, और अखरोट के लिए अनुसन्धान योजनायें मंजूर की गई हैं।

आंध्र में नलकूप

†१३७९. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि परीक्षात्मक नल कूप संगठन द्वारा आन्ध्र प्रदेश में बनाये गये कुछ नलकूपों को पिछले दो वर्षों से इस्तेमाल नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके लिये कौन उत्तरदायो है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**:(क) परीक्षात्मक नल कूप संगठन ने भू-जल अनुसन्धान के दौरान आन्ध्र प्रदेश में १५ परीक्षात्मक सुराख खोदे हैं ; इन में से ११ सुराख सफल रहे और उन्हें उत्पादन नलकूपों में परिवर्तित कर दिया गया और राज्य सरकार को उसके इस्तेमाल के लिये सौंप दिया गया था । तब से राज्य सरकार

---

†मूल अंग्रेज़ी में

ने ४ नलकूपों का उपयोग किया है तथा धौलेश्वरम् में एक नलकूप के लिये सिंचाई के हेतु कोई 'अयाकूट" नहीं है । इसे पास की एक औद्योगिक बस्ती के लिये इस्तेमाल करने का प्रश्न राज्य सरकार के परीक्षाधीन है।

(ख) और (ग). आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुसार, जो नल कूप के इस्तेमाल के लिये उत्तरदायी है, इन नलकूपों के उपयोग में बिलम्ब कई कारणों से हुआ है जैसे कि 'अयाकूट" का निर्धारण, पम्पघरों का निर्माण, बिजली के संभरण के लिये लाइनों की अधिष्ठापना. विद्युत् शक्ति का दिया जाना, रैयत से लिये जाने वाले पम्पिग प्रभारों का निर्धारण आदि । तब से राज्य सरकार ने पम्पिग प्रभारों के निर्धारण बनाये रखने के लिये नलकूपों को पंचायतों/समितियों को सौंपने आदि के लिये आदेश जारी कर दिए हैं। पम्प घरों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और नलकूपों के शीघ्र विद्युतीकरण के लिये भी राज्य सरकार द्वारा उपाय किये जा रहे हैं? काम की इन मदों के पूरा होते ही शेष ६ नलकपों के चालू हो जाने की आशा है ।

पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, नागपुर

†१३८०. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय नागपुर से भोपाल ले जाने के प्रस्ताव में और विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्ताव के कब तक कार्य रूप में आने की संभावना है ?

†**डाक और तार विभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सेंट्रल सर्विस के मुख्यालय को नागपुर से भोपाल तब ले जाया जायेगा जब भोपाल में कार्यालय तथा रहने की जगह उपलब्ध होगी।

अगिया घास की खेती[1]

†१३८१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में अगिया घास की खेती सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: केरल राज्य में क्रियान्विति के लिये १ अप्रैल, १९५७ से ५ वर्ष की अवधि के लिये जिसे बाद में ३१ मार्च, १९६६ तक बढ़ा दिया गया है अगिया घास के सुधार की एक योजना भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा स्वीकृत की गई थी ।

उपर्युक्त योजना के अधीन ओडक्कली, केरल, में एक अगिया घास अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया गया था जिसका प्रयोजन वर्तमान किस्मों की तुलना में अधिक उपज वाली सुधरी हुई

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Lemon Grass.

किस्में तैयार करना हैजिनमें सिट्राल (Citral) की मात्रा अधिक होगी। उर्वरकों तथा सुधरी हुई संवर्धन रीतियों के प्रति घास की प्रतिक्रया क्या होती है, इसका भी वहां अध्ययन किया जा रहा है। अब तक किये गये प्रयोगों से एक सुधरा हुआ प्रभेद (ओ० डी० १९) अलग किया गया है। सुधरे हुये प्रभेद से स्थानीय किस्म की तुलना में तेल की लगभग १०० प्रतिशत अधिक उपज होती है। अग्रेतर पुष्टिकारक प्रयोग हो रहे हैं। जोते गये खेतों में सुधरे हुये इस प्रभेद से एक प्रदर्शनात्मक प्रयोग भी किया जा रहा है।

किराये की इमारतों में डाक घर

१३८२. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ डाक घर किराये के मकानों में चल रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में किराये के मकानों में कितने डाकघर हैं और हर साल उनका कितना किराया देना पड़ता है ?

डाक और तार विभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी हां।

(ख) १३४।

१,७३,०६४ रु० २८ न० पै०।

चीनी का नियंत्रित मूल्य

१३८३. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युनाइटेड शुगर मिल वर्क्स फेडरेशन ने विभिन्न क्षेत्रों में चीनी की वतमान नियन्त्रित दरों में संशोधन की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है ;

(ग) क्या उत्तर भारत में, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश से चीनी मिलों को हटा कर गुजरात, आंध्र प्रदेश, मद्रास, तंजोर, केरल और पांडिचेरी में लगाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) शर्करा उद्योग और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों से अभ्यावेदन मिलने पर १९ जुलाई, १९६३ से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार कारखानों के लिए शर्करा के कारखाने से चलते समय के भाव में एक रुपया प्रति मन या लगभग रु० २/७० प्रति क्विन्टल की वृद्धि कर दी गयी थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई वाली भूमि

१३८४. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ७ जून, १९६३ के **ईस्टर्न इकोनोमिस्ट** में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि सन् १९४९-५० में कुल १७.६ प्रतिशत भूमि में सिंचाई होती थी और १९५८-५९ में १७.८ प्रतिशत भूमि में ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी अवधि में बिहार राज्य में सिंचाई वाले क्षेत्र में ९ हजार एकड़ की कमी हो गयी ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा०राम सुभग सिंह):(क) जी हां । परन्तु इस अवधि में नेट बुवाई का क्षेत्र २८३२ लाख एकड़ से बढ़कर ३२४१ एकड़ तक और नेट सिंचाई-गत क्षेत्र ४९८ लाख एकड़ से बढ़कर ५७८ लाख एकड़ हो गया है ।

(ख) और (ग). १९४९–५० में बिहार में सिंचाईगत क्षेत्र ५१३६ हजार एकड़ और १९५८–५९ में ५०९० हजार एकड़ था । साधारणतया किसी राज्य में किसी विशेष वर्ष में वस्तुतः कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है यह उस वर्ष में होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है । बिहार के बारे में एक और अतिरिक्त बात भी ध्यान में रखनी है और वह आंकड़ों को रिकार्ड करने के तरीकों में परिवर्तन के कारण १९४९–५० और १९५८–५९ के बीच की अवधि में आंकड़ों की तुलना न करना है ।

वन क्षेत्रों की हानि

†१३८५. **श्री प्र० के० देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाधीनता के बाद अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन, नदी घाटी परियोजनाओं तथा पुनर्वास योजनाओं के कारण कितने वन समाप्त हो गये हैं ;

(ख) राज्यवार कितनी हानि हुई है; और

(ग) पौदे लगाने और वन बढ़ाने के लिए राज्यवार और कितने एकड़ भूमि ली गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग २,२३९.८१५ वर्ग मील के वन समाप्त हो गये हैं और लगभग ८९,४२४ एकड़ के नये क्षेत्रों में निम्नानुसार वनरोपन किया गया है :—

राज्य/संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र का नाम	समाप्त क्षेत्र (वर्ग मीलों में)	वन लगाये गये क्षेत्र (एकड़ में*)
नेफा . .	कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है	
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह .	२७.४००	शून्य
मनीपुर .	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	३.९७०	शून्य
दिल्ली .	०.२३०	शून्य *संरक्षित
पांडिचेरी .	शून्य	शून्य सुरक्षित
मध्य प्रदेश (नया)	३५.८३०	शून्य अवर्गित
त्रिपुरा .	५.०००	शून्य तथा
केरल	६३.०२५	शून्य गैर सरकारी
राजस्थान . .	१५१.३१०	६,००० वनों के
पश्चिमी बंगाल .	१,२१४.०००	५३,७६० बाहर रोपण
मद्रास . . .	७.२२०	२०,६९७.६० के लिए
गुजरात (मई, १९६०) . .	५७.९५०	१,२८६.४० लिये गये
उड़ीसा . . .	२४०.८८०	५,१२० नये क्षेत्र
बिहार . . .	४३३.०००	२,५६०

†मूल अंग्रेजी में

अदालती स्टाम्पों की बिक्री

†१३८६. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अदालती स्टाम्पों को डाकघरों में बेचने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†डाक और तार विभाग के भारसाधक मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) डाकघरों में अदालती स्टाम्प बेचने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । फिर भी, १-११-१९६२ से केवल दिल्ली में कुछ डाकघरों में डाक तथा अदालती स्टाम्पों के अलावा कुछ और स्टाम्प भी बेचे जाते हैं ।

(ख) जनता को अधिक सुविधा देने के लिए दिल्ली प्रशासन की प्रार्थना पर यह बिक्री आरम्भ की गई है ।

पश्चिमी तट सड़क

†१३८७. श्री अ० व० रावत्तन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र माही में पश्चिमी तट सड़क का रेखांकन निश्चित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सड़क रेखांकन का क्या ब्योरा है ;

(ग) क्या माही में या उसके पास कोई नया सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो सड़क पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). आजकल पश्चिमी तट सड़क माही नगर होकर जाती है । केरल सरकार नगर के बाहर पश्चिमी तट सड़क के एक भाग के रूप में सड़क बनाने का एक प्रस्ताव तैयार कर रही है ।

(ग) प्रस्तावित सड़क के निर्माण में माही नदी पर एक पुल का निर्माण भी शामिल है । माही नगर के पास माही नदी के आर पार एक रेगुलेटर भी बनाने का विचार है । सड़क-पुल को रेगुलेटर से मिलाने की सम्भावना की आजकल जांच पड़ताल हो रही है। माही बाई-पास का वास्तविक निर्माण पुल और रेगुलेटर के लिए चुने गये स्थान पर निर्भर होगा ।

(घ) माही में बाई-पास बनाने पर १६ लाख रु० व्यय होने का अनुमान है और नये पुल पर लगभग ६ लाख रु० व्यय होंगे ।

पंचायती राज्य संस्थायें

†१३८८. श्री राम रतन गुप्त : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने चण्डीगढ़ में यह वक्तव्य दिया था कि पंजाब में पुलिस पंचायती राज संस्थाओं के विरुद्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस टिप्पण का आधार क्या है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) और (ख). संघ मंत्री (सामुदायिक विकास तथा सहकार) ने ८ जुलाई, १९६३ को चण्डीगढ़ में पंजाब

---

†मूल अंग्रेजी में

की जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों के सभापतियों की बैठक में भाग लिया था। विचार विमर्श के समय बहुत से प्रतिनिधियों ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्य संचालन में पुलिस तथा राजस्व विभागों के अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप करने की शिकायत की थी। बाद में अपने प्रेस सम्मेलन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए संघ मंत्री, पंचायती राज निकायों के सभापतियों द्वारा की गई इस आलोचना का उल्लेख किया ।

छोटी लाइन कांगड़ा घाटी सेक्शन का पुनः मार्ग रेखा निर्धारण

†१३८९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री १९ फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे की छोटी लाइन कांगड़ा घाटी सेक्शन के पुनः मार्ग रेखा निर्धारण के काम में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** इस पुनः सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। आशा है कि परियोजना की रिपोर्ट और प्राक्कलन अक्तूबर, १९६३ के अन्त तक पूरे हो जायेंगे। क्षेत्र में वास्तविक निर्माण राज्य सरकार से सूचना मिलने और उसके लागत स्वीकार करने के बाद आरम्भ किया जा सकता है।

भगीरथी नदी पर पुल का गिरना

†१३९०. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ जुलाई, १९६३ के राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४ का भगीरथी पर बन रहा पुल गिर गया ;

(ख) क्या उस पुल के गिरने का कारण यह था कि निर्माण या प्रयुक्त सामग्री या डिजाइन दोषयुक्त था ;

(ग) क्या पुल के गिरने के कारणों की केन्द्रीय सरकार के इंजीनियरों ने कोई जांच पड़ताल की है ; और

(घ) गिरने से कितनी वित्तीय हानि होने का अनुमान है ;

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी नहीं। खगराघाट की ओर के एक दर का कुछ भाग गिरा था।

(ख) और (ग). निम्नांकित अधिकारियों की एक समिति पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दर के गिरने की कारणों की जांच करने के लिए पहिले ही नियुक्त की जा चुकी है।

(१) श्री टी० मित्र, आई० एस० ई० (सेवानिवृत) सभापति

(२) श्री वी० कण्डास्वामी, अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सदस्य

(३) श्री आर० पी० वसु चौधरी, उप-मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग . . . ,,

(४) श्री बी० मित्र, निदेशक, नयी अनुसंधान संस्था, पश्चिमी बंगाल . . . . . ,,

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) यह दुर्घटना पुल के पूरा होने से पहले और उसे सरकर द्वारा अपने हाथ में लिये जाने से पहले हुई, इस कारण हानि ठेकेदार द्वारा किये गये काम और उसके माल की हुई। पुल के गिरने से कितनी हानि हुई, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

गजरौला नजीबाबाद लाइन

१३९१. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गजरौला नजीबाबाद ब्रांच लाइन पर मंडी धनौरा और चांदस्याऊ के मध्य के तीन हाल्टों में कहीं स्टेशन बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) इस पर कब तक अन्तिम निर्णय होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

पालम हवाई अड्डा

†१३९२. **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और वे कब पूरी हो जायेंगी।

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां।

(ख) पालम हवाई अड्डे पर विद्यमान टर्मिनल बिल्डिंग में कुछ हेरफेर करने के लिए पिछले वर्ष ८७,३८,००० रु० का प्राक्कलन स्वीकार किया गया था। प्राक्कलन की मुख्य बातें निम्न हैं।

(१) एक अलग डिपार्चर लाउंज ;

(२) एक और सीमा शुल्क कक्ष ;

(३) एक अलगत ट्रांजिट हाल।

(४) एक पार्सल, आदि लेने तथा भाड़ा कक्ष।

(५) दर्शक स्थान ;

(६) दफ्तर के लिये और स्थान ;

(७) स्वच्छता तथा जल संभरण व्यवस्था में सुधार ; और

(८) बिजली-सुविधाओं में हेरफेर।

---

†मूल अंग्रेजी में

आशा है कि कार्य आरम्भ होने से लगभग १८ मास में पूरा हो जायेगा।

शार्क लिवर आयल

†१३९३. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शार्क-लिवर आयल की कितनी वार्षिक आवश्यकता है ; और

(ख) क्या शार्क लिवर आयल बनाने के लिए सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में कोई परियोजना प्रारम्भ की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) देश में शार्क लिवर आयल की वार्षिक आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है। फिर भी, भारत में विटामिन 'ए', की, जिसके लिए शार्क लिवर आयल प्रयोग होता है, पर्याप्त आवश्यकता है और इसका आधार यह माना गया है कि जिसको भी उस तेल की आवश्यकता होती है उसे यह मिल जाता है या वह खरीद लेता है। अनुमान यह है कि एक करोड़ किलोग्राम तेल (एक ग्राम में ६,००० आई० यू० शक्ति वाला) की आवश्यकता होगी।

(ख) राज्य सरकारों के काजीकोड, त्रिवेन्द्रम और बम्बई में शार्क लिवर आयल के तीन कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त गुजरात, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और लक्कदीव में कवराती द्वीप में अनेक छोटे-छोटे एकक हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक व्यक्ति तथा कम्पनियां शार्क लिवर आयल बनाते हैं। यह काम गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में होता है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेल गाड़ियों का पटरी से उतरना

†१३९४. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल १९६३ से आजतक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पहाड़ी सेक्शन (बदरपुर–लमडुंग) पर रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनायें हुई हैं ; और

(ख) इन्हें रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १ अप्रैल, १९६३ से ३१ जुलाई, १९६३ तक रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की नौ घटनायें हुईं।

(ख) (१) पहाड़ी सेक्शन पर जाने वाले सभी माल की भारी जांच की जाती है। लमडुंग–बदरपुर पहाड़ी सेक्शन के यात्री डिब्बों तथा वैगनों की जांच तथा रखरखाव के विशेष नियमों का कड़ा पालन किया जाता है।

(२) सभी स्प्रिंग चैम्बरों को नापा जाता है और नाप-तोल लिखी जाती है।

(३) गाड़ियों का सुरक्षित चलना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी पहाड़ी सेक्शन पर माल की अचानक जांच करते हैं।

(४) स्थायी मार्ग को बनाये रखने के लिए पर्याप्त अनुदेश पहले से ही हैं और इनका कड़ा पालन होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीकी ऋतु अनुसन्धान विमान

†१३९५. श्री प्र० के० देव : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात का पता लगाने में अमरीकी ऋतु अनुसंधान विमान कहां तक सफल रहा है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने उपरोक्त विमान प्राप्त कर लिया है, और

(ग) यद हां, तो उसका क्या मूल्य है ?

†परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) अमरीकी मौसम विभाग के डीसी-६ ऋतु अनुसंधान विमान ने २२ और २४ मई, १९६३ को अरब सागर में एक उष्णकटिबन्धीय चक्रवात का सफलतापूर्वक पता लगाया। यह चक्रवात के केन्द्र में घुस गया और उसके स्थान तथा केन्द्रीय दबाव एवं, केन्द्र के चहुंओर चक्कर काटती हुई चक्करदार हवाओं की शक्ति निर्धारित की।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मोटर रेलवे कोच

†१३९६. श्री प्र० के० देव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के रेलवे डिब्बा बनाने के कारखाने में मोटर रेलवे कोच बनाये गये हैं ; और

(ख) ये 'कोच' कब और कहां प्रयोग किये जायेंगे ; और

(ग) इन डिब्बों की निर्माण लागत क्या है ?

†रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां। मद्रास में रेलवे डिब्बा बनाने के कारखाने में हाल में बड़ी लाइन एक प्रोटोटाइप २५ के० वी० ए० सी० बड़ी लाइन का मल्टिपल यूनिट मोटर कोच हाल में बनाया गया है। इसमें आयात किया हुआ सामान लगा है। आजकल बन रहे ऐसे चार डिब्बों में से यह सर्वप्रथम है ।

(ख) प्रोटोटाइप मोटर कोच की आसनसोल क्षेत्र में जांच होगी और फिर उसे सियालदह घाटी पर रखो ।

(ग) मोटर-कोच बनाने पर वस्तुतः लागत का अनुमान नहीं लगाया गया है । परन्तु एक कोच के निर्माण का अनुमानतः लगभग ७.७ लाख रु० है । इस राशि में ट्रेकशन का सामान भी शामिल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भण्डार क्षमता[1]

†१३९७. श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की भण्डार क्षमता का लक्ष्य ४० लाख टन होते हुए अब तक १३ लाख टन भण्डार क्षमता बनाई गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि किसान लोग भाण्डागारों का अधिकतम प्रयोग नहीं कर रहे हैं ;

(ग) कितने भाण्डागार खाली पड़े हैं या किसान लोग उनका पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि व्यापारी लोग इन भाण्डागारों का प्रयोग करते हैं और कुछ स्थानों पर किसानों को यह सुविधा नहीं दी जाती ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) केन्द्रीय संचित खाद्य के लिए सरकार के भाण्डागारों की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित क्षमता ३० लाख टन है [और १-८-१९६३ को यह क्षमता लगभग १६,६२,००० टन थी ।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य भाण्डागार निगम किसानों को भाण्डागार सुविधायें देते हैं । किसान लोग केन्द्रीय भाण्डागार निगम की भाण्डागार क्षमता का १० प्रतिशत प्रयोग बे-मौसम और १६ प्रतिशत प्रयोग मौसम में कर रहे हैं ।

(ग) केन्द्रीय भाण्डागार निगम का कोई भी भाण्डागार खाली नहीं पड़ा और न ही कोई भाण्डागार का पूरा प्रयोग किसानों द्वारा किया जाता है ।

(घ) व्यापारी तथा किसान दोनों ही भाण्डागारों का प्रयोग करते हैं । अगर जगह हो तो किसानों को कुछ भी मना नहीं किया जाता अपितु उन्हें प्राथमिकता दी जाती है ।

मैसूर में कृषि विश्वविद्यालय

१३९८. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो यह विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इस पर कितना रुपया व्यय किया जायेगा और इसमें कितना रुपया केन्द्र सरकार द्वारा दिया जायेगा और कितना राज्य सरकार द्वारा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख).

---

†मूल अंग्रजी में

[1]Storage capacity.

जी हां, अपने राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बारे में मैसूर सरकार का एक प्रस्ताव है ।

(ग) अभी तक राज्य सरकार ने खर्चे के पक्के अनुमान नहीं भेजे हैं । यदि केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की योजना को स्वीकार कर लिया और इसे मैसूर राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया तो इसे केन्द्रीय क्षेत्र से २५ लाख रुपये तक अनुदान मिल सकेगा और यह राशि राज्य योजना की सीमा से बाहर होगी ।

प्रतिरक्षा श्रम बैंक

†१३९९. **श्री दे० जी० पटनायक :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री बड़े :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६३ के अन्त तक प्रतिरक्षा श्रम बैंकों में कितनी प्रगति हुई ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) :** राज्य सरकारों तथा संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों की रिपोर्टों के अनुसार प्रतिरक्षा श्रम बैंकों के लिए ६६७.९३ लाख काम के घण्टे दिये गये हैं । ये ९.८९ लाख रु० के नकद दान के अलावा हैं । इन आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६३५/६३]**

अब तक भूमि के कृष्यकरण, खुदाई तथा खेतों में नालियों के निर्माण, मत्स्यपालन तथा मुर्गीपालन के विकास, चारा तथा ईंधन के पेड़ लगाने, इमारतों, सड़कों आदि के निर्माण तथा रखरखाव, खाद के गड्ढों का खोदना, कुआं खोदना, सूखी खेती, बन्ध निर्माण सहित भूमि रक्षण जैसे प्रोग्रामों पर ६३.१३ लाख काम के घन्टे प्रयोग हुए हैं ।

दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रैस

†१४००. **श्री प्र० के० देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ जुलाई, १९६३ को दिल्ली–अहमदाबाद एक्सप्रैस लाइन से उतर गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) यदि इस दुर्घटना में कोई जान गई तो कितनी जानें गईं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) दुर्घटना २६-७-६३ को हुई थी ।

(ख) दुर्घटना स्थल पर स्विच रेल और स्टाक रेल में एक बाधा के कारण ट्रेप प्वाइन्ट ठीक से बन्द नहीं हुआ था ।

(ग) शून्य ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे साइडिंग

†१४०१. **श्री ह० चं० सौय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी खान मालिकों तथा राज्य व्यापार निगम को किस आधार पर रेलवे साइडिंग दिये जाते हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** रेलवे साइडिंग के निकटवर्ती स्थान उन पार्टियों को दिये जाते हैं जो कि रेलवे द्वारा परिवहन के लिये वाणिज्य सामान देने की स्थिति में होते हैं । प्लाट यातायात की मात्रा तथा माल की किस्म को देख कर दिये जाते हैं । गैर-सरकारी पार्टियों तथा राज्य व्यापार निगम के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है तथापि निर्यात व्यापार और इस्पात संयंत्रों के सामान को पूर्व-वर्तिता दी जाती है ।

†मालगुजारी की वसूली

१४०२. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की ग्राम पंचायतों को मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निश्चित धनराशि मालगुजारी वसूली के सिलसिले में पंचायतों को दी जायेगी और

(ग) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) व (ख). जी हां ।

(ग) मालगुजारी की वसूली की गई रकम का ५ प्रतिशत पंचायतों को मेहनताने के रूप में दिया जाएगा ।

अमरीका से चावल का आयात

†१४०३. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका भारत को अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये १५०,००० टन चावल देगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह किस समझौते के अधीन दिया जा रहा है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). मई १९६० में किये गये पी० एल० समझौते के अधीन चावल के लिये जो राशि दी जानी थी उनसे १० लाख टन चावल प्राप्त होना था । यह समझौता ४ वर्ष तक अर्थात जून १९६४ को समाप्त होना था । जिनमें से प्रति वर्ष २.५ लाख टन चावल का आयात किया गया । अमरीकी वित्त वर्ष जुलाई १९६३ से जून १९६४ तक की कुल मात्रा को ध्यान में रख कर यह तय किया गया था कि भारत की तत्काल मांग को पूरा करने के लिये १५,००० टन चावल १९६३ के अंत तक उपलब्ध किया जायेगा । इसमें से पहिले ही २०,००० टन जहाज द्वारा लादा जा चुका है तथा अवशेष १३०,००० टन दिसम्बर १९६३ तक जहाज द्वारा भेज दी जायेगी ।

बिजली से चलने वाले रेलवे इंजन

†१४०४. श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च १९६३ तक डी० सी० किस्म के बिजली से चलने वाले कितने रेलवे इंजन बने हैं ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने उन्हें ए० सी० में बदलने का निश्चय किया है ;

(ग) यदि हां, उन्हें कितना बदल दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, क्या इस बदलाव के आर्थिक पहलू पर भी विचार किया गया है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १४

(ख) डी० सी० बिजली से चलने वाले रेलवे इंजिनों को ए० सी० में बदलने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल में लेवल क्रासिंग

†१४०५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या रेलवे मंत्री २० नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे प्रशासन को इस संबंध में पश्चिम बंगाल से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है कि वे बेलघोरिया, सोदेपुर तथा बैरकपुर लेवल क्रासिंग में ऊपरी पुल कब तक बनाना चाहते हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का उत्तर प्राप्त हुआ है ।

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिपुरा में खाद्य उत्पादन

†१४०६. श्री विश्राम प्रसाद : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि ।

(क) त्रिपुरा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा तीसरी योजना के दो वर्षों में खाद्य उत्पादन के क्या लक्ष्य रखे गये ;

(ख) उन लक्ष्यों में कितनी प्राप्ति हुई है ; और

(ग) खाद्य उत्पादन में कुल कितना व्यय किया गया ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग).

वर्ष	खाद्य उत्पादन के लक्ष्य (टन)	लक्ष्य के अधीन प्राप्ति (टन)	वृद्धि के अधीन व्यय (रु०)
द्वितीय पंचवर्षीय योजन			
	. १०,००० (चावल) ५,००० (मछली)	९८१२ (चावल) २४३ (मछली)	४८,३८,०००
१९६१-६२	. २,३०० (चावल) १२५ (मछली)	२३०० (चावल) ९९ (मछली)	१२,७५,०००
१९६२-६३	. ४,३०० (चावल) १५० (मछली)	३,५०० (चावल) १०८ (मछली)	२३,४६,०००

†मूल अंग्रजी में

मेलात्तूर-फेरोक रेलवे लाइन

†१४०७. श्री कोया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल में रेलवे लाइनों का निर्माण कर रही है ;

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनायी जाने वाली रेलवे लाइनों की सूची में मलातूर-फेरोक रेलवे लाइन भी शामिल कर ली गई है ?

†रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

सिसवा में भैंसालोटन तक रेलवे लाइन

१४०८. डा० महादेव प्रसाद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गोरखपुर जिले में सिसवा से भैंसालोटन तक रेलवे लाइन बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस रेलवे लाइन के कब तक बन जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं। बिहार सरकार के कहने पर केवल प्रारंभिक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई है। इसका खर्च बिहार सरकार देगी।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

वन रोपण

†१४०९. { श्री ह० प० चटर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री बदरुद्दुजा :
श्री न० प्र० यादव : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने क्षेत्र में वनारोपण किया गया और

(ख) महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में वनरोपण की गति तीव्र करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क)

एकड़ों में

राज्य का नाम	वनारोपण के अधीन लाया गया क्षेत्र		योग
	राज्य योजनाओं के अधीन	केन्द्र द्वारा लागू योजना	
१	२	३	४
१. आंध्र प्रदेश	२५,६५०	१३,६१०	३९,२६०
२. आसाम	११,८२५	९,०७५	२०,९००
३. बिहार	६७,०००	६,७४०	७३,७४०
४. गुजरात	७७,८१०	३,०२५	८०,८३४
५. जम्मू तथा काश्मीर	७,५००	५,७७५	१३,२७५
६. केरल	६४,५००	२,८९०	६७,३९०
७. मध्य प्रदेश	४५,०००	३४,१००	७९,१००
८. महाराष्ट्र	६६,५३५	१३,४७५	८०,०१०
९. मद्रास	३८,५००	४,२६०	४२,७६०
१०. मैसूर	६४,०००	७,१५०	७१,१५०
११. उड़ीसा	८०,७५०	१३,३४०	९४,०९०
१२. पंजाब	१५,२००	२,७५०	१७,९५०
१३. राजस्थान	४३,१००	८,८००	५१,९००
१४. उत्तर प्रदेश	५६,०००	७,९७५	६३,९७५
१५. पश्चिम बंगाल	७,६२५	२,४७५	१०,१००
१६. अंदमान	६,०००		६,०००
१७. हिमाचल प्रदेश	७,०००	२,०६०	९,०६०
१८. मनीपुर	२,७५०		२,७५०
१९. त्रिपुरा	८,०००		८,०००
२०. नेफा	६,०००		६,०००
२१. नागालैंड	७९५		७९५
जोड़	७,०१,५४०	१,३७,५००	८,३९,०४०

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त आंकड़े शीघ्र उगने वाली नस्ल के पौधों के बारे में केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी योजना और आर्थिक दृष्टि से पौधे लगाने की राज्य की वनीकरण योजना के अन्तर्गत बनारोपण से सम्बन्धित हैं। राज्यों में अन्य दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत भी बनारोपण किया गया है, यथा, फार्म बनारोपण, अवनत वनों को पुनः विकसित करना चारगाह और चराई का विकास भूमि संरक्षण योजनायें आदि।

माचिस की लकड़ी के पेड़ लगाने के लिये ५० प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देती है, आर्थिक दृष्टि से लाभ पर अन्य पौधे लगाने के लिये १०० प्रतिशत तक ऋण दिया जाता है और शीघ्र बढ़ने वाली नस्लों के पेड़ों को लगाने के लिये १०० प्रतिशत तक विभिन्न सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें राज्य पौधा रोपण योजनाओं के भी अंशदान करती है। इस बात के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि उन्हें इस काम के लिये अपेक्षित सामग्री उपलब्ध करायी जाये आवश्यकता होने पर राज्यों को आवश्यक तकनीकी परामर्श भी दिया जाता है। विदेशों में बीज प्राप्त करने के प्रयत्न की किये जाये रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व उड़ीसा की सरकारों ने भी इन सुविधाओं का लाभ उठाया है। वनारोपण के कार्य को सहायता प्रदान करने के लिये इन राज्यों द्वारा अपनायी गयी पद्धतियों अथवा प्रयत्नों के बारे में जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

प्रपत्रों का अनुवाद

१४१०. श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री कछवाय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन अनुसन्धान संस्था और कालेज, देहरादून, से सम्बन्धित फार्मों में से अब तक कितने फार्म केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय अथवा विधि मंत्रालय को हिन्दी अनुवाद के लिये भेजे जा चुके हैं ; और

(ख) जो फार्म शेष रहे हैं, उनके भेजने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (ा० राम सुभग सिंह) : (क) २३३।

(ख) कोई भेजना बाकी नहीं है। देर होने का प्रश्न नहीं होता।

टेलीफोन एक्सचेंज, कलकोला

†१४११. श्री प० का० भट्टाचार्य : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकोला पश्चिम बंगाल के लिये पचास लाइनों वाले एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की मंजूरी दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस कार्य के लिये कोई भवन किराये पर लिया गया है; और विभाग बराबर इसका किराया दे रहा है ?

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज अब तक न लगने के क्या कारण हैं ?

(घ) कब तक इसके लगाये जाने की सम्भावना है ?

†डाक और तार विभाग के भार साधक मंत्री (श्री अ० कु० सैन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां—१-७-६३ से

(ग) और (घ). *सेक्स टेलीफोन प्रणाली की स्थापना का कार्य स्थगित कर दिया गया है; क्योंकि बिजली संभरण की स्थिति निश्चित नहीं है अतः ५० लाख लाइन वाला मेग्नेटो एक्सचेंज लगाया जा रहा है। यह काम १९६३ में अक्तूबर के अंत तक पूरा हो जायेगा।

दुग्ध संभरण योजना

†१४१२. श्री डी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध संभरण योजना का आगामी शरद ऋतु में दूध के संभरण की मात्रा दुगुनी कर देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, इस प्रयोजन के लिये कितनी रकम नियत की गई है; तथा योजना की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं। दिल्ली दुग्ध संभरण योजना आगामी शरद काल में ५००० मन प्रतिदिन दूध संभरण पाने का लक्ष्य बना रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नये सर्विस टिकट

१४१३. श्री माते :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी प्रयोग के लिये कोई नया १० नये पैसे वाला सर्विस टिकट निकालने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ये टिकट कब निकाले जायेंगे और आरम्भ में ये किन खजानों में उपलब्ध होंगे ; और

(ग) ये टिकट किस उद्देश्य से जारी किये जा रहे हैं ?

डाक और तार विभाग के भार साधक मंत्री (श्री अ० कु० सैन) : (क) तथा (ख)—१० न० पै० का नया सरकारी डाक-टिकट पहले से ही २० अगस्त, १९६३ को चालू कर दिया गया है और इस टिकट की सप्लाई अब सभी सरकारी खजानों में उपलब्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Sar.

(ग) यह टिकट इसलिये चालू किया गया ह क्योंकि १ मई, १९६३ से लागू बुक-पोस्ट की नई दरों, साथ ही सरकारी विभागों द्वारा निजी तौर पर छापे गये अन्तर्देशीय पत्र-कार्डों पर डाक-टिकट लगाने के लिये इसकी आवश्यकता थी।

सिलचर शिलांग रोड पर पुल

†१४१४. श्री नि० रं० लास्कर : क्या परिवहन मंत्री दिनांक २ मार्च, १९६३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुमा पर पुल के कार्य में क्या प्रगति हुई ;

(ख) सिलचर शिलांग मार्ग के पामी बदरपुर सेक्शन की अन्य तीन बड़ी नदियों पर पुल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ; तथा

(ग) क्या इन पुलों के निर्माण में विदेशी मुद्रा की कमी बाधक हो रही है यदि हां, तो इन कठिनाइयों का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत सरकार ने अक्तूबर, १९५७ को लुमा नदी पर एक पुल के निर्माण की अनुमति दी गई। उपयुक्त ठेकेदारों के न मिलने के कारण निर्माण कार्य मंजूरी के तत्काल बाद शुरू नहीं किया जा सका। आसाम सार्वजनिक निर्माण विभाग को यह कार्य करने के लिये एक फर्म की अनुमति मिल गई है। सितम्बर, १९६२ को ठेका दे दिया गया। निर्माण कार्य करने की आरम्भिक व्यवस्था की जा चुकी है। आशा है वास्तविक कार्य मानसून के तत्काल पश्चात् आरम्भ हो जायेगा।

(ख) अन्य तीन पुल यथा गुमरा, आफा बलेश्वर के पुलों के प्राक्कलन अगस्त, १९५६ अक्टूबर, १९५८ तथा अगस्त, १९५५ को मंजूर किये जा चुके हैं। गुमरा पुल काफी बन चुका है। अन्य पुलों के सम्बन्ध में आरम्भिक व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार से इन दोनों पुलों का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करने को कहा गया है।

(ग) अलफा और लुमा पुलों के बनने की अनसूचित तारीख क्रमशः जून, १९६५ और दिसम्बर, १९६५ थी। एक प्रस्ताव यह था कि इन पुलों को १.७८ लाख रुपये अतिरिक्त व्यय कर, जिनमें ५०० पौंड की विदेशी मुद्रा भी शामिल थी, एक वर्ष पहिले समाप्त कर दिया जाये। तथापि सभी पहलुओं पर गौर करने के उपरांत प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया।

जवार का मूल्य

†१४१५. श्री दे० शि० पाटिल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जवार का न्यूनतम मूल्य निश्चित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न राज्यों में और भिन्न-भिन्न स्थानों पर क्या न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार जवार का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिं) : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) १९६३-६४ की फसल के लिये जवार की पीली किस्म के लिये न्यूनतम मूल्य ८ रुपये ५० नये पैसे प्रति मन या २२ रुपये ७८ न० पै० प्रति क्विन्टल और सफेद किस्म के लिये ६ रुपये प्रति मन या २४ रुपये १२ न० पै० प्रति क्विन्टल निर्धारित किये गये हैं। ये मूल्य दोनों प्रकार की अच्छी औसत किस्म के लिये हैं।

(ग) इस समय जवार के न्यूनतम मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

चीनी का उत्पादन

१४१६. श्री रामेश्वरानन्द : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे; कि

(क) क्या सरकार चीनी के अधिक उत्पादन के लिये कोल्हू (जिनसे गन्ना पेरा जाता है) पर कोई पाबन्दी लगाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों के काम पर पाबन्दी लगाने से भविष्य में गन्ने के उत्पादन में कमी हो जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) सरकार शर्करा उत्पादन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये शर्करा कारखानों और अन्य शर्करा निर्माता एककों को समान आधार पर गन्ने की सप्लाई का नियमन करने के लिये उपायों तथा साधनों पर विचार कर रही है। ऐसा करते समय गन्ना उत्पादकों के हित और भविष्य में इस नियमन से गन्ने की उपज पर पड़ने वाले प्रभाव का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा।

पोडानूर में सिगनल तथा दूर संचार वर्कशाप

†१४१७. श्री प० कुन्हन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगनल तथा दूर संचार वर्कशाप पोडानूर में क्वार्टरों का आवंटन नियम-बाह्य किया जा रहा है तथा इस संबंध में कोई नियम नहीं बने हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये वर्क्स मैनेजर ने कालोनी कमेटी में सदस्य नियुक्त किये हैं ; और

(ग) क्या वहां के कामगर इस समिति के विरुद्ध हैं और निर्वाचित समिति चाहते हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सिगनल और दूर संचार वर्कशाप पोडानूर में कोई नियमबाह्य आवंटन नहीं किया गया। 'अनिवार्य' कर्मचारियों को दूसरों से पूर्ववर्तिता दी जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

ओलावाकोट में रेलवे स्कूल

†१४१८. श्री प० कुन्नन : क्या रलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के ओल्वाकोट विभाग के रेलवे स्कूल में अनुसूचित जाति का कोई अध्यापक है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो अनुसूचित जाति के अध्यापकों की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

†रलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) दो ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं उठते ।

मैसूर के लिए उर्वरक

†१४१९. श्री मो० लिन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मैसूर को हमेशा आवश्यकता से कम उर्वरकों का संभरण होता रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन में उठाने के लिये डिब्बों की कमी के कारण भी मद्रास की मांग पूरी होने में कठिनाई हुई है ; और

(ग) क्या मैसूर सरकार ने यह अनुरोध किया है कि गोआ, करवार और मंगलौर में उर्वरकों को उपलब्ध किया जाये जिससे कि राज्य में सरलता से उर्वरकों का संभरण किया जा सके ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का उत्पादन उपयुक्त मात्रा में नहीं होता है तथा उनके आयात पर भी प्रतिबंध है इसलिये सभी राज्य सरकारों, जिनमें मैसूर भी शामिल है, द्वारा की गई एमोनिया, यूरिया और एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की मांग सामान्यतः पूरी नहीं की जा सकती है । तथापि देश में एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का उत्पादन राज्य सरकारों की मांग पूरी करने को काफी है । चालू वर्ष में यूरिया के आयात की उपयुक्त व्यवस्था होने के कारण उनकी मांगों को पूरा कर सकना संभव हो सकेगा ।

(ख) सामान्यतः मद्रास पत्तन में माल डिब्बे कम उपलब्ध होते हैं, मद्रास से मैसूर के लिये यातायात बंगलौर से आगे प्रतिषेधित रहता है । तथापि मद्रास पत्तन में मैसूर को दिये जाने वाल सल्फेट आफ एमोनिया और यूरिया का एक अंश ही आता है ।

(ग) जी हां । राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया है कि उन्हें उर्वरक करवार और मंगलौर पत्तनों में उपलब्ध किया जाये । इन पत्तनों से तथा मर्मगोआ से उर्वरक के आयात पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूना बंगलौर एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

†१४२०. **श्री मो० सिन** : क्या रेलवे मंत्री १० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर पटरी में तोड़फोड़ करने का तथाकथित आरोप था जिसके फलस्वरूप पूना-बंगलौर एक्सप्रेस पटरी से उतर गयी थी, उसके विरुद्ध कोई आरोप पत्र भेजा गया है ;

(ख) क्या रेलवे के पुलिस सर्किल आफीसर द्वारा इस संबंध में अग्रेतर जांच की गयी तथा उसने अपना प्रतिवेदन न्यायिक अधिकारी, हुबली को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) क्या उसके प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी और

(घ) इस मामले में अग्रेतर क्या कार्यवाही की गयी ?

† **रलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शानवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) रेलवे प्रशासन को अभी तक न्यायिक न्यायाधीश, हुबली के प्रतिवेदन की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) इस मामले में कोई रेलवे कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त नहीं है अतः रेलवे प्रशासन द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दक्षिण रेलवे में काम करने वाले खलासी

†१४२१. **श्री मो० सिन :**
श्री बसंत राव पाटिल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे (हुबली विभाग) के कुडची खंड में कुछ खलासी पिछले १० वर्षों से निरंतर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या उन्हें अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

† **रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शानवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को श्री एस० गुरुस्वामी की दुःखद मृत्यु की सूचना देता हूं । उनका २ सितम्बर, १९६३ को ६० वर्ष की आयु में मद्रास में देहान्त हो गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गुरुस्वामी १९४६-४७ में केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे ।

सभा उनकी मृत्यु पर शोक प्रगट करने के लिये कुछ देर मौन खड़ी होगी ।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे ।

सभापटल पर रखा गया पत्र

वणिक नौवहन अधिनियम, १९५८ के अधीन अधिसूचना

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: मैं वणिक् नौवहन अधिनियम १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १३ जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११८७ में प्रकाशित नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १६२५/६३]

वित्तीय समितियां १९६२-६३—(एक समीक्षा)

सचिव : मैं सभा पटल पर वित्तीय समितियां, १९६२-६३—(एक समीक्षा) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय**: सभा अब श्रीमती चन्द्रशेखर द्वारा २ सितम्बर, १९६३ को सभा में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी :—

> "कि यह सभा वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के दसवें और ग्यारहवें प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः १५ जून, १९६२ और १६ अगस्त, १९६३ को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है ।"

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : कल सभा पटल पर नेफा की जांच के संबंध में प्रतिवेदन रखा गया था । मैं सरकार तथा प्रतिरक्षा मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वे स्वयं इस पर विचार करने का प्रस्ताव रखें जिससे हमें उस पर चर्चा के लिये दो दिन मिल सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य मुझे लिख कर दे देंगे तो अधिक अच्छा रहेगा । वे मुझे लिख कर दे देवें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो दो रिपोर्टें हमारे सामने हैं उन के विषय में बहुत से महानुभाव मेरे पहले बोल चुके हैं। इन रिपोर्टों को चार विभागों में विभक्त किया जा सकता है। एक जो सरकार की तरफ़ से है, एक जो कमिश्नर की तरफ़ से है, एक जो जनता से सम्बन्धित है और एक जो नेताओं से सम्बन्धित है। मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान पहले इस बात की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जो कि विशेषकर जन नेताओं से सम्बन्धित है, और जिस का रिपोर्ट में उस प्रकार से जिक्र नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए। कल से मैं देख रहा हूं कि चाहे वे कांग्रेस दल के सदस्य हों अथवा विरोधी दल के, वे केवल कमिश्नर की कमजोरियों को बतलाने की कोशिश करते हैं या उस का इल्जाम सरकार के ऊपर लगाते हैं। लेकिन जो काम उन का स्वयं का है, उस के बारे में वह उतना जिक्र नहीं करते। आज बहुत-सी बातें हैं जिन के सम्बन्ध में हम कहते हैं कि हरिजनों और आदिवासियों को अभी तक समाज में स्थान नहीं मिला है, जैसे घोड़े पर चढ़ने का प्रश्न है, विवाहोत्सव में या उन को समानता देने का प्रश्न है, इस के ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत काफ़ी नहीं हो सकती है। उस में कुछ जन सहयोग की आवश्यकता होती है। मुझे आश्चर्य होता है इस बात पर कि विशेषकर हमारे कांग्रेस दल के लोग, जिन्होंने अपने दल की सदस्यता के विधान में भी लिखा हुआ है कि उन के कर्मठ सदस्य को अछुतोद्धार का पालन करने की आवश्यकता है, नियम है उस में शराबबन्दी आदि के सम्बन्ध में भी; फिर वे लोग इस तादाद में होते हुए भी, जैसा कि वे कहते हैं कि उन का संगठन देशव्यापी है, ग्राम-ग्राम में उन के मंडल हैं, उस को कामयाब करने में सफल नहीं हो पाते। इस का रहस्य क्या है, इस का वास्तविक रहस्य यह है कि यह लोग या तो स्वयं उस में विश्वास नहीं करते या वे यह आवश्यक नहीं समझते कि कानून बनने के बाद वे उस में कुछ कड़ाई दिखायें। मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह प्रवृत्ति बहुत घातक है। लेकिन कानून बनने से काम नहीं चल सकता जब तक कि हम लोग उस कानून का पालन करवाना अनिवार्य न बनायें। इस मामले में केवल कमिश्नर और उन का जो शासन प्रबन्ध है वह काफ़ी नहीं हो सकता है। अपितु इस के लिये जरूरी है कि जो जनता के नेता लोग हैं वे सामने आयें।

कल मैं देख रहा था कि श्री म० ला० वर्मा कह रहे थे कि हमारे कुछ सज्जनों ने इधर से आवाज लगाई कि आज भी यह सब बातें हो रही हैं। यह ठीक है कि यह बात हो रही है। लेकिन इस की जिम्मेदारी किस के ऊपर है? इस की जिम्मेदारी केवल सरकार के ऊपर नहीं है, इस की जिम्मेदारी हम सब पर है। आज एक ऐसी प्रवृत्ति हो चली है कि जो लोग अनुसूचित जातियों या हरिजनों से सम्बन्धित हैं, उन के प्रतिनिधि के रूप में यहां आये, वे शायद यह समझते हैं कि उन की बातों में ज्यादा वजन है, वे ही इस बारे में ज्यादा फिक्र मन्द हैं और दूसरे लोग फ़िक्र करना छोड़ चुके हैं। जब कि वास्तव में इस काम की शुरुआत भी सवर्णों से हुई और आज भी बहुत से सवर्ण लोग इस काम में दत्तचित्त से लगे हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : अगर यह बात होती है तो इस समय सदन में उनकी तादाद इतनी कम न होती।

श्री काशीराम गुप्त: जहां तक तादाद का प्रश्न है, यह सदन का स्वभाव है कि जो लोग किसी विषय में दिलचस्पी नहीं रखते हैं वे उठ कर चले जाते हैं। किस-किस बात की आप फिक्र करेंगे। इस हाउस में यह रोजमर्रा देखते हैं। यह किसी एक बात के लिए नहीं कहा जा सकता। यह हमारा स्वभाव बन गया है कि प्रश्नोत्तर के बाद सदस्य उठ कर चल जाते हैं।

मैं निवेदन करूं कि कुछ ऐसे काम हो गए हैं कि उनका नतीजा उलटा हो गया है। मिसाल के तौर पर राजस्थान में बहुत बड़े हिस्से में हरिजन लोग खाल रंगने का काम करते थे। उस काम को हरिजनों ने छोड़ दिया, और छोड़ा इसलिए कि उनके नेताओं ने उनको बताया कि यह बहुत गन्दा काम है और इसको नहीं करना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि उन लोगों को दूसरा काम तो मिला नहीं, वे गरीब होते चले गए, और उस काम को दूसरे लोगों ने हथिया लिया और पंचायतों ने उनको उसके लिए ठेके देने शुरू कर दिए। लेकिन यह बात इस रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। मालूम होता है कि जो कुछ नीचे के कर्मचारी लिख कर भेज देते हैं उसी को अफसर स्वीकार कर लेते हैं। आज भी यही अवस्था है। जो लोग अपना पेशा छोड़ देते हैं और उनको दूसरा पेशा नहीं मिलता, तो उससे बड़ी मुसीबत पैदा होती है और उन लोगों को लाभ नहीं होता।

इसी प्रकार से जमीन का सवाल है। भूमिहीनों का प्रश्न है। भूमिहीन हरिजन भी हैं और गैर हरिजन भी हैं। लेकिन हम भूमिहीन हरिजनों को प्राथमिकता इसलिए देते हैं कि बहुत लम्बे अरसे से वे बहुत दबे रहते आए हैं, अन्यथा गरीबी की हालत में तो दूसरे भी हैं। लेकिन अब उनके लिए एक अड़चन पैदा हो गयी है। वह यह कि जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से यह हो गया है कि जो फौज में काम करने वाले हैं उनको जमीन मिलेगी। लेकिन जमीन रबड़ तो है नहीं जो बढ़ जाए। तो अब सवाल पैदा हो गया है कि पहले हरिजनों को मिले या फौजी लोगों को मिले। इस विषय में कमीशन चुप है। वह समझती है कि नीति अभी निर्धारित की गयी है। वास्तव में यह नीति तो पहले से निर्धारित है अब जरा जोर से इस पर अमल होने लगा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा न होने का परिणाम यह हो रहा है कि कहीं पर तो हरिजन मारे मारे फिर रहे हैं और कहीं पर फौजी लोग मारे मारे फिर रहे हैं। इस बारे में स्पष्ट नीति की घोषणा होनी चाहिए।

सन् १९७० तक जो भी सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने की आवश्यकता है, किन्तु यह तेजी दिखायी नहीं दे रही है और हमारे कमिश्नर बहुत-सी बातों को राज्य सरकारों के सिर पर थोप देते हैं, और राज्य सरकारें इस काम को क्यों नहीं कर पातीं इसके बारे में कुछ नहीं कहते : क्या कारण है कि जब कि राज्य में भी कांग्रेस की ही सरकारें हैं फिर भी इस काम में लापरवाही करती हैं। अगर राज्य में कांग्रेस से भिन्न सरकारें होतीं तब तो यह लापरवाही समझ में आ सकती थी। लेकिन अब तो इस लापरवाही के कारण में जाना बहुत आवश्यक है।

रिपोर्ट में पहले पृष्ठ पर लिखा है कि एक और असिसटेंट कमिश्नर की जरूरत है। होम-मिनिस्ट्री भी इससे सहमत है किन्तु सरकार नहीं मान रही है। इस छोटी सी बात के लिए सरकार क्यों नहीं मान रही यह एक अद्भुत बात है और इस बारे में कमिश्नर साहब कुछ विशेष बता नहीं सके हैं।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि इन लोगों की आर्थिक और सामाजिक अवस्था सुधरे इसमें तो कोई दो मत हो ही नहीं सकते। किन्तु जहांतक पढ़ाई का प्रश्न है उसके बारे में हमारे बहुत से भाइयों ने चर्चा की है और इन लोगों को ऊंची नौकरियों में न लिए जाने की जो शिकायत है वह सही है। आपको देखना होगा कि अगर वे ऊंची नौकरियों के लायक योग्य नहीं हो पाए हैं और उनके लिए आगे नहीं बढ़ पाए हैं तो उसकी क्या वजह है। वे लोग आगे बढ़ें इसके लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। इनमें जो अच्छे और होनहार लड़के हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए यह सोचना चाहिए। वे अपने आप आगे आ सकें यह सम्भव नहीं है। सरकार यह कहती है कि जो आगे आवेंगे उनको देख लेंगे अन्यथा नहीं। वास्तव में बात यह है कि जो पिछड़े

[श्री काशी राम गुप्त]

वर्ग के लोग हैं वे स्वयं अपने बच्चों को आगे नहीं ला सकते। उनको विशेष व्यवस्था करके आगे बढ़ाना होगा। इस प्रकार का प्रयास जरूरी है, और ऐसा होगा तभी इन लोगों की उन्नति हो सकेगी। और इनकी यह शिकायत दूर हो सकेगी कि वे ऊंची नौकरियों में नहीं लिए जाते।

मैं एक और बात की ओर खास तौर पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हरिजनों के जो लड़के मैट्रिक पास हो गए हैं वे काफी तादाद में नौकरियों के योग्य हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलतीं। राजस्थान में साढ़े १२ प्रति शत स्थान उनके लिए सुरक्षित हैं लेकिन उनको भी भरने में आनाकानी हो जाती है। इसमें भी कुछ रहस्य है। कुछ लोगों के असर होते हैं और कुछ लोग उसका नतीजा दूसरा निकाल लेते हैं।

एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। राज्यों में यह प्रवत्ति है कि जो लोग किसी जाति विशेष के होते हैं वे यही समझते हैं कि केवल उनके प्रतिनिधि ही उन में दिलचस्पी रखते हैं दूसरे नहीं। यह प्रवत्ति बहुत बढ़ गयी है। अगर कोई मिनिस्टर है तो वह सोचता है कि जिस जाति से वह सम्बन्धित है उसके लोगों से ही उसको मतलब है। यह प्रवत्ति घातक है। और इसको दूर करना आवश्यक है।

अन्त में मैं यह निवेदन करूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यल्ड ट्राइब्स में भी आपस में भिन्नता है, व आपस में भी ठीक तरह नहीं मिलते हैं और हम इस समस्या को हल करने में नाकामयाब रहे हैं। हमने कई स्थानों पर उनके लिए अलग कुंए बनवाए। लेकिन नतीजा यह हुआ कि फिर भी जाति पांति बनी रही। यह नहीं हुआ कि सवर्ण उनके कुंवों पर आते और वे सवर्णों के कुंवों पर जाते। मेरा विचार है कि यह काम केवल कानून से नहीं होगा। इसके लिए तो पंचायतों को, पंचायत समितियों को और राजनीतिक दलों को मिल कर काम करना चाहिए तभी इसम कामयाबी हो सकेगी।

इस रिपोर्ट में बहुत सी बात संगठन से सम्बन्धित हैं। बहुत सी बातें राजनीतिक दलों से सम्बन्धित हैं और बहुत सी बातें नेताओं से सम्बन्धित हैं। मैं नेताओं से अपील करूंगा कि वे पहले अपने कर्तव्य को निभाने का प्रयास करें। वे ऐसा करेंगे तभी हरिजनों की उन्नति हो सकेगी, अन्यथा नहीं। केवल कानून से उन्नति नहीं हो सकती।

†श्री नि० रं० लाइकर (करीमगंज): हम अनुसूचित जातियों के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत दसवें और ग्यारहवें प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं; इस प्रतिवेदन के द्वारा सरकार को पता लगता है है कि देश भरमें अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की प्रगति के लिये क्या क्या किया गया। अतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें इस प्रतिवेदन का पूरा पूरा महत्व समझें तथा इसे उचित मान्यता प्रदान करें क्योंकि अनुसूचित जातियों संबंधी योजनायें राज्य सरकारों द्वारा ही क्रियान्वित की जाती हैं। यदि राज्य सरकारें इसमें सन्निहित सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं करेंगी तो इस प्रतिवेदन को बनाने में जो श्रम व्यय हुआ है वह भी व्यर्थ जायेगा।

यह प्रसन्नता की बात है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को ऊंचा उठाने में राज्य आगे आ रहे हैं। अधिकांश राज्य केन्द्र से इस कार्य में पूरा सहयोग कर रहे हैं?

जहां तक इन वर्गों में शिक्षा का संबंध है, इसमें कुछ प्रगति हुई है, तथापि उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति वही है और उनका शोषण पहिले की तरह किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न सेवाओं में उन्हें अपेक्षित संख्याओं में नहीं रखा जा रहा है, यह तर्क करना सदैव ठीक नहीं है कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इस वर्ग के उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में काफी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। निसंदेह वे इंटरव्यू में अधिकारियों को प्रभावित नहीं कर सके क्योंकि उनमें पिछड़ापन कुछ अंशों में विद्यमान था। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाये जिससे कि उन्हें अन्य उम्मीवारों के सामान स्तर पर आ सकें और चुने जायें। मेरा सुझाव है कि अनसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के सदस्यों को शिक्षा के समय सहायता दी जाये। उन्हें छात्रवृत्तियां ठीक समय पर दी जाये न कि वर्ष के अंत में जैसा कि आज कल किया जा रहा है। उनको छात्रवासों आदि में भी रहने की पूरी पूरी सुविधाम दी जायें।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की समस्या को राष्ट्रीय समस्या माना जाये तथा इसको सुलझाने के लिये कदम उठाये जायें। राज्यों को रिपोर्ट की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए और अधिक सक्रिय कदम उठाने को कहा जाये।

अंत में मेरा सुझाव है कि इस संबंध में किये गये कार्य का मूल्यांकन करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये।

सभापति महोदय: मेरे पास कोई ४० माननीय सदस्यों की फहरिस्त आ चुकी है जोकि बोलना चाहते हैं और अभी और भी चिट्स आ रही हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जितना संक्षेप में हो सके, बोलें और कम से कम वक्त में अपने भाषण समाप्त करें ताकि अधिक से अधिक मैम्बर्स को बोलने का मौका मिल सके।

श्री ओंकारलाल बेरवा (कोटा): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की सन् १९६०-६१ की रिपोर्ट आज पेश की जा रही है भले ही वह कोई तीन साल बाद पेश की जा रही है। लेकिन जहां मुझे उसके पेश किये जाने से प्रसन्नता है मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि मुझे इसका बड़ा दुःख है कि यह इतनी देर बाद क्यों पेश की गई। अगर और कोई रिपोर्ट रही होती तो शायद वह तभी उसी सेशन में रख दी गई होती और उस पर विचार समाप्त हो गया होता। इतनी देरी से उस रिपोर्ट को विचारार्थ रखना जाना साफ़ जाहिर करता है है कि सरकार इस ओर कैसी लापरवाही और उपेक्षा बर्तती है। अगर और कोई रिपोर्ट रही होती तो शायद उसी पीरियड में उस पर विचार कर लिया जाता। खैर देर से सो सही उस पर विचार तो शुरू हुआ और इस के लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि शडयूल्ड कास्ट वालों के जितने भी कानून बनाये जाते हैं वे सारे के सारे कागजों तक ही रह जाते हैं। मैंने एक प्रश्न भी किया था कि अस्पृश्यता के अपराध में अब तक कितने लोग पकड़े गये और कितने दंडित किये गये तो मुझे बतलाया गया कि जब से इसका कानून बना है तब से केवल १३ आदमी इसमें पकड़े गये हैं। उन पर कोई खास बड़ा जुर्माना वगैरह नहीं हुआ, केवल २, २ और ४, ४ रुपये जुर्माना करके उनको छोड़ दिया गया। मेरा निवेदन है कि अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स वाले उन्नति करें और आगे बढ़े तो इस अस्पृश्यता सम्बन्धी कानून को सख्ती से कमल में लाया जाय ताकि लोग छुआछूत करने से डरें और जब इस कानून का कठोरता के साथ पालन होगा तभी लोग छुआछूत व अस्पृश्यता बर्तने से रुकेंगे अन्यथा नहीं।

[श्री ओंकारलाल बेरवा]

इसके अतिरिक्त जितनी भी उनको छात्रवृत्तियां मिलती हैं और दूसरे विकास कार्य किये जाते हैं वे सब शहरों के अन्दर ही होते हैं। छात्रवृत्तियां आदि शहरों तक ही सीमित रहती हैं। गांवों में, जहां पर पहाड़ी एरिया है, जंगल हैं, उनको कोई छात्रवृत्तियां नहीं मिलती हैं और उनका कोई उद्धार नहीं होता है। इस समय वे आटे की तरह पिस रहे हैं। पंचायत-राज स्थापित हुआ है, लेकिन पंचायतों में गुटबन्दी होने के कारण वे और भी ज्यादा पिसने लगे हैं। मान लीजिए कि केन्द्रीय सरकार ने एक लाख रुपया दिया। तो राज्य सरकार और पंचायतों के हाथ में जाते जाते वह एक हजार रह जाता है। वह सारा रुपया कपूर की तरह उड़ जाता है और उन बेचारों को उसमें से कुछ ही रुपया मिल पाता है।

जितनी भी कालोनीज बनी हैं, वे सारी की सारी अधूरी पड़ी हुई हैं। ब्यावर में कंजर कालोनी, कालेड़ा में आदिवासी कालोनी, रंगवाड़ी कोटा में भील कालोनी और कोटा-कैथून के पास रामगनर कालोनी, इन सब की यही स्थिति है। अगर मैं आप को शाहाबाद का थोड़ा हाल सुनाऊं, तो आप ताज्जुब करेंगे। माननीय मंत्राणी जी स्वयं देख कर आई हैं कि शाहाबाद में आदिवासियों का क्या हाल है। वहां पर गवर्नमेंट ने कम से कम एक करोड़ रुपया खर्च किया है। मैं स्वयं वहां पर देख कर आया हूं और मैं जानता हूं कि एक करोड़ रुपये के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। कल माननीय सदस्य, श्री वर्मा, ने कहा कि सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन मैं फिर भी यह कहता हूं कि एक करोड़ रुपये में से ५० लाख रुपये गायब कर दिये गए हैं। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच न्यायालय के द्वारा होनी चाहिए। अगर यह ५० लाख रुपये का घोटाला न निकला, तो मैं संसद् से त्यागपत्र दे दूंगा, वर्ना श्री वर्मा जो कहेंगे, वह मैं करूंगा।

मैंने खुद देखा है कि आदिवासियों के लिए १८६ कुएं खोदे गए हैं, जिन में से सिर्फ दो में पानी है और बाकी कुंओं में मिट्टी भी नहीं है। थोड़े थोड़े से गड्ढे खोद रखे हैं। एक जगह १०० कुएं खोदे गए हैं, लेकिन उनको तालाब में ले लिया गया है और कह दिया गया है कि ये तालाब में आ गए हैं। एक जगह उन के लिए ४८,००० रुपये का बांध बनाया गया है, लेकिन वहां पर ४८०० फ़ीट पत्थर भी नहीं है। मैंने चारों तरफ जा कर देखा है। परानियां में भी २२० मकान बनाए गए हैं, जिन पर २,३२,०२३ रुपये खर्च हुए हैं। वहां पर सिर्फ ७५ मकानों में आदमी रहते हैं और बाकी सारे वीरान पड़े हुए हैं। वे मकान भी धंसने वाले हैं। अगर मैं आप को उन लोगों और बच्चों का फ़ोटो दिखाऊं, तो आप को पता चलेगा कि वे क्या पहने हुए हैं और उनकी क्या दशा है। माननीय सदस्य, श्री वर्मा, यहां पर कहते हैं कि उनका बड़ा उद्धार किया गया है, लेकिन उन के बदन पर कपड़े भी नहीं हैं।

माननीय मंत्राणी जी उन को देखने के लिए गई थीं। मैंने उनको टेलीफोन किया कि अगर आप जांच करने के लिए आई हैं, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि मैं जांच के लिए नहीं आई हूं। लेकिन मुझे शक था कि वह जांच के लिए गई हैं, क्योंकि जिन के नेतृत्व में वह काम हुआ है, अर्थात् ब्रह्मदत्त जी, वह उनके साथ थे, राजस्थान के मंत्री, श्री मनसाभाई, उनके साथ थे और दूसरे भी सारे के सारे प्रचारक उनके साथ थे। यहां पर इस तरह का ड्रामा होता है। हर जगह

ऐसा ही ड्रामा होता है। कहीं कंजर सम्मेलन हो रहा है, कहीं आदिवासी सम्मेलन हो रहा है, कहीं अछूत सम्मेलन हो रहा है, कहीं दलित वर्ग कल्याण संघ है और कहीं हरिजन संघ है। इन के द्वारा पैसे से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन श्री वर्मा कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है और हमने उन्नति की है।

वहां पर जो लोग कत्थे का व्यापार करते थे, उनकी सहकारी समिति बनाई गई। सरकार ने उनको ६०० रुपये की जगह २०० रुपये दिये और कहा कि हम सहकारी समिति में आप को ठेका दे देंगे। लेकिन साल भर का कत्था उन्हीं आदमियों ने कलकत्ता के बाज़ार में एक लाख अस्सी हजार रुपये में बेचा और आदिवासियों से कह दिया कि कत्था चोरी हो गया। ऐसी ऐसी घटनायें वहां पर हुई हैं।

उनके जो महुवे के पेड़ थे, जिनसे वे गुजारा करते थे, उनको कटवा दिया गया। उन पेड़ों को कटवाने से वे लोग न तो खेती कर सकते हैं और न मज़दूरी कर सकते हैं। आज वे बेचारे मांग मांग कर खाते हैं और बर्बाद हो रहे हैं?

सौ, डेढ़ सौ आदमियों को पत्थर तोड़ने के लिए मुंगावली गांव से बुला कर लाया गया। उनको दो दो जगह ज़मीनें दे दी गई, लेकिन दोनों जगह उनको बैलों के लिए रुपया न दिया गया और न ही तकावी आदि दी गई, जिस के कारण वे बर्बाद हो कर वापिस चले गए। जिन २०० मकानों में उनको रखा गया था, अब वे भी वीरान पड़े हुए हैं। वहां पर कुछ भी नहीं है।

१,२८,००० रुपये का एक बांध बना, जिससे सिर्फ़ ११०० बीघा ज़मीन की सिंचई होती है। किशनगंज के पास ही ५७,००० रुपये का एक अलग बांध बनवाया गया। उसके दोनों तरफ़ के किनारे टूट गए हैं। तीन दफा वह बांध बन चुका है लेकिन आने के लिए रास्ता नहीं है। एक ही बारिश होने से वह नाला भर जाता है। चूंकि वे किशनगंज नहीं आ सकते हैं, इसलिए वे भूखों मरते हैं।

एक जगह ६६० मकान बनाए गए। फ़ोटो में ऐसा दिखाई देता है कि बिल्कुल चबूतरे, बरांडे, लेट्रिन और बाथरूम वगैरह ठीक बनाए गए हैं, लेकिन अगर मौके पर जा कर देखा जाये तो पता चलता है कि खजूर की चटाई चारों तरफ लगा कर लैट्रिन और बाथरूम बना रखा है। एक एक मकान की कीमत १२०० रुपये उनके सिर पर मढ़ दी गई है। उन बेचारों को जो बैल दिये गए हैं, वे ऐसे हैं कि अगर गर्मी में बच जायें, तो बारिश में मर जायें और अगर बारिश में बच जायें, तो सर्दी काटना मुश्किल हो जाये। इस अवस्था में वे खेती किस तरह से कर सकते हैं? मैं स्वयं यह सब कुछ देख कर आया हूं। इस तरह का खिलवाड़ उन आदिवासियों के साथ किया जा रहा है। अगर मंत्राणी जी वहां पर जांच करने के लिए जाना चाहें, तो मैं उनके साथ चल कर यह बताने के लिए तैयार हूं कि उन लोगों के साथ कैसा अत्याचार किया गया है।

उस भ्रष्टाचार की जांच ज़रूर होनी चाहिए। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, आज वे लोग मोटरों में घूमते फिरते हैं और उन्होंने हवेलियां बनाई हुई हैं। वहां के बी०डी०ओ० और वेलफेयर आफ़िसर, सारे के सारे, इस भ्राष्टाचार में शामिल हैं। रोज के बखरे करते हैं। और रोजाना उद्घाटन होते हैं। यह हालत शिडयूल्ड कास्ट्स और आदिवासियों की वहां पर हो रही है। माननीय मंत्राणी जी स्वयं जा कर देखें।

श्री काशी राम गुप्त : बिना साझ के भ्रष्टाचार नहीं होता है।

श्री ओंकारलाल बेरवा : बिल्कुल।

कोटा कैथून के पास रामनगर कालोनी बनाई गई है। उस कालोनी में १०० मकान बनाने का सुखाडिया जी ने आश्वासन दिया। उन १०० में से सिर्फ़ २५ मकान बनवाए गए। उन २५ में भी पांच तो बन चुके हैं, पांच की फ़ाउन्डेशन भरी पड़ी है, पांच की फ उन्डेशन खुद रही है, पांच पट्टियां के लैबल तक हैं और पांच पर पट्टियां पड़ी हैं। इन के लिए ६८,००० रुपये उन गरीबों के माथे मढ़ दिये गए हैं। १९,००० रूपये से एक ट्रैक्टर साया गया है, जो कि खेत में पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है कि मुझे उठा कर ले जाओ। उन बेचारों ने कह दिया कि ट्रैक्टर के पैसे हमें बताओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हम ने कोटा के तहसीलदार से कहा कि यह सारा रुपया खाया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए कि वह रुपया किस तरह खर्च किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम देखते हैं कि रुपया कपूर की तरह उड़ जाता है, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं होती है।

इस ग़रीबी का नाजायज़ फ़ायदा विदेशी ईसाई मिशनरी उठाते हैं। वे उन लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं और हर साल हज़ारों ईसाई बनाये जाते हैं। हमारे उन भाइयों को सरकार की ओर से कोई हैल्प नहीं मिलती है, जिस की वजह से दूसरे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन लोगों को ईसाई होने से बचाया जाये। महात्मा गांधी ने कहा कि जिस का धर्म बदल जाता है, उसकी राष्ट्रीयता बदल जाती है। राष्ट्रीयता बदलना तो दूर रहा, उन लोगों को इस बारे में सहायता दी जाती है। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि उन लोगों को जितनी सहायता दी जा सकती है और जितनी सहायता दी जानी चाहिए, वह दी जानी चाहिए। कमिश्नर की रपोर्ट में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ऐसा इन्तज़ाम करना चाहिए कि वास्तव में जितना पैसा उनको मिलना चाहिए, वह उन को मिले।

सरकार ने उन लोगों को सुविधा देने के लिए मकान बनाने के लिए ७५० रुपये दिये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे के सारे मकान अधूरे पड़े हुए हैं और एक बारिश भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ७५० रुपये में पूरा मकान नहीं बन सकता है।

पंद्रह रुपये की छात्रवृत्ति लड़कों को होस्टल में दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि पंद्रह रुपये तो कोई भला आदमी दो दिन में पान सिगरेट पर फेंक देता है। वे बेचारे पंद्रह रुपये से कैसे गुज़ारा करें? इसके अतिरिक्त उनको होस्टल में खाना और साग-सब्ज़ी अच्छी नहीं मिलती है। सस्ती और घटिया चीज़ें उन को दे दी जाती हैं। मैंने एक ऐसा आश्रम देखा, जिस में शिड्यूल्ड कास्ट्स के अंधे और लंगड़े लूले आदमी पड़े रहते हैं। उसके आसपास ऐसा जंगल सा बना हुआ है कि अगर वे न भी मरते हों, तो बिच्छू के काटे से मर जायें। वहां सफ़ाई का कोई इन्तज़ाम नहीं है। जब सरकार कोई धर्म का काम करती है, तो इसका इन्तज़ाम भी उस को करना चाहिए कि उन लोगों को उचित सहायता और सुविधा मिले। मैं सुझाव दूंगा कि इस बारे में कोई समिति कायम की जाये, जो इन सब बातों की देख भाल करे, ताकि उन लोगों को सही मात्रा में पैसा मिल सके। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि जितनी भी सहायता सरकार हरिजनों के उत्थान के लिए दे, वह इस बात की व्यवस्था करे कि वह सही रूप में उनको मिले।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं

श्री मौर्य (अलीगढ़) : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मुझे बिल्कुल ठीक तौर पर मालूम तो नहीं है, लेकिन बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि डिप्टी मिनिस्टर महोदया जो यहां बैठी हैं, मेरे विचार में वह हिन्दी बिल्कुल नहीं समझती हैं। जब ऐसी परिस्थिति है, तो . . .

कुछ माननीय सदस्य : अच्छी तरह से समझती हैं।

श्री मौर्य : मेरा विश्वास है कि हिन्दी पूरी तरह से नहीं समझती हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई और . . . .

अध्यक्ष महोदय : जब सब माननीय सदस्य कहते हैं कि वह समझती हैं, तो आप ही मान जायें।

श्री मौर्य : अगर समझती हैं तो मैं बैठ जाता हूं लेकिन मेरा विश्वास है कि नहीं समझती हैं।

श्री कंछदाय (देवास) : हमें कहना चाहिये कि उत्तर हिन्दी में दें। (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय: अगर आप यह समझें कि सिर्फ स्पीकर ही हाउस में डिसिप्लिन रख सकता है तो यह नामुमकिन है। हर एक माननीय सदस्य को अपना फर्ज़ समझना होगा और तभी डिसिप्लिन रह सकेगा। हम ने सारे मुल्क के सामने एक आदर्श पेश करना है और इसके लिए मैं हर एक मेम्बर साहब की सहायता चाहता हूं और चाहता हूं कि हर एक मेम्बर अपनी जिम्मेदारी को समझे। उसे भी इस में कुछ हिस्सा डालना है। अगर आप, जो कोई भी कुर्सी में बैठा हो, उस पर छोड़ दें, तो आप विश्वास करें कि वह कोई भी हो, कभी भी डिसिप्लिन नहीं रख सकता है।

†**श्री बसुमतारी** (ग्वालपाड़ा) : हम एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं अतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को भी यह अधिकार होना चाहिये कि वे भी इस में प्रवेश करें।

सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के लिये कई समितियां नियुक्त कीं जैसे कि एलविन समिति, मूल्यांकन समिति और अन्त में ढेबर समिति, अब ढेबर समिति ने भी अपना प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया है। सभी समितियों ने लगभग एक जैसी ही सिफारिशें की हैं। तथापि जैसा कि इन प्रतिवेदनों से पता लगता है उन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया। न राज्य सरकारों ने ही इस मामले में उपयुक्त दिलचस्पी दिखायी।

जहां तक अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये संरक्षण का प्रश्न है जब तक वर्तमान सत्तारूढ़ व्यक्ति इस सम्बन्ध में निसंकोच रवया नहीं अपनाते हैं तब तक नौकरियों पर उपयुक्त संख्या में अनुसूचित जातियों के व्यक्ति नियुक्त नहीं हो सकेंगे। इस संवैधानिक उपबंध को क्रियान्वित करने के लिये जो बहाने किये जाते हैं वह यह हैं कि इन जातियों में उपयुक्त योग्यता के व्यक्तियों का अभाव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बसुमतारी]

मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। इस से इन्हें उपयुक्त स्तर तक पहुंचने में सहायता मिलेगी।

दुख की बात यह है कि आदिम जातियों के विकास खंडों के लाभ उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंचते हैं जिन व्यक्तियों को ये लाभ मिलने चाहियें।

केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि इन समुदायों के कल्याण के लिये लम्बी चौड़ी राशि व्यय की जाये। जो भी धन व्यय किया जाये उसे बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से किया जाये तथा शिक्षा, चिकित्सा आदि के बारे में उचित प्रबंध किया जाये।

यह आवश्यक है कि आदिम जाति के सदस्यों को शोषण से बचाया जाये। सब से अत्यावक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन व्यक्तियों को शिक्षा तथा रोजगार की सुविधायें प्राप्त हों। उन्हें स्वास्थ्य सम्बधी सुविधायें दी जायें तभी वे वास्तविक उन्नति कर सकते हैं।

†श्री **महेश्वर प्रसाद** (गया) : मैं केवल तीन बातें कहना चाहता हूं।

प्रथम तो यह है कि सरकार समस्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये भी शिक्षा के साधन निश्चित करे।

दूसरी बात यह है कि उन समुदायों के जो ग्रेजुएट सवर्ण जातियों की लड़कियों से विवाह करें या जो हिन्दू स्नातक लड़के इन जातियों में विवाह करें, उस लड़के या लड़की को आई० ए० एस० सेवा के लिये मनोनीत किया जाये।

यदि कोई मैट्रिक पास हिन्दू व्यक्ति किसी हरिजन लड़की या लड़के से शादी करे या कोई मैट्रिक पास हरिजन सवर्ण हिन्दू लड़के या लड़की से शादी करे तो उस हरिजन लड़के या लड़की को राज्य सिविल सर्विस के लिये मनोनीत किया जाये।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज दो वर्षों के बाद यह शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट इस सदन में बहस के लिये रक्खी गई है। पिछले साल ढेबर कमीशन की रिपोर्ट सितम्बर में आई लेकिन सितम्बर में भी उस पर बहस नहीं खत्म हुई, फिर नवम्बर में आई और अब जा कर उस पर बहस खत्म हुई। हमारी सरकार कहती है कि हम ने हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, हमारी सरकार के खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह तो हाथी के होते हैं।

श्री विश्राम प्रसाद : सरकार हाथी से कम नहीं है।

रिपोर्ट बनती है और उस में बड़े बड़े सेंटेंसेज़ लिखे जाते हैं लेकिन उन पर कहां तक अमल होता है इस को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

इस सदन में अक्सर बहुत से लोग महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हम उन के बताये हुए रास्तों पर चलते हैं। लेकिन मैं आपके जरिये सरकार से पूछना चाहता हूं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

महात्मा गांधी के सपने कहां तक पूरे हुए हैं। हरिजनों की हालत क्या है ? आज हरिजनों की हालत इस देश में यह है कि न उनके पास जमीन है, न अच्छे मकान हैं, न उन के पास रोजगार है। गांव के दक्षिण में उन को बसाया जाता है, आप कहेंगे कि यह तो पुरानी बात है। लेकिन उन को गांव के दक्षिण में बसाने का मकसद था कि उन की हवा दूसरे सवर्णों को न लग पाये।

उनके लिए अगर किसी रोजगार की व्यवस्था की जाती है तो या तो चमड़े या हड्डी के रोजगार की या छोटे मोटे रोजगारों जैसे कुरसी बुनने की व्यवस्था की जाती है जिस में वे किसी प्रकार अपना पेट भर सकें। लेकिन इन रोजगारों से वे आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे रोजगारों की सरकार की तरफ से इनके लिए व्यवस्था होती है।

इन के खाने के बारे में सदन में कई बार चर्चा हुई है। मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हरिजनों के बारे में पता है कि जो दिन में तीन बार के बजाये एक बार भोजन पाते हैं और उन का भोजन होता है महुआ, आम की गुठली, चोइटा यानी शीरा जो चीनी बनने में निकलता है और बरगद का गोदा। इन पर ये अपना निर्वाह करते हैं।

हरिजनों की पूछ कहां होती है वह भी मैं बताऊं। जब २६ जनवरी होती है तो अच्छे अच्छे करमा डांस और पहाड़ी डांस के लिए उन की पूछ होती है, और दूसरे उनकी पूछ होती है इलेक्शन के समय। पिछले इलेक्शन में सदस्यों से यह मालूम किया गया कि हरिजन और मुसलमानों ने कांग्रेस का कितना समर्थन किया है। मैं पूछता हूं कि यह सवाल केवल हरिजनों के लिए ही क्यों किया गया, क्यों नहीं और जातियों के लिए किया गया कि उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया या नहीं।

एक माननीय सदस्य : क्योंकि हरिजन स्लेव हैं।

श्री विश्राम प्रसाद : क्या वे गरीब हैं इसलिए उन के ईमान पर लांछन लगाया जाता है। यह सवाल तो और जातियों से पूछना चाहिए था जो कि गवर्नमेंट के बजट का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करती हैं।

एक माननीय सदस्य : बजट का कितना हिस्सा इस्तेमाल करते हैं ?

श्री विश्राम प्रसाद : यह मैं आपको किसी और वक्त बतलाऊंगा।

मैं तो सरकार से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि संविधान की धारा १५ और १७ पर कहां तक अमल हो सका है और उन के उद्देश्य की कहां तक पूर्ति हो सकी है। मैं चाहता हूं कि इस की व्याख्या मंत्राणी महोदया अपने भाषण में करें।

शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के पेज १२४ पर लिखा है कि रिजरवेशन खत्म हो जाना चाहिये। उस में लिखा है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों का जैसे जैसे बड़ी संख्या में चुनाव होने लगेगा वैसे वैसे इन के लिए विधान सभाओं में संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी और इस में मैं आपको फिगर भी दे दूं। वह इस प्रकार है। लोक सभा में जनरल सीट्स से १ शिड्यूल्ड कास्ट और दो शिड्यूल्ड ट्राइब्स, पहले ६ शिड्यूल्ड कास्ट थे और तीन शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले। विधान सभाओं में पहले बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल में १२ शिड्यूल्ड कास्ट और ९ शिड्यूल्ड ट्राइब्स, और पहले आठ आठ थे। राज्य सभा में पहले तीन थे अब दो ही रह गए।

[श्री विश्राम प्रसाद]

मैं नहीं चाहता कि आप रिजरवेशन रखें । लेकिन सवाल यह है कि जो संविधान में सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट के लिए साढ़े १२ पर सेंट के और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ५ पर सेंट के वायदे किए हैं उन की पूर्ति कहां तक हो सकी है । रिजरवेशन न होना चाहिए, इस को मैं मानता हूं, राज्य सभा, लोक सभा और विधान सभाओं में रिजरवेशन न हों क्योंकि इस से हरिजनों का नुकसान होता है, हरिजनों का बहुत सा हक मारा जाता । यह तो इस तरह है जैसे कबूतरों को दाना छींटना । जब हम में से कुछ लोग राज्य सभा, लोक सभा या विधान सभाओं में रिजरवेशन की वजह से आ जाते हैं तो दूसरे हरिजन दब जाते हैं, अपनी बात को सरकार से कह नहीं सकते और उन के प्रतिनिधि भी उन की बात नहीं कहते, क्योंकि उन को डर है कि अगर हम बोलते हैं तो हम को अगली बार टिकट नहीं मिलेगा । कल मेरी एक कांग्रेस सदस्य से बातचीत हुई । उन्हों ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं बहुत क्रिटिकल हूं हो सकता है कि इस कारण हम को टिकट मिलने में दिक्कत हो ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब मैं आप का थोड़ा सा ध्यान नौकरियों के बारे में दिलाना चाहता हूं । अखबार पढ़ने वाला आदमी समझता है कि सरकार ने हरिजनों के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है । पोस्ट निकलती है तो एडवरटाइजमेंट होता है : उस में लिखा रहता है कि अनुसूचित जाति का उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर यह पद सुरक्षित नहीं समझा जायेगा । शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पब्लिक सरविस कमीशन कहती है कि हरिजनों की कमी है इसलिए वह नौकरियों में नहीं लिए जाते । लेकिन होता यह है कि वे रिटिन टैस्ट में पास हो जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल कर दिए जाते हैं क्योंकि उन को मालूम हो जाता है कि वे हरिजन हैं ।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है कि इन को प्रोमोशन्स में भी रिजरवेशन मिलना चाहिए लेकिन हमारी सरकार ने ग्रुप ३ और ग्रुप चार में उन के रिजरवेशन को माना है ।

अब मैं आप को थोड़ा सा यह बता दूं कि जो साढे १२ पर सेंट रिजरवेशन है हरिजनों का, उस में से क्लास वन में १.८९, क्लास २ में ३.३६, क्लास तीन में ६.३८ और क्लास चार में ११.९६ पर सेंट रिजरवेशन मिला हुआ है । और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को क्रमश: .२४, .२४, .४३ और १.१० पर सेंट रिजरवेशन मिला हुआ है । आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० का परसेंटेज इस प्रकार है । आई० ए० एस० में कुल १७२८ लोग लिए गए उन में शिड्यूल्ड कास्ट ४६ लिए गए, परसेंटेज २.६ रहा । आई० पी० एस० में ९८५ लोग लिए गए, उन में हरिजन २९ लिए गए, परसेंटज २.८ रहा । आई० एफ० एस० (ए०) में २०१ लिए गए उन में हरिजन ४ थे, परसेंटज २ रहा । आई० एफ० एस० (बी) में १९१२ लिए गए जिन में हरिजन ४७ थे, परसेंटेज २.४ रहा । यह सरविसेज़ का किस्सा है । टोटल सरविसेज़ में सेंटर में और राज्य सरकारों में ४,४५,१४३ आदमी लिए गए, उन में हरिजन १२,९७७ लिए गए, परसेंटेज आया ३ और शिड्यूल्ड कास्ट ५१०९ लिए गए, उन का परसेंटेज है १ ।

इस के अलावा जिन को सरविसेज़ में लिया जाता है उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं । उन की रिपोर्ट खराब की जाती है और उन का कैरेक्टर रोल खराब कर दिया जाता है । और इस तरह से एक न एक बहाना बना कर उन को निकाल दिया जाता है । मैं भी एक सरकारी नौकरी में था । सरकार ने मुझे अमरीका दो साल पढ़ने के लिये भेजा था । लेकिन १४ साल सरविस करने के बाद मेरे लिए लिखा गया : उस के अनुसरण में सरकार, कृषि अधिकारी विश्राम प्रसाद

की सेवायें समाप्त करती है । न कोई काज़ न कोई रीज़न । इस तरह का व्यवहार हरिजनों के साथ सरकार का होता है । एक तो हरिजनों को नौकरी कठिनाई से मिलती है और मिल भी जाती है तो उन को कोई हथकंडा लगा कर निकाल दिया जाता है । बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कहते तो बहुत हैं कि हरिजनों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन दर असल होता क्या है इस को सभी मेम्बर जानते हैं ।

इसी तरह से पंजाब का किस्सा आप लीजिए । इस रिपोर्ट में लिखा है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह अपने ग्रुप के एक मात्र वक्ता हैं, इन को ग्रुप का पूरा समय दिया जाय ।

श्री विश्राम प्रसाद : पंजाब में सन् १९५४ में हरिजनों का पुलिस कांस्टेबिल्स में ५० पर सेंट रिजर्वेशन करने के लिये किया गया था जोकि सन् १९५४ में ५, १९६२ में १२ पर सेंट तक ही रह गया ।

उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के किस्से हैं । सैंटर तो सैंटर स्टेट गवर्नमेंटस में भी वही चीजें चलती हैं चूंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने भाषण को समाप्त करूंगा । हरिजनों के लिए जो बजट एलौट होता है उस का वाकई कितना हिस्सा हरिजनों के लिए जाता है ? अभी जो बजट के आंकड़े दिये हुए हैं उस से ज़ाहिर होता है कि ३० करोड़ सैंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और ७० करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स खर्च करेंगी । पांच साल के अंदर १०० करोड़ हुआ । अब दस करोड़ की हरिजनों की आबादी है । एक आदमी के ऊपर एक साल में २ रुपये जाकर पड़ता है ।

हरिजनों के लिए कौटेज इंडस्ट्रीज़ की व्यवस्था की जाय । अब हरिजनों के लिए शहरों की सफ़ाई करने, जूता बनाने या लकड़ी का काम करने या कुर्सियां बुनने आदि धंधों में उन का सहारा देते हैं । अगर हरिजनों को काम देना है तो उन को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी लगाइये । जिस तरह के निचले और छोटे दरजे के कामों में वे आज लगे रहते हैं उस से तो उन के पास इतनी आमदनी कभी भी नहीं बढ़ सकेगी कि आगे वे किसी ऊंचे काम धंधे में, किसी ऊंचे रोजगार में लग सकें और उसकी आमदनी में हिस्सा बंटा सकें ।

आप के यहां १७ वालऐंटरी आरगनाइज़ेशन्स हैं जिन के कि ऊपर १८,८४,६८५ रुपये की ग्रान्ट दी जाती है । यह संस्थाएं छोटे मोटे स्कूल चलाती हैं जिन में कि यह अपने कुछ लोगों को ओबलाइज करने के लिए रख लेती हैं ताकि चुनाव के समय वे उन के पक्ष में प्रचार कार्य करें । इस तरह से वे स्कूल क्या चलाये जाते हैं आप समझ लें कि एक तरह से वह चुनाव धंधा चलता है । उन वालऐंटरी आरगेनाइज़ेशन्स में दूसरी पार्टी के आदमी नहीं घुस सकते । वहां काफ़ी गड़बड़ियां चलती हैं । उन के एकाउंट्स में बड़ी गड़बड़ घुटाला चलता है और उन की जांच नहीं होती है । मैं चाहता हूं कि इस तरह की वालएंटरी आरगेनाइज़ेशन्स में और पार्टियों के लोग भी लिये जायें और उन की प्रौपर एकाउंटिंग हों ।

चूंकि मेरे पास समय नहीं है इसलिये मैं केवल कुछ सुझाव दे कर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा । मेरा पहला सुझाव तो यह है कि हरिजन, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण कार्य के लिए एक अलग मंत्रालय बने । वह विशेष मंत्रालय केवल हरिजन समस्याओं की ओर ध्यान दे और उन के विकास व उन्नति के कार्य को करे । वह इस बात को देखें कि हरिजनों को किस प्रकार

[श्री विश्राम प्रसाद]

से उन्नति की जा सकती है। जिस प्रकार से फ्यूजीज़ के लिए सरकार ने अलग से रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट बनाया, उसी तरह हरिजनों के वास्ते एक अलग मंत्रालय सरकार स्थापित करे।

एक एनफारमेशन पब्लिसिटी आफ़िस हो जो हरिजनों को हर बात की जानकारी करावे। हरिजनों को यह बतलाये कि किस जगह कितनी जगहें खाली हैं और उन को क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं ? यह आफ़िस यह मालूम करे कि हरिजन किन किन जगहों में जा सकते हैं, कितनी साइंटिफ़िक पोस्ट्स हैं या कितनी टैकनिकल पोस्ट्स हैं और हरिजनों को उन में जाने के लिए जो सुविधायें मिलनी चाहियें वे मिलती हैं या नहीं और उन को आवश्यक सुविधायें सुलभ करायें।

नौकरियों के लिए हरिजनों के वास्ते जो आपने रिजर्वेशन रक्खा है उसकी पूर्ति जल्दी से जल्दी हो। जिस तरीक़ से हिन्दी के लिए दस साल का समय बढ़ाया है। उसी तरह से नौकरियों में हरिजनों द्वारा पूरी पूरी सीटें भरने का समय भी निर्धारित हो। इस के लिए आप एक समय रक्खें कि कितने साल के अंदर यह रिजरवेशन क्लास ४ से ले कर क्लास १ और स्पेशल क्लास के लिए पूरा होना चाहिए।

हरिजनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिये। उन को सोशल और पोलिटिकल अधिकार सवर्ण हिन्दुओं के समान मिलें और उन को उनके बराबर का दर्जा मिले। आज भी हालत यह है कि गांवों में सवर्ण हिन्दुओं के मुकाबले में हरिजन नहीं बैठ सकते हैं। वे सवर्ण हिन्दुओं के साथ बैठ कर होटलों में खाना नहीं खा सकते हैं। वे सवर्ण हिन्दुओं के साथ दुकानें नहीं खोल सकते हैं। गांवों में आजकल भी सवर्ण हिन्दुओं द्वारा उन का हर क्षेत्र में बायकाट चल रहा है। इस के लिए मेरा सुझाव है कि अस्पृश्यता को सक्रिय रूप से दबाने के हेतु पुलिस और न्याय पंचायतों को अधिकार दिया जाय। पुलिस और न्याय पंचायतों को यह अधिकार दिया जाय कि वे यह देखें कि कितनी उन के साथ ज्यादती होती है, कितने उन को समानाधिकार नहीं मिलते हैं, इस बारे में वे जांच पड़ताल करें।

इन के रोज़गार की व्यवस्था हो और ज़मीन पर उन का हक़ हो। मैं आपसे बतलाऊं कि देहातों में कृषि कार्य करने वाले सब से ज्यादा हरिजन हैं, वहां पर क़रीब ४२ फ़ीसदी लोग बिना ज़मीन के हैं। हरिजन लोग ही खेतिहर मज़दूर होते हैं जोकि कृषि की पैदावार उपजाते हैं, उस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन को कोई चार्म नहीं रहता है क्योंकि उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है। उन को पूरी मजदूरी तक नहीं मिलती है। मेरी अपनी तहसील लालगंज में अभी भी दिन भर खेत में हल चलाने के बदले फ़कत तीन पाव सांवा मिलता है। इसलिए हरिजनों को जब तक ज़मीनों पर अधिकार नहीं मिलेगा तब तक देश की पैदावार नहीं बढ़ सकती है।

आज समय आ गया है जबकि पुराने सोशल कस्टम्स टूटें। जो लोग अपने को गांधीवादी होने का दम भरते हैं उन को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए और इंटरकास्ट मैरिजेज़ करानी चाहिएं। शादी ब्याह में आजकल जो एक रिजिडिटी है, बंधन है उन को तोड़ा जाय और उस में ढीलापन लाया जाय। मेरी प्रार्थना है कि जो ६ मिनिस्टर्स कैबिनेट से हट गये हैं, उन को और कम से कम, एक, जोकि बड़े गांधीवादी बनते हैं इस काम को पूरा करें। हरिजन बस्तियों में जा कर रहें और उन में काम करें और गांधी जी के स्वप्न को पूरा करें।

†**श्रीमती आक्कम्मा देवी** (नीलगिरि) : मैं सभा में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन से सहमत हूं। आयुक्त ने कई बहुमूल्य सिफारिशें की हैं तथा उनकी क्रियान्विति में जो कठिनाइयां आयी हैं उनका

---

†मूल अंग्रेजी में

भी उल्लेख किया है। उन्होंने कई व्यावहारिक सुझाव भी दिये हैं।

तथापि दुःख का विषय यह है कि यद्यपि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत ३० करोड़ और राज्य योजनाओं के अन्दर ७० करोड़ का उपबन्ध किया गया था तथापि उन दोनों मदों के अन्तर्गत क्रमशः २९४.५६ लाख तथा ९१९.६६ लाख का उपबन्ध किया गया। सरकार को उन कारणों का पता लगाना चाहिये कि इन योजनाओं की क्रियान्विति में क्या-क्या बाधा हो रही है। जिससे कि सरकार द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता का पूरा पूरा लाभ उठायें।

मेरे विचार से इस धीमी प्रगति का कारण यह है कि विभिन्न विभागों के बीच प्रतियोगिता है तथा समन्वय का अभाव है।

सरकारी कर्मचारियों को चाहिये कि वे आदिवासियों से व्यक्तिगत रूप से मिलें। उनसे अपनी कठिनाइयां बताने को कहें तथा उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाय रखें।

आदिवासियों को व्यापारी और साहूकार धोखा देते हैं। साहूकार इतनी ऊंची दर पर रुपया उधार देते हैं कि थोड़े से वर्षों में ब्याज मूल से भी अधिक हो जाता है। व्यापारी लोग मैदानों से जाकर आदिवासियों से फल आदि खरीद लेते हैं और काफी धन कमाते हैं। सरकार को इसकी भी रोक थाम करनी चाहिए।

अनुसूचित आदिम जातियों के लिए धन की मंजूरी वित्तीय वर्ष के अन्त में दी जाती है। अतः काफी राशि बिना व्यय किए रह जाती है। इसी कारण योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है। इसे सभी क्रमों में बन्द करना चाहिए।

आल इण्डिया हैंडलूम बोर्ड, आल इण्डिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, सैन्ट्रल स्माल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइज़ेशन और खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज़ कमीशन में आदिवासियों को उनकी जाति के लोगों को प्रशिक्षण देने आदि के लिए नियुक्त करना चाहिए।

मद्रास राज्य के लिए एक और आदिम जाति विकास खण्ड मंजूर किया जाना चाहिए ताकि कोयम्बटूर और नीलगिरिज के आदिवासी आदिम जाति लोगों को सहायता मिल सके।

†**श्री मा० ल० जाधव** (मालेगांव) : आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आवास की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में प्रक्रिया बहुत पेचीदा है। समय पर धन नहीं दिया जाता है। आवास कार्यक्रम आदिम जातियों के लिए बहुत ही जरूरी है। अतः इस स्कीम को बहुत आसान बना दिया जाए और कार्य-कुशलता से चलाया जाना चाहिए।

शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें आदिम जातियों के निवास स्थानों के निकट होनी चाहिएं। आश्रम स्कूलों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। लड़कियों के लिए भी कुछ आश्रम स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आदिम जाति क्षेत्रों में छोटे उद्योग आरम्भ किए जाने चाहिएं ताकि वे भूमि के अतिरिक्त और कामों में भी नौकरियां प्राप्त कर सकें।

खेती के लिए और छात्रवृत्तियों के लिए धन समय पर दिया जाना चाहिए ताकि उसका उपयोग किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री भा० ले० जाधव]

वन श्रमिक समितियों का लाभ आदिम जातियों को होना चाहिए न कि अन्य लोगों को ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कुछ होस्टल हैं । इसका लाभ कुछ समाज सुधार करने वाले करते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए । इन का लाभ अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को होना चाहिए ।

अस्पृश्यता को कड़े कदम उठा कर खत्म कर देना चाहिए ।

श्री महानन्द (बोलनगीर): उपाध्यक्ष महोदय, हम इस वक्त शड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ कमिश्नर की दसवीं और ग्यारहवीं रिपोर्ट पर आलोचना कर रहे हैं । यह बड़े दुःख की बात है कि भारत को स्वतन्त्र हुए १६ वर्ष होने के पश्चात् भी पिछड़ी जातियों की अवस्था अभी तक वह ही है जो बापू जी के सामने थी । पतित जातियों को अभी तक उन्हीं तकलीफों का सामन करना पड़ता है जो उनको सोलह साल पहले भी करना पड़ता था । हमारी सरकार ने कानून तो कागज पर बहुत से बनाये हैं, लेकिन उनसे हमारे साथियों का कोई उपकार नहीं हो सका है ।

श्रीमान जी, मेरा यह कहना है कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो कानून तोड़ने वालों को कड़ी से कड़ी सजा जब तक नहीं दी जाती तब तक कानून बनाने का कोई लाभ नहीं है । हमारे पिछड़ी जाति के भाइयों का यह दुर्भाग्य है कि सरकार और उसके कर्मचारी खुद ही उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं । यह मैं अपने दिल से बना कर बात नहीं कह रहा हूं । इन सब चीजों का वर्णन हमें रिपोर्ट में मिलता है, जिसके ऊपर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमान् जी, मैं आपका ध्यान पैरा ३ पृष्ठ छः की ओर दिलाना चाहता हूं । यहां शैड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने कुछ बड़े दुःखपूर्ण विषयों का वर्णन किया है । हमें यह बताया गया है कि आन्ध्र प्रदेश के बहुत से ग्रामों में अभी भी पिछड़ी जाति के लोगों को लाइन में तालाब के पास घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर पानी मिलता है । जब तक कोई ऊंची जाति का आदमी आकर उन्हें पानी न दे, तब तक वे पानी नहीं ले सकते हैं । उन्हें स्वयं तालाब से पानी भरने का अधिकार नहीं है । इतना ही नहीं पिछड़ी जाति के लोग घुटने से नीचे धोती भी नहीं बांध सकते क्योंकि ऊंची जाति के लोग इसको अपना अपमान समझते हैं । दूल्हे को मध्य प्रदेश में पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है । वे इतना ही नहीं, कई जगह शादी के वक्त पिछड़ी जाति के घरों में बाजा बजाना भी मना है । उनके घरों की औरतें न तो चांदी का बना हुआ अलंकार पहन सकती हैं और न ही चूड़ियां पहन सकती हैं । वेलोग बैल गाड़ी का या घोड़े की सवारी का आने जाने के लिए भी उपयोग नहीं कर सकते हैं । यह सब एक स्वतन्त्र राष्ट्र के लिए घोर लज्जा और कलंक की बात है । इन सब बातों से मुझ सब से भारी दुःख होता है । मेरे लिए यह एक गौरव की बात है कि मेरे पिता जी स्वर्गीय कपिलेश्वर महानन्द ने उड़ीसा में ऊंच नीच के भद भाव को हटाने का सब से ज्यादा काम किया है । महाराजा पटना श्रीमान आर० एन० सिंह देव, ने सब से पहले भारतवर्ष में पतित जाति के लोगों को अपने जिले में मन्दिर प्रवेश का अधिकार दिया था ।

श्रीमान जी, छुआछूत की बीमारी भारतवर्ष में अभी तक कुछ न कुछ तरीके से चल रही है । कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम लोगों को होटल में बैठने का अधिकार नहीं है । कुछ जगहें ऐसी हैं जहां हमें तालाब से पानी लेने का अधिकार नहीं है । कुछ जगहे ऐसी हैं जहां पर हम लोग धोबी और नाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं । यह कितने दुःख और लज्जा की बात है । जब सरकार हमें

---

†मूल अंग्रेजी में

बताती है कि कुछ क्षेत्रों में नीच जाति के पंचायत के नेता ऊंची जातियों के नेताओं के साथ चारपाई पर बैठ कर कुछ मीमांशा नहीं कर सकते हैं; तो इससे कितना दुख होता होगा, इसका अनुमान आप भी लगा सकते हैं। ऐसा व्यवहार हमारे भाइयों के साथ किया जाता है लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि हम लोगों का अपराध क्या है। सिर्फ यही न कि हम पिछड़ी जाति के कुल में पैदा हुए हैं? ईश्वर ने सब को समान बनाया है, यह भेदभाव तो मनुष्यों का अपना बनाया हुआ है। इसे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके खत्म करना चाहिये। ताकि हम भी गौरव के साथ यह अधिकार पा सकें जो कि अभी तक अकेले ऊंची जाति के लोग अपना हक समझते हैं हमारी सरकार ऐसा करने में असफल रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर के अधिकार बढ़ाये नहीं जायेंगे तब तक सरकार इस बात में सफल नहीं हो सकती है। इसका सबसे पहला तरीका यह है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नलर के कार्यालय को गृह मंत्रालय से हटा कर राष्ट्रपति के नीचे कर दिया जाय। ऐसा करने से उनके अधिकार बढ़ सकते हैं और कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दे सकते हैं। अभी तक जो शिकायतें उनके पास आती हैं उनको वे राज्य सरकारों को भेजते हैं, पर दुःख की बात यह है कि वह लोग इस पर कुछ ध्यान नहीं देते। कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में हमारा ध्यान इस चीज पर दिलाया है कि जब तक राज्य सरकारें हमारी मदद नहीं करतीं तब तक हम अपने कार्य में असफल रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उइके—नहीं हैं। श्री मोहन नायक—नहीं हैं।

श्री शिव नारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने इस समय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। यह शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट दो वर्षों के बाद इस हाउस में डिस्कश करने के लिए पेश हुई है। इससे सरकार की नेगलिजेंस का पता चलता है।

मैं बहुत ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और हृदय पर हाथ रख कर सरकार बतलाये कि जो रिजर्वेशन देने का आपने निश्चय किया है, १८ परसेंट के वह क्या पूरा किया गया है? जो रिजर्वेशन आपने स्वयं दिया है, १० परसेंट यहां और १८ परसेंट स्टेट्स में, वह दिया गया है? इस सारे क्वेश्चन पर मैंने ३६ पेज का एक जवाब डा० सम्पूर्णानन्द को लिख कर दिया था कि :

मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् ।
आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः ।।

इस श्लोक के ऊपर मैंने ३६ पेज का जवाब दिया था। आज मैं जानना चाहता हूं बहुत ईमानदारी से कि इस हिन्दुस्तान में कितने कलेक्टर हैं जो हरिजन हैं, कितने सेक्रेटरीज़ हैं जो कि हरिजन हैं, कितने डिप्टी सेक्रेटरीज़ हैं जो कि हरिजन हैं? कितने हमारे आदमी एम्बसीज में काम करते हैं, कितने आपने हरिजनों में से गवर्नर बनाये हैं? आज मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि आप इस हरिजन विभाग को, जो कि आपकी गवर्नमेंट के नीचे है, हरिजन को देने में क्या एतराज है? यहां पर कितने आफिसर्स बैठे हुए हैं उन में से कितने हरिजन हैं? मह हमारा काम है, हम लोग इसको जानते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो सरकार स्वयं देती है उस पर अमल क्यों नहीं करती है? **†देअर इज समथिंक एट दि बाटम**। दिल साफ हो तो आइना क्या चीज है? मैं पूछना चाहता हूं कि आज जितने मेम्बर अपोजीशन के बोले हैं उन में से कितने हरिजन बोले हैं। केवल दो मेम्बर बोले हैं। एक तो श्री विश्राम प्रसाद बोले हैं। **†ही इज एन एक्जाम्पल इन दि हाउस**। वह गवर्नमेंट सर्विस में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिव नारायण]

रहे हैं, अमरीका से पढ़ कर आये हैं। वह पढ़े लिखे आदमी हैं । यह बात नहीं है कि हमारे यहां पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यूनिवर्सिटी डिगरी हमारे किस काम की है जब कि हमारा लड़का एम० ए० पास करके आता है और कम्पिटीशन में बैठता है, पी० सी० एस० के इम्तिहान में बैठता है तो थ्योरी में तो पास हो जाता है उसको ७५ परसेंट मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद जब काली कलूटी शक्ल लेकर पब्लिक सर्विस कमिशन में जाता है तो काला कलूटा देख कर उसको वहां छांट दिया जाता है क्योंकि वह हरिजन है। इस प्रकार से वह मारा जाता है। मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारे कितने आदमी हैं, प्राविशिल पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारे कितने आदमी हैं ? जमाना बदल चुका है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : जो मिनिस्टर था उसको भी निकाल दिया गया।

श्री शिव नारायण : हम जागृत हो चुके हैं। सन् १९४६ में पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने कहा था मुसलमानों से कि मुसलिम लीग जब जीत कर आई थी कि बड़ी माइनारिटी से बात करो। आज हिन्दुस्तान में बड़ी माइनारिटी हमारी है, आप हम से बात करें। आप हमसे कम्प्रोमाइज करें। अगर डिमाक्रटिक सेट अप इस मुल्क में चलेगा तो हमारा बोलबाला हमेशा रहेगा।

एक माननीय सदस्य : एलेक्शन के दिनों में चलेगा।

श्री शिव नारायण : एलेक्शन के दिनों में और सब दिनों में रहेगा। आज भी नंगा नाच हो रहा है। मैं हाल में अपनी कांस्टिटएंसी से लौटा हूं। वहां दिन दहाड़े आदमी मार कर गिरा दिया गया और हास्पिटल में पहुंचा दिया गया। मैंने इसके सम्बन्ध में होम मिनिस्टर को लिख कर दिया। पढ़े लिखे लोगों का निकलना दुश्वार है गांवों में। आज यह हमारी स्थिति है। अभी कल प्रतापगढ़ के बारे में मुझे सूचना दी गई कि वहां २ आ० रोज पर हमारा आदमी पालकी ढोता है। आज भी उन लोगों से जबर्दस्ती काम लिया जाता है। अगर वे न करें तो घर से निकलना दुश्वार है। क्या यह डमोक्रेटिक सेट अप है ? नेशनल गवर्नमेंट की हुकूमत है ? आज यहां पर २५ परसेंट हमारी आबादी है। कागज के ऊपर आप मानें या न मानें लेकिन मैं रिकार्ड के फिगर्स बतलाता हूं। जो स्कालर्शिप्स गवर्नमेंट देती है मैं उसके लिये अनुग्रहीत हूं। मैं मानता हूं कि वह दे रही है लेकिन जितना चाहिये उतना दिया जाये। यह नहीं है कि आप नहीं दे रहे हैं। आप दे रहे हैं, यह ठीक है। लेकिन आज यह हाउस इस बात का नमूना है कि क्या किया जा रहा है। यहां जितने मेम्बर बोले हैं वह बोले, जब हरिजन लोग खड़ हुए बोलने के लिए तो पंडित लोग खिसक गये। बड़े बड़े लोग खिसक गये। (**अन्तर्बाधा**) खिसक गये।

मैं बतलाना चाहता हूं कि प्राब्लेम तीन चीज़ों की है। खाना कपड़ा और रहने के लिये मकान। हम केवल यह तीन चीजें मांगते हैं। कोई मिनिस्ट्री नहीं मांगते। जर्मनी ने सन् १९१९ में सुलहनामा किया। जर्मनी ने सरेन्डर करते वक्त कहा कि अगर ब्रिटेन हमें खाना, कपड़ा और रहने के लिये मकान दे दे तो हम चल कर इग्लैंड में फैक्ट्रियों में काम करेंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने के लिये तैयार नहीं हुई। ठीक उसी तरह से हम कहते हैं गवर्नमेंट से कि वह खाना, कपड़ा और रहने के लिये मकान, इन तीन चीजों का इन्तजाम कर दे।

क्वेश्चन आवर में हमारे ऐग्रिकल्चर मिनिस्टर ने कहा था कि १० मिलियन एकड़ जमीन ईस्ट इंडिया में है। अगर उसे डेवेलप किया जाय तो चौगुनी पैदावार हो सकती है। आज देश के

अन्दर खेती कौन करता है ? जितने आनरेबल मेम्बर यहां बैठे हुए हैं मैं उन से पूछता हूं कि देश के अन्दर हल कौन चलाता है ? हरिजन चलाते हैं। यहां की खेती का सारा डेवेलपमेंट उसी हरिजन के ऊपर बेस्ड है। जो २ पैसे के हल से खेती करता है आज पंडित जी भी उसी की कमाई खाते हैं और निरहू चमार भी खाता है। आज देश की यह स्थिति है। हम ही खिलाते हैं उन लोंगों को जो नहीं कमाते। आप नहीं कमाते हैं, जो जलती हुई बैसाख की धूप में हल चलाते हैं वे हरिजन हैं। पानी हम चलाते हैं, सारा काम हम करते हैं और खाते दूसरे हैं यह हमारी एकानमी का नमूना है। इस पर भी शान से कहते हैं कि हम आदिवासियों का डेवेलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज ऐग्रिकल्चर की ट्रेनिंग मेरे बेटे को नहीं दी गई। खेती करना हम जानते हैं लेकिन ट्रैक्टर पर पंडित जी बैठते हैं। हम को वहां पर नहीं भेजा जायेगा। मैं मनु की प्रशंसा करता हूं। मनु के जमाने में लोगों में काम बटा हुआ था। जो जिस काम को करता था उस का लाभ उस के घर जाता था।

एक माननीय सदस्य : क्या आप उस जमाने को चाहते हैं। वह एक अभिशाप था।

श्री शिव नारायण : वह अभिशाप नहीं है। आप जानते नहीं हैं। उस वक्त डिवीजन आफ वर्क था, आज डिवीजन आफ वर्क नहीं है। आज मुट्ठी भर लोग इस मुल्क में सारे काम को यहां चलाते हैं।

आज मैं इस आनरेबर पार्लियामेंट के सामने कहना चाहत हूं कि आज अंग्रेजी का नारा इस देश में क्यों लग रहा है ? केवल २ परसेन्ट लोग इंग्लिश नोइंग हैं। जो कि अंग्रेजी को अपने गले में चिपकाये हुए हैं बंदरिया के बच्चे की तरह। आज निरहू को, हरिजन के बेटे को माइनस किया जा रहा है। हरिजन का बेटा भले ही टाप करे लेकिन उस के लिये कोई स्थान नहीं है। मैं ने इसी हाउस में अपील की थी कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में ऊंचा किया जाय। लेकिन इस सरकार ने पन्द्रह वर्षों के अन्दर हिन्दी को नहीं पनपाया। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम जो हरिजन हैं, चौथेपन वाले लोग हैं उन का उत्थान होना बड़ा कटिन हो जायेगा। सारे देश के अन्दर यह प्राब्लेम है। सारे देश ने तय किया कि इस प्राब्लेम को हल किया जाये, लेकिन वह आज तक हल नहीं हुई। हमारी प्राब्लेम को देखते हुए मैं चाहता हूं कि आप लोग नेक नियती से हमारे खाने, कपड़े और रहने के लिये मकानों का इन्तजाम करें। अगर ऐसा कर दिया जाय तो मैं आप के साथ दूबदू चलने के लिये तैयार हूं। मैं ने इस हाउस में कहा था कि चीन के मुकाबले में आज हमारा एक एक जवान मोर्चे पर लड़ सकता है। हम लोग मजबूत हैं, यदि दिल साफ है तो आइना क्या चीज है। हम कमजोर नहीं हैं। हमें मौका दीजिये। मैं नेक नियती से कहता हूं कि रिजर्वेशन को सलाम करो। हमारे पडित गोविन्द बल्लभ पन्त जब थे तो मैं ने उन से कहा था कि पंडित जी, जो रिजर्वेशन वाली डबल मेम्बर वाली सीट है उस को सिंगल मेम्बर वाली कर दिया जाय, और आज भी इस पार्लियामेंट में कह रहा हूं कि आज इस रिजर्वेशन को माइनस किया जाय। हमारे आदमी भी जीत कर आयेंगे। जिस प्रकार मौर्य जी यहां आ सकते हैं उसी प्रकार हम भी आ सकते हैं। मैं चैलेन्ज करता हूं कोई भी आदमी हो। चाहे मौर्य जी हों या अपोजीशन का कोई और मेम्बर हो कि वह मेरी कांस्टिटुएन्सी में आयें। कांग्रेस के पास भी वर्कर हैं। हरिजन अपने दम पर कोई भी आ सकते हैं अगर वह अपनी कांस्टिटुएन्सी में अच्छे वर्कर हों। मैं चाहता हूं कि हरिजनों का उत्थान हो नेकनियती से। हम सरकार का काम करें और सरकार हमारी मदद करे। मैं अनुग्रहीत हूं कि सरकार हमारी मदद करती है, उन का भी जो दूसरे हमारी मदद करते हैं। लेकिन यह ड्यूटी थी पंडित लोगों की, उन को कहना चाहिये था, लेकिन जब हमें कहना पड़ता है मजबूर हो कर तो हम से प्रेजुडिस्ड

[श्री शिव नारायण]

हो जाते हैं। हम मजबूर हो कर कहते हैं कि हमें गांधी जी ने उठाया, ऋषि दयानन्द ने उठाया। यह श्रेय दयानन्द जी को है जिन्होंने हाथ पकड़ कर हरिजनों के साथ बैठना शुरू किया। लेकिन आज ईसाई धर्म पनपना शुरू हो गया। आज मद्रास में कितने ईसाई हैं जो कि सब हरिजन थे। जब ईसाई धर्म इस देश में पनपने लगा तो ऋषि दयानन्द, एक आदमी पैदा हुआ जिन्होंने इस बात को अनुभव किया कि अगर ये २५ पर सेंट आदमी हम में से निकल गये तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारी आज भी वही दशा है। एक कहावत है :

होनहार विरवान के होत चीकने पात

आज भी हमारे पास होनहार विरवा हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाये तो उस को भूला नहीं कहना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार फले फूले और ऊंची आये . . . .

एक माननीय सदस्य : तुम भी फलो फूलो या केवल सरकार के फलने फूलने की ही बात करते हो।

श्री शिव नारायण: हम तो फलेंगे और फूलेंगे ही। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं।

एक सज्जन ने कहा कि हरिजनों में भी ऐसी जातियां हैं जो आपस में एक दूसरे से अलग रहती हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि यह हम को सिखाया किस ने ? हम को ऐसा पंडित लोगों ने ही बनाया है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के एक बड़े नेता ने कहा था कि हिन्दुस्तान में जाति को मिटाने का सब से अच्छा उपाय यह है कि या तो सब को ब्राह्मण बना दिया जाये या सब को राजपूत बना दिया जाये, सब को एक जाति बना दिया जाये।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : सब को हरिजन क्यों न बन दिया जाये।

श्री शिव नारायण : मैं तैयार हूं बपतिस्मा देने के लिए अगर आप तैयार हों। मैं सब को हरिजन बनाने को तैयार हूं। अगर आप देश का कल्याण चाहते हैं तो सब को एक जाति बना दीजिये। हमार एक नारा हो :

हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान

अगर आप ऐसा करेंगे तो देश का कल्याण होने वाला है वरना देश का भला होने वाला नहीं है।

श्री काशीनाथ पांडे (हाता) : आप की कांस्टीटुएंसी में तो सारे पंडितों ने आप को वोट दिया है, आप पंडितों की शिकायत क्यों करते हैं ?

श्री शिव नारायण : मैं पंडितों की शिकायत कहां कर रहा हूं ?

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : यहां के पंडितों की शिकायत कर रहे हैं, बाहर के पंडितों की नहीं।

श्री शिव नारायण : मैं पंडितों की शिकायत नहीं कर रहा। मुझे उन्होंने वोट दिया है, मुझे तो जन संघ वालों तक ने वोट दिया है।

अब मैं मंदिर प्रवेश की बात करता हूं। मैं एक मेम्बर हूं जो कि मंदिर प्रवेश के विरुद्ध हूं। मैं मंदिर प्रवेश में विश्वास नहीं करता। हम को आप कपड़ा दीजिये, खाना दीजिये, रहने को

मकान दीजिये तो हम को संतोष हो जायेगा । मंदिर प्रवेश अपनी राजी की बात है । उस में कोई रोक नहीं है । हां, ढोल पीट कर न जाइये । मेरे सामने मंदिर प्रवेश का कोई सवाल नहीं है । मंदिर प्रवेश से हमारा काम चलने वाला नहीं है । आज लड़ाई तो अमीर और गरीब की है, न कि हरिजनों और चमारों या ब्राह्मणों की है । आज देश के अन्दर कैपीटलिस्टों का बोलबाला है । अगर आप का सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी लाना है तो सारे धन को एक सा सब में बांट दीजिये, अल्ला, अल्ला खैर सल्ला, सब ठीक हो जायेगा ।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे अवसर दिया । मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट हमारे बच्चों को अच्छा अवसर देगी, और सही स्थान देगी । हम उन के साथ हैं और उनके बाजू को मजबूत करेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री रामानन्द शास्त्री । वे यहां नहीं हैं । श्री कृष्ण देव त्रिपाठी ।

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी (उन्नाव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, खास कर बाबू शिव नारायण जी के पश्चात्, जिन को ब्राह्मणों से बहुत शिकायत है । इसके लिए मैं आप का अनुग्रहीत हूं ।

स्वतंत्रता के बाद हम ने जैसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की है और जिस प्रकार का संविधान बनाया है, उस में हरिजनों को क्या स्थान मिलना चाहिए और क्या स्थान मिल रहा है यह स्पष्ट है । किसे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने अपने २१½ प्रतिशत भाइयों को उठाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किये हैं, जो कि हजारों वर्षों से पिछड़े हुए थे, जिन के ऊपर हर तरह के अत्याचार होते रहे थे, जिन में गरीबी थी, भुखमरी थी और जो कि दबे हुए थे । हम को सरकार का इसके लिए अनुग्रहीत होना चाहिए । लेकिन अनुग्रहीत होने की क्या बात है । सरकार ने तो जो कुछ किया है वह अपना कर्तव्य समझ कर ही किया है और यही उस को करना चाहिए था । जब हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह बात करते हैं कि जो पिछड़े हुए देश हैं उन को उठाने की जिम्मेदारी उन देशों पर है जिन्होंने सैकड़ों वर्ष तक इनका शोषण किया । जब हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस तरह की बातें करते हैं, जब हम कहते हैं कि किसी प्रकार का रंग भेद नहीं होना चाहिए, जब हम दक्षिणी अफ्रीका में श्वेत लोगों के वहां के निवासियों पर किये गये अत्याचारों का विरोध करते हैं, या जो अत्याचार एशिया या अफ्रीका के लोगों के साथ रंगभेद के आधार पर किया जाता है उसका विरोध करते हैं, तो हमें अपने समाज के इस कलंक को भी दूर करना चाहिए जिसने हमारे समाज को बांट रखा है, जिसने जाति के आधार पर, बड़े और छोटे का भेद उत्पन्न किया है ।

बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्र हुए । और यह ठीक ही है कि हमने स्वतंत्रता के बाद ऐसी व्यवस्था बनायी कि जिसके द्वारा अपने समाज के पिछड़े और गरीब लोगों को ऊपर लाया जा सके । गांधी जी ने सर्वोदय और अन्त्योदय की कल्पना की थी, एक ऐसे समाज की जिसमें जो सब से नीचे हैं उनके जीवन स्तर को उठाया जाए । ऐसा होगा तभी समाज का यह कलंक दूर होगा और तभी समाज का भी स्तर उठेगा ।

शायद कुछ लोग यह समझते हैं कि गवर्नमेंट ने हरिजनों के लिए जो कुछ किया है वह भीख के तौर पर किया है । यह धारणा बिल्कुल गलत है । हमने जो हजारों वर्ष पाप किया है यह तो उसका प्रायश्चित मात्र है । यह स्वाभाविक है कि हम अपने बीच से

[श्री कृष्ण देव त्रिपाठी]

भेदभाव को दूर करके ऐसा समाज बनावें जिसमें जाति के आधार पर कोई ऊंच या नीच न हो । इसी लिए यह व्यवस्था की गयी है और यह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब कमिश्नर की रिपोर्ट आपके सामने है । मैं इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ बातों की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

हरिजनों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सब से आवश्यक बात यह है कि उनको खेती की जमीन दी जाए । बहुत से सदस्यों ने इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है । रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में जो भूमिहीन मजदूर हैं उनमें हरिजनों की आबादी ४२ प्रतिशत है । इनके अलावा बड़ी तादाद में ऐसे हरिजन हैं जिनके पास एक एक या दो दो बीघा जमीन है । और जो अलाभ कर जोतों को जोत रहे हैं और उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है । उनको दिन में दो बार भोजन तक नहीं मिलता । इसलिए इनको भी ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन दी जाए और इन को भी भूमिहीन के समान समझा जाए । देश में अभी तमाम जमीन पड़ी है । वह इनको दी जा सकती है। भूदान आन्दोलन में ४४ लाख एकड़ जमीन मिली । कहा जाता है कि उसमें से १२—७ लाख एकड़ जमीन बेकार है, ८—३३ लाख एकड़ जमीन बांटी गयी है । भूदान आन्दोलन में जो जमीन मिली उसके अलावा भी बहुत सी जमीन पड़ती पड़ी है, खाली पड़ी है । आवश्यकता इस बात की है कि इस जमीन पर हरिजनों के माध्यम से सहकारी खती करायी जाए । भूमि हीन हरिजनों को इस में प्राथमिकता दी जाए और उनको इस के लिए आवश्यक धन दिया जाए । यह करना तभी सम्भव है जब देश के राजनीतिक दल इस नीति को अपनाएं । मेरा यह अनुरोध केवल उन्हीं राजनीतिक दलों से है जिनको सहकारी खेती में विश्वास है, मैं उनसे यह अपील नहीं करता जिनको इस में विश्वास नहीं है और जिनको समाजवादी समाज में विश्वास नहीं है । मेरी यह अपील उनसे ही है जिनको सहकारी खेती में विश्वास है, और हमारी सरकार को उसमें विश्वास है । अगर इन भूमिहीनों को सहकारी खेती के लिए जमीन दी गयी तो न केवल देश का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि एक ऐसे वर्ग की समस्या हल हो जाएगी जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है ।

इसके अलावा ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । इस ६१–६२ रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हरिजनों के लिए ४ करोड़ ५५ लाख ३० हजार और जन जातियों के लिए २ करोड़ ३१ लाख ९३ हजार रुपए की व्यवस्था कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए थी, यानी कुल मिला कर ६ करोड़ ८७ लाख २३ हजार की व्यवस्था थी । इनमें से ८१ ½ लाख की व्यवस्था सन् १९६१–६२ के लिए थी । मुझे बड़ा अफसोस है कि इसमें से केवल ४९ लाख रुपया ही खर्च हुआ है । मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सन् १९६१–६२ में जो कुटीर उद्योगों के लिए तीसरी पंच वर्षीय योजना के इस वर्ष में हरिजनों एवं जनजातियों को सहायता दी गयी वह १२ प्रतिशत ही थी और इस १२ प्रतिशत में से केवल ७ प्रतिशत खर्च की गयी । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । एक तो पांच साला योजना में इस वर्ष के लिए

जितनी धन राशि निर्धारित की गयी थी वह 1/5 होनी चाहिए थी और उसके बजाए केवल १२ प्रतिशत दी गयी और उसमें से भी केवल ७ प्रतिशत ही खर्च की गयी । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और यह इस बात का संकेत है कि इस कार्य के लिए जो सरकारी यंत्र है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है । उसमें बड़ी कमी है ।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस सिलसिले में बड़ी कमी है । इसलिए मैं यह विनम्र निवेदन करूंगा कि जहां तक हरिजनों को कुटीर उद्योगों की स्थापना में सहायता का सम्बन्ध है उसमें उनकी पूरी सुविधा दी जाए । इसके अलावा उनको जमीन दी जाए और कुटीर उद्योगों के लिए सहायता दी जाए । यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस सहायता की व्यवस्था इस वर्ष के लिए की गयी थी वह सहायता पूरी तरह नहीं दी जा सकी । मैं समझता हूं कि जैसे और लोगों ने बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए, बड़ी बड़ी सुविधाओं के लिए या आई० सी० एस० और पी० सी० एस० की जगहों पर हरिजन हों, इस बात की अपील की है वह भी जरूरी है और उसको होना चाहिए लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि हमारा देश एक खेतिहर प्रधान देश है और जब तक खेती की व्यवस्था में लाखों हरिजनों को हम नहीं खपा पाते, तब तक सामान्य हरिजनों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं कर सकेंगे । इसलिए हरिजनों के वास्ते कुटीर उद्योगों और खेती की व्यवस्था के लिए जो मैं ने सुझाव रक्खा है, आशा करता हूं कि उस पर गृह मंत्रालय विशेष रूप से ध्यान देगा ।

शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । इसमें संदेह नहीं है और इस बात के लिए सबको अनुगृहीत होना चाहिए कि सरकार ने शिक्षा के द्वार सब के लिए खोल दिये हैं । सरकार ने हरिजनों के लिए छात्रावास भी खोले हैं । सरकार ने शिक्षा के द्वार उन हरिजनों के लिए खोले हैं जो ऊंची शिक्षा का तो कहना ही क्या, मामूली शिक्षा पाने तक की भी कल्पना नहीं कर सकते थे । पहली योजना में २६.९१ करोड़ रुपया हरिजनों एवं जन जातियों के लिय रखा गया था जिस में ८.९४ करोड़ शिक्षा पर खर्च हुआ । दूसरी योजना में हरिजनों एवं जन जातियों पर ७०.६६ करोड़ खर्चा हुआ जिस में २०.५ करोड़ शिक्षा पर था । तीसरी योजना में इन की शिक्षा पर ३४.१४ करोड़ की धन राशि निर्धारित की गई है । यह अच्छी खासी रकमें हैं । मैं इससे इंकार नहीं करता कि जो रकमें खर्च हुई हैं उनसे अच्छा परिणाम नहीं निकला है । अच्छे परिणाम अवश्य निकले हैं । हजारों और लाखों हरिजन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के द्वार खुले हैं । पहले जिनको शिक्षा नहीं मिलती थी उन के हेतु शिक्षा की व्यवस्था हुई और परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि वे बड़े बड़े स्थानों तक पहुंचने में सफल हुए ।

हाई स्कूल के आगे हरिजन विद्यार्थियों को वजीफे देने की योजना १९४४ से लागू हुई और दूसरी योजना के अंत तक २०२९१३ हरिजनों एवं ३४६८८ आदिम विद्यार्थियों को वजीफे दिये गये । पहले कुछ राज्यों में फीस ली जाती थी लेकिन अब फीस लेना बिलकुल बंद हो गयी है । यह प्रसन्नता का विषय है कि फीस से उनको मुक्ति मिल गयी है और हाई स्कूल से निचली कक्षाओं में वजीफे की व्यवस्था है । इस सिलसिले में कुछ लोगों ने यह शिकायत की है और मैं समझता हूं कि यह जायज शिकायत है कि एक बार हरिजन विद्यार्थी अगर फेल हो जाता है तो उस पर फीस लगा दी जाती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि फेल होने पर हरिजन बालकों से जो फीस ली जाती है वह लेना तत्काल बंद कर दिया जाय । ऐसी चीजों में तत्परता की आवश्यकता होती है । अब

[श्री कृष्ण देव त्रिपाठी]

मान लीजिये कि एक, दो वर्ष इस बात पर लग गये । यहां से लिखा पढ़ी की गई । शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने सूबों को लिखा और सूबों ने उस में जरा भी देर की तो भारत में हजारों हरिजन विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो जायेंगे ।

मेरा निवेदन है कि इस तरह की और भी बातों की, जिनकी कि सिफारिश आयुक्त महोदय ने अपनी रिपोर्ट में की है, को जल्दी लागू करने का भी कोई तरीका सरकार को निर्धारित करना चाहिए । खाली सिफारिश करने से काम नहीं चलता है । अगर यह सिफारिशें फौरन लागू नहीं होती हैं तो हजारों लोग शिक्षा से वंचित हो जायेंगे ।

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर पर्याप्त नहीं हैं । केवल ५ हरिजन और ५ आदिम विद्यार्थियों को विदेशी छात्रवृत्तियां दी गईं और एक हरिजन को फ्रान्सीसी सरकार द्वारा छात्रवृत्ति मिली । इसके लिए आयुक्त महोदय ने लिखा है कि यह बहुत कम है और पर्याप्त नहीं है । उन्होंने सिफारिश की है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को वजीफ़ा देकर विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना चाहिए । अगर हमारे देश के हरिजन बच्चे दूसरे देशों में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वह जहां उससे अपना दृष्टिकोण व्यापक बनायेंगे, वहां सांथ ही लौट कर वे अपने देश और समाज की भी अधिक सेवा कर सकेंगे ।

मुझ एक अध्यापक होने के नाते इस सिलसिले में थोड़ा और निवेदन करना है । मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि आवश्यकता केवल यह नहीं है कि हम उनको आर्थिक सहायता दें बल्कि आवश्यकता इस बात की भी है कि उस आर्थिक सहायता का सही तरीक़े से इस्तेमाल हो । मैं एक डिग्री कालिज में प्रधान अध्यापक रहा हूं और अपने निजी अनुभव और जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि बहुत सी इस प्रकार की सहूलियतें जो हम हरिजन विद्यार्थियों को देते हैं, उसका नियन्त्रण अच्छी तरह से न हो सकने के कारण, उनका बहुत कुछ दुरुपयोग हो जाता है । हरिजनों को न मालूम कितने वजीफ़े दिये जाते हैं लेकिन होता यह है कि इन से कोई भैंस ख़रीद लेता है, कोई बैल ख़रीद लेता है तो कोई अपनी बहिन की शादी करता है । यह स्वभाविक भी है क्योंकि वे हरिजन ग़रीब होते हैं, परेशान होते हैं और उनके पास रुपया मिलने का चूंकि अन्य कोई साधन नहीं होता है इसलिए वजीफ़े वाला रुपया दूसरे कामों में लगा देते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह की समुचित व्यवस्था हो ताकि वह स्कालरशिप ठीक शक्ल में खर्च किये जायें । हरिजनों को छात्रावासों में रहने के वास्ते प्रोत्साहन दिया जाय और उनको इसके लिए आवश्यक सुविधाएं दी जायें । अध्यापक उनका संरक्षण करें और देखें कि वे ठीक से पढ़ते हैं या नहीं । जो धन उनको मिलता है उसका वे सदुपयोग करते हैं या नहीं, पुस्तकें ख़रीदते हैं या नहीं । अगर इस तरह से हम हरिजन विद्यार्थियों का संरक्षण और देख रेख नहीं करेंगे तो बहुत सारा रुपया जो सरकार खर्च कर रही है, नष्ट हो जायगा । आज इस संरक्षण के अभाव में परिणाम यह हो रहा है कि परीक्षाओं में हरिजन विद्यार्थी अपेक्षाकृत अधिक तादाद में फ़ेल होते हैं । इसका कारण यह नहीं है कि वजीफ़ों की तादाद ज्यादा है बल्कि उनके देने का ढंग गलत है .....

श्री मौर्य : जो धन दिया जाता है वह ज्यादा नहीं है और .....

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : आप बैठ जाइये । मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि उसकी देखभाल ठीक होनी चाहिए ।

श्री मौर्य : माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहता हूं . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आप धीरज रखिये । आपको अभी बोलने का मौक़ा मिलेगा ।

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : तो मैं यह कह रहा था कि इसमें मैं थोड़ा सा अध्यापकों को भी दोष देता हूं । अपने ऊपर भी दोष लेने को तैयार हूं कि जितनी देख रेख हम लोगों को करनी चाहिए वह नहीं करते हैं ।

श्री मौर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य को मौका मिलेगा । वे प्रतीक्षा करें ।

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : आवश्यकता इस बात की है कि एक ऐसा तरीक़ा अपनाया जाय जिसमें अध्यापकों की भी जिम्मेदारी हो और सरकार की भी जिम्मेदारी हो कि वह यह देखें कि हरिजनों को जो सुविधायें दी जाती हैं उनका सदुपयोग हो । अगर हम करोड़ों रुपया खर्च करके लाखों और हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा कर तैयार नहीं कर सके तो उसका ख़राब नतीजा निकलने वाला है । इस तरह से न तो उन हरिजनों का फायदा होगा और सरकार का धन भी नष्ट हो जायेगा ।

यहां पर यह भी कहा गया कि ऊंची नौकरियों में हरिजनों को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है । मैं इस बात से ज्यादा सहमत नहीं हूं लेकिन मैं यह ज़रूर चाहता हूं और मेरी इच्छा है और मैं खुद वह दिन देखना चाहता हूं जब कि इस देश के बहुमत अधिकारी हरिजन हों । ऐसी मेरी बिलकुल ईमानदारी से इच्छा है । यह ठीक है कि हरिजनों को उच्च शिक्षा के लिए जो वज़ीफ़े मिल रहे हैं उसक हिसाब से हरिजन बड़ी बड़ी नौकरियों में पहुंच जाते हैं लेकिन आवश्यकता इस बात की है जिस ओर कि सम्भवत: अभी तक किसी भी सदस्य ने ध्यान नहीं खींचा और वह यह कि जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वह शिक्षा संस्थाएं हों चाहे और कोई हों, चाहे स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं हों उन में हरिजनों को उचित प्रतिनिधित्व तो मिलना दूर रहा, दो, चार फ़ीसदी प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलता है । जिला परिषदों को आप देख लीजिये । उनमें २, २, ३, ३ या ४, ४ हजार कर्मचारी काम करते हैं, अध्यापक के रूप में और अन्य रूप में, उन में कितने हरिजन हैं ? कहीं ३० होंगे, कहीं ५० होंगे और कहीं १०० होंगे । जहां सरकार ने अपने यहां उनको संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की है वहां इस बात के लिए भी आवश्यक क़दम उठाना चाहिए कि यह संरक्षण की व्यवस्था स्वायत्त शासन संस्थाओं में तथा गैर सरकारी संस्थाओं में भी पहुंच सके । इसलिए ख़ास तौर से जो कम पढ़े लिखे हरिजन हैं, दसवां या ग्यारहवां दर्जा पास हैं, उनको भी नौकरी में स्थान मिले । आज उनको नौकरियों में कोई पूछने वाला नहीं है । उनको बड़ी बड़ी नौकरियों में स्थान नहीं मिलता है । हरिजन लड़के जो थोड़ा पढ़ कर निकलते हैं उनको अगर स्थान मिल सके तो उससे हरिजनों की दशा में बहुत बड़ा सुधार होगा । इसलिए इस ओर मैं मंत्री महोदया का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण देव त्रिपाठी]

रिपोर्ट में एक बात यह भी बताई गई है कि धारासभाओं में हरिजनों की तादाद किस तरीक़े से बढ़ रही है ? ख़ास तौर से जहां उनका आरक्षण नहीं है वहां भी बढ़ रही है । यह बड़ी अच्छी बात है । रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैसे जैसे यह संख्या बढ़ती जायेगी, रिजरवेशन को रक्खा गया है, उसे समाप्त कर देने में सुविधा मिलेगी । मैं उस से सहमत हूं लेकिन यह भी सही है कि पिछले आम चुनावों के आंकड़े अगर आप देखें तो पायेंगे कि काफ़ी तादाद में हरिजन आम साधारण सीटों से खड़े हुए थे और उनको काफ़ी वोट भी मिले थे । लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि चूंकि वे अधिकांश स्वतंत्र और आज़ाद उम्मीदवार थे इसलिए चुनाव जातीयता और उप-जातीयता के आधार पर लड़े । जो हरिजन खड़े हुए थे वे किसी सिद्धान्त के आधार पर खड़े नहीं हुए थे । इस बात की व्यवस्था करना और इस बात की आशा करना कि ज्यादा से ज्यादा हरिजन साधारण सीटों से चुन कर जायेंगे, इसका उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं है । यह तभी सम्भव है जब इस देश के राजनीतिक दल प्रगतिशील हों, जिन्हें हरिजनों से हमदर्दी हो और वे ज्यादा से ज्यादा हरिजन उम्मीदवारों को साधारण सीटों से खड़ा करें ताकि धीरे धीरे इस प्रकार के रिजरवेशन की ज़रूरत ही न रह जाय और यह रिजरवेशन की व्यवस्था ही टूट जाय । उसमें सहयोग आवश्यक है उन लोगों का जो कि राजनीतिक दलों के नेता हैं और राजनीतिक दल चलाते हैं और देश में जनमत का निर्माण करते हैं । अब मैं एक बहुत ही आवश्यक बात की तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरा अपना ऐसा अनुमान है, मेरे पास कोई डैटा नहीं है, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि जिस परिमाण में हरिजनों को सुविधाएं दी गईं हैं, वे सुविधाएं हरिजनों के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि वे सुविधाएं क्या हरिजनों के सभी वर्गों तक पहुंच रही हैं या केवल कुछ विशेष वर्ग या लोगों तक ही सीमित हैं? इस तरह की एक भावना फैली हुई है कि हरिजनों में जो अपेक्षाकृत कमजोर और पिछड़े वर्ग हैं जिनको यह सुविधाएं अधिक मिलनी चाहिएं, वे उन से वंचित रह रहे हैं । हरिजनों की सुविधाओं के नाम पर कुछ उपजातियां और कुछ लोग बेहद फ़ायदा उठा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि आयुक्त महोदय अपनी अगली रिपोर्ट में इस बात की व्यवस्था करें कि किस किस प्रदेश में कौन कौन उपजातियां हैं और उन उपजातियों की कितनी आबादी है और उन उपजातियों को कितनी नौकरियां मिली हैं ? उनको शिक्षा में कितनी सहायता दी गई, मकान के निर्माण में कितनी सहायता दी गई और हरिजनों को जो यह सुविधायें दी गई हैं वे सब वर्गों तक जाती हैं, किस हद तक जाती हैं और किस हद तक नहीं जाती हैं इस बारे में प्रकाश डालें । जैसा मैंने कहा कुछ हरिजनों ने विशेषाधिकार बना रक्खा है, उस विशेषाधिकार को अगर नहीं तोड़ा जाता है तो हरिजनों में भी हरिजन हो जायेंगे और (इंटरप्शंस) हरिजनों की समस्या सफलतापूर्वक हल नहीं हो पायेगी । इन शब्दों के साथ मैं आयुक्त महोदय के प्रतिवेदन का समर्थन करता हूं ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन, जब कि इस सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के कमिश्नर की रिपोर्ट पर चर्चा चली है, मुझे आदरणीय महात्मा गांधी के वे शब्द याद आते हैं, जिन में एक शब्द में उन्होंने कहा था, "अन्तोदय"—"दि लास्ट फ़र्स्ट," अर्थात् जो सब से पिछड़ा है, उस का अधिकार है कि उस का कार्य सब से पहले हो । इस लिए जिस वक्त हमारे पवित्र संविधान की रचना हुई, उस में इसी विचारधारा का ध्यान रखा गया था । इसी कारण हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज़ के चैप्टर में आर्टिकल ४६ में

कहा गया है :—

"राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों की विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।"

ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज़ हैं, यह मैं मानता हूं, कि जहां तक हमारे यहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, उन में इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज़ का कोई ख़ास महत्व नहीं है। परन्तु जहां तक हमारे इस सदन का प्रश्न उठता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज़ इस सदन का नेतृत्व करने वाली भावना रखते हैं और इन्हीं की भावनाओं पर आधारित हो कर हम को अपने तमाम कानून, बाईलाज़ और स्टैट्स बनाने चाहिए और यह सदन बनाता भी है। लेकिन इन भावनाओं के अन्तर्गत जब कि यहां पर रिज़र्वेशन रखी गई, पोलीटिकल रिज़र्वेशन हुई, सरकारी नौकरियां में रिज़र्वेशन हुई, वहां उन भावनाओं की पूर्ति नहीं की गई।

यह रिपोर्ट इस सदन के सामने है। यदि इस को ही मैं आप के सामन रखूं, तो उससे पता चलेगा कि हम कहां तक उन भावनाओं की पूर्ति कर पाये हैं। जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए नौकरियों का प्रश्न है, वह कोई भीख़ नहीं है, जैसा कि एक आदरणीय सदस्य ने कहा है। यह इस राष्ट्र के अछूतों का जन्म-सिद्ध अधिकार है। उन का जो शोषण पहले हुआ है, उस शोषण का जो कर्ज़ा यहां की एडवांस्ड क्लासिज़, सवर्ण जातियों पर है, वे उस कर्जे को चुकायें। परन्तु उस की पूर्ति कहां तक हो रही है, जब हम आग चल कर इस को देखते हैं, तो मन में एक बहुत बड़ा क्रोध सा होता है। मेरी भावनाओं में क्रोध भी है और खेद भी। खेद इस कारण कि संविधान में जो भी भावना है, उस को पूरा नहीं किया गया है और क्रोध इस कारण कि मेरी रगों में भी एक शोषित का खून दौड़ता है।

रिज़र्वेशन के नाम पर, संरक्षण के नाम पर, यहां के करीब दस करोड़ इन्सानों को गुमराह किया जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है। शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के कमिश्नर की रिपार्ट आप के सामने मौजूद है। उस की टेन्थ रिपोर्ट के पन्ने २७६ और २७७ को यदि हम उठा कर देखें. तो पता लगेगा कि हम ने इस विषय में कितनी तरक्की की है और अछूत कहे जाने वाले लोगों और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोगों की कितनी भलाई की है।

१९५६ में यहां पर कुल नौकरियां ३६०० थीं, पहले दर्जे की। उस समय उन में शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग .११ फ़ी सदी थे और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग .५८ फ़ी सदी थे। १९६० में अगर हम देखते हैं, तो केन्द्रीय सरकार की तमाम अब्बल नम्बर की क्लास वन की, नौकरियां ६.९८३ थीं, जिन में से शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग थे केवल .१० फ़ी सदी, में जब कि पहले यानी १९५६ में वे .११ फ़ी सदी थे। इस के वावजूद यह कहा जाता है कि हम ने बहुत उन्नति की है। वास्तव में फ़ीसदी में गिरावट हुई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह किस तरह की तरक्की हम ने की है।

उपाध्यक्ष महोदय एक तो माननीय उप-मंत्राणी जी हिन्दी अच्छी तरह नहीं समझती हैं। अब वह बातें कर रही हैं। इस स्थिति में वह मेरी बात का कैसे जबाव देंगी। अब्बल तो अफ़सोस की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर मौजूद नहीं हैं।

[श्री मौर्य]

यह बड़े महत्व की बातें हैं। जितनी चीन के एग्रेशन की इम्पार्टेन्स है, उस से कुछ कम इम्पार्टेन्स इन की नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह समझ रही हैं।

श्री मौर्य : नहीं श्रीमन्, वह बातें कर रही हैं।

१९५६ में केन्द्रीय सरकार की अब्बल दर्जे की नौकरियों में शिड्यल्ड कास्ट्स .५८ फ़ी सदी थे और १९६० में वे .९४ फ़ी सदी हो गए। यह हम ने तरक्की की है। अगर दूसरी और तीसरी कैटेगरीज़ को देखा जाये, तो मालूम होता है कि क्वोटा पूरा बटा भी नहीं है।

इस रिपोर्ट के पेज २७८ पर लिखा गया है :—

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का सेवाओं में संतोषजनक प्रतिनिधित्व नहीं हैं।"

मैं यह जानना चाहूंगा कि आज की सरकार इस के लिए क्या कर रही है और वह इन शब्दों के लिए क्या करेगी :—

"जब तक प्रथम और दूसरी श्रेणी के अधिकारियों को अधिकतर संख्या में नहीं लिया जाता तो इन सेवाओं में इनकी कमी पूरी करना असम्भव होगा।"

इस रिपोर्ट में बहुत से आंकड़े दिए गए हैं, परन्तु मेरे पास इतना समय नहीं है, कि मैं उन सब को यहां पर दे पाऊं। मैं केवल यह कहना चाहता हू कि आज पूरे हिन्दुस्तान में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स का कमिश्नर या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का कमिश्नर नहीं है, जब कि यहां पर हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं कि आज की सरकार उन की बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहती है।"

सरकारी नौकरियों से आगे बढ़ कर मैं यह देखता हूं कि एम० एल० ए० और एम० पी० बनाने के लिये स्टेट एसेम्बलीज़ और इस सदन के सदस्य बनने के लिये, जो कि कानून बनाते हैं, कांग्रेस को काबिल और लायक इन्सान मिल जाते हैं और तमाम रिज़र्व्ड सीटें भर जाती हैं। यही नहीं, मिनिस्टर बनने के लिए भी लायक और काबिल इन्सान मिल जाते हैं। और उन को मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि हम को इतने लायक और काबिल ग्रेजुएट नहीं मिलते—जब कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के हज़ारों ग्रेजुएट भूखे मर रहे हैं—जो कि डिपुटी कलेक्टरी या एग्रीकल्चर आफ़िसर का काम कर सकें, या इस तरह के छोटे छोटे काम कर सकें।

यही नहीं, रिप्रैजेन्टेशन दो तरह का है, सरकारी नौकरी में और पोलीटिकल सिस्टम में। अभी अभी हमारे भाई बड़े जोर-शोर से कह रहे थे—मैं उन की भावनाओं को समझ सकता हूं, चौधरी साहब ने बहुत सी बातें कही थीं—लेकिन आप इसी सदन को देखिये। हर एक रिज़र्व्ड सीट भरी हुई है। मुझे बताया जाये कि पोलीटिकल रिज़र्वेशन है—हालांकि मेरी पार्टी इस पोलीटिकल रिज़र्वेशन के ख़िलाफ़ है—लेकिन यू० पी० के ५४ ज़िलों में ज़िला परिषदों के कितने चेयरमैन हरिजन जाति और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं। एक भी नहीं है। पूरे ५४ ज़िलों में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम

कोर्ट में भी एक भी जज शिड्यूल्ड या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का आदमी नहीं है । इसी तरह एम्बैसेडज़ और हाई कमिश्नर्ज़ में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि यह पोलीटिकल फ्राड है।

यहां पर विद्वता की बात कही जाती है । विद्वता की बात को तो मैं नहीं मानता हूं। जब आई० सी० एस० का प्रश्न उठता था, तो इसी तरह की बात अंग्रेज़ भी हमारे बारे में कहा करते थे कि हिन्दुस्तानी काबिल नहीं हैं। अगर सरकार काबिल समझे, तो बहुत है । अगर न समझे, तो कोई भी नहीं है । एफ़िशेन्सी का प्रश्न वक्तन-फ़वक्तन बहुधा उठा करता है । कहा जाता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी इनएफ़िसेन्ट हैं, सरकारी नौकरियों में उन की वजह से इनएफ़िशेन्सी आती है। मैं मान सकता हूं कि वे पिछड़े वर्ग हैं, इनएफ़िशेन्ट होंगे । लेकिन उन की इनएफ़िशेन्सी के कारण सरकारी नौकरियों में लगे हुए सवर्ण जाति के एफ़िशेन्ट आफ़िसर्ज, काबिल और विद्वान आफ़िसर्ज की विद्वता कहां चली जाती है? इस सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग मौजूद हैं । इस सदन की एफिशेन्सी शिड्यूल्ड कास्ट के कुछ मेम्बरों की इनएफ़िशेन्सी के कारण ख़त्म नहीं हो जाती है । मैं ने बहुत नज़दीक जा कर देखा है । आज शिड्यूल्ड कास्ट्स के सत्तर फ़ीसदी आई० ए० एस० और पी० सी० एस० आफ़िसर ऐसे हैं जिन के ख़िलाफ़ इनएफ़िशेन्सी की रिपोर्ट है जिन के बारे में कहां जाता है कि वे इनकेपेबल हैं, उन की इन्टेग्रिटी डाउटफुल बताई जाती है । इस तरह की रिपार्ट उन के खिलाफ हैं। वे कभी भी अपने जीवन में कलैक्टर नहीं बन सकते हैं । इस तरह की जो मनोवृत्ति वहां पर चल रही है, इस की ओर आपका ध्यान जाना चाहिये । यह जो रोग है, इस रोग को अगर दूर नहीं किया गया तो जो लोकशाही है, जिस लोकशाही का सवाल हमारे दिमागों में बहुत ऊंचा बना हुआ है, वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी। इसकी ओर बार बार मैं ने आपका ध्यान भी खींचा है लेकिन मैं देखता हूं कि इसकी ओर सरकार कोई अधिक ध्यान नहीं दे रही है ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, बहुत से जिम्मेवार लोगों ने कहा है, कि शैड्यूल्ड कास्ट्स की जो समस्या है, यह राष्ट्रीय समस्या है और इसको राष्ट्रीय समस्या मान कर चलना चाहिये और इस समस्या को जितनी जल्दी हल कर लिया जाएगा उतना ही भारत के लिए अच्छा होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत ही दुखदायी परिस्थितियों में हम पड़ सकते हैं।

बेगार की समस्या का भी इस रिपोर्ट में ज़िक्र किया गया है । समय नहीं है कि मैं विस्तार से इसके बारे में चर्चा कर सकूं। यदि आप इस ग्यारहवीं रिपोर्ट को ही उठा कर देखें तो इसका जिक्र आप पेज़ १३ पर पायेंगे । वहां पर लिखा गया है कि बेगार ली जाती है, और जम्मू कश्मीर में इसको मंझी तथा इझारी कहा जाता है । राजस्थान, मध्य प्रदेश, तथा उत्तर प्रदेश में, इसका बेगार नाम से पुकारा जाता है. । उड़ीसा में इसको गोदी का नाम दिया गया है और महाराष्ट्र में वित के नाम से इसका प्रचलन है। पहले की रिपोर्टों में भी इसका जिक्र हुआ है । जब बेगार कहते हैं, तो उसका मतलब है कि किसी की मर्जी के खिलाफ काम करवाना . . .

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : श्रमदान के बारे में आपका क्या खयाल है ? कहीं श्रमदान को ही आप बेगार तो नहीं कह रहे हैं?

श्री मौर्य : श्रमदान बेगार का दूसरा रूप है । हमारे बाप दादाओं ने बेगारें दी हैं और हम से श्रमदान के नाम पर ली जा रही है । श्रमदान को मैं बेगार का दूसरा रूप मानता हूं । दसवीं रिपोर्ट के पेज ५ पर लिखा हुआ है :

"केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ज़बरदस्ती मज़दूरी की प्रथा अब भी है।"

यह तमाम रिपोर्टस में दिया हुआ है । आज बेगार क्यों है, प्रश्न यह उठता है । किन्हीं लोगों को उन की मर्जी के विरुद्ध, उनको पूरी तनखाह न दे कर, उनको पूरी मजदूरी न दे कर, उन से काम क्यों लिया जाता है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें ।

श्री मौर्य : मुझे इस पर बोलने के लिये कुछ ज्यादा समय दिया जाये —

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का समय पांच मिनट था । आपने बारह मिनट लिए हैं । तो दो तीन मिनट और ले लीजिये और खत्म कर दीजिये ।

श्री मौर्य : मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूं ।

छुआछूत का जहां तक सम्बन्ध है, रिपोर्ट में ही बताया गया है कि छुआछूत आज भी है । छुआछूत गांवों में होती है, छुआछूत शहरों में होती है, छुआछूत सरकारी कर्मचारियों में होती है, छुआछूत सरकारी दफ्तरों में होती है, छुआछूत मिनिस्टरों के घरों में होती है । कहां छुआछूत नहीं होती है ? अपने प्रदेश की ही बात मैं आपको बतलाता हूं । एक दो मिनिस्टरों को मैं जानता हूं । उनके घरों में छुआछूत होती है । मैं मानता हूं कि छुआछूत का रोग कम जरूर हुआ है । मैं यह नहीं कहता कि कम नहीं हुआ है । यदि १९४७ में सौ परसेंट छूआछूत थी तो आज पचास परसेंट है । लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि छुआछूत नहीं है । ऐसी शिकायतें बहुधा आती हैं कि स्कूल की पुस्तकों में धार्मिक पुस्तकों में छुआछूत का प्रोपेगंडा किया जाता है । उन पुस्तकों को बन्द किया जाना चाहिए । संविधान की धारा १७ कहती है कि किसी भी तरह से छुआछूत को मानना, या उसका प्रापेगंडा करना कानूनी जुर्म होगा । लेकिन धार्मिक पुस्तकें, मजहबी पुस्तकें इस तरह की अब भी हैं जो छुआछूत का खुलेआम प्रापेगंडा करती हैं । यह देखा जाना चाहिये कि किन कारणों से छुआछूत है । जो कारण हैं, उनको सीरियसली कंसिडर करना चाहिये । यह छुआछूत विद्यार्थियों के कारण नहीं है, बल्कि पढ़ाने वालों के कारण है । मैं भी एक केन्द्रीय यूनिसर्स्टी में पढ़ाता हूं । मैं जानता हूं कि मास्टर लोग छुआछूत बरतते हैं, कानून की रक्षा जहां होती है, वहां पर छुआछूत है, जजों के दिमागों में छुआछूत है । दफ्तरों में छुआछूत है, वकीलों में छुआछूत है । अगर आप वकीलों की बार को जा कर देखें तो आपको वहां पर दो गिलास मिलेंगे, एक पीतल का और दूसरा शीसे का . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें ।

श्री मौर्य : अब्बल तो हम लोग बोलते नहीं हैं और जब कभी बोलते भी हैं, तो हमें बहुत ही कम समय दिया जाता है । यह जो मसला है, इस पर बोलने के लिये तो हमें कुछ ज्यादा समय दिया जाना चाहिये । रिपब्लिकन पार्टी इस सदन का कम से कम समय लेती है । कृपा करके और समय दे दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का पांच मिनट समय था और आपने पंद्रह मिनट ले लिये हैं।

श्री मौर्य : क्षमा करें अगर मैं यह कहूं कि अगर पार्टी का हिसाब लगाया जाए और हमारा समय निकाला जाए तो यह भी देखा जाना चाहिये कि हम कितना कुल समय बोलते हैं और कौन कौन से विषय हैं, जिन पर हम बोलते नहीं हैं और किन किन पर बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का सिर्फ पांच मिनट समय था।

श्री मौर्य : हम सब से कम समय लेते हैं। खास विजिनेस हाउस के सामने होते हुए भी 'वाइंट आफ आर्डर इत्यादि में दो दो घंटे चले जाते हैं। कृपया मुझे बोलने का थोड़ा और समय दिया जाये।

छुआछूत का जहां तक सम्बन्ध है, हमारे बाल्मीकी जी यहां बैठे हुए हैं। वह जिस जिले से आते हैं वहां पर एक संस्कृत पाठशाला है, नरवर संस्कृत पाठशाला। वहां पर आज भी अछूत लड़के दाखिला नहीं पा सकते हैं, अछूत उस विद्यालय में घुस तक नहीं सकते हैं। बाल्मीकी जी कहते हैं कि वह तो चले जाते हैं, लेकिन औरों को घुसने नहीं दिया जाता है। बाल्मीकी जी को वहां इज्जत होगी, वह वहां जा सकते हैं लेकिन दूसरे अछूत नहीं जा सकते हैं। इस विद्यालय को सरकार से सहायता मिलती है। इस तरह की जो बातें हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

अब मैं नान-आफिशल आर्गेनाइजेशंज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। नान-आफिशल आर्गेनाइजेशंज़ में डिप्रैस्ड क्लासिस लीग आदि आती है और न जाने और कितनी संस्थायें आती हैं। न जाने किस किस तरह से लोगों ने उनको अपने अड्डों के रूप में बना रखा है। मैं तो इनको यतीम खाने कहूंगा और ये यतीम खाने हैं भी। कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो कि कुछ रुपया खुद अपने प्रयत्नों से इकट्ठा करती हो, सारा का सारा रुपया सरकार से आता है—

श्री बाल्मीकी : नान-आफिशिल आर्गेनाइजेशंज़ की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं। इस में भारतीय डिप्रैस्ड क्लासिस लीग, हरिजन सेवक संघ आदि कई संस्थायें आ जाती हैं। अस्पृश्यता निवारण के लिये कई संस्थायें तो ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो अच्छा काम नहीं कर रही हों, यह मैं मानता हूं लेकिन इस तरह से सभी पर आक्षेप नहीं होना चाहिये और न यह उचित प्रतीत होता है।

श्री मौर्य : : नान-आफिशल आर्गेनाइजेशन का मतलब है, बालेंटरी आर्गेनाइजेशन। डिप्रैस्ड क्लासिस लीग आदि संस्थायें उस में आ जाती हैं। पब्लिक से कितना रुपया ये इकट्ठा करती हैं, अपने इनिशियेटिव पर कितना रुपया इकट्ठा करके लाती हैं, इसको आप देखें। तमाम का तमाम रुपया सरकार से उनको मिलता है। मैं चाहता हूं कि सरकार जो सरकारी मशीनरी है उसको मज़बूत बनायें। अछूतों के नाम पर कुछ संस्थाओं को रुपया दे कर जो सत्ताधारी पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन है, मज़बूत किया जाए, यह कहां तक उचित है, इसको आप देखें। इन संस्थाओं का भी विरोध करता हूं।

यहां १७, १८, ७०, ८० नए पैसे की बात भी चली थी। इसका ज़िक्र करके मैं समाप्त कर दूंगा। आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय प्लानिंग मिनिस्टर और आदरणीय

[श्री मौर्य]

लोहिया जी के बीच में तीन आने और पंद्रह आने का झगड़ा चला था। अगर आप प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट को देखें तो उसमें यह लिखा हुआ आप पायेंगे कि २० परसेंट ऐसे लोग हैं, जिन के पास कोई ज़मीन नहीं है और जो दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। इनको लैंडलैस लेबरर कहा जाता है, भूमिहीन मजदूर कहा जाता है। इसके अलावा यह भी लिखा हुआ है कि १९ परसेंट ऐसे घर हैं जिन की आमदनी २०० रुपये सालाना है या इससे कम है। आप हिसाब लगा कर देखें कि १९ परसेंट में कौन लोग शामिल हैं। इस में वे लोग भी शामिल हैं जो शैड्यूल्ड कास्ट हैं, जो कैड्यूल्ड ट्राइब्ज के हैं। वे ही इस सेंटपरसेंस इस में शामिल हैं। छोड़ दीजिये आप बाबू जगजीवनराम जैसे लोगों को या मुझ जैसों को जिन को ज्यादा तनख्वाह मिल जाती है। इस में बहुमत शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों का ही है। अब अगर हिसाब लगा कर देखा जाए तो पता चलेगा कि अछूत कहे जाने वाले एक इंसान को केवल ग्यारह नए पैसे रोज़ ही पड़ते हैं। अब जिन अछूतों के पास ज़मीनें हैं या जो और कुछ काम करते हैं और जो इस में शामिल हैं उन अछूतों की तादाद आज पचास लाख मान ली जाए, तो एक अछूत की आमदनी तीन नए पैसे प्रतिदिन से अधिक नहीं होती है ....

श्री दलजीत सिंह : आपका हिसाब गलत हो गया है। अगर दो सौ रुपया सालाना आमदनी है तो इस हिसाब से सोलह सतरह रुपया महावार हुआ।

श्री मौर्य : आप हिसाब की बात करते हैं जो बाद में बैठ कर कर लेना मैंने मैथमैटिक्स में बी० एस० सी० किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयाबेन शाह।

श्री मौर्य : आध मिनट में मुझे जो मेरे सुझाव हैं उन को दे लेने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको १७ मिनट दे दिये हैं।

श्री मौर्य : सुझाव हो जाने दीजिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। मैंने अगले वक्ता का नाम ले दिया है।

श्री मौर्य : यह बिल्कुल गलत तरीका है। मुझे सुझाव दे लेने दीजिये ....

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : उपाध्यक्ष महोदय ....

†**श्री मौर्य** : मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह बहुत आपत्तिजनक है। मैं सदन का त्याग करता हूं।

[इसके पश्चात् श्री मौर्य ने सदन त्याग किया] :

श्रीमती जयाबेन शाह : माननीय सदस्य जो अभी बाहर चले गये हैं, उनका जो क्रोध था, वह इसलिये था कि हरिजन भाई ऐसी हालत में आज भी रह रहे हैं कि जिस को देख कर दिल जलता है। उनके दिल में इन लोगों के प्रति जो दर्द है, उसको समझा जा सकता है। इन गरीब लोगों का, इन पीड़ित लोगों का हम पर कर्जा है, जिस को हमें चुकाना है। चूंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य की उम्र छोटी है, इसलिये उन में ज्यादा क्रोध हो सकता है। लेकिन हमें भी इस समस्या पर गम्भीरता से सोच विचार करना चाहिये और देखना चाहिये कि हमारे नवयुवक जो हैं, उनके दिलों में क्या क्या भावनायें हैं, क्या छिपा पड़ा है।

कमिश्नर साहब की रिपोर्ट के बारे में माननीय सदस्य ने कई बातें कही हैं। सारी बातों से शायद मैं भी सहमत हूं। लेकिन जिन बातों से मैं सहमत हूं उनको दोहरा कर मैं सदन का समय व्यर्थ लेना नहीं चाहती हूं। एक खास बात की ओर ही मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। यहां पर कहा गया है कि अनटचैबिलिटी का, अस्पृश्यता का निवारण होना चाहिये। इस हेतु यहां पर बहुत से सुझाव दिये गये हैं, बहुत से सजैशंज़ दिये गये हैं। मेरा कहना यह है कि अस्पृश्यता की जड़ तक हमें पहुंचना होगा और जड़ पर अगर हम न ध्यान नहीं दिया तो ऊपर से कोई भी डैमंस्ट्रेटिव स्कीमें हम चला लें, अस्पृश्यता निवारण होना बिल्कुल असम्भव है। एक बात यह है कि आज पन्द्रह सालों के बाद हम क्या देखते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं मगर एक बात सबों ने छोड़ दी है। उसी पर मैं आना चाहती हूं। आज हमारे देश में भंगियों की क्या हालत है? वह अपने सिर पर मैले का डब्बा ले कर चलते हैं। उन को देख कर ऐसा मालूम होता है कि जब तक यह प्रथा चलती रहेगी तब तक अस्पृश्यता का निवारण होना बिल्कुल असम्भव है। यह बात मैं यहां पर साफ तौर से कहना चाहती हूं। एक मनुष्य को ऐसी हालत में रख कर हम इस प्रकार की बातें करें कि अस्पृश्यता निवारण हो तो इन सब बातों के होते हुए यह चीज नहीं खत्म हो सकती। जब तक हम इस की जड़ को पकड़ कर नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।

हम को इतना कम समय मिलता है कि ठीक तरह से अपनी बातों को रखने का मौका नहीं मिलता है। हम ने डिमाक्रसी बनाई। हम ने कहा है कि डिमाक्रसी में ह्यूमन डिग्निटी की प्रतिष्ठा होगी। लेकिन जब मैं भंगियों को हेड लोड ले कर जाते देखती हूं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है कि हम किस प्रकार से, किस मुंह से डिमाक्रसी की बात कर सकते हैं। यह सोचने की चीज है। हम साइंस अथबा विज्ञान में इतने आगे बढ़े हैं, हम जानते हैं कि मानव ने स्पेस के ऊपर भी कब्जा जमाया है, लेकिन मेरे मन में कोई शक नहीं कि सब से पहले जो बात हम को सोचनी चाहिये वह यह कि स्कैवेंजिंग स्कीम जो है उसे कैसे एबालिश किया जाय। इस चीज पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पन्द्रह साल के बाद, इस थर्ड प्लैन में भी जो रकम रक्खी गई है, इस के लिये जो कुछ अलाट किया गया है, मुझे कहते हुए रंज होता है कि उस रकम का २।३ का उपयोग हुआ है। अगर हम इस तरह से चलेंगे तो यह सिस्टम कब एबालिश होगा इस का पता मुझे नहीं चल सकता। इस बारे में जो हमारे हरिजन सदस्य हैं वे भी चुप बैठते हैं। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि यह एक जागीरदारी सी बन गई है। पता नहीं इस में जागीरदारी की क्या बात है। पाखाना साफ करने में कौन सी जागीरदारी की बात है? इस को अबालिश करने में कम्पेन्सेशन चाहिये, ऐसी मांग की गई है। मैं सोचती हूं कि हम क्या इतने गिरे हुए हैं कि ऐसी बात करने में हमें कोई शर्म नहीं आती है? मैं समझती हूं कि उन का रिहैबिलिटेशन होना बहुत जरूरी है, जिन से यह धंधा छुटाया जाय, मगर इस के लिये कम्पेन्सेशन देने की बात कहां उठती है। इस प्रथा को किस तरह से खत्म करें इस बारे में पन्द्रह साल तक हम सोचते रहे, लेकिन आज तक कोई इलाज नहीं कर सके। मेरी इस सदन से प्रार्थना है कि इस के बारे में हम ज्यादा जागृत हो कर आइन्दा सेशन में कोई ऐसी लेजिस्लेशन ला कर रक्खें जिस से सारे देश में जो यह सिर पर मैला

उठा कर ले जाने की प्रथा है उस को खत्म कर के हम इस काम को पूरा करें । मलकानी कमेटी हम ने बनाई इस बात के लिये कि स्कैवेंजिंग सिस्टम के लिये क्या किया जाय । उन्होंने अच्छी से अच्छी सिफारिशें की हैं । उस के सम्बन्ध में क्या किया गया और उस का क्या अंजाम आया, इस की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं । मेरी समझ में इस के बारे में हम ने कोई खास काम किया ही नहीं है । इस बात के लिये मेरे कुछ स्पष्ट सुझाव हैं जिन को मैं रखना चाहती हूं ।

यह कोई ऐसी बात नहीं है कि इस सिस्टम को अबालिश करने के लिय लोगों को समझाने की जरूरत हो । हमारा ऐसा तजुर्बा है कि लोग चाहते हैं कि यह सिस्टम अबालिश हो । भंगी लोग भी चाहते हैं कि यह अबालिश हो । लेकिन म्यूनिसिलिपैटियों के पास पैसा नहीं है और इस पर जितना सोचने की जरूरत है उतना सोचा नहीं जाता है । इस के लिये हम ने जो प्रोग्राम बनाया है उस में ज्यादा से ज्यादा समय लग जाता है और हमारा खून इतना ठंडा हो गया है कि ऐसी हालत देखते हुए भी हमारे दिल में यह विचार नहीं होता कि इस को आज ही खत्म किया जाय । इस के बारे में मेरा पहला सुझाव यह है कि हम पहले इस को कानून से खत्म करें और उस के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट इस काम में किया जाय । आज जो सिर पर उठाने की प्रथा है और जहां शरीर से सीधा टच में वह आता है उस प्रथा को अबालिश किया जाय और सारे देश में यह लागू किया जाय ।

दूसरी बात यह है कि सारे देश में जितने पाखाने हों उन को सब से पहले कन्वर्ट किया जाय । एकुआ प्रीवी हैं, वाटर सील्स हैं, फ्लश हैं, सैकड़ों किस्म के होते हैं, जहां जैसी हालत है उस के अनुसार लैट्रीन्स को कंवर्ट किया जाय ।

तीसरी बात यह है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज इस काम को करना चाहती हैं उन को जो सब्सिडी मिलती है वह काफी नहीं है, समस्या को देखते हुए वह बहुत कम है । उन को और सब्सिडी देनी चाहिय, लोन्स देने चाहियें । हम म्यूनिसिपैलिटीज को बतलायें कि इस के लिये जब सारे पाखाने कंवर्ट हो जायें तब ये स्पेशल सेस डालें जिस से उन के रिसोर्सेज आगे बढ़ें और जो लोन उन्होंने लिया है उसे वे वापस कर सकें ।

और भी बहुत सी चीजें हैं । व्हीलबैरो एप्लाई किया जाय जो कि कमिश्नर की रिपोर्ट में है । मलकानी जी ने भी बतलाया है । मेरा छोटा सा तजुर्बा है, लेकिन मैं ने देखा है कि यह सब साधन कन्बीनिएंट नहीं हैं । इस से भंगियों को ज्यादा तकलीफ होती है । मैं समझती हूं कि वे सब इतने साइंटिफिक होने चाहियें, इतने आसान होने चाहियें जिस से उन को काम करने में आसानी हो । यह न हो तो यह किसी काम नहीं आयगा ।

इस बारे में एक और बात यह है कि आजकल ज्यादातर बहनें भंगी का काम करती हैं । मेरा सुझाव यह है कि स्त्रियों को इस काम से बिल्कुल हटाया जाय । अगर यह काम करना ही हो तो भाइयों को यह काम दिया जाय । क्योंकि बहनों के साथ बच्चे पलते हैं उन में तो ऐसा भाव पैदा हो कि यह काम नहीं करना चाहिये, चाहे जितनी गरीबी हो । चाहे कुछ हो जाय मगर यह काम हम नहीं करेंगे, यदि एसा मानस पैदा करना हो तो स्त्रियों को इस काम से हटाया जाय । कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं । इस में क्या मश्किल है, यह मेरी समझ में नहीं आता ।

इस को विनोबा जी कष्ट मुक्ति कहते हैं, उस को चाहे जो नाम दिया जाय, लेकिन इस प्रथा को हम जल्दी से जल्दी खत्म कर दें ।

दूसरी बात हरिजनों के ड्रिंकिंग वाटर की है । उस के बारे में भी कहीं पर दो रायें नहीं हैं कि उन को ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मिलना चाहिये । कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन के लिय अलग कुएं चाहियें, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सारे कुओं से वे लोग पानी भरें । जब तक हम इस स्थिति पर नहीं पहुंचते हैं कि सारे कुंओं से हम इकट्ठ पानी भरें—अगर हो सके तो इस से बढ़ कर कोई चीज नहीं हो सकती—लेकिन जब तक ऐसी हालत नहीं है तब तक उन के लिये अलग कुंओं से तो इन्तजाम होना ही चाहिये । सवाल यह है कि अस्पृश्यता निवारण तो हम को करना है ही, मगर उस से बढ़ कर असली सवाल यह है कि स्वच्छ पानी देना, प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर देना सब से महत्व की चीज है । अगर वह हम न दे सकें तो यह बड़ी बुरी बात होगी । आज ऐसा होता है कि न उन के लिय अलग कुंएं हैं और न सार्वजनिक कुंओं से उन को कोई पानी भरने देता है । इस लिय जहां जानवर पानी पीते हैं उसी जगह में आज पानी पी रहे हैं । प्रिंसिपल के तौर पर मैं इस को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन आज की हालत में अगर हम उन को स्वच्छ पानी देना चाहते हैं तो इस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा । यह एक बड़ा सवाल देहातों में, खास कर छोटे छोटे गांवों में पैदा हो गया है, और उन को पानी की बड़ी मुश्किल है ।

दूसरा सवाल हाउसिंग के बारे में है । जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनती हैं, छोटी छोटी भी बनती हैं, वहां लेबर लाज बनते हैं कि मजदूरों के लिये कुछ न कुछ अमेनिटीज होनी चाहियें । लेकिन जहां पर म्यूनिसिपैलिटीज हैं, चाहे वरो म्यूनिसिपैलिटीज हों चाहे सिटी म्यूनिसिपैलिटीज हों, चाहे बड़े बड़े कारपोरेशन हों, वहां इतना तो होना ही चाहिये कि जो उन के स्वीपर एम्प्लायीज हों उन के लिये वे खुद प्राविजन करें हाउसिंग का । जो कोआपरेटिव सोसायटीज हैं वे भी ठीक हैं, लेकिन उस में इतनी दिक्कतें हैं कि वह हम कर नहीं सकते, पैसा यहां रह जाता है । उस में भी हम ने देखा कि शार्टफाल कितना है । हर स्कीम में शार्टकाल रहता है । मैं इस को नहीं समझ पाती कि जहां पर करोड़ों रुपयों की जरूरत है वहां पर किस प्रकार शार्टफाल रह गया । हाउसिंग में शार्टफाल, एजुकेशन में शार्टफाल, स्कैवेंजिंग स्कीम में शार्टफाल । जब हम आंकड़े देखते हैं कि ५० परसेन्ट, २५ परसेन्ट शार्टफाल होता है, कुंओं में शार्टफाल, हाउसिंग में शार्टफाल, तो हमें रंज होता है । मेरा कहना है कि म्यूनिसिपैलिटीज के स्कैवेंजर्स के लिये मकान बनाये जायें । अर्बन हाउसिंग सोसायटीज जो हैं वह जो प्लान बनायें उन में से कुछ फी सदी, कम से कम ५ फी सदी प्लाट्स उन के लिये रिजर्व रक्खे जायें । वहां पर जो मकान बनायें उन को बिना सूद के लोन दिया जाय ताकि वह सब मिल कर एक साथ में रह सकें । नये नये शहर बनते हैं, नई नई दूकानें बनती हैं, बाजार बनते हैं, वहां भी उन के लिये कुछ न कुछ दूकानें रिजर्व रक्खी जायें ताकि वे लोग साथ में बैठ कर धंधे कर सकें । ऐसा न हो कि किसी कोने में आप उन को रख दें । जिस से अस्पृश्यता निवारण करने में सहायाता होगी । मकानों के लिये कहा जाता है कि वे दक्षिण में हों या उत्तर में हों, वह सब बात तो ठीक है लेकिन एक बात सब से आवश्यक है और वह यह है कि हरिजनों के वास्ते मकान वे लो लाइंग एरियाज में न बनाये जायं । चूंकि अकसर हरिजन लोगों में मकान लो लाइंग ऐरियाज में बने रहे रहते हैं, नदी के पास बने होते हैं इसलिए जब जब बाढ़ आती है तो सब से पहले जिसको नुकसान पहुंचता है वह हरिजन होता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि उनको जो साइट्स दी जायें या आयन्दा उनके

[श्रीमती जयाबेन शाह]

वास्ते जो मकान बनवाये जायें, वे ऊपर की लेविल पर बनाये जांय । अगर ऐसा न किया गया तो बार बार यह सवाल उठता रहेगा । नये मकान बनेंगे और बाढ़ आने पर वे सब गिर जायेंगे । सम्बन्धित अधिकारियों को हरिजनों की आवास की व्यवस्था करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रति एक हमदर्दी का भाव लेकर इसको करना चाहिए वरना हम इस समस्या को हल करने में कामयाबी नहीं पा सकेंगे ।

चूंकि आदिवासियों के बारे में ढेबर कमिशन की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो चुकी है । इसलिए उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं । लेकिन इतना अवश्य कहूंगी कि उनकी दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें इस कार्य को करना है । यह तो ठीक है कि वे आदिवासी और बनवासी जो कि जंगलों और पहाड़ों आदि में रहते हैं उनका जीवनस्तर आदि हम एक दम अन्य लोगों के समान नहीं उठा सकते हैं लेकिन इतना तो करना ही चाहिए कि वे जहां रहते हैं, जंगलों और पर्वतों में वे बनवासी और गिरिवासी हैं, उनको हम रोजगार और धंधा सुलभ करें और यह देखें कि वे इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगें । उनमें से जो लोग कुछ पढ़ लिख कर शहरों में आ जाते हैं, उनको सरकार हर संभव प्रोत्साहन दे और उनको बड़ी से बड़ी नौकरी में स्थान भी दे । मगर ८० परसेंट लोग जो कि वन, जंगल और पहाड़ों आदि में रहते हैं उन के लिए हम क्या कर सकते हैं ? उनके लिए दो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं । पहली आवश्यकता तो उनको एजुकेशन देने की है । उसके लिए जितना हम कर सकें, उतना करें । इसके अतिरिक्त जहां वे रहते हैं, उनके लिए वहीं हमें काम धंधे पैदा करने चाहिएं । खाली इससे काम नहीं चलेगा कि हम बड़े बड़े शहरों में कुछ काम धंधे उनके लिए सुलभ कर दें । ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी ज़मीन जो कि ऊसर है, बंजर है उसको हरिजन को देने के लिए फर्स्ट प्राएरटी देनी चाहिए । सैंटर से हालांकि ऐसी सिफ़ारिश की गई है लेकिन राज्यों में उस पर ठीक अमल होता नहीं है । मैं चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार पुनः राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराये और इस पर सही तौर से अमल करने पर जोर दे । जहां भी हरिजन या आदिवासी बगैर काम के हैं, बरोजगार हैं, उनको इस तरह की ज़मीन सबसे पहले दी जाय । ज़मीन देने के साथ ही साथ उनको ज़रूरी इम्पलीमैंट्स भी देने चाहिएं ।

मकान बनाते समय उनको पैसा मत दीजिये बल्कि उसके लिए आवश्यक साधन व सामग्री उनको उपलब्ध करा दीजिये । उनको ज़मीन दीजिये और साथ ही साथ साधन भी दीजिये । ऐसा इंतज़ाम करने से ही हमारी मंशा जो उनको ऊपर उठाने की है, वह पूरी हो सकती है ।

फोरैस्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं । सरकारी सहायता और कर्ज़ आदि की सहूलियत प्राप्त करने के लिए व्यापारी लोग और अन्य कोआपरेटिव सोसाइटीज़ आकर खड़ी हो जाती हैं और नतीजा यह देखने को मिलता है कि जो गरीब हरिजन लकड़ी काटने का धंधा करते हैं, उनको सरकारी सहायता और सहूलियत नहीं मिलती है । उनको मिलने में बड़ी दिक्कत है । अब अगर वह सहूलियत उनको नहीं मिलती है तो उन गरीब लकड़ी काटने वालों का एक्सप्लायटेशन होना ज़रूरी है । इसलिए मैं यहां यह सुझाव रखना चाहती हूं कि यह जो फौरेस्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनका एक हिस्सा होना चाहिए । जो खुद अपना जंगल काटते हैं और काम करते हैं, उनको कुछ विशेष रिआयतें प्रदान करनी चाहिएं ।

जैसा कि एक भाई ने बतलाया कि उनके प्रदेश में जंगल में आदिवासी और बनवासी केवल महुआ खाकर अपना पेट पालते हैं, हो सकता है कि एसी हालत कहीं पर हो, ऐसी जगहों

पर जो एक टक्स लगता है अपनी लकड़ी आदि को इधर, उधर ले जाने में, लकड़ी जो वे अपना गुजारा करने के लिए काट कर इधर से उधर ले जाते हैं, उसमें टैक्स की शक्ल में या दूसरी कोई रुकावट या पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। यह ठीक है कि इसका सैंटर से सम्बन्ध नहीं है और यह राज्यों का काम है कि वे इसको करें। अब राज्यों की हालत आप से छिपी हुई नहीं है। होता यह है कि इस हरिजन कल्याण के कार्य को कोई विशेष अहमियत नहीं दी जाती है इसका पोर्टफोलियो कोई महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है जो कि चीफ मिनिस्टर या किसी बड़े सीनियर मिनिस्टर के पास रहे। मैं चाहूंगी कि सैंटर में इसके लिए कोई स्पेशल मिनिस्टर बनाया जाय तभी यह काम ठीक से पूरा हो सकेगा। यह ठीक है कि हम मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में एकोनोमी करना चाहते हैं और मैं तो चाहती हूं कि उसका आकार काफ़ी छोटा कर दिया जाय, मौजूदा आकार को काट कर आधा कर दिया जाय लेकिन जब तक उसके लिए ख़ास मिनिस्टरी वहां नहीं होगा। जब तक यह काम किसी सीनियर मिनिस्टर के हाथ में नहीं होता तब तक जो परिणाम हम लाना चाहते हैं वह नहीं ला सकेंगे।

हमारे संविधान में अस्पृश्यता को एक कलंक माना गया है और सब को एक समान समझा गया है। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए उसमें साफ़ हिदायतें शासन को दी गई हैं। वे सब ठीक हैं लेकिन देखना यह है कि उन हिदायतों पर अमल करने का दायित्व जिन अधिकारियों पर आता है वे क्या दिल से ऐसा चाहते हैं कि यह चीज़ बिलकुल मिट जाय? हरिजन कल्याण और उनका विकास करने के लिए जिन अधिकारियों को यह काम सौंपा जाय, उनके वास्ते यह देखना कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है और सीनियर को यह काम सौंपा जाय और जूनियर को न दिया जाय,ठीकन होगा। ऐसे सीनियर अफसर जिसके दिलमें हरिजनों के प्रति हमदर्दी का भाव न हो, उसको यह काम सौंपा जाना उचित नहीं है। भले ही वे जूनियर क्यों न हों लेकिन अगर उनके दिलों में पिछड़े लोगों के लिए प्रेम है, सहानुभूति है, तो उनको ही हरिजन कल्याण और विकास का कार्य सरकार को सौंपना चाहिए। चूंकि आज इसका ध्यान नहीं रक्खा जाता है इसलिए हम सब देखते हैं कि वह काम जैसा बनना चाहिए, नहीं बनता है। बस इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री साधू राम (फिल्लोर): उपाध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि आज तीन साल के बाद २० करोड़ आदमियों की बात सोचने के लिए जो कि इस देश में बसते हैं, यह शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिशन की रिपोर्ट इस सदन के सामने आई है। इस से पहले कि मैं अपनी बात कहूं, मुझे इस बात का ख्याल आता है कि हमारी पार्लियामेंट के पास, जो कि देश की सर्वोच्च सार्वभौम प्रजातंत्री सत्ता है, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वह १०, २० करोड़ आदमियों के बारे में विचार करने के लिए कुछ अधिक समय रख सके। यह समस्या इतनी गम्भीर है कि ५, ५ या १०, १० मिनट में ठीक तरह से पूरी बात नहीं कही जा सकती है और जो असल हालात हैं व इस सदन में नहीं रक्खे जा सकते हैं।

इस देश में सैंशस के अनुसार १० करोड़ शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग माने जाते हैं। इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेज़ भी इसमें शामिल होते हैं जिनके लिए यह सारा रुपया इस प्लानिंग कमिशन ने रक्खा है। कुल १०० करोड़ रुपया थर्ड फाइव ईयर प्लान में रक्खा गया है। ७० करोड़ रुपया स्टेट्स सेक्टर से और ३० कराड़ रुपया सैंटर सैक्टर से उनकी भलाई के लिए रक्खा जाता है। अभी कल मैं ने यहां बैठे हुए बैकवर्ड क्लासेज़ के चेयरमैन से पूछा कि अदर बैकवर्ड क्लासेज की हमारे देशमें कितनी आबादी है तो उन्होंने बतलाया कि अंदाज़न कोई १२

[श्री साधू राम]

या १४ करोड़ के लगभग होगी। अब इसके हिसाब से अगर शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज़ की आबादी को एक जगह मिला दिया जाय, उनको आपस में जोड़ दिया जाय तो मेरे ख्याल में २०–२२ करोड़ के क़रीब ऐसे लोग होंगे जिनके लिए १०० करोड़ रुपये का प्राविज़न पांच साला प्लान में रक्खा गया है। इसका मतलब यह निकलता है कि अगर बीस करोड़ रुपया सालाना उन की अपलिफ्ट के लिए ख़र्च किया जाये और इस हिसाब से एक साल में एक आदमी के लिए एक रुपये की मदद की जाये, तो कितने हजार साल के बाद वे लोग तरक्की कर सकेंगे? इससे मैं सोचता हूं कि हमारी गवर्नमेंट का प्लानिंग ग़लत है, क्योंकि एक तरफ़ तो हमारा नारा है सोशलिज्म और सोशलिस्टक पैटर्न आफ़ सोसायटी और दूसरी तरफ़ हम वीकर सैक्शन आफ़ दि सोसायटी, इस देश के कमज़ोर आदमियों, के लिए रुपया नहीं रखते हैं, उन को मदद नहीं देते हैं। इस सूरत में समाजवाद और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी कहां से आ जायेंगे? देश में आज शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ट ट्राइब्ज़ और अदर बैकवर्ड क्लासिज़ की जो हालत है, वह आप के सामने इस सदन के हर एक मेम्बर ने रखी है, चाहे वह आपोज़ीशन का हो और चाहे गवर्नमेंट बैंचिज़ का। सब इस बात पर इत्तिफ़ाक करते हैं कि उन की भलाई नहीं हो रही है। जब सारे मेम्बर पार्लियामेंट में यह बात कहते हैं, तो क्या गवर्नमेंट का ध्यान इधर नहीं जाता है, क्या गवर्नमेंट इस पर विचार नहीं करती है?

पन्द्रह सोलह बरस से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। इस स्वतंत्रता के बाद जितनी तरक्की शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और अदर बैकवर्ड क्लासिज़ ने की है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। जहां तक उन की भलाई का ताल्लुक है, मैं ने अर्ज़ किया है कि एक रुपया एक आदमी के लिए एक साल में ख़र्च किया जाये, तो वह कैसे तरक्की कर सकेगा। इसलिए मैं यह सोचता हूं कि ऐसा मालूम होता है कि इस देश में डेमोक्रेसी बहुत देर तक चलने नहीं पायेगी, क्योंकि जो लोग सोशलिज़्म चाहते हैं, जिन लोगों में सोशलिज्म पैदा होता है और जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी बनाना चाहते हैं,.....

श्री बाल्मीकी : वे तो किताबों से पढ़ कर बात करते हैं।

श्री साधू राम...उन लोगों की तरफ़ गवर्नमेंट की तरफ़ से बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। इस में कुछ न कुछ तब्दीली आनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट के रवैये में तब्दीली न होगी, तो उन लोगों का भला नहीं होने वाला है।

जैसा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, देश में इतनी ज़मीन पड़ी है, लेकिन उसको लैंडलैस लोगों में तक्सीम नहीं किया गया है। सोलह बरस के बाद भी वे लोग एक एक इंच ज़मीन के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ़ हमारा लक्ष्य है "ग्रो मोर फूड", देश में अनाज ज्यादा पैदा करो। अनाज कहां पैदा होगा, जब कि हम लोगों में ज़मीन तक्सीम नहीं करेंगे। जो लोग खेती-बाड़ी करना चाहते हैं, या खेती-बाड़ी कर रहे हैं, जिन का जीवन खेती-बाड़ी पर निर्भर है, सरकार उन लोगों को ज़मीन नहीं दे रही है। हमारा नारा था, "लैंड टु दि टिल्लर"। अगर टिल्लर को ज़मीन दी जानी है, तो कब दी जानी है? क्या सौ, दो सौ बरस बाद? उस का कोई न कोई टाइम मुकर्रर होना चाहिए। मुझे प्लानिंग में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि वह ज़मीन कभी तक्सीम हो सकेगी।

इस रिपोर्ट के चैप्टर ९, पेज ५४ पर यह लिखा है कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास कई किस्म की ज़मीन है। "रिक्लेमेशन आफ़ दि कल्टीवेबल वेस्ट-लैंड, सरप्लस लैंड्ज़ रिलीज्ड आफ्टर दि

फ़िक्सेशन आफ़ सीलिंग्ज़ औन होल्डिंग्ज़ एंड भूदान एड ग्रामदान लॅडज़" । इतने किस्म की पांच मिलियन एकड़ ज़मीन इस रिपोर्ट में दर्ज की गई है । इस रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि सात लाख फ़ैमिलीज़ लैंडलेस हैं । अगर सात लाख फ़ैमिलीज़ में पांच मिलियन एकड़ ज़मीन तक्सीम कर दी जाये, तो तकरीबन दस एकड़ से ऊपर फी फ़ैमिली ज़मीन आती है । लेकिन वह ज़मीन तक्सीम नहीं की जा रही है ।

जहां तक स्कालरशिप्स का सवाल है, वे अधूरे हैं और वे वक्त पर भी नहीं मिलते हैं । इसलिए उन लोगों की तालीम में भी उतना इज़ाफ़ा नहीं हो रहा है, जितना कि होना चाहिए था ।

हालांकि सरकारी नौकरियों में रिज़र्वेशन मुकर्रर की हुई है, लेकिन लोग हाहाकार कर रहे हैं कि उन की प्रोमोशन वग़ैरह नहीं हो रही है । मैं समझता हूं कि अगर रिज़र्वेशन मुकर्रर की गई है, तो प्रोमोशन भी रिज़र्वेशन के हिसाब से होनी चाहिए । सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में एक रूलिंग भी आया था, लेकिन किसी डिपार्टमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है । रेलवे में कुछ इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन मेरे पास यह इन्फ़र्मेशन है कि जब से वह महकमा दूसरे मंत्री के पास गया है, कुछ लोगों को जो प्रोमोशन मिली थी, वह उन से वापिस ली जा रही है । यह बड़े दुख की बात है कि वह रिज़र्वेशन पूरी नहीं हो रही है । जहां तक प्रमोशन का ताल्लुक है, अगर उन लोगों ने दूसरे आदमियों से कम्पीट करना है, तो फिर रिज़र्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ।

इस वक्त यहां पर क्लास वन, टू और थ्री में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ट ट्राइब्ज़ के जितने आदमी हैं, वे इस रिपोर्ट में दर्ज हैं । तफ़सील में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस तरफ़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए । गवर्नमेंट सर्विसिज़ में रिज़र्वेशन को और जो प्रोमोशन वे लोग चाहते हैं, उसको ज़रूर पूरा किया जाये । उसके लिए कोई न कोई टाइम ज़रूर मुकर्रर किया जाये, ताकि उस टाइम में वह पूरा हो सके ।

जहां तक फ़ौज में भर्ती का सवाल है, यह आम शिकायत है कि हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ को फ़ौज में भर्ती नहीं किया जा रहा है । मेरी समझ में नहीं आया कि उन को भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है । हमारे जो रिक्रूटिंग आफ़िसर हैं, वे उन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उनको फ़ौज में भर्ती नहीं करते हैं । इस वजह से देश के लोग लड़ाई ठीक नहीं कर पाते हैं । मैं समझता हूं कि जो भूखा और नंगा आदमी है इस देश का, वह अपने देश के लिए बेहतर लड़ सकता है, न कि वह आदमी, जिस को कलम उठाने से बोझ लगता है । वे लोग नहीं लड़ सकेंगे । इस देश के करोड़ों आदमी ऐसे हैं, जिन को भर्ती कर के देश की अनएम्प्लायमेंट को दूर किया जा सकता है, उन को रोज़ी मिल सकती है और देश का बचाव हो सकता है । जो लोग बारह तेरह घंटे खेत में काम करते हैं, जो लकड़ी काट कर गुज़ारा करते हैं, दो तीन मन बोझ उठा सकते हैं, उन को फ़ौज में भर्ती करना तो ठीक नहीं समझा जाता है, लेकिन जो लोग दुकान में काम करते हैं, ...

श्री बाल्मीकी : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । माननीय सदस्य ने कहा है कि फ़ौज में डिस्क्रिमिनेशन है । फ़ौज में जाने के बाद डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत कम मिलती है, लेकिन रिक्रूटिंग आफ़िसर्ज़ तक डिस्क्रिमिनेशन है । वहां तक वह बीमारी है । अगर कोई फौज में चला जाये, तो मैं यक़ीन के साथ कहता हूं कि हमारी फ़ौज में जाने के बाद किसी भी हरिजन नौजवान को डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलता है । लेकिन यह ज़रूर बीमारी है कि रिक्रूटिंग आफिसर्स डिस्क्रिमिनेशन करते हैं । इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

श्री साधू राम : जब जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट हो सकती हैं, तो फिर एक हिरजन रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती है ? मैं चाहूंगा कि उनकी रेजिमेंट बनाई जाये । और वे देश की रखवाली के लिए सब से मज़बूत आदमी हैं और इस वक्त देश को बचा सकते हैं ।

श्री काशी राम गुप्त : क्या माननीय सदस्य बाद में यह मांग तो नहीं करेंगे कि चमार रेजिमेंट अलग हो और शिड्भूल्ड कास्टस की दूसरी जातियों की रेजिमेंट अलग हो ?

मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि हरिजनों के साथ आज बड़ी बड़ी बेइंसाफियां हो रही हैं । दिल्ली की मिसाल ही आप ले लीजिये, पजाब में अमृतसर की ही ले लीजिये । इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो बने हुए हैं, वे हरिजनों के मुहल्ले के मुहल्ले गिरा देते हैं, उनको घर बनाने तक के लिए ज़मीन नहीं देते हैं । जिन जगहों पर ये लोग रह रहे होते हैं, वहां पर से इनके झौंपड़े गिरा कर उन ज़मीनों को अपने कब्ज़े में लेकर उसी की कीमत को दस दस गुना बढ़ा करके इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट और टाउन प्लानिंग वाले, रुपया कमाते हैं । इस तरह से इनको उजाड़ना और इन को बरबाद करना ठीक नहीं है । आज आप देख ही रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन वाले इनकी बस्तियों को हटा रहे हैं और उनको २५–२५ या ८०–८० गज़ ज़मीनें दी जा रही हैं ताकि वे बेचारे एक बार उजड़ कर फिर अपनी हरिजन बस्तियां बनायें । यह उचित नहीं है । मेरा सुझाव है कि उसी जगह पर जहां वे रह रहे हों, इनमें से कुछ परसेंट को ज़मीन दे दी जानी चाहिये और उनको अच्छे तरीके से आबाद करना चाहिये, बसाना चाहिये ।

जहां तक प्लानिंग का सम्बन्ध है, प्लानिंग कमिशन में जब तक शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग मैम्बरों के तौर पर बराबर बराबर दूसरे लोगों के नहीं बैठते हैं, तब तक प्लानिंग नहीं हो सकता है और जो प्लानिंग होगा भी, गलत होगा । जितना इन लोगों की उन्नति के लिए रुपया चाहिये वह रुपया तब तक नहीं रखा जा सकता है, जब तक इन को वहां पर स्थान न मिले । दूसरी मदों के लिए तो अरबों और खरबों रुपया रख दिया जाता है लेकिन इन के वास्ते, इनकी भलाई के कामों के वास्ते बहुत ही थोड़ा सा रुपया रखा जाता है । जब इस तरह की मनोवृत्ति है तो सोशलिज्म हमारे देश में कहां से आएगा और किस तरह से देश में सोशलिज्म की बात चल सकती है । जो काम करने वाला आदमी है, उसकी ज्यादा कद्र होनी चाहिये । दूसरे देशों में, इंग्लैंड वगैरह में आप देखें कि जो लेबरर होता है, जो काम करता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है । लेकिन यहां का जो लेबरर है, वह रो रहा है, हरिजन रो रहे हैं, सभी लोग जो कारखानों में काम करते हैं, और जिनके अपने कारखाने नहीं हैं, वे बेचारे रो रहे हैं, वे बेचारे पिस रहे हैं, सोशलिज्म तभी आएगा जब आप इस बात का फैसला करेंगे कि जो आदमी काम करता है, उसको उस काम का पूरा मुआवजा मिलेगा, पूरी उजरत मिलेगी । चाहे कोई कारखाने में काम करता हो या खेती में काम करता हो, उसको अपनी मेहनत का पूरा मुआवज़ा मिलना चाहिये । जिस तरीके से आप चल रहे हैं, उससे समाजवाद आने वाला नहीं है ।

आज देश में लोग अरबोंपति बने रहे हैं । आजादी के बाद कुछ लोगों के पास दौलत बढ़ रही है लेकिन जो गरीब हैं, वे मर रहे हैं, मजदूर जो हैं, वे रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं, हरिजन रो रहे हैं । उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो सोशलिज्म का क्या मतलब रह जाता है, किस तरह से समाजवाद की बात आप कर सकते हैं । जो रास्ता आपने अख्त्यार किया है, उल्टा अखत्यार किया है । समाजवाद यहां आएगा, ठेकेदारी प्रथा जो है, उसको समाप्त करके । मजदूर लोग जो ठेकेदारों के पास काम करते हैं,

उनसे जो मुनाफा होता है वह ठेकेदार खाता है । मजदूर बेचारे दिन भर काम करते हैं, रात दिन अपना खून पसीना एक करते हैं, उनको जो उनका हिस्सा है, वह मिलना चाहिये । उनको तो ढाई रुपया या दो रुपया रोज मिलता है और जो ठेकेदार है, वह दो सौ या चार सौ रुपया रोज अपनी जेब में डाल लेता है । यह जो ठेकेदारी प्रथा है इसको खत्म किया जाना चाहिये । इसके रहते गरीबों की हालत बेहतर नहीं हो सकती है । अगर इस तरह की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो देश में बदअमनी फैल सकती है । करोड़ों लोगों के पास आज रोटी नहीं है, वे भूखे हैं, उनके पास मकान नहीं हैं, पहनने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं है । ये जो उनकी जरूरतें हैं, इनको आपको पूरा करना होगा ।

गरीब लोगों की बात सुनने के लिए जो समय आपने दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । एक बात मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जो सी० डी० एस० की स्कीम है, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिये क्योंकि बहुत से गरीब लोग इस में पिस रहे हैं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, साइमन कमीशन की लाठियां खाने के बाद लाला लाजपत राय जब अस्पताल में बीमार थे तो उन्होंने बड़े निराश हो कर अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा जिस में उन्होंने पूछा कि मेरी समझ में नहीं आता है कि जो अंग्रेज इतना अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं और हम भारतवासी जो धर्मात्मा तथा पुण्यात्मा हैं, यह क्या बात है कि वे तो फल फूल रहे हैं और हम बराबर कष्ट में हैं । लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद उनका वह पत्र तथा उनके उस मित्र द्वारा भेजा गया उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था । उनके मित्र ने पत्र के उत्तर में लिखा था कि यह सही है कि हम धर्मात्मा और पुण्यात्मा हैं और अंग्रेजों में हमारी अपेक्षा ये दोनों बातें कम हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आत्मनिरीक्षण भी तो करें, अपनी गिरहबान में भी मुंह डाल कर देखें कि हम ने अपने देश के करोड़ों भाइयों के साथ क्या व्यवहार किया हुआ है ? आज जो हमारे ही भाई राम और कृष्ण का नाम लेते हैं, गंगा और यमुना की जय कहते हैं, लेकिन हम ने इन लोगों को अपने बराबर बैठने का अधिकार नहीं दिया हुआ है, हम ने समाज के इस ढंग को उन अधिकारों से वंचित रखा है जो कि प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हैं । जब कि हम ने पराधीन होते हुए भी अपने ही करोड़ों भाइयों को गुलाम बनाया हुआ है और उस के बाद भी हम अपने को धर्मात्मा और पुण्यात्मा कहें तो इसका क्या अर्थ रह जाता है ? हिन्दू समाज का यह इतना बड़ा पाप है कि जिस का प्रायश्चित आसानी से नहीं किया जा सकता । स्वतंत्र होने के इतने वर्षों बाद भी इसका प्रायश्चित नहीं हो सका है और अभी न जाने कितने वर्षों तक अभी और हमें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा ।

जो रिपोर्ट प्रस्तुत है, इस पर कुछ कहने से पहले मैं अनुसूचित जातियों के कमिश्नर महोदय से एक शिकायत भी करना चाहता हूं, वह यह है कि अब तक यह रिपोर्ट जब जब भी सदन में आई है, दोनों भाषाओं में आई है । जिन के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट है, उन में ९८ या ९९ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी से अपरिचित हैं । ये भी अगर अपने दुखदर्द की दो पंक्तियां पढ़ लिया करें अपने सम्बन्ध में, तो यह कोई अनुचित बात नहीं कही जा सकती है । अगर वे भी यह जानना चाहें कि कमिश्नर महोदय ने क्या रिपोर्ट दी है, तो यह स्वाभाविक ही है । मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर कमिश्नर महोदय ने दोनों भाषाओं में इस रिपोर्ट को दिया होता । कल जब मैं ने इस बात की जानकारी ली

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

तो मुझे बताया गया कि हिन्दी की रिपोर्ट अभी छप रही है । अगर हिन्दी की रिपोर्ट छप रही है, तैयार हो रही है यह सच है तो इसका सीधा अभिप्राय यह है कि उसके प्रति उतनी ज्यादा तत्परता नहीं बरती गई है जितनी कि केवल अंग्रेजी भाषा के प्रति बरती है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दूसरी विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूं और पहले भी हमेशा ही इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में मैं कहता रहा हूं वह यह कि हमारे देश में जो करोड़ों भाई जंगलों में, पहाड़ों में और सुनसान स्थानों में रहते हैं उनकी गरीबी का, उनकी अशिक्षा का, अनुचित लाभ उठाया जा रहा है । विदेशों से आने वाला करोड़ों रुपया उनके धर्म परिवर्तन के काम में व्यय हो रहा है । अन्न दे कर, वस्त्र दे कर अमरीका से आया आटा और घी आदि दे कर किस तरह से उन लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, यह मैं कई बार यहां बता चुका हूं । इसी बात को मुझे आज फिर आप से कहने की आज्ञा दीजिये कि आटा, घी, कपड़ा, दवा आदि जो विदेशों से आते हैं, उनके वितरण की जो एजेंसियां हैं वे केवल क्रिश्चियन एजेंसियां ही हैं और उनके द्वारा ही केवल इनका वितरण नहीं होना चाहिये । बल्कि दूसरी एजेंसियों को भी यह काम सौंपा जाना चाहिये जिससे समान रूप से सब को इन वस्तुओं का वितरण हो सके । इस बात की भी आवश्यकता है कि इसको देखा जाए कि बाहर से आने वाला धन या सहायता किसी के धर्म परिवर्तन के उपयोग में न लाई जा सके ।

लेकिन अब धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से आने वाले पैसे का एक दूसरा उपयोग भी किया जा रहा है और वह यह है कि शिक्षा के सम्बन्ध में ईसाई संगठनों द्वारा ऋण दिया जाता है और ऋण दे देने के पश्चात जब वह गरीब आदमी उस ऋण को अदा नहीं कर पाते हैं तो उनको इस बात के लिए विवश किया जाता है, छोटा नागपुर, रांची तथा उड़ीसा के कई क्षत्रों में, कि अगर वह धर्म परिवर्तन कर लें तो उन से उस ऋण का एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा । मैं चाहता हूं कि कमिश्नर महोदय इस बात की जानकारी लें कि मेरे इस कथन में कहां तक सत्यांश है कि अगर वे ईसाई हो जायें तो उनको एक पैसा भी ऋण का अदा नहीं करना पड़ेगा ।

अब एक दूसरा प्रकार धर्म परिवर्तन का आरम्भ हुआ है । जो हरिजन छात्र हैं, या जो पिछड़ी जातियों के छात्र हैं, उनको यह कहा जाता है कि अगर आप ईसाई हो जायें तो अमरीका में , इंग्लैंड और कनाडा में इस प्रकार के स्थान हैं जहां आपको एक पैसा भी व्यय नहीं करना पड़ेगा, आने जाने का कोई व्यय भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई का सारा व्यय हम करेंगे पर आपको केवल धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता है । अगर शिक्षा प्राप्ति के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जाए स्वतंत्र होने के बाद भी पेट के लिए धर्म परिवर्तन या कर्ज चुकाने के लिए धर्म परिवर्तन हो तो इस शासन के लिए इससे बड़ी लज्जा की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है । जिस देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए या जिस देश में पेट भरने के लिए लोगों को धर्म कीमत में देना पड़ता है, उस देश के लिए डब मरने की इससे बढ़ कर कोई और बात नहीं हो सकती है ।

इसकी चर्चा भी इस सदन में हो चुकी है कि विदेशों से जो पैसा इस देश में आता है या जो पैसा उन देशों के दूतावासों के द्वारा आता है, उसका भी वे धर्म परिवर्तन में उपयोग करते हैं। इसको न केवल उन लोगों ने जो कि उस धर्म को मानने वाले नहीं है, कहा है बल्कि हमारे पहले गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को भारतीय ईसाई पादरियों की ओर से कुछ इस प्रकार के ज्ञापन दिये गये हैं कि जो ईसाई पादरी विदेशों के हैं वे जब चले जाते हैं तो उनके स्थानों पर भारतीय पादरियों की नियुक्ति की जाए, उनके स्थानों की पूर्ति भारतीय पादरियों से ही की जाए। विदेशी पादरियों को आने की अनुमति क्यों दी जाती है जब कि यहां आ कर वे हमारी राजनीति में भी दखल देते हैं और हमारे देश की समस्याओं को अन्दर से बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं। मेरी तो यह भी जानकारी है कि भारतवर्ष में इस प्रकार के भी ईसाई मिशन हैं जिनका सम्बन्ध अभी तक भी भारतवर्ष के किसी ईसाई संगठन से न हो कर सीधे विदेशों के ईसाई संगठनों से है।

इसका सब से बड़ा प्रमाण यह है कि जिस समय नेफा में हमारी सेना पीछे गई थी और वहां शान्ति बनाने में सफलता नहीं हो पाई तो हमारे प्रधान मंत्री ने उनसे पूछा कि आखिर कारण क्या है कि इतने लम्बे अरसे के बाद, हजारों सिपाही भेजने के बाद अभी तक वहां आप क्यों नहीं सफल हो पाये ? उस समय वहां हमारी सेना के सर्वोच्च अधिकारी ने प्रधान मंत्री को जो पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने जहां और कारण बतलाये, एक कारण यह भी बतलाया कि विदेशों से आये हुए पादरी और उनका पैसा भारतीय पादरियों यानी उनके एजेन्टों के द्वारा जब तक नेफा में खर्च होता रहेगा, तब तक वहां की जनता में मिलिटरी द्वारा शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। अगर यहां अच्छी शासन स्थापित करना है तो एक ही तरीका है। नेफा के क्षेत्र से उन लोगों को निकाल बाहर किया जाय। न केवल वहां पर, बल्कि केरल में भी पीछे क्रिश्चियन्स ने क्या परिस्थिति पैदा की थी--क्या हमारी सरकार उन तमाम बातों से परिचित नहीं है ? उड़ीसा में, और भारतवर्ष के जो सीमावर्ती इलाके हैं वह--चाहे केरल हो, उड़ीसा हो या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले हों, इस समय जितना कार्य उन लोगों का योजना बना कर सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहा है, वहां पर जो करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है, उसी का एक तो दुष्परिणाम नागालैण्ड का पृथक निर्माण हम देख चुके हैं। संख्या बढ़ने के पश्चात उन्होंने एक प्रान्त नहीं, एक नये देश के नाम से, जो कि अभी तक विदेश मंत्रालय के अधीन है, उसका निर्माण कराया। लेकिन अगर हमारी सरकार इसी प्रकार से बराबर इनकी उपेक्षा करती चली गई, गम्भीर कोई निर्णय नहीं लिया, तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि नहीं कहा जा सकता कि इस देश में कितने नागालैण्डों का निर्माण और अभी होगा ?

इसलिये गृह मंत्रालय जहां हमारे इन पिछड़े हुए भाइयों के सम्बन्ध में विचार कर रहा है, वहां उस को इस प्रकर का भी विचार करना चाहिये कि लोभ में, लालच में या दबाव में आ कर धर्म परिवर्तित न किया जा सके। मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था, आज दूसरी बार मैं फिर कहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर जहां इतनी लम्बी चौड़ी रिपोर्ट देते हैं, कृपा करके वे जब एक-एक व्यक्ति से और एक-एक परिवार से मिलते हैं तथा सारे आंकड़े एकत्रित करते हैं, वहां क्यों न इस प्रकार के आंकड़े भी वह एकत्रित करें कि पहाड़ी क्षेत्रों में कितने व्यक्ति इस प्रकार के थे जिनको धन का लोभ दे कर धर्म परिवर्तन किया गया या दबाव में आ कर धर्म परिवर्तन किया गया या कर्जा अदा न करने के कारण धर्म परिवर्तन किया गया। यह आंकड़ भी तो कुछ हमें दिये जायें। उसके

[श्री प्रकाश बीर शास्त्री]

आधार पर अगर गृह मंत्रालय और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम इतना तो अवश्य कर सकता है कि पिछड़े क्षेत्रों में जहां शिक्षा की कमी है, जहां गरीबी बहुत है, कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लगायें कि अगर वहां किसी का धर्म परिवर्तन होगा तो पहले जा कर उसे इसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां ऐप्लिकेशन देनी होगी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब इस बात से सन्तुष्ट हो जायेगा कि वह आदमी किसी लोभ, लालच से अथवा दबाव के कारण धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, केवल धार्मिक भावना से प्रेरित हो कर धर्म परिवर्तन कर रहा है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा उसको धर्म परिवर्तन की इजाजत दी जाय । दूसरे आधारों पर जो धार्मिक ठगी होती है, पैसे के आधार पर जो धोखा धड़ी चल रही है उस पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगना चाहिये ।

एक अन्य बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितना धन अनुसूचित जातियों या जो हरिजन भाई हैं का स्तर उठाने के लिये व्यय किया जाता है, वह प्रायः ऐसे लोगों को दिया जाता है जो हाथ पवित्र नहीं हैं या फिर जो धन दिया जाता है उन गरीबों के लिए उसका पूरा उपयोग उनके लिये न कर सकें । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस में सरकारी कर्मचारियों पर ही सोलहों आने दायित्व न छोड़ दिया जाय, सामाजिक संगठनों को भी इस में आप को साथ लेना चाहिये । कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकारी डंडा इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को मिटाने में उतना सफल नहीं होता जितना सामाजिक संगठन होते हैं । आप ने स्वतंत्र होने के पश्चात् यह आन्दोलन प्रारम्भ किया है, लेकिन कबीर के समय में कौन सी गवर्नमेंट सहायता देती थी, महर्षि दयानन्द के समय में कौन गवर्नमेंट सहायता देती थी, गुरु नानकदेव के समय में कौन गवर्नमेंट सहायता देती थी ? लेकिन उस समय जो सामाजिक आन्दोलन आरम्भ किया गया वह बिना किसी सरकारी सहयोग के होते थे । अगर आप सरकारी मशीनरी के अतिरिक्त दूसरे सामाजिक संगठनों को अपने सम्पर्क में लें और उनके द्वारा इस सामाजिक अभिशाप को मिटाने का प्रयत्न करें तो मेरा अनुमान है कि इस में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है ।

एक बात ऐसी है जिस के लिये मैं समझता हूं यदि नीति में परिवर्तन आप कर लें तो बहुत से लोग आप को बधाई देंगे, वह यह कि आप ने जो हरिजन छात्रों के लिए छात्रावास अलग बनाये हैं । उनके साथ आपने न्याय नहीं किया है । उनके लिये जो पृथक छात्रावास बनाये गये उससे जो उन के प्रति समाज में भावना थी उसको उनकी फिर उसी चहारदीवारी में समेट दिया । आप का नैतिक कर्तव्य यह है कि जहां एक छात्रावास बनाया गया है भले ही वहां दो बनाते, तीन बनाते, लेकिन उन में समान रूप से सब छात्रों के रहने की व्यवस्था करते । आप उनके लिए अलग छात्रावास बना कर उनके साथ न्याय नहीं करते बल्कि समाज में पृथकतावादी प्रवृत्ति को और प्रोत्साहन देते हैं ।

अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं दो बातें कहूंगा । एक तो यह है कि माननीय सदस्य मास्टर साधु राम वंसल ने यह कहा कि जिस तरह से जाट रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट हैं उसी प्रकार से एक हरिजनों का रेजिमेंट भी बनाया जाये । पर मास्टर जी, मेरा अपना विचार इस प्रकार का है कि हमारे देश की एकता को सुरक्षित रखने के नाम पर जाट और डोगरा नाम भी उन में से हटा दिये जायें । कोई नाम वहां नहीं होना चाहिये । अगर हम इस प्रकार की मांग करने लगेंगे जैसे कि आप ने की है तो इस से हमारी हानि होगी । जब पिछली बार बंगाल रेजिमेंट की बात आई तो उसी समय चर्चा चल पड़ी थी कि अगर बंगाल रेजिमेंट हो तो उड़ीसा रेजिमेंट क्यों न हो, बिहार रेजिमेंट क्यों न हो । इस प्रकार की मांग अब समाप्त हो जानी चाहिये क्योंकि इन मांगों के कारण देश में बुराई पैदा होती है । अन्त में इस बात को कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो करोड़ों,

अरबों रुपया पिछड़ी जातियों और हरिजनों के विकास के नाम पर व्यय किया जा रहा है, उस रुपये के बहुत बड़े भाग का लाभ हरिजनों का एक ही वर्ग लेता है और बहुत बड़ा वर्ग जो पिछड़ा हुआ है उस से वंचित रह जाता है। मुझे स्पष्ट शब्दों में इस के कहने की आज्ञा चलती मत दीजिये लेकिन मैं सांकेतिक शब्दों में कहना चाहता हूं जो कि सारा सदन समझ रहा है कि आप को इस दिशा में भी जाननेका प्रयत्न करना चाहिये कि कोई भी पैसा जो हरिजनों का एक छोटा सा भाग है उसके ऊपर न उठे बल्कि समान रूप से सब में उसका वितरण हो। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

†डा० पा० शा० देशमुख (अमरावती) : संविधान के अनुच्छेद ३४० के अन्तर्गत एक आयोग जनवरी, १९५३ में नियुक्त किया गया था। उस आयोग ने दो वर्ष बाद अपना प्रतिवेदन दे दिया। अभी तक सरकार ने उस प्रतिवेदन को सभा के सामने नहीं रखा है।

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के लिए सरकार को धन आवंटित करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए।

यह कहा जाता है कि इन पिछड़ी हुई जातियों को मान्यता देने से जातिभेद को प्रोत्साहन मिलेगा। हम से कितने लोग हैं जो जातिभेद में विश्वास नहीं करते।

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग सिवाय इसके कि उन्हे अछूत नहीं माना गया है अनुसूचित जातियों से भिन्न नहीं हैं। यदि एकता के उद्देश्य की पूर्ति करनी है तो हमें पिछड़े लोगों को जो सुविधायें दी जा रही थीं, उन से छीननी नहीं चाहिये।

अन्य पिछड़े वर्गों को जो सुविधायें अब तक दी जा रही थीं वे देते रहना चाहिए। उन्हे जाति के आधार पर सुविधायें देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। क्योंकि अनुसूचित जातियों और लगभग आदिम जातियों को जाति के आधार पर लाभ दिए जाते हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी किए गए परिपत्र को वापिस ले लेना चाहिए।

†श्री छ० म० केदरिया (मांडवी) : मैं पदत्याग करने वाले माननीय मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री और आयुक्त श्री श्रीकान्त के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

श्री श्रीकांत ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के लोगों के हितों में सराहनीय कार्य किया है।

संविधान के अधीन यह दायित्व है कि आयुक्त का प्रतिवेदन सभापटल पर रखा गया। इस तथ्य को देखते हुए कि दोनों प्रतिवेदनों पर एक साथ चर्चा हो रही है यह तथ्य निकलता है कि सरकार पिछड़े वर्ग के हितों की उपेक्षा कर रही है। संविधान का दायित्व केवल कागज के ऊपर ही है और हमें सरकार ने हमारे सुझावों के अनुसार सक्रिय कदम नहीं उठाये। यदि इस प्रकार कार्य चलता रहा तो मुझे भय है कि संवैधानिक दायित्वों को अगले १० वर्षों तक और बढ़ाना होगा।

अब मैं आर्थिक विकास की बात लेता हूं। आर्थिक और कृषि विकास के लिए बड़ी परियोजनायें आवश्यक हैं। किन्तु इन्हों ने पिछड़े वर्गों को बड़ी मात्रा में विस्थापित कर दिया है। १४,११३ आदिमजाति परिवार विस्थापित हो गये हैं। और ६२,२३८ एकड़ जमीन अर्जित की गई

†मूल अंग्रेजी में

[श्री छ० म० केदरिया]

है ; किन्तु अभी ३,४७७ परिवारों को दुबारा बसाया गया है और केवल ८,२१४ एकड़ भूमि उन्हें दी गई है। यह आवश्यक है कि जंगल और आदिमजाति क्षेत्रों में चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिये उनकी जमीनें ली जायें। किन्तु घर के स्थान पर घर और मकान के स्थान पर स्थान उन्हें मिलना चाहिये ।

इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि अनुसूचित आदिम जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिये सरकारी सेवाओं में स्थानों का आरक्षण किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आरम्भिक नियुक्तियों में ही नहीं अपितु संवरण पदों में भी आरक्षण होना चाहिये। हम ने गुजरात सरकार से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू करने की प्रार्थना की थी; किन्तु उन्हों ने कहा कि यह संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है। इसलिये गृह-कार्य मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वह राज्य सरकारों को विशेष अनुदेश भेजें कि वह संविधान के दायित्व की अवहेलना न करें। यदि सरकार ऐसा दृष्टिकोण अपनाती रहेगी तो मुझे भय है कि पिछड़े वर्ग के लोग सरकार में अपना विश्वास खो देंगे ।

इसी प्रकार इन लोगों को अनुदानों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। वजीफे दिये जाते हैं किन्तु छात्र को समय पर वजीफा नहीं मिल पाता। इसलिये हम इस बात पर जोर देते आये हैं कि शैक्षिक संस्थाओं को वजीफे के लिये तदर्थ अनुदान दिये जायें।

दूसरी बात यह है कि कुछ गैर-सरकारी व्यवस्थायें होस्टल चलाती हैं। जब सरकार होस्टल चलाती है तो वह प्रति माह प्रति छात्र ५० रु० देती है जबकि गैर-सरकारी व्यवस्थाओं को २० रु० ही मिलते हैं। उन्हें २० प्रतिशत का प्रबन्ध स्वयं करना पड़ता है। हम जानते हैं कि समाज पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति उदासीन है इसलिये उन्हें इस २० प्रतिशत रुपये का प्रबन्ध करने में कठिनाई होती है। इन गैर-सरकारी व्यवस्थाओं का भी सारा व्यय सरकार को देना चाहिये।

आदिवासियों और अनुसूचित आदिमजाति के लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उन की जमीनें साहूकारों, इजारदारों और तोडी और शराब के ठेकेदारों ने ले ली हैं। इसलिये सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि भूमि सुधार अधिनियम आदिवासी क्षेत्रों में ठीक प्रकार लागू किया जाये। इन लोगों के आर्थिक विकास के दो ही साधन हैं, कृषि और जंगल। उनके पुराने वन-सम्बन्धी अधिकार छीन लिये गये हैं। वे उन्हें वापिस लौटा देने चाहियें ।

अब मैं उनके सामाजिक उत्थान की बात लेता है। इस विषय में बम्बई राज्य, महाराष्ट्र और गुजरात की सरकार ने मद्य-निषेध कर के उचित कदम उठाया है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इस से वे लोग खुशहाल हो गये हैं।

जहां तक गुजरात का प्रश्न है वे लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों के सीमान्त क्षेत्र में जा कर मद्यनिषेध के नियम बनाते हैं। इसलिए गृह-कार्य मंत्रालय पड़ौसी राज्यों से भी कहें कि वे समीपवर्ती क्षेत्रों में मद्य-निषेध लागू करें।

†**श्री यलमन्दा रेड्डी** (मारकापर) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ये लोग कुल जनसंख्या के २२ प्रतिशत हैं।

यदि आप पिछले दस वर्षों का आयुक्त का प्रतिवेदन देखें तो पता चलेगा कि उसने राज्य सरकारों से बार-बार वही सिफारिशें की हैं। किन्तु उन पर कोई कार्य नहीं किया

---

† मूल अंग्रेजी में

गया। मैं नहीं जानता कि केन्द्र इस विषय में क्या कर रहा है। इससे पता चलता है कि सरकार इन दलित लोगों के उत्थान में कितनी रुचि ले रही है।

इन लोगों के लिये एक प्रमुख समस्या भूमि की भी है पहली, दूसरी और तीस योजना में यह कहा गया था कि इन शोषित वर्गों को भूमि बांटी जायेगी। किन्तु हम नहीं जानते कि कितनी भूमि बांटी जा रही है।

भूमि सीमा विधान बनाते समय राज्य सरकारें इन लोगों के बीच भूमि का "वितरण" करने की व्यवस्था कर रहे थे। किन्तु जिस तरह इन अधिनियमों को पारित किया गया है और जिस तरह इन्हें अब लागू किया जा रहा है उससे पता चलता है कि इन लोगों को देने के लिये उनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है।

लाखों एकड़ ऊसर भूमि पड़ी हुई है किन्तु सरकार ने इसे हरिजनों को नहीं दिया। १९५८-५९ के भमि के उपयोग संबंधी आंकड़ों के अनुसार देश में ५००८ लाख एकड़ अकृष्य ऊसर भूमि है। किन्तु इसे भी हरिजनों को नहीं दिया गया। भूमि को कृषि योग्य बनाने संबंधी समिति ने कहा था इस भूमि का कुछ प्रतिशत इन लोगों को दिया जायेगा। मैं नहीं जानता कि सरकार ने इस विषय में क्या किया है।

इसके अतिरिक्त जो हरिजन अभी तक इन ऊसर जमीनों पर खेती कर रहे थे उन्हें भी वहां से निकाल दिया गया है। और वह जमीन राजनैतिक पीड़ितों को अधिकतर कांग्रेसियों को दे दी गई है।

प्रतिवेदन में सहकारिता के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों के सहकारिता आन्दोलन को देखें तो आपको पता चलेगा कि ऋण संपत्ति वाले व्यक्ति को, किसानों को ही दिया जाता है। तकावी ऋण भी उन्हें ही दिया जाता है। कृषि ऋण और भूमि विकास ऋण भी उन्हें ही दिये जाते हैं। कोई भी ऋण कृषि मजदूर या हरिजन को नहीं मिलता। सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत भी हरिजनों को कुछ नहीं मिलता। प्रतिवेदन में इसका उल्लेख होना चाहिये था। सरकार को इस संबंध में कुछ कार्यवाही करनी चाहिये।

अब मैं कृषि मज़दूर सहकारी संस्थाओं पर आता हूं। हमारे राज्य में गोदावरी, कृष्णा, आदि नदियों की भूमि हरिजनों को दे दी गई थी। किन्तु आंध्र सरकार ने उसमें से तिहाई भूमि चरागाह के लिये ले ली है। इसके अतिरिक्त पहले इन संस्थाओं को औसत भाड़े के आधार पर भूमि दी जाती थी। किन्तु अब उसकी नीलामी की जाती है जिससे जमींदार ही इसे ले पाते हैं।

आदिमजाति के लोगों के जंगल संबंधी अधिकार दिनों दिन कम किये जा रहे हैं। उनसे बेगार ली जाती है। जब मामला विधान मंडलों में उठाया जाता है तब अधिकारियों के ऊपर ही यह बात छोड़ दी जाती है। वे कह देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे।

छुआछूत के प्रश्न पर सभा में बहस होती है। सदस्य अपनी-अपनी बात कहते हैं किन्तु मंत्री महोदय कहते हैं कि इस पर विचार किया जायेगा। किन्तु यह अप्रिय घटनायें बार-बार होती हैं। १९५५ से १९६० के बीच में क्रमशः १८०, ६९३, ४९२, ५५०, ४८१ और ५०२ मामले पुलिस में दर्ज कराये गये। किन्तु मुकदमे क्रमशः ८०, १४९, ८७, १२७,

[श्री यलमन्दा रेड्डी]

१०५ और ८० मामलों पर ही चलाये गये। इस प्रकार अधिनियम को लागू किया जा रहा है।

जब हरिजन अपने लिये कुछ करने के लिये कहते हैं तब सरकार कह देती है कि धन नहीं है। तीसरी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के लिये ७० करोड़ और राज्य क्षेत्र के लिये ३० करीड़ रुपये रखे गये हैं। किन्दु प्रतिवेदन के पृष्ठ २३ को देखने से पता चलता है कि १९६१-६२ के लिये निर्धारित धन में से पूरा खर्च नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि राज्य सरकारें निर्धारित धन को खर्च करने के लिये भी कितनी अनिच्छुक हैं।

परामर्शदात्री समितियों में सेवा भाव से कार्य करने वाले लोगों को नहीं रखा जाता, केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्य को उनमें रखा जाता है। जब तक इन समितियों में सेवा भाव से काम करने वाले लोगों को नहीं रखा जाता इनसे अभीष्ट कार्य सिद्ध नहीं होगा।

विभिन्न विभागों में आरक्षित पदों को ठीक तरह नहीं भरा जाता सेवा आयोग कहता है कि योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं योग्यता की क्या परिभाषा है, हमें मालूम नहीं। अनुसूचित जाति और आदिम जातियों के हजारों ग्रेजुएट छात्र काम दिलाऊ दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं।

सेवा में इन लोगों की प्रतिशतता जनसंख्या में इनकी प्रतिशतता से बहुत कम है। इनकी जनसंख्या २२ प्रतिशत है। प्रथम श्रेणी में अनुचित जाति के १.०८ प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों के ०.१८ प्रतिशत है। यही हाल अन्य श्रेणियों का भी है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ३२९ ग्रेजेटेड अधिकारियों में से अनुसूचित जातियों के ५ और २२९ नान-गजेटेड अधिकारियों में से ६ हैं। और अनुसूचित आदिम जातियों का एक भी नहीं है। सरकार को इस बारे में विशेष सावधानी बर्तनी चाहिये। कि इन सब आरक्षित पदों को भर दिया जाये। अन्यथा यह विषय इसी प्रकार चलता रहेगा। प्रतिवर्ष आयुक्त प्रतिवेदन देता है, बहस होती है, और फिर उपमंत्री उत्तर देते हैं। आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। इसलिये सरकार को चाहिये कि विशेष कदम उठाये।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार आदिवासियों के लिये, खास कर उनके आर्थिक विकास के लिये कुछ ऐसे कदम उठाना चाहती है जिनसे उनकी सर्वांकीण उन्नति हो सके। हमारे देश में आदिवासी सब से पुराने बासी हैं और इसी के लिये उनको आदि-वासी कहा जाता है। हमारे यहां जितनी कौमें, जमातें या समाज हैं, उनमें आर्थिक दृष्टि से सब से ज्यादा पिछड़े हुए, सब से ज्यादा गिरे हुए यह लोग हैं।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : हम तो अनादि हैं वे ही आदिवासी हैं।

एक माननीय सदस्य : आप आदिवासी हैं?

श्री कमल नयन बजाज : आदिवासी हमारे यहां सब से ज्यादा गरीब और पिछड़े हुए हैं। गांधी जी ने भी जब हरिजनों के सवाल को उठाया या हमारे जो समाज सुधारक तथा दूसरे नेता उन्होंने जब इस सवाल को उठाया तो उसके अन्दर उनकी आर्थिक कठि

नाई का जो पहलू था वह तो यह था ही, लेकिन उस समय जो सामाजिक विषमता या छुआछूत की तकलीफ थी, जो एक माननीय सम्बन्ध होना चाहिये था इन्सान के बीच में उसे न देखते हुए, इस प्रश्न को उन्होंने उठाया। वह आर्थिक प्रश्न उस समय उठाया भी नहीं जा सकता था क्योंकि उस समय स्वतंत्रता हमारे पास नहीं थी और सामाजिक कुरीतियों को हम दूर कर सकते थे। आर्थिक कुरीतियों को हम उतना दूर नहीं कर सकते थे इसके बावजूद भी गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यों के द्वारा इस कार्य कें पूरा करने की कोशिश की।

अन्त्यजोदय का कार्य काफी हो चुका है फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है। छुआछूत का जो मुर्दा है, घटोत्कच की तरह उस की लाश पड़ी हुई है। लेकिन कानून की दृष्टि से, सामाजिक विषमता की दृष्टि से जो सुधार होना चाहिये वह हम अपने देश में काफी कर पाये हैं। लेकिन आदतन जो कुरीतियां छूट जानी चाहियें थी वह छूटी नहीं हैं। समय पा कर वे छूट जायेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वैचारिक क्रान्ति हो गई है। विचार में लाना बाकी है।

श्री ओंकारलाल बेरवा : आप भविष्यवाणी कर रहे हैं?

श्री कमल नयन बजाज : लेकिन आदिवासियों और हरिजनों के सवाल में एक खास फर्क पड़ जाता है। जो हरिजन भाई हैं वे देहातों में भी हैं, शहरों में भी हैं, सब जगह बिखरे हुए हैं, और यह अच्छी बात है कि उन में चाहे थोड़े ही लोग क्यों न हों, लेकिन कोई डाक्टर भी हैं, कोई लाइअर्स भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और छोटे मोटे धन्धे करने वाले भी हैं। लेकिन आदिवासी लोग कुछ ज्यादा सुरक्षित नहीं कहे जा सकते, वे थोड़े ही क्षेत्रों में बसे हुए हैं। वे लोग सारे देश में नहीं पाये जाते, शहरों में नहीं पाये जाते। शिक्षा की दृष्टि से या मानवी जीवन की उन्नति की जितनी शाखायें हैं उन में कहीं भी उन के लोग विशेष तौर से नहीं पाये जाते। इसलिये उस जाति का, उस समाज का उद्धार करने के लिये हमें विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी और करना चाहिये भी। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि उन का हम विशेष रूप से ध्यान करें।

कल श्री माणिक्य लाल जी वर्मा ने, जिन के जीवन का बहुत बड़ा भाग विशेष रूप से आदिवासियों के बीच कटा है, कुछ बातें कहीं। यद्यपि मूल रूप से मैं उन से सहमत हूं किआदि वासी क्षेत्रों में या पहाड़ों पर जो लोग हैं उन्हें सरातल भूमि पर ला कर बसाया जाये, वहां जमीन दी जाये, रास्ता किया जाये, बिजली लाई जाये, वहां पर पानी की व्यवस्था की जाये। यह सब कुछ होना चाहिये। लेकिन मुझे डर है कि वे इतने गरीब हैं, इतने अज्ञानी हैं, इतने भोले और सीधे हैं कि इस तरह के विकास के लाभ की पूरी जानकारी, पूरी सुरक्षा उन को न दी गई तो उस का बहुत कुछ लाभ दूसरी कौमें आ कर ले जायेंगी। उन की जो जमीनें हैं, मान लीजिये वहां पर आप ने पानी की व्यवस्था की, बिजली लगाई और उन की जमीनों की कीमतें बढ़ गईं, ऐसा होने पर दूसरे लोग जमीनों को खरीद लेंगे कम दामों के ऊपर। उस के बाद आगे जा कर जो उस का मुनाफा होगा वह दूसरे लोग ले जायगें और हमारे आदिवासी भाई उस से वंचित रह जायेंगे। हो सकता है कि कुछ नौकरियां उन को मिल जाये वहां, लेकिन उस से उन की कोई विशेष उन्नति हो जायेगी, ऐसा मेरा खयाल नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि जो कुछ उन की आर्थिक उन्नति की जाये, जो आर्थिक विकास के प्रयत्न वहां किये जायें, व जरूर किये जायें, लेकिन उन के जो क्षेत्र हैं, उन को सुरक्षित कर दिया जाये, उन के लिये रिजर्व कर दिया जाये जिस से आदिवासी भारतवर्ष में कहीं भी जा कर कोई चीज खरीदना चाहें, जमीन जायदाद वगैरह खरीदना चाहें, हालांकि वे खरीदेंगे

[श्री कमल नयन बजाज]

क्या, लेकिन अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकें। दूसरे लोग जा कर के उन क्षेत्रों में कोई जमीन जायदाद, बिना विशेष परवानगी के सरकार की, न खरीद सकें। इस तरह का प्रतिबन्ध लगाया जाये जिस से कि वहां के विकास कार्यों द्वारा वहां की जमीनों और जायदादों की जो कीमत बढ़े उसका लाभ उन्हीं को मिले दूसरों को न मिल सके। इस तरह का खास प्रयत्न किया जाना चाहिए यह मेरी एक विशेष विनती है सरकार से, लोक-सभा के सदस्यों से और आप की मारफत मैं इस को देश के सामने रखना चाहता हूं।

एक दूसरी बात और विचार करने की है। हम जो भी विकास का काम करते हैं तो लोगों को उस के लिए धन देते हैं, तकावी देते हैं। लेकिन वह धन किन लोगों को पहुंचता है? वह धन गरीबों के पास नहीं पहुंचता। कर्ज देने वाला अफसर कहता है कि दो गारंटर लाओ तब कर्ज दिया जायेगा। अगर उस के पास घर होता है तो उसको कर्ज दिया जाता है, बैल होता है तो कुछ देते हैं। लेकिन जिस के पास कुछ भी नहीं है उसको कर्ज नहीं दिया जाता। इसलिए इन लोगों के विकास के बारे में हम को दूसरी तरह से सोचना चाहिए।

अगर आप वहां बिजली भी ले गये तो उन के पास बिजली का तार या लट्टू लगाने के लिए पैसा नहीं है, न उस बिजली का उपयोग करने के लिए उन के पास कुंवां है, न जमीन है न घर है। बिजली ले जा कर आप वहां क्या विकास करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इन लोगों के लिए प्लानिंग बिल्कुल दूसरे ढंग से होना चाहिए जिस में इन के स्वाभिमान को भी धक्का न लगे और उन को यह लगे कि यह हमारा हक है। हमें उन की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उन के आर्थिक विकास तथा सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार काम करें कि दूसरी जमाअत बीच में उस का लाभ न उठा ले। इस की हम को सुरक्षा कर देनी चाहिए। मेरा कहना है कि इन आदिवासियों को हमारे देश में विशेष हक है क्योंकि ये बड़े गरीब हैं। उन के लिए हम जितना भी कर सकें कम होगा।

यह छोटी सी विनती मैं आप के द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : श्रीमन्, संविधान के जिस विशेष अनुच्छद, ३३८, के अधीन यह प्रतिवेदन तैयार किया जाता है उसका प्रयोजन स्पष्ट नहीं है। उस में लिखा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति शब्दों के अन्तर्गत आंग्ल-भारतीय भी समझे जायेंगे। इस प्रतिवेदन में उन पर भी विचार किया गया है। कुछ भी हो समाज के दुर्बल वर्ग के साथ विशेष प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि इस दायित्व को निभाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। किन्तु मेरा विचार है कि अनुसूचित जाति और नुसूचित आदिम जाति के साथ विभाजन आधार पर व्यवहार करना चाहिये क्योंकि वे अलग-अलग समय संविधान के अन्तर्गत विशेष प्रयोजन के लिये रख गये थे अनुसूचित जाति के लोग १९३५ में और अनसूचित आदिम जाति के लोग देश के स्वतंत्र होने के बाद। इसलिये इन की आवश्यकतायें और समस्याय अलग-अलग हैं।

आदिम जाति के क्षेत्र में दौरा करते समय कई बार प्रधान मंत्री ने कहा है कि वे कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो उनके जीवन को अस्तव्यस्त करे अथवा उन के सरल जीवन में बाधा पहुंचाये। किन्तु यह विचित्र बात है उन के जीवन की सरलता छीने बिना उन का विकास किस प्रकार किया

---

†मूल अंग्रेजी में

जायेगा । क्या अपने जीवन की सरलता बनाये रखते हुए वे हमें संसद का चनाव लड़ सकेंगे । मैं नहीं चाहता कि संविधान में कुछ परिवर्तन हो । केवल कहना यही है कि यदि उन्हें चुनाव आदि लड़ना है तो वे आधुनिक शक्तियों के साथ संघर्ष करें और उस सीमा तक यदि आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के लोगों से अलग-अलग व्यवहार करें तो ठीक होगा ।

दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति के लोग मैदान में रहते हैं जब कि अनुसूचित दिम जाति के लोग पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं । प्रतिवेदन में कहा गया है कि अ सूचित आदिम जाति के लोगों से व्यवहार करते समय वन विभाग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ।

संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति का उल्लेख है किन्तु उन से व्यवहार करते समय हम विभिन्न नामों से उन्हें संबोधित करते हैं, कभी हरिजन, कभी अनसूचित जाति, कभी कृषि मजदूर और कभी भूमिहीन मजदूर । यह उलझन उत्पन्न करता है । सारे अनुसूचित जाति के लोग भूमिहीन नहीं हैं कुछ बड़े जमींदार और व्यवसायी भी हैं । इसलिये जब आप 'भूमिहीन मजदूर' कहें तो भूमिहीन मजदूरों के साथ ही व्यवहार करें और जब 'कृषि मजदूर' कहें तो कृषि मजदूरों के साथ ही व्यवहार करें ।

उपमंत्री ने कहा था कि उन्हें अन्य लोगों के बराबर लाने का प्रयत्न किया जा रहा है । किन्तु केवल यही पर्याप्त नहीं है । हमें सारे देश में एकता लाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

इस के अतिरिक्त इस प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिये कि वर्ष भर में प्रशासकीय उपायों और सुधारकों ने एकता स्थापित करने में कितनी प्रगति की । प्रतिवदन में बेकार की बातें होती हैं । हमें यहां सभा में भी रचनात्मक कार्य करना चाहिये ।

मैं दो बातों का और सुझाव दूंगा । एक तो यह कि हमें उस उद्देश्य के लिये प्रयास करना चाहिये, संविधान के इन अनुच्छदों की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस बात का भय है कि शिक्षित होने के बाद ये लोग अपना धन्धा छोड़ देंगे और इस प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति का ही ह्रास नहीं होगा अपितु बेरोजगारों की संख्या में भी वृद्धि होगी । हमें सावधानी बरतनी चाहिये कि ऐसा न हो ।

हमें इन लोगों का पिछड़ापन दूर करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये । दसवें प्रतिवेदन के संक्षेप में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों की शक्तिशाली जातियां अपने हितों के लिये यह चाहती हैं कि पिछड़ापन बना रहे ।

१९६१–६२ के प्रतिवेदन में पृष्ठ ७ पर कहा गया है कि अस्पृश्यता के सबसे अधिक शिकार भंगी, डोम, मेहतर आदि हैं । अछुतों में भी आपस में छुआछूत है । हमें इसके विषय में भी सावधानी बर्तनी चाहिये कि ये भावनायें शीघ्र ही समाप्त हो जाये । १९६१–६२ के प्रतिवेदन के पृष्ठ ११ पर सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जाति की आपस की छुआछूत दूर करने के लिये भी प्रयास की आवश्यकता है ।

डा० राममनोहर लोहिया (फरुखाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर श्री भट्टाचार्य सही हैं तब तो मेरी सभी बातें गलत होंगी । इसलिये शुरु में ही मैं कहे देता हूं कि अगर ऊंची जातियों में ५००० नास्कर हैं तो हरिजनों में मश्किल से ५-१० मिलेंगे । सामाजिक मामलों में अपबाद पर नियम नहीं बानाये जाते हैं बल्कि साधारण पर नियम बनाये जाते हैं ।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

आजकल हम लोग बहस कर रहे हैं हरिजन, आदिवासी और दूसरी पिछड़ी जातियों पर, क्योंकि उन का भी जिक्र इस रपट में हैं, तो सब से पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार और किसी हद तक यह सदन संविधान भंगी है क्योंकि संविधान की धारा ३४०(३) का भंग होता आ रहा है। संविधान ने कहा है कि पिछड़ी जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट सदन में आनी चाहिए और उस पर लाजिमी तौर पर जो वहस होनी चाहिए, अभी तक वह नहीं हो पाई है। इसलिए संविधान भंगी जहां कहीं भी होते हैं उन से देश का नुक्सान हुआ करता है। यह मैं जोर से कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इस सदन में पिछड़ी जातियों के कमिशन की रपट को आना चाहिए और उस पर वहस होनी चाहिए।

पहला सवाल यह है कि यह कितने लोगों का मामला है। हरिजनों और आदिवासियों की संख्या १० करोड़ के करीब होती है और उस में अगर दूसरी पिछड़ी जातियां जोड़ दी जाती हैं, चाहे व हिन्दू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों—क्योंकि अवंशा ईसाई हैं और धुनिया जुलाहा हैं—, तो कोई २४—२५ करोड़ और यानी सब मिला कर ३४—३५ करोड़ आदमियों की वहस हम लोग इस समय कर रहे हैं। यह तो है सरकार और संविधान के हिसाब से। मेरे हिसाब से उस में साढ़े चार करोड़ ऊंची जात की औरतों को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि सारी दुनिया में नर और नारी का इतना फर्क है कि नारी दबा कर रखी गई है और हिन्दुस्तान में तो और ज्यादा। मैं इस संबंध में खाली चौपाई को पढ़ दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझ चौपाइयां सुनाते रहते हैं।

कत विधि सृजैसि नारि जग मांही
पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं।

बहुत उकसाया गया है इस सदन को मेरे खिलाफ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में और कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो नर और नारी में बराबरी इतनी ज्यादा चाहता है, जितनी कि मैं—इसलिए कि मैं आप से खास तौर से यह बात कहना चाहूंगा कि.....

श्री बाल्मीकी : लेकिन नारी तो शिकायत नहीं करती है।

डा० राम मनोहर लोहिया: नारी तो शिकायत नहीं कर रही है, लेकिन नारियों के तरफदार हो कर इस सदन में न जाने कितनों ने शिकायत की है और कहा है कि मेरी बद-रुचि है। वास्तव में अगर उन को मौका मिले, तो या तो नारी को उठायेंगे सिर के ऊपर, या रखेंगे पैर के नीचे। और मैं वैसा आदमी हूं, जो नारी को बगल में रखेगा, न सिर के ऊपर उठायेगा और न पैर के नीचे रखेगा।

इस संबंध में जो कुछ भी हुआ, मैं तो नारी के मामले में कुछ कहना चाहूंगा। मैंने सोचा कि कोई एक नारी मेरी तरफ से इस सदन में बोलती, लेकिन मुझ इस बात का खास तौर से बहुत अफसोस है कि उपमंत्री साहिबा ने इस बारे में कुछ नहीं कहा।

मैं आप को बता रहा था कि कितने लोगों का यह मामला है। ३९ करोड़ छोटी जात के ग़रीबों का मामला है, साढ़े चार करोड़ बड़ी जात के ग़रीबों का मामला है और ५० करोड़ बड़े लोगों का। अगर ये तीन बात हम लोग ध्यान में रखें, तो फिर हम इस हरिजनों-आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के मामले को समझ सकेंगे।

इस रपट में कुछ केन्द्रीय नौकरियों के बारे में कहा गया। वे आंकड़े मैं आप को बता देना चाहता हूं। केन्द्रीय नौकरियों में जो पहले दर्जे की ८३९४ नौकरियां हैं, उन में कुल ९१ हरिजन हैं और १६

आदिवासी। माननीय सदस्य, श्री भट्टाचार्य, जरा इस बात पर निगाह डाल लें। ८३९४ में ९१ हरिजन और १६ आदिवासी ।

इस सदन में सकड़े की बहुत बातें हुआ करती हैं। यह सैकड़ेबाज़ी बड़ी ख़राब होती है। इस असलियत को देखना चाहिए कि हरिजनों और आदिवासियों की संख्या ऊंची जगहों पर बहुत कम है। मैं आप का ध्यान इस तरफ भी दिलाऊं कि संविधान और नियमों के अनुसार साढ बारह सैंकड़ा हरिजनों का और पांच सैकड़ा आदिवासियों का, अर्थात दोनों का साढ सत्रह सैंकड़ा स्थान सुरक्षित है, जब कि यह मिल कर मश्किल से एक, सवा सैंकड़ा बनता है ।

इसलिए मेरा पहला सुझाव यह है कि इस लोच को, इस उलझन को साफ़ कर लेना चाहिए। यह तो हम संविधान में से संरक्षण वाली बात को बिल्कुल ख़त्म कर दें और ईमानदारी के साथ कहें कि हम हरिजनों, आदिवासियों और दूसरी पिछड़ी जातियों को कोई अवसर नहीं देना चाहते और अगर उस को रखते हैं, तो फिर ईमानदारी के साथ उतनी जगह उन को देनी चाहिए, चाहे वे योग्य हों और चाहे वे अयोग्य हों। तभी यह मामला ठीक हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : सही बात है ।

डा० राममनोहर लोहिया : यह तो मैंने केन्द्रीय नौकरियों के बारे में कहा। उस के साथ साथ ज़रा छात्रावासों का भी मामला देख लीजिये। पंच-वर्षीय योजना के अनुसार छात्रावासों पर ९१,६८,००० रुपया ख़र्च होना चाहिए था, लेकिन उस में से ७५,००,००० रुपया ही ख़र्च हुआ है। इसी तरह अन्य बातों में भी पैसे की कमी रही। पैसे की कमी पर तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वर्ष के आख़िर में ये योजना वाले बहुत ज्यादा इधर-उधर ख़र्च किया करते हैं। ज्यादा अच्छा हो कि पैसे के ख़र्च के माप को छोड़ कर कितने छात्रावास बने, इस का माप रखा जाये और उस हिसाब से यह बहुत कम है। अगर केन्द्रीय नौकरियां और छात्रावासों, इन दोनों का ही माप रखा जाये, तो हमें मानना पड़ेगा कि अभी तक इन पिछड़ी जातियों यानी ३९ करोड़ छोटी जात के ग़रीब लोगों के बारे में कुछ भी नहीं, या करीब करीब कुछ भी नहीं, किया गया है।

एक बात शुरु में ही ध्यान में रखनी चाहिए। ग़रीब ऊंची जात वाले भी हैं और छोटी जातो वाले भी हैं। तब मैं उन में क्या फ़र्क़ करता हूं ? एक फ़र्क यह है कि छोटी जात के ग़रीबों का पेट भी कटता है और मन भी कटता है और ऊंची जात के ग़रीबों का केवल पेट कटता है और थोड़ा बहुत मन कटता है, लेकिन मन दोनों का कटता है। और जब तक हम इस फ़र्क को ध्यान में नहीं रखेंगे, आगे का कोई भी रास्ता समझ में नहीं आयेगा। पेट कटने के मामले में मेरे तीन आने वाले हिसाब से हरिजन-आदिवासी और दूसरी पिछड़ी जातियां भी उस में आती हैं और ऊंची जात के ग़रीब भी आते हैं।

श्री बाल्मीकी : तीन आने में अस्पृश्यता तो नहीं है ।

डा० राममनोहर लोहिया : अस्पृश्यता के बारे में तो मैं अभी माननीय सदस्य को किस्सा सुनाता हूं कि इस सरकार के रहते हुए ऐसी बात हो रही हैं कि मझे कई दफा आश्चर्य होता कि माननीय सदस्य उधर बैठे हुये हैं, जब कि उन को हमारे साथ बैठना चाहिए ।

अब मैं उस दृष्टि पर जाता हूं, जिस के अनुसार ये सारी बातें होती रहती हैं। एक किस्सा पूना का है। सुमन नाम की लड़की और अन्ना नाम का लड़का। लड़की ऊंची जात की और लड़का छोटी जात का। दोनों में मुहब्बत हो गयी। वह अक्सर हो जाया करता है। लड़की के भाई ने

[डा० राम मनोहर लोहिया]

उस लड़के का कत्ल कर डाला । वह भी कभी कभी हो जाया करता है । उस तरफ़ मैं आप का ध्यान नहीं खींचता हूं, लेकिन इस पर मुकदमेबाजी हुई और सेशन्ज़ जज ने जो फैसला दिया, उस के कुछ शब्दों को मैं आप के सामने रखना चाहता हूं । ये फ़ैसले भी लिखे जाते हैं ऐसी भाषा में, जो बड़ी मुश्किल से समझ में आती है । जज साहब ने कहा कि एक प्यार करने वाले भाई की हैसियत से, मुजरिम ने देखा कि उस की बहन के एक बहुत ही गन्दे आदमी के हाथों में पड़ गई है, ऐसा आदमी जो कि बुद्धि, शिक्षा, पैसे और समाज के हिसाब से सुमन से बहुत ज्यादा नीचे था और यह भी कि समाज के नियमों के अनुसार उस की बहन की शादी एक कसाई से नहीं हो सकती थी ।

यह बात जज साहब लिखते हैं और यह संविधान बराबरी वाला संविधान है । जज को इस बात से क्या मतलब कि किसी की शिक्षा, समाज में स्थान या पैसा कितना है ? क्या यही होता रहेगा कि एक बेपढ़ी औरत पढ़े-लिखे मर्द के साथ हमेशा शादी करेगी, जो कि ऊंची जातियों में हमेशा हुआ करता है या कभी एसा भी होगा कि एक पढ़ी-लिखी औरत एक बेपढ़ मर्द के साथ शादी करेगी ? हम मर्दों ने क्या सब मामला खो रखा है कि हम को पढ़ी-लिखी औरत न मिले ? लेकिन जज साहब इस तरह का फैसला लिखते हैं ।

यह तो छोटे जज का फ़ैसला है । फिर हाई कोर्ट के फ़ैसले में यह लिखा गया है कि जिस लड़के को मारा गया था—वह बीस, इक्कीस वर्ष का लड़का था, जब कि वह शादी कर सकता था, ...

श्री बाल्मीकी : कब की बात है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : १८ अगस्त, १९६० की । इस के बाद तो माननीय सदस्य इधर आ जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत पुरानी बात है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : हजूर ने कहीं १८६० तो नहीं सुन लिया ? यह १९६० की बात है ।

हाई कोर्ट ने फ़ैसला लिखा है कि वह लड़का यानी अन्ना उस लड़की के लिए बिल्कुल बेठीक था । लड़की पढ़ी-लिखी थी, बी० ए० दर्जे में पढ़ रही थी और वह लड़का तो ख़ाली दूसरे दर्जे मराठी तक पढ़ा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो कोई लड़की और लड़का इस को नहीं मानता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : तभी तो बेचारे की जान चली गई ।

मैं आप को बताना चाहता हूं कि आज के आधुनिक युग में अगर और कोई देश होता, तो फिर इस तरह के जज लोग ठहर नहीं पाते और निकाल दिए गए होते । परन्तु इस तरह के जज अभी तक हमारी हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं और अपनी कुदृष्टि हर फ़ैसले में दिया करते हैं । एक कत्ल हो जाता है और उस कत्ल के मुकदमे में सज़ा को कम करने के लिए वे अपनी बुरी दृष्टि को फ़ैसले में ले आया करते हैं । मैं आप का ध्यान और आप के ज़रिये सारे देश का ध्यान इस बरी बात की तरफ़ खींच देना चाहता हूं ।

यह मैं आपको दृष्टि के बारे में बता रहा हूं । वैसे मेरे पास राजस्थान के कम से कम पन्द्रह किस्से आये हैं और मैं चाहता हूं कि यह काग़ज़ आप तक चला जाये । आप इसको सरकार को

देकर कुछ कार्यवाही करवाइये। इन बातों में से एक बात आप याद रखे। एक हरिजन कार्यकर्ता कालूराम, १५-१०-६२ को ज़िला चुरू, झंझू गांव में, मार डाला गया। मामला था कि कुएं पर हरिजनों को पानी नहीं भरने दिया जाता था। ये पन्द्रह बीस मामले हैं। मैं सबको यहां नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको भेज दूं ये, जिससे आप ये सब मामले सरकार को दे कर कुछ कार्यवाही करवा सकें ?

उपाध्यक्ष महोदय : *मेज पर रख दीजिए।

डा० राम मनोहर लोहिया : उस तरह के न जाने कितने कत्ल वगैरह के मामले हुआ करते हैं।

एक मामला गनेसर का है। मुझे खुद मालूम है, क्योंकि उस वक्त इस मामले में हमारे समाजवादी दल के सत्यनारायण चौधरी की जान करीब करीब खत्म हो गई थी।

गनेसर में एक गर्म सोता है। उसमें हरिजनों को नहाने नहीं दिया जाता था। अब तो बहुत मेहनत करके, जान को जोखिम में डाल कर नहाने वाली बात शुरू हो गई है।

लेकिन इस सिलसिले में मैं एक नियम बताना चाहता हूं। हम जो विरोधी दल के लोग भी हैं या जो राजनीतिज्ञ हैं, केवल सरकार ही नहीं, हम सब लोग भी इस मामले में कमज़ोर पड़ते हैं। जब मैंने यह किस्सा बताया तो इससे कहीं आप एसा न सोच लें कि हम लोग अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहे हैं। हरिजनों और आदिम वासियों के लिये जितनी लड़ाइयां लड़नी चाहिये, हम लोग उतनी नहीं लड़ पा रहे हैं। यह हो सकता है कि मेरी पार्टी का आदर्श अच्छा हो लेकिन अमल अभी तक कमज़ोर है। इसलिए एक सेकिंड के लिये भी मैं नहीं कहना चाहता कि खत मजदूरों की लड़ाई अभी हम लोग लड़ पा रहे हैं। किन्तु अच्छे से अच्छा कानून बनने के बाद कानून को अमल में लाने की अगर शक्ति नहीं रहती जनता में तो वह कानू न बेकार हो जाया करता है। जब जन-शक्ति और कानून दोनों का जोड़ होता है तब कानून परिवर्तन और क्रांतियां हुआ करती हैं। आज केवल कानून अछूतों के सम्बन्ध में, हरिजनों के सम्बन्ध में या पिछड़ों के सम्बन्ध में किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन उसके साथ जन शक्ति जुड़ी हुई नहीं है, इसलिये परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। चाहे आप जितनी रकम इनके ऊपर ख़र्च कर दें, जितनी रकम योजना में रख दें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। यह मैंने एक बुनियादी बात बताई है।

जहां मैंने अपने कर्तव्य कहे, वहां सरकारी पार्टी के बारे में यह भी कह दूं कि उनका अमल भी खराब है और उनका आदर्श भी खराब है। हमारा केवल अमल कमज़ोर है। इसी दृष्टि को आप और आगे बढ़ाइये तो जात की बुनियादी बात को सोचना पड़ेगा। यह जात लगी कैसे ? हमारा ही देश दुनिया में क्यों एक अभागा देश है इस मामले में ? और कहीं यह नहीं है, केवल हिन्दुस्तान में है। एक साफ सी बात है कि जात से योग्यता और अवसर का लगातार सिकुड़न होता रहता है। जब एसा होता है तो ४४ करोड़ लोगों में योग्यता नहीं रह जाती। वह सिकुड़ते सिकुड़ते पचास लाख लोगों में आ बसी। कैसी योग्यता ? दिमागी, योग्यता, सामाजिक मामलों में कुछ कर सकने की योग्यता। और अवसर भी कम लोगों को मिलता है।

इस एक बड़े सिद्धान्त की बात को मैंने एक बार पहले भी रखना चाहता था। लेकिन कुछ चापलूस लोगों ने, कुछ नाजूक दिल वाले लोगों ने मुझको समझा नहीं। मैं आज बजाय किसी और

---

* अध्यक्ष द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति न दिये जाने के कारण पत्र सभा-पटल पर रखे गये नहीं समझ गये।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

जात का ननूना आपके सामने रखूं, मारवाड़ी जात का नमूना सब से पहले देना चाहता हूं। वैश्य व्यापार करते हैं। तो सब से पहले ४४ करोड़ में से योग्यता खिचते खिचते, व्यापार की योग्यता, वैश्यों में आ टिकी। वैश्यों में भी खिचते खिचते वह मारवाड़ियों में आ चुकी। मारवाड़ी वैश्यों में से खिचते खिचते योग्यता आकर टिकी शेखावाटी के लोगों में, शेखावाटी के सेठों में। जहां जात आ गई वहां योग्यता सिकुड़ती जाएगी, यह बिल्कुल निश्चित नियम है। इसी नियम को मैं आगे लागू करना चाहता हूं। लोग यह न समझें कि मैंने काश्मीरियों के बारे में कुछ कहा है। काश्मीरी तो बचारे गरीब होते हैं। जो काश्मीर के अन्दर रहते हैं, वे काश्मीरी पंडित तक भी गरीब हैं। सिर्फ वे लोग जो काश्मीर को छोड़ कर आ गये हैं, वे अमीर हो सकते हैं। मैंने तो काश्मीरियों का नाम तक नहीं लिया। खाली मैंने सिद्धान्त की बात कही है। सिद्धान्त में जाति प्रथा का सर्प, जाति प्रथा का श्राप जब तक चलता रहेगा तब तक जो आदमी ऊंची जगहों पर बैठे हैं व अपने कुल को और अपनी जाति के लोगों को ही बढ़ावा देते रहेंगे। अगर वह आदमी बहुत बड़ा हुआ तो अलबत्ता इस सर्प को मारेगा और इस श्राप को खत्म करेगा। लेकिन मामूली लोगों के हाथों यह कभी नहीं हो सकता है। जात की अवस्था एसी है कि उसमें योग्यता और अवसर का सिकुड़न चलता रहता है।

दूसरी मिसाल मैंने आयंगरों की दी है। उन पर भी यही लागू होती है। आयंगरों से सिकुड़ते सिकुड़ते यह चली गई बोदी में। बाकी जितने लोग हैं वे आधुनिक जमाने के लोग नहीं रह जाते हैं। वे केवल या तो मिट्टी खोदें या तरकारी बोये या बाल बनाये या कपड़ा धोये। इस तरह की जो चीजें हैं इन से देश को नुकसान ही होता है। आप पूछेंगे कि जब इतनी गन्दी चीज़ है जात, तो .....

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप जल्दी समाप्त करें।

डा० राम मनोहर लोहिया : जल्दी करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। डढ़ हजार बरस के रोग को आप चाहते हैं मैं पन्द्रह मिनट में खत्म कर दूं, यह कैसे हो सकता है।

जात में ताकत आई कहां से? जीना मरना सब जातियों के साथ चलता है। शादी ब्याह सब जातियों के साथ चलता है। यहां तक कि जितनी ये बीमा कम्पनियां हैं, जो चल रही हैं, क्योंकि आदमी को अगर कहीं निश्चिन्तिता रहती है तो तब रहती है जब समूह की ताकत, वह समझता है, हमारे पास रहेगी, ये इसी बात में आती हैं।

जब मैंने योग्यता की बात की तो एक चीज ज़रूर मैं साफ़ कर देना चाहता हूं। वह असली योग्यता नहीं है, नकली योग्यता है, अपने लोगों को दबाने वाली योग्यता है, कुछ मानों में मैं उठने बैठने और सिद्धान्त बघारने की योग्यता है। अगर अपने देश में ऊंची जात और छोटी जात के बने हुए लोग हैं तो बाकी दुनिया के मुकाबले में हम सब के सब हरिजन हैं। यह बात तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान से साबित हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अन्तर्राष्ट्रीय जाति प्रथा है और वहां केवल चार ब्राह्मण हैं। जो पांचवां ब्राह्मण बेचारा है, वह डगमगा रहा है क्योंकि उसको वहां जगह नहीं मिल पा रही है। जो चार के चार हैं, वे गोरे हैं। एक इंग्लिस्तान है, एक फ्रांस है, एक अमरीका है और चौथा रूस है। यही चार ब्राह्मण हैं। बाकी सब के सब हरिजन, आदिवासी या पिछड़े हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय जाति प्रथा जा कर बनती है। जब हम अपने देश में ३९ करोड़ छोटी जाति के गरीब लोगों को दबाते रहेंगे तो बाकी जो चार पांच करोड़ ऊंची जाति के लोग हैं, या ५० लाख बड़े लोग हैं। उनके ऊपर यह अन्तर्राष्ट्रीय जाति प्रथा जाकर बैठ जाएगी।

यह सही है कि कुछ दैवी गुण हमारे यहां कभी चलते रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमने कुछ खरीद फरोख्त की है, सट्टेबाजी या भीख मांगने के हुनर हमने हासिल किये हैं, मुश्तैनी तरीके से या किसी और तरीके से और हम काम चला लेते हैं। लेकिन दरअसल में यह अवगुण है। फिर भी अपने सिद्धान्त को बताने के लिये एक बात मैं कहना चाहता हूं। ब्राह्मणी तो आपको मिल जाएगी जिसने हरिजन से शादी की हो .....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

डा० राम मनोहर लोहिया : सैकड़ों मिल जायेगी। मैं खुद जानता हूं। लेकिन अहीरनी आपको नहीं मिलेगी। इस बात को आप सोचिये कि एसा क्यों है। कोई यह न सोच बैठे कि द्विजों के खिलाफ मैं बोल रहा हूं। सच्ची स्थिति का बमान मैं करना चाहता हूं। पिछड़े लोगों में अभी भी जाति प्रथा का नाश करने के लिये ताकत जो आनी चाहिये वह नहीं आ पारही है। इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। आखिर को ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर वगैरह उस योग्य हैं कि उनके अन्दर एसी औरत निकल आती हैं जो जातपात को तोड़ करके शादी ब्याह कर लेती हैं लेकिन अहीर, लोगों को, कुर्मी लोगों को, रेड्डी वगैरह लोगों को चप नहीं बैठना चाहिये। उनमें भी यह भावना और ताकत पैदा होनी चाहिये कि हम ऊंची जाति वालों का मुकाबला करें। एसे मामलों में .....

श्री च० क० भट्टाचार्य : एक उदाहरण क्यों न प्रस्तुत किया जाये ?

डा० राम मनोहर लोहिया : इस उम्र में भट्टाचार्य जी ? आपने अगर मुझे बीस बरस पहले कहा होता तो बात और थी ..... **(अन्तरबाधा)** इस उम्र में नहीं। अब तक न जाने कहां कहां दोस्तियां पुरानी हो गई हैं ..... **(अन्तरबाधा)**

छोटी जात के लोग जो गरीब हैं, उनकी तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका का अक्सर जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में वर्णभद चला करके मनुष्य की इज्जत .....

उपाध्यक्ष महोदय : बहस इस वक्त शैड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर चल रही है।

डा० राम मनोहर लोहिया: बिल्कुल हरिजनों और आदिवासियों का मामला है और कुछ नहीं है :

उपाध्यक्ष महोदय : बीस मिनट ले लिये हैं आपने।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह बात अलग है। अगर आप चाहें तो मैं इस बात को खत्म करने की कोशिश करूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का समय केवल ग्यारह मिनट था। बीस मिनट आपने ले लिये हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : दल के हिसाब से आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं। बात ऐसी है कि किसी को कुछ कहना होता है इन मामलों में और कोई होते हैं जो पार्टी के हिसाब से बोलते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बोलूं।

---

†मूल अंग्रजी में

उपाध्यक्ष महोदय : खत्म करने की कृपा कीजिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : कोशिश कर रहा हूं । मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं । दक्षिण अफ्रीका में जितनी ज्यादा सफेद और कालों को अलग करने की कोशिश की जा रही है .....

उपाध्यक्ष महोदय : यह इरेलेवेंट है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : चमरहट्टी ? ये हरिजन लोग हैं । आपने गांव शायद नहीं देखे हैं, हिन्दुस्तान के । वहां चमार को, तेली को पद्मशाली को, इन सबको अलग अलग बसाया जाता है, निचली जमीन दी जाती है, बरसात के दिनों में दो तीन महीने तक उनको कीचड़ में रहना पड़ता है । दक्षिण अफ्रीका में तो केवल यंत्र के द्वारा सफेद मन और काले मन वाले लोगों में फर्क किया जाता है, लेकिन यहां यंत्र मंत्र से जुड़ करके बड़ा सत्यानाश किया जाता है ।

इसी तरह से अमरीका के नीग्रो की बातों को बतलाना जाता हूं । लेकिन सरकार और विरोधी दल इस मामले में एक समान हैं क्योंकि अगर कोई एक भी हरिजन थानेदार या कलेक्टर बन जाता है तो जो भी ऊंची जाति वाले लोग हैं, कुछ अपवादों को छोड़ कर, उन की आंखों में वह कंकड़ी की तरह गड़ने लग जाता है । लेकिन इस के साथ साथ मैं यह भी कह दूं कि जो पिछड़े लोग, हरिजन हैं, वे मन में इतनी उमंगें ले लेते हैं जैसे एक शेर मार कर आये हों, अब कुछ करने को नहीं रह गया । अब वह तबियत बदल जानी चाहिये क्योंकि ७ करोड़ हरिजनों में मुश्किल से ७० हजार हरिजन ऐसे होंगे, जिनको थोड़े बहुत इस सरकार के द्वारा फायदा हुआ है । बाकी लोगों को नहीं हुआ है । तो सब कैसे उठाये जायें ?

इस के बाद में बाकी चीजों को छोड़ देता हूं कि साढ़े छः एकड़ से कम खेती की लगान कम करो, मातृभाषा चलाओ, बिजली का दाम कम करो, लेकिन एक चीज की तरफ ध्यानजरूर खींचना चाहूंगा, और वह यह कि तन्ख्वाहों की गैर बराबरी कम हो जानी चाहिये । आज प्राथमिक अध्यापक को २ रू० रोज मिलते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति को सुविधाओं समेत कम से कम २०० या २५० रु० रोज मिल जाते हैं । यह कम होनी चाहिये । मैं यह बात बिल्कुल निश्चित देखता हूं कि विकास जितना ज्यादा देश में होता है चला जायेगा , अगर हमने जाति के आधार को नहीं बदला तो गैर सरकारी की प्रथा चलती जायेगी । विकास का मतलब, भारत के, जाति प्रथा के रहते हुए गैर बराबरी का बढ़ना होगा । तो परीक्षाओं बगैरह में ...

बध्यक्ष महोदय : अब आप का समय हो गया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जरा सा समय आप दें तो मेरी बात पूरी हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, माफ कीजिये । अब आप बैठ जाइये । श्री तुला राम नहीं हैं ।

डा० राममनोंहर लोहिया : साहब, मैं पांच मिनट में खत्म कर देता ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रतनलाल नहीं हैं ।

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप ने मझे अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति कमिश्नर की सन् १९६०–६१ और १९६१–६२ की रिपोर्ट पर बोलने का समय दिया । मैं कुछ बातें आप के सामने रखना चाहता हू।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज विशेषकर छूआ छूत की बात सदन में कही जाती है। मेरी मान्यता है कि जब तक जाति प्रथा रहेगी, वर्ण व्यवस्था रहेगी और जब तक अन्तर्जातीय विवाह इस देश में नहीं होंगे, तब तक यह जाति प्रथा खत्म नहीं होगी। हमारे बहुत से सदस्यों ने आप के सामने अपने बयान पेश किये हैं। मैं जमीनों के बारें में कहना चाहता हूं कि अभी तक हरिजनों को काश्त के लिये जमीनें नहीं मिलती हैं। यह बात बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं कि जमीन तब तक मिलने वाली नहीं है जब तक हमारा ऐसा कानून रहेगा। अब तक सीलिंग की बात कही जाती है। मैंने राजस्थान के समाचापत्रों में पढ़ा कि राजस्थान में सीलिंग के लिये भूमिसुधार कानून आया। लेकिन हमारी सरकार ने वही किया कि जो बड़े बड़े जमीदार पहले के हैं उन के पास तो ३० स्टैंडर्ड एकड़ रहेंगी। जो जमीन बचेगी उसे सरकार नीलाम करेगी और भमिहीनों को केवल पांच एक्ड जमीन देगी। बतलाईये कि इस तरह हमारा विकास कैसे हो सकता है ? मैं चाहता हूं कि हर एक किसान जो स्वयं काश्त करता है, उस के पास बराबर जमीन होनी चाहये। हमारे साधू राम जी ने जमीन की बात कही। वे आदिवासियों के लिये रिजर्व करने की बात कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्रिश्चियन और मुसलमानों के जितने कब्रस्तान बने हुए हैं, उनके लिये जितनी जमीन रिजर्व रहेगी उतनी भी हरिजनों के पास नहीं है। आप आंकड़े देख लीजिये। आज इस तरह की बातें चल रही हैं।

हमारी बहन जी ने कह कि भंगियों की बड़ी दुर्दशा है, भंगियों की मुक्ति होनी चाहिये। यह चीज जरूरी है लेकिन भंगियों की मुक्ति हो कैसे सकती है ? मेरी बहन ने कहने के लिये तो कहा कि औरतों को काम नहीं करना चाहिये, लेकिन अगर वे काम न करें तो शाम को रोटी के लाले पड़ जायेंगे, वे रोटी कहां से खायेंगे। आज देश के अन्दर बड़ी बड़ी संस्थायें हैं, मैं समझता हूं कि आज विलेज इंडस्ट्रीज एंड खादी बोर्ड के पास इतना बड़ा काम है, उसे इतना रुपया गवर्नमेंट से मिलता है, लेकिन उन्होंने भंगियों के लिये मेहतरानी को कोई चरखा चलाना नहीं सिखलाया। इतना रुपया ले कर अगर उन को कोई काम दे देते तो मैं समझता कि उन्होंने बड़ा काम किया है।

तीसरी चीज हमारी बहन जी ने पानी के बारे में कही। हरिजनों को एक साथ कुंओं से पानी भरना चाहिये। एक साथ हरिजनों के कुंओं से पानी भरने की बात तो दूर रही, जैसा लोहिया साहब ने उदाहरण दिया, हमारे एक बर्कर श्री कालू राम को, जिस ने पानी पिलाने का प्रयत्न किया, गोली से मार दिया गया। एक ही नहीं, इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। २४ जून को मूला राम के नाम का एक हरिजन था, जब वह पानी भरने गया तो उस को भी गोली का शिकार बनाया गया। इस तरह से राजस्थान के अन्दर सैकड़ों उदाहरण मिल जायेंगे। हमारे आदमी कहते हैं कि हमें रोटी मिलनी चाहिये, कपड़े मिलने चाहियें, हम भिखमंगों की तरह भीख नहीं मांगेंगे। हम को कपड़ा रोटी दे दो, यही काफी नहीं है, । हमें कपड़ा और रोटी के साथ इज्जत भी चाहिये।

अधम चाहत है द्रव्य को, मद्धम धन अरु मान,

उत्तम चाहत है मान को, जाके धन सम्मान।"

मनुष्य के पास अगर इज्जत न हों तो रुपया चाहे कितना ही हों। हम को खाली रुपये पैसे से मोह नहीं है, हम चाहते हैं कि देश के अन्दर गरीब और अमीर का बराबर सम्मान बढ़े।

दूसरा उदाहरण शास्त्री जी ने दिया कि आज ईसाई मिशनरी यह करते हैं, वह करते हैं और इस तरह से ईसाई बनाये जाते हैं। लेकिन आखिर ईसाई लोग क्यों बनते हैं? आप को इसका उदाहरण देता हूं :

[श्री प० ला० बारूपाल]

हिन्दुओं में अगर बेरुखाई न होती,
तो भारत में आई तबाई न होती,
अगर प्यार दिल से अछूतों को करते,
तो यह कौम प्यारो, ईसाई न होती ।"

एक माननीय सदस्य : यह आप की बनाई हुई है ?

श्री प० ला० बारूपाल : मैं उद्धरण दे रहा हूं । मेरी बनाई हुई नहीं है । आखिर यह लोग क्यों ईसाई बनते हैं ?

कटा कर के चोटी न बनते बिधर्मी,
अगर इन पे यों दब दबाई न होती,
अगर पाठ गीता का उन को पढ़ाते,
तो कुरां बाइविल की पढ़ाई न होती ।
मंदिरों में इन्हें गर रुकावट न होती,
तो मस्जिद में सुरती लगाई न होती,
अहिंसा धर्म का जो उपदेश देते
यह गउओं की गर्दन कटनाई न होती ।

अगर हिन्दू समाज हम को अपनाता तो यह तबाही न होती। लेकिन हिन्दू समाज ने जो पाप किया है उस का प्रायश्चित वह नहीं करते । मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो क्यों करता है ? कोई खुद तो करता नहीं है । एक महावरा है :

पापी न कभी हरि भजै, पापी यश न लेय,
जैसे अदुआ खेत का, खावै न सावन देय ।"

खुद तो आप लोग करते नहीं हैं, दूसरे कुछ करते हैं तो उनके लिये कहते हैं कि यह लालच देते हैं, यह देते हैं, वह देते हैं । जब आदमी भूखा होगा तो वह दिल से खाने की कोशिश करेगा ।

यहां माननीय सदस्यों ने कहा कि योजना कमिशन में हरिजन होना चाहिये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं एक बात पूछना चाहता हूं । क्या रामदासिये बाल्मीकीयों को लड़कियां देते हैं ? क्या बाल्मीकि लोग ढेयों को देते हैं या आप दूसरों की ही बात करते हैं । जरा उत्तर दीजिये । यह सारे हिन्दुओं के अन्दर पड़ा हुआ है । जो हिन्दू है उस के अन्दर भरी है यह बीमारी ।

श्री प० ला० बारूपाल : यह बीमारी आप लोगों की पैदा की हुई है, वह ऊपर से नहीं आई हुई है । स्वामी जी, कम से कम इस को समझना चाहिये । अगर स्वामी जी ने मुझे छेड़ा तो मैं व्यक्तिगत बात के ऊपर आ जाऊंगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि योजना कमिशन की बात तो दूर रही मेरी मान्यता है कि हरिजनों की जो प्राब्लेम्स हैं उन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । यहां हमारी मंत्रिणी जी बैठी हुई हैं वे भी एक हरिजन हैं । लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट है, विकास का डिपार्टमेंट है, वित्त का डिपार्टमेंट है, अगर मिनिस्टरों को फुर्सत नहीं है हरिजनों की बात को समझने की तो कम से कम प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक अधिकारी यहां होना चाहिये । खाली होम डिपार्टमेंट क्या करेगा । हरिजनों की ऐसी समस्या है जिस का प्रत्येक विभाग से सम्बंध है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मंत्रिमंडल तक में तो मिनिस्टर नहीं है उन का ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं राजस्थान की बात कर रहा था । अभी मैंने अखबार की एक कटिंग पढ़ी कि हमारे उच्च न्यायालय में किसी ने अपील की थी । उस अपील के आधार पर जो रिजर्वेशन रहा करता था उस के लिये कह दिया गया कि कोई रिजर्वेशन पेन्डिग नहीं रहेगा । एक साल के लिये रहेगा दूसरे साल में खत्म कर दिया जायेगा । कहने के लिये कहते हैं कि सूटेवल आदमी हरिजनों में नहीं मिलता है, लेकिन यह गलत बात है और नामूमकिन बात है । बल्कि यह ईमानदारी की बात नहीं है । जो आदमी नियुक्त करता है वह ईमानदारी से नहीं करता है, ऐसे उदाहरण भी हैं । लेकिन मैं इस में ज्यादा नहीं जाना चाहता । इस संसद में इतने आदमी हैं, दूसरे लोग हैं । मेरी एक आदमी से व्यक्तिगत बात हुई तो उस ने कहा कि जो आदमी मेरे पास भेजते हो तो कम से कम ऐसा करो कि कोई दूसरी जाति के लोगों को भेजो, इन चूढ़ी चमारों को भर कर क्या करोगे । यह हालत है दफ्तरों की ।

दूसरे इस सदन में यह भ्रान्ति पैदा कर दी गयी है कि सरकारी सहायता से कुछ खास वर्ग फायदा उठाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि वे कौन सी जातियां हैं जो इस प्रकार फायदा उठा रही हैं ? आप देख लीजिए कि इस मुल्क में बहु संख्यक कौन है । जो कुछ सरकार से मिलता है वह जनसंख्या के आधार पर मिलता है । उस जाति ने कुर्बानी भी ज्यादा की है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** बाहर वर्षा हो रही है । वे दस मिनट और ले कर अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं कहना चाहता हूं कि जो हरिजन स्कूलों में पढ़ते हैं अगर वे पानी पी लेते हैं तो उनको दण्ड दिया जाता है । इसके मैं दो तीन उदाहरण दे सकता हूं। दो तीन हरिजन मास्टरों ने मुझ से शिकायत की कि जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं उस का हैडमास्टर ब्राह्मण है और उस ने हम पर हमला कराया और हम को नौकरी से निकलवाना चाहता है । ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं ।

राजस्थान में हम श्रमसेवी संस्था के लोग जो काम करते हैं उस के लिए हम को सात सात महीने तक एड नहीं मिलती । इस तरह यह काम कैसे होगा ?

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी बात का जबाब आना चाहिए । जब तक ये बाल्मीकी के लड़के को अपनी लड़की नहीं देंगे तब तक यह नीचे ऊपर की बात नहीं टूट सकती । जब आप अपनी तरफ से नहीं तोड़ते तो कुछ गिने चुने लोग इस को नहीं तोड़ सकेंगे । मुझे आप गलत न समझें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को भी समय मिलेगा ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं पहला व्यक्ति हूं अपनी जाति में जिस ने जाति के बाहर अपनी लड़की का विवाह करना चाहा । मैंने आर्य समाज द्वारा शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने मुझे जनेऊ दिया, पढ़ाया लिखाया । मेरे एक लड़की हुई । तो जब वह विवाह योग्य हुई तो मैंने आर्य समाज में जा कर कहा कि मैं किसी आर्य समाजी के साथ इसका विवाह करना चाहता हूं । उस समय मुझ से कहा गया कि देख भाई इस के लिए कोई लड़का देखेंगे अनाथालय में जिसके मां बात का पता नहीं । इस पर मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने जनेऊ तोड़ कर फेंक दिया और चला आया .....

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : अपनी लड़की माननीय सदस्य बाल्मीकी को देने को तैयार हैं या नहीं। मेरी बात का जबाब नहीं देते।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, आर्डर आर्डर। इस तरह काम नहीं हो सकता। चाहे तो कल आप को वक्त मिलेगा।

श्री प० ला० बारूपाल : स्वामी जी की स्थिति तो यह है :

भरम्या मूंडमुंडावे भरम्या लेवे मेष, खबर नहीं गत मुक्त की, झूठा करे अलेस।

खिड़की खड़का ना मिटा, घड़ का मिटा न देह, फड़का मिटा न मन का तब क्या फकीरी ले।

उपाध्यक्ष महोदय : वे व्यक्तिगत आक्षेप न करें।

श्री रामेश्वरानन्द : मैंने कोई गलत बात कही है ? यह सदन में बोलने लायक बात नहीं है। क्या यह सज्जन सदन के लायक हैं। मैंने कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया है।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं यह साबित कर सकता हूं कि मैंने आर्य समाज में कहा कि मैं अपनी लड़की आर्य समाजी को देना चाहता हूं।

श्री रामेश्वरानन्द : मैंने इस बात का उत्तर मांगा है कि आप बाल्मीकी को लड़की देना चाहते हो ?

श्री प० ला० बारूपाल: जहां तक हरिजनों के उत्थान का सवाल है, मैं राजस्थान के बारे में कहता हूं कि वहां का हरिजन बहुत पिछड़ा हुआ है। उन लोगों के पास जो जमीन है उस की बेदखलियां हो रही हैं और बड़े बड़े जमींदार उनकी जमीनों को ले रहे हैं। मेरा मंत्राणी जी से निवेदन है कि वहां पर जो काम किया जाए वह अच्छी तरह से किया जाए।

अब मैं विलेज इंजस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं। हम लोग बुनाई का काम करते थे, खादी का काम करते थे, लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि आज वह काम भी हमारे हाथ से छिन गया है। खादी बोर्ड ने वह काम अपने हाथ में ले लिया है। और एक जाल सा बिछा दिया है। अगर इन के प्रयत्न से ५० करघों की जगह सौ करघे हो जाते तो हम समझते कि इन्होंने हमारे काम की उन्नति की। लेकिन हुआ यह है कि हमारे यहां पचास के तीस करघे ही रह गये। वहां भाई भतीजाबाद चल रहा है और काम को इस तरह बांटा है कि हम को काम मिलता ही नहीं। बहुत झगड़ा करने के बाद उन्होंने हम को प्रमाण पत्र दिए हैं और कुछ काम देते हैं लेकिन हम को काम बहुत कम मिल पाता है। इस का कारण यह है कि खादी बोर्ड की एक एजेंसी बीच में आ गयी है। उसको खत्म किया जाए। मेरा निवेदन है कि इन खादी की संस्थाओं को जो सरकार की तरफ से लोन मिलता है कि न मिलना चाहिए क्योंकि इन में भ्रष्टाचार है, लाखों रुपये का गवन होता है। यह रोजमर्रा की बात है। इस तरफ ध्यान दिया जाए।

स्वामी जी की बात के कारण कुछ विषयान्तर हो गया। इस के लिए मुझे क्षमा करेंगे और दूसरे भी बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा की बैठक, बुधवार, ४ सितम्बर, १९६३/१३ भाद्र, १८८५ (शक) के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

{ मंगलवार, ३ सितम्बर, १९६३ / १२ भाद्र, १८८५ (शक) }

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१९७१—९३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४४६	मेडगास्कर से चावल का आयात	१९७१—७३
४४७	इंडिया स्टोर लाइंस	१९७३—७५
४४८	पंचायत वित्त निगम	१९७५—७७
४४९	अमरीका को चीनी का निर्यात	१९७८—८२
४५०	कृषि उत्पादन	१९८२—८५
४५१	ब्रह्मपुत्र बेसिन में खाद्य उत्पादन	१९८६—८८
४५२	कलकत्ता पत्तन प्रभार	१९८८—८९
४५३	उड़ीसा के तट पर प्रकाशस्तम्भ . .	१९८९—९०
४५४	सहकारी संस्थाओं को विदेशी सहायता . .	१९९०—९१
४५५	पर्यटन का विकास	१९९२—९३
	अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
२	मानसी जंक्शन के निकट भूमि का कटाव	१९९४
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१९९५—२०५८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४५६	अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन	१९९५
४५७	सहकारी संस्थाओं का विकास	१९९५
४५८	आकाश में रहस्यमयी वस्तु	१९९६
४५९	अन्दमान द्वीपसमूह में कृषि विकास	१९९६
४६०	चीनी मिलें	१९९७

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या		
४६१	उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलें	१९९७
४६२	बीज निगम	१९९८
४६३	सीकर (राजस्थान) में गोदाम	१९९८
४६४	"टेलेक्स" सेवा	१९९८–९९
४६५	जहाजों की मरम्मत के लिए इस्पात	१९९९
४६६	ऊन का उत्पादन	१९९९
४६७	सूक्ष्म तरंग दूर-संचार प्रणाली	२०००
४६८	चेकोस्लोवाकिया के विमान में आग	२०००
४६९	कपास	२०००–०१
४७०	रेलवे विद्युतीकरण योजना	२००१
४७१	जापानी प्रदर्शन फार्म	२००१–०२
४७२	यात्री परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण	२००२–०३
४७३	सड़क बोर्ड	२००३
४७४	लकड़ी का कमी	२००३–०४
४७५	मंगलौर पत्तन	२००४–०५
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३१०	बीकानेर डिवीजन में मजूरी का न दिया जाना	२००५
१३११	नये डाक तथा तार घर	२००६
१३१२	उड़ीसा में वनों का विकास	२००६
१३१३	रेल दुर्घटनायें	२००६–०७
१३१४	दक्षिण-पूर्व रेलवे में रिक्त स्थान	१००७–०८
१३१५	उड़ीसा डाक तथा तार सर्किल	२००८
१३१६	कटक डाक सर्किल के कर्मचारी	२००९
१३१७	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा	२००९
१३१८	रायगाडा में ऊपरी पुल	२००९–१०
१३१९	उड़ीसा में अनुसन्धान योजनायें	२०१०
१३२०	उड़ीसा में डाकिये	२०१०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१३२१	दक्षिण-पूर्व रेलवे के कर्मचारी	२०१०–११
१३२२	उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	२०११
१३२३	दक्षिण-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	२०११–१२
१३२४	"बायो" गैस संयंत्र	२०१२
१३२५	दक्षिण पूर्व रेलवे में चोरी के मामले	२०१२
१३२६	उत्तर प्रदेश में सहकारी आन्दोलन	२०१२–१३
१३२७	उद्यान विद्या के लिये उत्तर प्रदेश को अनुदान	२०१३
१३२८	रेलवे पार्सल	२०१३–१४
१३२९	मद्रास के मछेरों की सहायता	२०१४
१३३०	दक्षिण रेलवे के स्टेशनों पर यात्री शेड	२०१४
१३३१	पशु पालन, दुग्ध व्यवसाय और मीनक्षेत्र	२०१४–१५
१३३२	राजमठक रोड हाल्ट स्टेशन	२०१५
१३३३	ताल में टेलीफोन कनेक्शन	२०१५
१३३४	टेलीफोन एक्सचेंज, नागदा	२०१६
१३३५	खाचरौद में टेलीफोन कनेक्शन	२०१६
१३३६	खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार	२०१६–१७
१३३७	कलकत्ता की उपनगरीय सेवा	२०१७
१३३८	खाद्य क्षेत्र	२०१७–१८
१३३९	मर्चेंट नेवी अकादमी	२०१८
१३४०	प्रशिक्षक विमान	२०१८
१३४१	डेरी फार्म	२०१९
१३४२	कृषि योग्य बंजर भूमि	२०१९–२०
१३४३	कोचीन बन्दरगाह का मैडिकल अस्पताल	२०२०–२१
१३४४	बागानों सम्बन्धी लक्ष्य	२०२१
१३४५	घरेलू बाग बगीचे	२०२१–२२
१३४६	ग्रामीण सड़क विकास	२०२२
१३४७	गाड़ियों का लेट चलना	२०२२–२३
१३४८	'कार्तिक' ग्लाइडर	२०२३
१३४९	रेलवे दुर्घटनायें	२०२३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१३५०	मर्मागोआ गोदी कर्मचारियों की हड़ताल	२०२४–२५
१३५१	बालहरशाह-विजयवाड़ा रेलमार्ग	२०२५
१३५२	गोदावरी पर पुल	२०२५–२६
१३५३	कृष्णा नदी के ऊपर पुल	२०२६
१३५४	महानन्दा नदी पर पुल	२०२६
१३५५	'रेल भवन' में आग लगने की घटना	२०२७
१३५६	पंजायत समितियों के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें	२०२७
१३५७	अदालती पंचायतें	२०२७–२८
१३५८	बांदा के बंगलीपुरा रेलवे फाटक पर पुल	२०२८
१३५९	नई दिल्ली में नया पुल	२०२८–२९
१३६०	किस्म नियंत्रण	२०२९
१३६१	गन्ने की कमी	२०२९–३०
१३६२	केन नदी पर पुल	२०३०
१३६३	थोक बिक्री केन्द्र	२०३०–३१
१३६४	सहकारी समितियां	२०३१
१३६५	कृषि अनुसन्धान	२०३१–३२
१३६६	माधोपुर में रेल का पुल	२०३२
१३६७	देवरिया डाकघर के लिये इमारत	२०३२
१३६८	डाक तथा तार अधिकारियों द्वारा किराये का भुगतान	२०३३
१३६९	कांगड़ा और मंडी जिलों की डाक	२०३३
१३७०	प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों का वार्षिक सम्मेलन	२०३४
१३७१	डीजल तथा बिजली का इंजन	२०३४
१३७२	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के डकोटा वायुयान	२०३४
१३७३	केरल राज्य में पर्यटन	२०३४–३५
१३७४	कोचीन एक्सप्रेस की कार से टक्कर	२०३५
१३७५	अशोधित तेल (क्रूड आयल) के आयात के लिये नया नौवहन समवाय	२०३५
१३७६	गन्ने का रोग	२०३५–३६
१३७७	राजस्थान में गेहूं	२०३६
१३७८	मेवे	२०३७
१३७९	आन्ध्र में नलकप	२०३७–३८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३८०	पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, नागपुर	२०३८
१३८१	अगिया घास की खेती	२०३८–३९
१३८२	किराये की इमारतों में डाकघर	२०३९
१३८३	चीनी का नियंत्रित मूल्य	२०३९
१३८४	सिंचाई वाली भूमि	२०३९–४०
१३८५	वन क्षेत्रों की हानि	२०४०
१३८६	अदालती स्टाम्पों की बिक्री	२०४१
१३८७	पश्चिमी तट सड़क	२०४१
१३८८	पंचायती राज संस्थायें	२०४१–४२
१३८९	छोटी लाइन कांगड़ा घाटी सेक्शन का पुनः मार्ग रेखा निर्धारण	२०४२
१३९०	भगीरथी नदी पर पुल का गिरना	२०४२–४३
१३९१	गजरौला-नजीबाबाद लाइन	२०४३
१३९२	पालम हवाई अड्डा	२०४३–४४
१३९३	शार्क-लिवर आयल	२०४४
१३९४	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना	२०४४
१३९५	अमरीकी ऋतु–अनुसन्धान विमान	२०४५
१३९६	मोटर रेलवे कोच	२०४५
१३९७	भण्डार क्षमता	२०४६
१३९८	मैसूर में कृषि विश्वविद्यालय	२०४६–४७
१३९९	प्रतिरक्षा श्रम बैंक	२०४७
१४००	दिल्ली–अहमदाबाद एक्सप्रेस	२०४७
१४०१	रेलवे साईडिंग	२०४८
१४०२	मालगूजारी की वसूली	२०४८
१४०३	अमरीका से चावल का आयात	२०४८–४९
१४०४	बिजली से चलने वाले रेलवे इंजन	२०४९
१४०५	पश्चिम बंगाल में लेबल क्रासिंग	२०४९–५०
१४०६	त्रिपुरा में खाद्य उत्पादन	२०५०
१४०७	मेलात्तूर-फेरोक रेलवे लाइन	२०५१
१४०८	सिसवा में भैंसालोटन तक रेलवे लाइनें	२०५१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१४०९ वनरोपण	२०५१--५३
१४१० प्रपत्रों का अनुवाद]	२०५३
१४११ टेलीफोन एक्सचेंज, ढलकोला	२०५३-५४
१४१२ डाक सम्भरण योजना	२०५४
१४१३ नये सर्विस टिकट	२०५४-५५
१४१४ सिलचर शिलांग रोड पर पुल	२०५५
१४१५ ज्वार का मूल्य	२०५५-५६
१४१६ चीनी का उत्पादन	२०५६
१४१७ पोडानूर में सिगनल तथा दूर संचार वर्कशाप	२०५६
१४१८ ओलविकोट में रेलवे स्कूल	२०५७
१४१९ मैसूर के लिये उर्वरक	२०५७
१४२० पूना बंगलौर एक्सप्रेस का पटरी से उतराना	२०५८
१४२१ दक्षिण रेलवे में काम करने वाले खलासी	२०५८
निधन सम्बन्धी उल्लेख	२०५८-५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२०५९
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	२०५९--२१२०

अध्यक्ष महोदय ने श्री एस० गुरुस्वामी के, जो केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया।

(१) वाणेक नौवहन अधिनियम १९५८ की धारा ४५८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १३ जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११८७ में प्रकाशित नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, १९६३ की एक प्रति।

(२) वित्तीय समितियां १९६२-६३ (सीमाक्षा) की एक प्रति।

२ सितम्बर, १९६३ को प्रस्तुत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, ४ सितम्बर, १९६३ / १३ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेत्तर चर्चा।

GMGIPND—LS III—1172 (Ai)LSD—5-1-63—1 0